



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
, ००
' ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

fo"k; l iph

fooj .k	l UnHkz	
	i Lrj l a[; k	i "B l a[; k
प्राक्कथन	-	v
विहंगावलोकन	-	vii
v/; k; 1 i p k; rh j k t l LFkkvk dh dk; l i z kkyh] tokcngh ra= , oa foRrh; i frounu ds i dj . kka i j fogxkoykdu		
प्रस्तावना	1.1	1
पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढाँचा	1.2	2
पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली	1.3	2
विभिन्न समितियों का गठन	1.4	2
लेखापरीक्षा व्यवस्था	1.5	4
लेखापरीक्षा निष्कर्षों की अनुक्रिया	1.6	6
सामाजिक लेखापरीक्षा	1.7	6
पंचायती राज संस्थाओं की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली	1.8	7
वित्तीय प्रतिवेदन के प्रकरण	1.9	7
निष्कर्ष	1.10	14
v/; k; 2 i p k; rh j k t l LFkkvk dh fu"i knu ys[kki j h{kk , oa ogn i Lrj		
"पंचायती राज संस्थाओं में तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों के उपभोग" पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1	15
"आडिट आफ स्कीम रूल्स, 2011" पर वृहद प्रस्तर	2.2	52
v/; k; 3 i p k; rh j k t l LFkkvk dh vuq kyu ys[kki j h{kk		
ब्याज की हानि	3.1	69
राजस्व हानि	3.2	70
व्ययाधिक्य	3.3	71
अनियमित व्यय	3.4	72
अनियमित व्यय	3.5	73
अतिक्रमित भूमि को खाली न कराया जाना	3.6	74
v/; k; 4 ' kgjh LFkkuh; fudk; k dh dk; l i z kkyh] t ckngh ra= , oa foRrh; i frounu ds i dj . kka i j fogxkoykdu		
प्रस्तावना	4.1	77
शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढाँचा	4.2	78
शहरी स्थानीय निकायों की कार्य प्रणाली	4.3	78

विभिन्न समितियों का गठन	4.4	79
लेखापरीक्षा व्यवस्था	4.5	79
लेखापरीक्षा निष्कर्षों की अनुक्रिया	4.6	81
सम्पत्ति कर परिषद्	4.7	82
सेवा स्तर मानक	4.8	82
आग से खतरे की प्रतिक्रिया	4.9	82
वित्तीय प्रतिवेदन के प्रकरण	4.10	83
मानव संसाधनों की उपलब्धता	4.11	88
निष्कर्ष	4.12	89
v/; k; 5 'kgjh LFkkuh; fudk; ka dh fu"i knu ys[kki jh{kk		
“शहरी स्थानीय निकायों में तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों के उपभोग” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	5	91
v/; k; 6 'kgjh LFkkuh; fudk; ka dh vuq kyu ys[kki jh{kk		
अलाभकारी व्यय	6.1	125
राजस्व हानि	6.2	126
राजस्व हानि	6.3	127
निरर्थक व्यय	6.4	129
राजस्व हानि	6.5	130
अलाभकारी व्यय	6.6	131
अलाभकारी व्यय	6.7	133
अलाभकारी व्यय	6.8	134
अनुत्पादक निवेश	6.9	135
lkfj f' kf"V; kq		
l a[; k	fooj .k	i "B l a[; k
1.1	पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढाँचा	139
1.2	ग्याहरवीं अनुसूची: 29 विषयों की सूची	141
1.3	पंचायती राज संस्थाओं के विषयों के हस्तान्तरण की स्थिति	142
1.4	स्थायी समितियों के कृत्य	143
1.5	स्वयं के स्रोतों से वसूला गया राजस्व	144
1.6	सकल प्राप्तियाँ एवं पंचायती राज संस्थाओं के स्रोतों पर समय श्रेणी आँकड़े	144
1.7	निवल आगम की तुलना में निधियों का हस्तान्तरण	145
1.8	राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों का उपभोग	145
1.9	केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों का उपभोग	146
2.1.1	पंचायती राज संस्थाओं की प्रशासनिक संरचना	147
2.1.2	तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों के अर्जित ब्याज एवं बकाया अवशेष की स्थिति	148
2.1.3	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	148

2.1.4	नमूना जांच किये गये जिला पंचायतों में अप्रयुक्त अनुदान	149
2.1.5	जिला पंचायतों के बैंक खातों में 2010-15 की अवधि में अर्जित ब्याज का विवरण	149
2.1.6	नमूना जांच किये गये क्षेत्र पंचायतों में अप्रयुक्त अनुदान	150
2.1.7	नमूना जांच किये गये ग्राम पंचायतों में अप्रयुक्त अनुदान	150
2.1.8	जिला पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायतों में कराये गये कार्य	151
2.1.9	जिला पंचायतों द्वारा कराये गये नये सड़क निर्माण कार्यों पर व्यय विवरण	151
2.1.10	जिला पंचायतों द्वारा कराये गये अनुरक्षण कार्य	152
2.1.11	2010-15 के दौरान अर्थदण्ड की कम कटौती	152
2.2.12	नमूना जांच किए गए क्षेत्र पंचायतों द्वारा उत्तर प्रदेश शासन से बिना तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये ₹ 10 लाख से अधिक के कराये गये निर्माण कार्यों का विवरण	153
2.1.13	नमूना जांच किए गए 153 ग्राम पंचायतों में बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के सामग्री क्रय	155
2.1.14	2010-15 की अवधि में हैण्डपम्प के अनुरक्षण पर व्यय	159
2.1.15	चयनित ग्राम पंचायतों में 2010-15 की अवधि में बिना प्राक्कलन एवं माप के विभिन्न कार्यों पर व्यय	161
2.2.1	चयनित ग्राम पंचायतों की सूची	166
2.2.2	ग्राम पंचायतों की सूची एवं सामाजिक लेखापरीक्षा की अवधि	167
2.2.3	प्रत्येक दल द्वारा संपादित सामाजिक लेखापरीक्षा के औसत का विवरण	168
2.2.4	ग्राम पंचायतों की सूची जहां सामाजिक लेखापरीक्षा की सूचना विलम्ब से प्राप्त हुई	169
2.2.5	ग्राम पंचायतों की सूची जिनमें विलम्ब से अभिलेख प्रस्तुत किए गए	170
2.2.6	अलेखापरीक्षित ग्राम पंचायतों का विवरण	171
2.2.7	नामित अधिकारियों की उपस्थिति का विवरण	172
2.2.8	ग्राम सभा बैठक में ग्रामवासियों की उपस्थिति	173
2.2.9	सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अपलोड न किये जाने का विवरण	174
2.2.10	ब्लाक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयकों द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदन और मनरेगा की वेबसाइट पर अपलोडेड प्रतिवेदन में अन्तर	175
2.2.11	दुर्विनियोग के प्रकरणों का विवरण	185
2.2.12	सामाजिक लेखापरीक्षा में इंगित आपत्तियों का विवरण	186
3.1	ब्याज की गणना	187
3.2	किराए की गणना	192
3.3	जिला पंचायत, सीतापुर में किराए की कम वसूली के कारण राजस्व की हानि	195
3.4	उच्च दर पर निविदा स्वीकृति के कारण अधिक व्यय	199
3.5	ग्राम निधि से रोकड़-आहरण	200
3.6	आहरण पर्ची के द्वारा धनराशि का आहरण	207
3.7	ग्राम पंचायत, छेरात सुडियाल में दुकानों के निर्माण पर भुगतान का विवरण	209
3.8	अतिक्रमित भूमि का विवरण	211
4.1	शहरी स्थानीय निकायों के कार्य	212

4.2	शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा विशेष रूप से किया गया कार्य	212
4.3	शासकीय विभागों एवं अभिकरणों के द्वारा किये जाने वाले कार्य	213
4.4	शहरी स्थानीय निकायों एवं शासकीय अभिकरणों के मध्य कार्यों का विभाजन	213
4.5	निजी स्रोतों से वसूल किया गया राजस्व।	214
4.6	राज्य वित्त आयोग अनुदान का हस्तांतरण	214
5.1	नमूना जाँच हेतु चयनित शहरी स्थानीय निकाय	215
5.2	तेरहवें वित्त आयोग के अर्न्तगत शहरी स्थानीय निकायों के लिए सामान्य निष्पादन अनुदान के आहरण हेतु शर्तें	216
5.3	नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध करायी गयी निधि एवं व्यय	216
5.4	बैंक खातों में जमा ब्याज का विवरण	218
5.5	गृह कर की वसूली	220
5.6	शहरी स्थानीय निकायों के खातों में विलम्ब से जमा किये गये अनुदान का विवरण	222
5.7	नगर पालिका परिषद, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर में कम अनुदान अवमुक्त किया जाना	223
5.8	नगर पालिका परिषद खैर अलीगढ़ में राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुमोदित कार्यों पर तेरहवें वित्त आयोग निधि से धनराशि का व्यय किया जाना	224
5.9	कार्यदायी संस्था को प्रदान किया गया अग्रिम	225
5.10	लेखाओं को तैयार करने हेतु किया गया व्यय	226
5.11	अमान्य व्यय	228
5.12	नगर पंचायतों में किया गया व्यय	232
5.13	अप्रयुक्त/अविकसित कूड़ा डम्पिंग स्थल का विवरण	233
5.14	शहरी स्थानीय निकाय में जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट का विवरण	234
5.15	निष्क्रिय सामग्री	236
5.16	अपूर्ण नाला	237
5.17	उचित शीर्ष से नाली का संयोजित न होना'	239
5.18	वित्तीय सीमा का उल्लंघन	240
6.1	जलमूल्य की लम्बित वसूली का वर्षवार विवरण	241
6.2	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण मानक	241
6.3	वधशाला बन्द होने के कारण नगर निगम को धनराशि की हानि	242
6.4	अपूर्ण कार्यों का विवरण	242
6.5	दुकानों/हाल के निर्माण का विवरण	242

i kDdFku

ekpZ 2015 dks l eklr gq o"kl l s l Ecf/kr ; g çfrosnu mÜkj çns'k ds jkT; i ky dks çLrq djus gsrq r\$ kj fd; k x; k gA

bl çfrosnu ea l æf/kr foHkkxka l fgr jkT; dh iapk; rh jkt l LFkkvka , oa 'kgjh LFkkuh; fudk; ka dh ys[kki jh{kk ds egRo i wkl ifj.kke 'kkfey fd; s x, gA

bl çfrosnu ea 2014&15 dh vof/k gsrq dh x; h ueuk ys[kki jh{kk ea l kku ea vk; s çdj.kka ds l kfk] i ndbrhZ o"kkZ dh ys[kki jh{kk ea l kku ea vk; s çdj.kka] tks foxr çfrosnuks ea l fEefyr ugha gks l ds] dks Hkh vko' ; drkuq i l fEefyr fd; k x; k gA

ys[kki jh{kk Hkkjr ds fu; æd , oa egkys[kki jh{kd }kj k fuxZr ys[kki jh{kk ekudks ds vuq i dh x; h gA

fog&koyk&du

यह प्रतिवेदन दो भागों एवं छः अध्यायों में तैयार किया गया है। भाग अ में पंचायती राज संस्थाओं के अध्याय 1 से अध्याय 3 तथा भाग ब में शहरी स्थानीय निकायों के अध्याय 4 से अध्याय 6 सम्मिलित हैं। अध्याय 1 में पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र तथा वित्तीय प्रतिवेदन के प्रकरणों पर विहंगावलोकन दिया गया है। अध्याय 2 में निष्पादन लेखापरीक्षा "पंचायती राज संस्थाओं में तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों के उपभोग" एवं "आडिट आफ स्कीम रूल्स, 2011" पर वृहद प्रस्तर शामिल हैं। अध्याय 3 में पंचायती राज संस्थाओं की अनुपालन लेखा परीक्षा का निष्कर्ष दिया गया है। अध्याय 4 में शहरी स्थानीय निकायों की कार्य प्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन के प्रकरणों पर विहंगावलोकन दिया गया है। अध्याय 5 में निष्पादन लेखापरीक्षा "शहरी स्थानीय निकायों में तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों के उपभोग" शामिल है। अध्याय 6 में शहरी स्थानीय निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा का निष्कर्ष दिया गया है। प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा निष्कर्ष का सार-संक्षेप नीचे दिया गया है।

v/; k; 1% i p k; r h j k t | d F k k v k a d h d k; l i z k k y h] t o k c n g h r a= , o a f o R r h;
i f r o n u d s i d j . k k a i j f o g & k o y k & d u

मार्च 2013 एवं मार्च 2014 को समाप्त हुये वर्ष के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन शासन को भेजा गया था पर राज्य विधान मण्डल के पटल पर नहीं रखा गया।

¶i Lrj 1-5-2¶

वर्ष 2010-15 की अवधि में केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं, राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अत्यधिक अनुदान पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किया गया था। जबकि, पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं के राजस्व स्रजन की स्थिति में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति रही तथा 2014-15 में ₹ 191 करोड़ की अपेक्षा 2013-14 में घटकर ₹ 149 करोड़ हो गया।

¶i Lrj 1-9-3¶

पंचायती राज संस्थायें, भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित समस्त आठ प्रारूपों (प्रियासॉफ्ट) में लेखाओं का अनुरक्षण अक्टूबर 2015 तक नहीं कर रही थी।

¶i Lrj 1-9-9¶

v/; k; 2 i p k; r h j k t | d F k k v k a d h f u " i k n u y s [k k i j h { k k

2-1 B i p k; r h j k t | d F k k v k a e s r j g o a f o r v k; k x d s v u n k u k a d s m i H k k x p i j
f u " i k n u y s [k k i j h { k k

वर्ष 2011-15 की अवधि में राज्य में, पंचायती राज संस्थाओं के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने सामान्य निष्पादन अनुदान ₹ 3,339.42 करोड़, अनुदान प्राप्त करने हेतु पूर्व अपेक्षित शर्तों का पूर्णतः पालन किये बिना आहरित किया।

¶i Lrj 2-1-6-2¶

31 जुलाई 2015 तक लखनऊ के आठ अग्रणी बैंकों में 31 से 74 दिनों तक पड़ी धनराशि ₹ 45.33 करोड़ निर्गत नहीं की गयी। अग्रेतर, यद्यपि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2010-15 की अवधि में अनुदान धनराशि ₹ 276.67 करोड़ निर्धारित समय सीमा के अन्दर पंचायती राज संस्थाओं को निर्गत की गयी थी। परन्तु नमूना जाँच किये गये जिला पंचायतों के बैंक खाते में एक से 143 दिनों के विलम्ब से जमा की गयी।

¶i Lrj 2-1-6-3 , o a 2-1-6-4¶

नियमों के अधीन निर्धारित मौलिक अभिलेखों का नमूना जाँच किये गये जिला पंचायतों / क्षेत्र पंचायतों में रख-रखाव नहीं किया गया था और ग्राम पंचायतों में तो लगभग अनुपलब्ध थे। इसलिये, नमूना जाँच किये गये पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 2010-15 की अवधि में किये गये व्यय ₹ 266.43 करोड़ की प्रमाणिकता को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

¶i Lrj 2-1-7¶

2010-15 की अवधि में नमूना जाँच किये गये जिला पंचायतों ₹ 214.60 करोड़ का व्यय मुख्य रूप से नयी सड़क के निर्माण पर किया गया और कुल व्यय ₹ 225.07 करोड़ का मात्र 4.65 प्रतिशत ही परिसंपत्तियों की मरम्मत और रख-रखाव पर किया गया था।

¶i Lrj 2-1-8 , o a i f f ' k " V 2-1-9¶

नमूना जाँच किये गये नौ जिला पंचायतों द्वारा 2010-15 की अवधि में सम्पादित 208 कार्यों को विलम्ब से सम्पादित किया गया। तथापि, ₹ 2.15 करोड़ का अर्थदण्ड कम लगाया गया।

¶i Lrj 2-1-8 , o a i f f ' k " V 2-1-11¶

जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ तथा जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा किया गया अनुश्रवण पर्याप्त नहीं था। पंचायती राज संस्थाओं की नियोजन एवं विकास समितियाँ कार्यशील नहीं थीं।

¶i Lrj 2-1-9-2 l s 2-1-9-4¶

2-2 BvkfMV vkQ Ldhe : YI] 2011¶ ij ogn i Lrj

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रकोष्ठ द्वारा 2013-15 की अवधि में सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को ₹ 44.03 करोड़ कम अवमुक्त किया गया। जबकि मनरेग्स प्रकोष्ठ के द्वारा प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत पाँच प्रतिशत से अधिक (₹ 104.11 करोड़) व्यय किया गया था।

¶i Lrj 2-2-7-2¶

सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत की, प्रति छः माह में, कम से कम एक सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु एक वार्षिक कैलण्डर तैयार किया जाना था। तदनुसार, प्रत्येक वर्ष में प्रदेश की 52,111 ग्राम पंचायतों की 1,04,222 सामाजिक लेखापरीक्षा नियोजित की जानी थी। तथापि, 2013-14 एवं 2014-15 में क्रमशः मात्र 13,192 (13 प्रतिशत) एवं 25,748 (25 प्रतिशत) सामाजिक लेखापरीक्षा नियोजित की गयी। इनमें से 11,412 (11 प्रतिशत) एवं 2013-14 में एवं 20,844 (20 प्रतिशत) 2014-15 में सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी थी।

¶i Lrj 2-2-8-1¶

अड़तीस जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक एवं 446 ब्लॉक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक, जुलाई 2012 से मार्च 2013 की अवधि में नियोजित किये गये थे लेकिन उस अवधि में कोई सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित नहीं की गयी, परिणामस्वरूप ₹ 3.62 करोड़ भुगतान किया गया मानदेय, अलाभकारी रहा।

¶i Lrj 2-2-8-3¶

तीस नमूना परीक्षित जनपदों में से 24 जनपदों में पाया गया कि 2014-15 की अवधि में 1,302 असम्प्रेक्षित ग्राम पंचायतों में 769 ग्राम पंचायतों द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा दल को अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

¶i Lrj 2-2-9-3¶

पचास नमूना परीक्षित ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा की बैठक में ग्रामीण सहभागिता ग्राम पंचायतों की कुल जनसंख्या का 0.07 से 3.76 प्रतिशत के मध्य थी।

¶i Lrj 2-2-9-5¶

तीस नमूना परीक्षित जनपदों में से 16 जनपदों में 2013-15 की अवधि में ₹ 164.22 लाख के दुर्विनियोग के 444 लम्बित प्रकरणों के सापेक्ष मात्र ₹ 0.13 लाख (0.08 प्रतिशत) की वसूली की गयी थी।

¶i Lrj 2-2-12¶

v/; k; 3 i p k; r h j k t | L F k k v k a d h v u i j k y u y s [k k i j h { k k

खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत, नौगढ़, चन्दौली द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन न किए जाने के फलस्वरूप ₹ 22 लाख के ब्याज की हानि तथा प्रभावी अनुसरण के अभाव में बचत बैंक खाते में अवशेषों पर ब्याज को अनुमन्य न करा पाना।

¶i Lrj 3-1¶

जिलाधिकारी द्वारा दुकानों के लिए निर्धारित दरों के अनुसार किराए का निर्धारण न किये जाने से जिला पंचायत, सीतापुर को ₹ 30.61 लाख की राजस्व हानि।

¶i Lrj 3-2¶

शासकीय आदेशों की अवहेलना कर उच्च दर पर निविदा स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप ₹ 19.16 लाख का अधिक व्यय।

¶i Lrj 3-3¶

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत नियमावली, 1965 के प्रावधानों का जिला पंचायत, ललितपुर द्वारा अनुपालन न किये जाने के फलस्वरूप ₹ 3.77 करोड़ की सम्पत्ति को अतिक्रमण से मुक्त न कराया जाना।

¶i Lrj 3-6¶

v/; k; 4 ' k g j h L F k k u h ; f u d k ; k a d h d k ; l i z k k y h j t o k c n g h r a = , o a f o R r h ; i f r o n u d s i d j . k k a i j f o g a k k o y k s d u

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदनों को राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखना तथा इस पर चर्चा करने के लिये एक समिति का गठन किये जाने का अधिदेश था। जबकि मार्च 2014 के अन्त तक का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन जो शासन को प्रेषित किया गया था, राज्य सरकार द्वारा विधान मण्डल के पटल पर नहीं रखा गया था।

¶i Lrj 4-5-2¶

शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा राजस्व की प्राप्ति के लिये शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप शासकीय अनुदान पर अत्यधिक निर्भरता रही।

¶i Lrj 4-10-6¶

v/; k; 5 B ' k g j h L F k k u h ; f u d k ; k a e a r j g o a f o R r v k ; k s x v u p n k u k a d s m i H k k s x p i j f u " i k n u y s [k k i j h { k k

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूर्ण किये बिना, राज्य सरकार द्वारा सामान्य निष्पादन अनुदान की धनराशि ₹ 812.83 करोड़ प्राप्त की गयी थी। अनुदान की धनराशि

अपने पास रोके रखने के कारण 2010-15 की अवधि में राज्य सरकार को ₹ 1.05 करोड़ ब्याज के रूप में आय हुयी, परन्तु इस विलम्ब के लिए, अर्जित ब्याज की धनराशि शहरी स्थानीय निकायों को अन्तरित नहीं की गयी।

¶i Lrj 5-6-4 , oa 5-6-5¶

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 2010-15 की अवधि में कार्यों के सम्पादन हेतु वार्षिक कार्ययोजना नहीं बनायी गयी थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगर पंचायतों के लिए चारों विनिर्दिष्ट सेवाओं के सन्दर्भ में सेवा मानक अधिसूचित नहीं किये गये थे।

¶i Lrj 5-7-1 , oa 5-7-3¶

गैर अनुमन्य कार्यों के सम्पादन पर 33 शहरी स्थानीय निकायों में ₹ 12.25 करोड़ व्यय किये गये थे।

¶i Lrj 5-7-2¶

नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में नगर निगम, अलीगढ़ एवं नगर पालिका परिषद, इटावा के अतिरिक्त अन्य सभी में नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु उपयुक्त व्यवस्था का अभाव था। इसी प्रकार, नमूना जाँच किए गए राज्य के 12 जनपदों में जैव-चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबन्धन भी अपर्याप्त था।

¶i Lrj 5-8-1 , oa 5-11-3-3¶

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा विवाद रहित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना नालों का निर्माण प्रारम्भ किए जाने के कारण अपूर्ण नालों के निर्माण पर ₹ 2.27 करोड़ का अलाभकारी व्यय किया गया।

¶i Lrj 5-8-2-1] 5-9-4-1] 5-11-4-1 , oa 5-12-4-1¶

चार सेवाओं की सुपुर्दगी के सेवा मानकों में वर्गीकृत होते हुए भी लखनऊ, सीतापुर एवं इटावा जनपदों के अतिरिक्त सीवरेज सम्बन्धी कार्यों हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। नगर पालिका परिषद, इटावा में सीवरेज प्रणाली का घरों से संयोजन न होने के कारण संचालित नहीं थी, जबकि नगर निगम, फिरोजाबाद में उत्प्रवाह संयन्त्र निर्मित न होने के कारण यह प्राणली अप्रयुक्त पड़ी हुयी थी।

¶i Lrj 5-9-2-1] 5-10-1 , oa 5-11-2-1¶

राज्य के साथ-साथ जनपद स्तर पर अनुश्रवण प्रणाली का अभाव था। उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा कार्यों के सम्पादन एवं अनुदानों के उपयोग की समीक्षा न करके मात्र शहरी स्थानीय निकायों के अनुदानों की अनुशंसा एवं प्रशासनिक विभाग से उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की माँग की गयी थी।

¶i Lrj 5-13¶

v/; k; 6 'kgjh LFkkuh; fudk; ka dh vuq kyu ys[kki jh{kk

हाइड्रोलिक टावर वैगन सिस्टम और बहुउद्देशीय कूड़ा गाड़ी को आवश्यकता का आकलन किये बिना क्रय किया जाना तथा तीन वर्षों से अधिक समय तक निष्क्रिय पड़े रहने के परिणामस्वरूप ₹ 20.27 लाख का अलाभकारी व्यय।

¶i Lrj 6-1¶

वर्ष 2008-15 की अवधि में जलमूल्य की वसूली न किये जाने के कारण नगर पालिका परिषद, शामली को कम से कम ₹ 89.86 लाख की राजस्व हानि तथा अनियमित रूप से जल मूल्य समाप्त किये जाने से मार्च 2008 तक ₹ 46.11 लाख की हानि।

¶i Lrj 6-2¶

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का अनुपालन किये बिना संचालित वधशाला के बंद होने के फलस्वरूप ₹ 5.37 करोड़ की राजस्व हानि (नवम्बर 2015)।

¶i Lrj 6-3¶

नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ और जल निगम के बीच समन्वय में कमी के कारण जनसामान्य को तीन वर्ष से अधिक समय तक हुई समस्याओं के अतिरिक्त क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण पर ₹ 27.33 लाख का निरर्थक व्यय ।

¶i Lrj 6-4¶

वाह्य स्रोतों के माध्यम से पार्किंग शुल्क की वसूली हेतु निविदा के अन्तिमीकरण में एवं विभागीय कर्मचारियों के द्वारा लक्षित राजस्व की वसूली में असफल रहने के फलस्वरूप नगर पालिका परिषद्, बलरामपुर में वाहन स्टैंड से ₹ 32.53 लाख की कम राजस्व वसूली होना ।

¶i Lrj 6-5¶

नगर पंचायत, निचलौल, महाराजगंज में नालों के अपूर्ण निर्माण कार्य पर ₹ 32.66 लाख का अलाभकारी व्यय, परिणामस्वरूप, जल बहाव को मुख्य नाले से जोड़े जाने सम्बन्धी उद्देश्यों की प्राप्ति न होना ।

¶i Lrj 6-6¶

नगर निगम, मुरादाबाद में बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट उपस्थिति मशीन अक्रियाशील रहने के कारण ₹ 14.27 लाख का अलाभकारी व्यय ।

¶i Lrj 6-8¶

₹ 47.87 लाख की लागत से नगर पंचायत, मोहाना, लखनऊ में निर्मित एवं मरम्मत की गयी दुकानों एवं हाल को आवंटित न किए जाने के फलस्वरूप निवेश का अनुत्पादक रहना ।

¶i Lrj 6-9¶

v/; k; 1

i p k; r h j k t l L F k k v k a d h d k; L i z k k y h j t o k c n g h r a = , o a f o R r h; i f r o n u
d s i d j . k k a i j f o g a k k o y k s d u

j k T; e a i p k; r h j k t L k L F k k v k a d h d k; L i z k k y h i j , d f o g a k k o y k s d u

1-1 i L r k o u k

भारत सरकार ने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया जिसके द्वारा ग्रामीण स्वशासी संस्थाओं अर्थात् ग्राम्य स्तर पर ग्राम पंचायत, माध्यमिक अथवा ब्लाक स्तर पर क्षेत्र पंचायत एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत को सशक्त बनाने के लिये शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया गया। बदले में राज्यो को, इन स्थानीय निकायों को ऐसी शक्तियाँ, कार्य तथा दायित्व सौंपना था जिससे ये स्थानीय संस्थायें स्वशासी सरकार के रूप में कार्य कर सकें। फलस्वरूप, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 को 1994 में संशोधित किया गया था तथा उसके अन्तर्गत नियमों की संरचना की गयी थी।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज (17वां संशोधन) अधिनियम, 2011 के नियम 186 में मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतों का वार्षिक प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विधान सभा के पटल पर रखे जाने का प्रावधान किया गया। इसके अनुपालन में राज्य सरकार ने इन दोनों प्रतिवेदनों पर चर्चा हेतु मार्च 2014 में पंचायती राज समिति का गठन किया।

1-1-1 j k T; d k i f j n';

उत्तर प्रदेश, आकार के परिप्रेक्ष्य में देश में पाँचवा सबसे बड़ा राज्य है एवं 2.41 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की कुल जनसंख्या 19.98 करोड़ है, जिसमें से 77.72 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। राष्ट्रीय स्तर पर ग्राम पंचायतों की 2.41 लाख की संख्या के सापेक्ष, 24.48 प्रतिशत (0.59 लाख) ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। राज्य की तुलनात्मक जनांकीय एवं विकास विवरणिका के साथ राष्ट्र की विवरणिका | k j . k h 1 में दी गई है।

| k j . k h 1% j k T; d h e g R o i u k l k f [; d h; f o o j . k

L k d r d	b d k b l	j k T; e M;	j k " V a e M;
जनसंख्या	करोड़	19.98	121.07
जनसंख्या घनत्व	प्रति वर्ग किलोमीटर	829	382
ग्रामीण जनसंख्या (प्रतिशत)	प्रतिशत	77.72	68.84
पंचायती राज संस्थाओ की संख्या	संख्या	60,058	2,47,577
जिला पंचायतों की संख्या	संख्या	75	598
क्षेत्र पंचायतों की संख्या	संख्या	821	6,391
ग्राम पंचायतों की संख्या	संख्या	59,162*	2,40,588
लिंग अनुपात	1,000 पुरुषों के सापेक्ष महिलाएं	912	940
साक्षरता	प्रतिशत	67.68	74.04

(स्रोत: तेरहवां वित्त आयोग, निदेशक, पंचायती राज, लखनऊ एवं जनगणना प्रतिवेदन 2011)

*निर्वाचन क्षेत्रों के पुर्नगठन के कारण वृद्धि

1-2 i pk; rh jkt | LFkkvka dk | xBukRed <kpk

सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों/योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं, समानान्तर निकायों एवं विभागों द्वारा किया जाता है। शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, पंचायती राज, निदेशक पंचायती राज की सहायता से अनुदान आवंटन, उपभोग एवं समग्र अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी हैं। जिला पंचायत स्तर पर अपर मुख्य अधिकारी, क्षेत्र पंचायत स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी अनुदान के मितव्ययी एवं प्रभावकारी उपभोग हेतु उत्तरदायी है। अग्रेतर, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ लखनऊ तथा जिला पंचायत राज अधिकारी क्रमशः जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा सम्पादित कार्यों पर व्यय की प्रगति के अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति, पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित अनुदान की विशिष्टियों एवं शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी थी। शासन एवं प्रत्येक स्तर पर समान्तर संस्थायें एवं विभागों पर चुने गये प्रतिनिधियों का ब्लाक, जिला एवं राज्य स्तरीय प्रशासनिक ढांचा *ijff'k"V 1-1* में दिया गया है।

1-3 i pk; rh jkt | LFkkvka dh dk; | iz.kkyh

1-3-1 i pk; rh jkt | LFkkvka dh fuf/k; k] dk; k] , oa ikf/kdkfj; k] dk gLrkUrj.k

भारतीय संविधान के ग्यारहवीं सूची में पंचायती राज संस्थाओं को निधियों, कार्यों एवं प्राधिकारियों के अन्तरण का प्रावधान किया गया है जिससे वे स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य हो जाये। तदनु रूप, उत्तर प्रदेश राज्य विधायिका ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 को वर्ष 1994 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 द्वारा संशोधित किया तथा ग्राम पंचायतों को शक्तियों एवं कार्यों का हस्तान्तरण किया जैसा कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज एवं जिला पंचायत अधिनियम 1947 की धारा 15 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अनुसूची 1 एवं 2 में प्रावधानित था। संविधान की ग्यारहवीं सूची में वर्णित 29 कार्यों *ijff'k"V 1-2* के सापेक्ष मात्र 16 कार्यों *ijff'k"V 1-3* को 31 अक्टूबर 2015 तक हस्तान्तरित किया गया है। अवशेष कार्य पंचायती राज संस्थाओं को अभी तक हस्तान्तरित किया जाना शेष था।

1-4 fofHkUu | fefr; k] dk xBu

1-4-1 LFkk; h | fefr; k]

पंचायतों के तीनो स्तरों के सूचारु रूप से संचालन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 1999 में पंचायतों के प्रत्येक स्तर में छः स्थायी समितियों के गठन हेतु आदेशित किया। पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, वित्तीय प्रकरणों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में सम्मिलित विभिन्न स्थायी समितियों का सक्षिप्त परिचय *ikj.kh 2* में वर्णित है।

1.4.2 पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन के प्रकरणों पर विहंगावलोकन

पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन के प्रकरणों पर विहंगावलोकन	पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन के प्रकरणों पर विहंगावलोकन	पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन के प्रकरणों पर विहंगावलोकन	पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन के प्रकरणों पर विहंगावलोकन
जिला पंचायत	अपर मुख्य अधिकारी/अध्यक्ष, जिला पंचायत	(i) नियोजन एवं विकास समिति (ii) शिक्षा समिति (iii) निर्माण कार्य समिति (iv) स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति (v) प्रशासनिक समिति (vi) जल प्रबंधन समिति	उत्तर प्रदेश सरकार अधिसूचना सं04430/33-1-99एसपीआर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 सं0 4077/33-2-99-48जी/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के अनुसार स्थायी समितियों के क्रियाकलापों को <i>ijffk"V 1-4</i> में वर्णित किया गया है।
क्षेत्र पंचायत	खण्ड विकास अधिकारी/प्रमुख, क्षेत्र पंचायत	(i) नियोजन एवं विकास समिति (ii) शिक्षा समिति (iii) निर्माण कार्य समिति (iv) स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति (v) प्रशासनिक समिति (vi) जल प्रबंधन समिति	उत्तर प्रदेश सरकार अधिसूचना 4430/33-1-99/एसपीआर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के अनुसार स्थायी समितियों के क्रियाकलापों को <i>ijffk"V 1-4</i> में वर्णित किया गया है।
ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी/प्रधान, ग्राम पंचायत	(i) नियोजन एवं विकास समिति (ii) शिक्षा समिति (iii) निर्माण कार्य समिति (iv) स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति (v) प्रशासनिक समिति (vi) जल प्रबंधन समिति	उपरोक्तानुसार

(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज लखनऊ)

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर निदेशक, पंचायती राज ने बताया (नवम्बर 2015) कि जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर गठित समितियों की बैठकें उन्हीं के स्तर पर सम्पन्न होती थीं तथा इन बैठकों के कार्यवृत्त उन्हीं के स्तर से प्राप्त किया जा सकता था। अतः इन समितियों के गठन एवं कार्यकलापों की स्थिति निदेशालय स्तर पर उपलब्ध नहीं थी।

1.4.2 पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन के प्रकरणों पर विहंगावलोकन

चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1993 में अन्तर्वेशित भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जेड-डी में यह व्यवस्था है कि जिले में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं को समेकित करने और जिले हेतु समग्र रूप से विकास योजनाओं का मसौदा तैयार करने हेतु प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। सरकार ने प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 को जुलाई 1999 में अधिनियमित किया किन्तु जिला योजना समितियाँ अप्रैल 2008 में गठित की गयीं।

पंचायती राज संस्थाओं में तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपभोग सम्बन्धी 12 जिलों¹ की नमूना जांच पर निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि पंचायती राज संस्थाओं की जिला कार्य योजना न तो बनायी गयी थी और न ही जिला पंचायतों द्वारा समेकित योजना जैसा कि अधिनियम में प्रावधानित है, जिला योजना समिति को प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकार राज्य सरकार का शासन के विकेन्द्रीकरण एवं जन भागीदारी बढ़ाने तथा विभाग द्वारा अनुश्रवण का उद्देश्य सुनिश्चित नहीं हो रहा था।

¹ अलीगढ़, बहराइच, इटावा, फिरोजाबाद, जी.बी. नगर, गाजीपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखनऊ, मऊ, सीतापुर एवं सुल्तानपुर।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर निदेशक, पंचायती राज द्वारा बताया गया (नवम्बर 2015) कि राज्य में जिला योजना समिति के कार्यान्वयन की स्थिति की जानकारी जिला स्तर से प्रतीक्षित थी।

1-5 लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, पंचायती राज संस्थाओं के

1-5-1 जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत

मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीनों स्तरों के प्राथमिक लेखापरीक्षक हैं। मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की प्रस्तावित लेखापरीक्षा, वास्तविक रूप से की गयी लेखापरीक्षा तथा अवशेषों का विवरण तालिका 3 में दिया गया है।

तालिका 3: पंचायती राज संस्थाओं के प्राथमिक लेखापरीक्षक

वर्ष	जिला पंचायत	क्षेत्र पंचायत	ग्राम पंचायत
2012-13			
जिला पंचायत	71	48	23 (32)
क्षेत्र पंचायत	813	116	697 (86)
ग्राम पंचायत	51,674	26,519	25,155 (49)
2013-14			
जिला पंचायत	73	45	28 (38)
क्षेत्र पंचायत	820	89	731 (89)
ग्राम पंचायत	51,674	33,378	16,296 (32)
2014-15			
जिला पंचायत	73	48	25 (34)
क्षेत्र पंचायत	823	71	752 (91)
ग्राम पंचायत	52,019	36,228	15,791 (30)

(स्रोत: मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, लखनऊ)

तालिका 3 से परिलक्षित है कि 2012-15 की अवधि में पंचायती राज संस्थाओं की अधिसंख्य जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत जो वर्ष में लेखापरीक्षा हेतु अपेक्षित थी इकाइयां असंवीक्षित रहीं यथा 32 से 38 प्रतिशत जिला पंचायत में, 86 से 91 प्रतिशत क्षेत्र पंचायत में तथा 30 से 49 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में। इस प्रकार, इन पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय आँकड़ों की लेखापरीक्षा नहीं हुई।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया (अक्टूबर 2015) कि जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों द्वारा मुख्य रूप से अभिलेखों के प्रस्तुत न किये जाने के कारण इतना अधिक अवशेष था। तथ्य स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकरण को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए था तथा प्रभावी पद्धति लागू की जानी चाहिए थी जिससे पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अभिलेखों का सम्यक रखरखाव सुनिश्चित हो सके तथा प्राथमिक लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा हेतु तथा नियन्त्रक महालेखापरीक्षक दल को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित हो सके।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 1947 का नियम 186, जो शासनादेश सं. 854/33-1-2011-126/96 दिनांक 30 मार्च 2011 द्वारा संशोधित किया गया तथा ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किये जाने को प्रावधानित किया गया। तथापि, मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा 2011-12 से वार्षिक प्रतिवेदन विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु नहीं तैयार की गयी थी।

मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा (अक्टूबर 2015) बताया गया कि 2010-11 का प्रतिवेदन तैयार किया गया था एवं उत्तर प्रदेश विधायिका के पटल पर रखा गया था। तथ्य स्पष्ट है कि अनुवर्ती वर्षों में वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अभी तक तैयार नहीं किया गया तथा विधायिका के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया गया।


1-5-2 Hkkj r ds fu; a=d&egkys[kki jh{k d }kj k ys[kki jh{k k

ग्यारहवें वित्त आयोग ने भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं के उचित रख-रखाव पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता करने एवं उनकी लेखापरीक्षा किये जाने की संस्तुति की थी एवं तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के प्रस्तर 10.121 एवं 10.122 के अनुसार, लेखाओं के लेखापरीक्षण से विश्वसनीय आश्वासन उपलब्ध कराने हेतु सभी राज्यों के सभी स्थानीय निकायों हेतु नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता हेतु सौंपा जाना है एवं निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन के साथ ही साथ नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को राज्य विधायिका के पटल पर रखा जाना चाहिए जिससे उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा का विश्वसनीय आश्वासन प्रदान होगा। पंचायती राज संस्थाओं के लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का अधिदेश निम्नवत है:

(i) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं धारा 20(1) के अधीन भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा सम्पादित की जाती है। पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के लिए मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अधीन दिया जाता है।

(ii) लेखापरीक्षा परिणाम/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य सरकार, निदेशक, पंचायती राज एवं मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यवाही का अनुसरण किये जाने हेतु प्रेषित किया जाता है।

pkVZ 1% i p k; r h j k t l d Fk k v k a e a y s [k k i j h { k k d h i f Ø ; k u h p s n ' k k z h x ; h g S



राज्य सरकार द्वारा मार्च 2014 में पंचायती राज समिति का गठन उत्तर प्रदेश की विधायिका में पंचायती राज प्रतिवेदन पर चर्चा के लिये किया गया था। किन्तु मार्च 2013 एवं मार्च 2014 में समाप्त हुए वर्ष के लिये राज्य सरकार को प्रेषित वार्षिक तकनीकी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन विधायिका के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसलिए पंचायती राज समिति में इस पर चर्चा नहीं की गयी थी।

1-6 ys[kki jh{kku fu"d"kk dh vufo; k

लेखापरीक्षा आपत्तियों को कार्यालय प्रमुख, निदेशक पंचायती राज एवं मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी को सूचित किया गया था। अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान यह जांच करने के लिए कि क्या धनराशि नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार तथा अभिप्रेत उद्देश्यों पर ही व्यय की गयी; लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण मूल्य सहित अग्रेषित किया गया था विवरण | kfj .kh 4 में दिया गया है।

| kfj .kh 4% 31 epl 2015 dks yfEcr ys[kki jh{kku i Lrjka dk foj .k

₹ djkm+e

Ø0 l Ø	Ok"z	i Lrjka dk i kj fEHkd vo' k'k		Ok"z ds nks ku l fEefyr i Lrj		Ok"z ds nks ku fuLrkfj r i Lrj		vfuLrkfj r i Lrj	
		Lk[: k	eW;	Lk[: k	eW;	Lk[: k	eW;	Lk[: k	eW;
1.	2010-11	12,694	895.36	1,308	162.20	1	0.00	14,001	1,057.56
2.	2011-12	14,001	1,057.56	2,033	242.37	-	-	16,034	1,299.93
3.	2012-13	16,034	1,299.93	482	223.16	-	-	16,516	1,523.09
4.	2013-14	16,516	1,523.09	3,310	1,073.44	-	-	19,826	2,596.53
5.	2014-15	19,826	2,596.53	2,203	816.81	-	-	22,029	3,413.34

(स्रोत: लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन पंजिका)

| kfj .kh 4 में देखा गया कि 22,029 प्रस्तर जिनका मूल्य ₹ 3,413.34 करोड़ था 2014-15 की समाप्ति पर अवशेष था। वर्ष 2011-15 तक की अवधि के शासन को प्रेषित प्रस्तरों का उत्तर उनके द्वारा नहीं दिया गया था जिससे स्पष्ट है कि शासन, लेखापरीक्षा प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के प्रति उदासीन था।

मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा भी पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के प्रस्तरों की अनुपालन (आख्या प्राप्त) किये जाने के लिये प्रयास नहीं किया गया जो उन्हें निरन्तर प्रेषित किये गये थे।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया (अक्टूबर 2015) कि प्रशासनिक विभागों से लेखापरीक्षा प्रस्तरों की अनुपालन आख्या नहीं प्राप्त होने के कारण निस्तारण हेतु लम्बित पड़े मामलों की समीक्षा नहीं की गयी। विगत पाँच वर्षों में इतनी अधिक संख्या में आपत्तियों की अनुपालन आख्या अप्राप्त होने तथा किसी भी आपत्ति का निस्तारण न होना आन्तरिक नियन्त्रण एवं अनुश्रवण में कमी को प्रदर्शित करता है तथा वित्तीय नियमों, नियमावली एवं वित्तीय औचित्य के मानकों के प्रति घोर उपेक्षा को प्रकट करता है।

tokngh rU= rFkk foRrh; i frou ds i dj .k

tokngh rU=

1-7 l keftd ys[kki jh{kku

भारत सरकार द्वारा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श के पश्चात आडिट आफ स्कीम रूल्स, 2011 नामक शीर्षक के अन्तर्गत नियमों एवं नियमावलियों

का एक समूह संरचित किया गया। इसके पश्चात्, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा (अगस्त 2012) सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई का गठन एक स्वतन्त्र अभिकरण के रूप में किया गया। सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई के कार्यकलापों तथा सामाजिक लेखापरीक्षा परिणाम को आडिट आफ स्कीम रूल्स, पर वृहद् प्रस्तर के अन्तर्गत अध्याय 2.2 में वर्णित किया गया है।

1-8 i pk; rh jkt | 1.Fkkvka dh vkrfjd fu; U=.k iz.kkyh

किसी संगठन में आन्तरिक नियंत्रण, एक प्रणाली है जो कि उसके उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने हेतु उसके क्रियाकलापों को शासित करती है। यह कानूनों, नियमों, विनियमों एवं आदेशों के अनुपालन का उचित आश्वासन प्रदान करने में मदद करती है, धोखाधड़ी, दुरुपयोग एवं कुप्रबंधन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती हैं और उच्च प्राधिकारियों को विश्वसनीय वित्तीय एवं प्रबंधन सूचनाओं को सुनिश्चित करती है। आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण क्रियाकलापों में, लेखाओं का उचित रख-रखाव, आँकड़ों का मिलान, प्रलेखीकरण, भुगतानों को प्राधिकृत एवं अनुमोदित करने की पद्धति, कर्तव्यों का विभाजन, निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा सम्मिलित हैं।

1-8-1 vufo.k&iz.kkyh

पंचायती राज संस्थाओं की लेखांकन प्रणाली को मजबूत बनाने तथा प्राधिकारियों को यदि आवश्यकता पड़े तो विभिन्न उद्देश्यों के अन्तर्गत प्राप्तियों एवं व्यय की प्रगति का अनुश्रवण किये जाने हेतु सक्षम बनाने तथा आगे कार्यवाही किये जाने हेतु ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आधारित भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर हेतु कोडिंग पद्धति पर आधारित लेखांकन प्रारूप निर्धारित किया गया था। तथापि, नमूना जांच पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में लेखे तैयार नहीं किये गये थे। विभाग द्वारा प्राप्तियों की बजट प्रक्रिया एवं व्यय सम्बन्धी प्रवाह की समीक्षा एवं अनुश्रवण भी नहीं किया गया था।

1-9 foRrh; ifronu ds idj.k

1-9-1 fuf/k; ka ds l kr

पंचायती राज संस्थाओं के संसाधन आधार में स्वयं की प्राप्तियाँ, राज्य वित्त आयोग अनुदान, केन्द्र वित्त आयोग अनुदान, राज्य सरकार अनुदान तथा विकासात्मक उद्देश्यों एवं रख-रखाव के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की निधियाँ शामिल हैं। निधि-वार स्रोत एवं प्रत्येक स्तर के लिए इसकी अभिरक्षा एवं महत्वपूर्ण योजनाओं में निधि प्रवाह व्यवस्था | kj .kh 5¼v½ एवं 5¼C½ में दिए गए हैं:


| kj .kh 5 ¼v½ fuf/k idj.k&i pk; rh jkt | 1.Fkkvka ea fuf/k; ka dk l kr , oa vfhkj {kk

fuf/k dh idfr	fuf/k i pk; r		{k= i pk; r		xke i pk; r	
	fuf/k dk l kr	fuf/k dh vfhkj {kk	fuf/k dk l kr	fuf/k dh vfhkj {kk	fuf/k dk l kr	fuf/k dh vfhkj {kk
स्वयं की प्राप्तियाँ	स्वयं के संसाधन	जिला निधि	शून्य	शून्य	स्वयं के संसाधन	ग्राम निधि
राज्य वित्त आयोग	राज्य सरकार	जिला निधि	राज्य सरकार	क्षेत्र निधि	राज्य सरकार	ग्राम निधि
केन्द्रीय वित्त आयोग	भारत सरकार	जिला निधि	भारत सरकार	क्षेत्र निधि	भारत सरकार	ग्राम निधि
केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनायें	भारत सरकार	केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना का बैंक खाता	भारत सरकार	केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना का बैंक खाता	भारत सरकार	केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना का बैंक खाता

(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज)

क्र.सं.	नाम	विवरण
1.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार मनरेगा के अपने-अपने अंश बैंक खाते में हस्तान्तरित करते हैं, जिसे राज्य रोजगार गारंटी निधि कहते हैं जो कि राज्य लेखे के बाहर स्थापित की गयी है। आयुक्त, ग्राम्य विकास उक्त निधि तथा निधि के संरक्षक तथा व्यवस्थापक हैं तथा निधियों का जनपदीय एवं उपजनपदीय स्तर पर हस्तांतरण की व्यवस्था करते हैं।
2.	इन्दिरा आवास योजना	भारत सरकार अपना अंश चेक द्वारा सीधे जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को हस्तान्तरित करती है। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश शासन के अंश को जिला कोषागार से आहरित करता है और दोनों अंशों को एक बैंक खाते में रखता है। परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण खाते को संचालित करते हैं तथा निधि के प्रशासक हैं। वह लाभार्थियों के खाते में योजना के क्रियान्वयन के लिये निधि को हस्तान्तरित करते हैं।
3.	ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम हेतु उत्तर प्रदेश शासन पूरे राज्य हेतु निधि का हस्तान्तरण उत्तर प्रदेश जल निगम को केन्द्रीय रूप से लखनऊ में करता है। उत्तर प्रदेश जल निगम निधि का हस्तान्तरण अपनी जनपदीय इकाईयों को करता है। अन्य ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी उनको आवंटित धनराशि का आहरण जनपदीय कोषागार से करते हैं और इस धनराशि को जनपदों में उत्तर प्रदेश जल निगम की इकाई को कार्यान्वयन के लिए देते हैं।
4.	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	भारत सरकार अपना अंश सीधे राज्य स्वच्छता मिशन के बैंक खाते में हस्तान्तरित करती है जो इसे आगे जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को स्थानान्तरित करती है। जिला पंचायत राज अधिकारी, जो मिशन के पदेन सचिव हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के अंश का आहरण उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त आवंटन के आधार पर जनपदीय कोषागार से करते हैं तथा इसे भी मिशन के बैंक खाते में जमा करते हैं।

(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास)



(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज)

1-9-2 ctV r\$ kj fd; k tkuk vkj ctV ifØ; k


बजट तैयार किया जाना एवं बजट प्रक्रिया में वार्षिक बजट प्राक्कलनों को तैयार करने एवं परीक्षण करने तदोपरान्त व्यय पर नियंत्रण करना निहित है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इसे प्राधिकृत अनुदानों या विनियोजनों के भीतर किया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रत्येक पंचायती राज संस्था, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत मैनुअल² के सन्दर्भ में वार्षिक बजट तैयार करती है। वर्ष 2014-15 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि 109 क्षेत्र पंचायतों में से 32 तथा समस्त 741 नमूना जांच की गयी ग्राम पंचायतों में वार्षिक बजट नहीं तैयार किया गया था। इस प्रकार प्राप्तियों एवं वास्तविक व्यय प्रवाह का समीक्षा एवं अनुश्रवण सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप पर्याप्त धनराशि प्रत्येक वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त पड़ी रही जैसा कि प्रस्तर 1.10.1 में वर्णित है।

1-9-3 I dy ikflr; k

वर्ष 2010 से 2015 की अवधि में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन प्राप्त समग्र अनुदानों उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 के नियम 37 में परिकल्पित व्यवस्था द्वारा जनता से किराया, कर, शुल्क आदि के रूप में स्वयं के स्रोतों से राजस्व संग्रह $\frac{1}{5}$ एवं ग्रामीण विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत अवमुक्त अनुदानों $\frac{1}{6}$ की स्थिति $\frac{1}{3}$ में निम्नवत् दी गयी है।

$\frac{1}{3}$ i pk; rh jkt l dFkkvks ds l d k/kuka dh l d k/ku i dfr



(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज, आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं उप निदेशक जिला पंचायत, अनुश्रवण प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)

$\frac{1}{3}$ से यह देखा जा सकता है कि केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के लिये भारत सरकार से प्राप्त अनुदान पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्तियों का सबसे बड़ा भाग है किन्तु विगत पांच वर्षों में इसमें लगातार गिरावट हुई थी। केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं के राजस्व

² प्रस्तर 110 तथा 115

प्राप्ति की स्थिति में घट-बढ़ प्रवृत्ति रही तथा 2014-15 में, 2013-14 की ₹ 191 करोड़ की तुलना में घटकर ₹ 149 करोड़ रही। इस प्रकार, पंचायती राज संस्थाओं मुख्यतः शासकीय अनुदानों पर निर्भर रही जो पंचायती राज संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य के विपरीत था।

1-9-4 ueuk tkp dh x; h ipk; rh jkt l dFkkvk dh foRrh; fLFkfr

वर्ष 2010-14³ की अवधि में 3,084 पंचायती राज संस्थाओं (जिला पंचायत 133, क्षेत्र पंचायत: 409 तथा ग्राम पंचायत: 2,542) के अभिलेखों की नमूना जांच लेखापरीक्षा की गई थी। वर्ष 2010-14 की अवधि में, वर्षवार नमूना जांच लेखापरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति l kj.kh 6 में दी गयी है।

l kj.kh 6% o"kl 2010&14 rd dh vof/k e ys[kki jhf{kr
ipk; rh jkt l dFkkvk dh foRrh; fLFkfr

₹ djkm+ e

o"kl	tkp dh x; h ipk; rh jkt l dFkkvk dh l a[; k	ikj fEHkd vo'k'k	ikr dh x; h fuf/k; k	dy mi yC/k fuf/k; k	0; ;	vfUre vo'k'k Wi fr'kr½
fityk ipk; r						
2010-11	11	100.57	145.29	245.86	139.07	106.79 (43)
2011-12	29	192.37	330.72	523.09	294.87	228.22 (44)
2012-13	41	430.05	642.83	1,072.88	442.28	630.60 (59)
2013-14	52	574.41	1,412.35	1,986.76	1,005.95	980.81 (49)
{k= ipk; r						
2010-11	54 ⁴	33.21	102.17	135.38	87.36	48.02 (35)
2011-12	59	35.71	69.36	105.07	64.16	40.91 (39)
2012-13	187 ⁵	152.37	220.77	373.14	213.58	159.55 (43)
2013-14	109	89.03	178.11	267.14	171.19	95.95 (36)
xke ipk; r						
2010-11	340 ⁶	26.32	83.71	110.03	76.31	33.72 (31)
2011-12	187 ⁷	10.45	22.69	33.14	24.01	9.13 (28)
2012-13	1,274 ⁸	65.64	128.04	193.68	141.45	52.23 (27)
2013-14	741	26.49	121.46	147.95	117.54	30.41 (21)

(स्रोत: लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन पंजिका)

l kj.kh 6 से देखा जा सकता है कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्राप्त की गयी पर्याप्त निधियाँ प्रत्येक वित्त वर्ष में अनुपयोगी पड़ी रही। अनुपयोगी अवशेष 2010-14 की अवधि में 43 से 59 प्रतिशत के मध्य जिला पंचायत में, 35 से 43 प्रतिशत के मध्य, क्षेत्र पंचायतों में तथा 21 से 31 प्रतिशत के मध्य, ग्राम पंचायतों में रहा। जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों में निधियों के उपभोग की प्रवृत्ति में कोई विशेष परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता। जबकि ग्राम पंचायतों में निधियों के उपभोग के प्रतिशत में सुधार हुआ था। निदेशक, पंचायती राज ने कहा (नवम्बर 2015) कि जिला पंचायत राज अधिकारियों से निधियों के उपभोग नहीं किये जाने के कारणों की सूचना मांगी गयी है। निधियों का

³ पंचायती राज संस्थाओं की नमूना जांच 2013-14 तक की गयी थी।

⁴ 54 क्षेत्र पंचायतों में से 12 की वित्तीय स्थिति उपलब्ध नहीं थी, अतः सारणी में सम्मिलित नहीं की गयी।

⁵ 187 क्षेत्र पंचायतों में से एक की वित्तीय स्थिति उपलब्ध नहीं थी, अतः सारणी में सम्मिलित नहीं की गयी।

⁶ 340 ग्राम पंचायतों में से 7 की वित्तीय स्थिति उपलब्ध नहीं थी, अतः सारणी में सम्मिलित नहीं की गयी।

⁷ 187 ग्राम पंचायतों में से एक की वित्तीय स्थिति उपलब्ध नहीं थी, अतः सारणी में सम्मिलित नहीं की गयी।

⁸ 1,274 ग्राम पंचायतों में से 13 की वित्तीय स्थिति उपलब्ध नहीं थी, अतः सारणी में सम्मिलित नहीं की गयी।

उपभोग नहीं किया जाना, "कमजोर नियोजन एवं एक निश्चित अवधि में लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त न कर पाने का द्योतक है।


1-9-5 jkT; foRr vk; ks vupku dk gLrkUrj.k

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा राज्य की संचित निधि से पंचायतों को निधियों का हस्तान्तरण किये जाने का प्रावधान किया गया था (अनुच्छेद 243 आई)।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने भी राज्य के सकल कर राजस्व के निवल आगम का पांच प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किये जाने की आवश्यकता की संस्तुति की। पंचायती राज संस्थाओं की महत्ता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तृतीय राज्य वित्त आयोग ने अपनी संस्तुतियों (2008) में पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरण के लिए सकल कर राजस्व के निवल आगम के 5.5 प्रतिशत तक की वृद्धि किया। वर्ष 2010-15 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को निधियों का हस्तान्तरण एवं उसके सापेक्ष वास्तविक अवमुक्त धनराशि pkVl 4 rFkk /ff'k"V 1-7 में दर्शाया गया है।

pkVl 4% fuoy mRi kn ds l ki \$k fuf/k; ka dk gLrkUrj.k

₹ djKM+ e#



(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज)

pkVl 4 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2010-14 की अवधि में ₹ 2,052 करोड़ कम हस्तान्तरित किये गये थे। वर्ष 2011-12 में सबसे अधिक कमी 25 प्रतिशत था तथापि विगत पांच वर्षों में हस्तान्तरण में स्थिर वृद्धि परिलक्षित हुई। उत्तर में निदेशक द्वारा (नवम्बर 2015) बताया गया कि राज्य सरकार के वित्त विभाग से सूचना मांगी गयी है।

1-9-6 jkT; foRr vk; ks dh l Lrfr; k;

वर्ष 2010-15 की अवधि में राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध अनुदानों, उनके उपभोग होने एवं उपभोग न होने की स्थिति l kj.kh 7 में दी गई है।

l kj.kh 7% jkT; foRr vk; ks ds vvxr i klr vupkuka dk mi Hkks

₹ djKM+ e#

क्र.सं.	वर्ष	पंचायती राज संस्थाओं का कुल व्यय	शहरी स्थानीय निकायों का कुल व्यय	कुल व्यय	
				राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान
1.	2010-11	1,787.57 ⁹	1,787.57	0.00	0.00
2.	2011-12	2,172.37	2,168.16 ¹⁰	4.21	0.00
3.	2012-13	2,455.04	2,455.04	0.00	0.00
4.	2013-14	3,544.81	3,544.81	0.00	0.00
5.	2014-15	4,390.18	4,390.18	0.00	0.00

(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज, उप-निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, लखनऊ)

1.7 से स्पष्ट है कि 2011-12 की अवधि में ₹ 4.21 करोड़ व्ययगत हुये थे। वर्ष 2010-11 एवं 2012-15 की अवधि में प्राप्त सम्पूर्ण अनुदान का उपभोग कर लिया गया था। यद्यपि वर्ष 2011-14 की अवधि में 11 जिला पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि कुल ₹ 117.71 करोड़¹¹ राज्य वित्त आयोग अनुदान की धनराशि पंचायती राज संस्थाओं में अप्रयुक्त पड़ी रही $\frac{117.71}{117.71} \times 100 = 100\%$ । अवशेष पड़े रहने के कारणों के सम्बन्ध में निदेशक, पंचायती राज ने कहा (नवम्बर 2015) कि स्थिति को स्पष्ट करने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निदेशक पंचायती राज, राज्य स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित अनुदान के उपभोग के अनुश्रवण हेतु समग्र रूप से जिम्मेदार हैं।

1.9-7 जिला पंचायतों के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों एवं उनके उपभोग की स्थिति

केन्द्रीय वित्त आयोग के अधीन उपलब्ध निधियों एवं उनके उपभोग की स्थिति 1.8 में दी गई है।

1.8 के अनुसार 2010-15 की अवधि में अनुदानों¹² की सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग कर लिया गया था। यद्यपि, 2011-14 की अवधि में 11 जिला पंचायतों की नमूना जांच में यह पाया गया कि ₹ 112.32 करोड़¹³ केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अप्रयुक्त पड़ी थी $\frac{112.32}{112.32} \times 100 = 100\%$ । पंचायती राज संस्थाओं की नमूना जांच में अवशेष के कारणों के सम्बन्ध में निदेशक, पंचायती राज ने बताया (नवम्बर 2015) कि जिला

वर्ष	पंचायती राज संस्थाओं का कुल व्यय	शहरी स्थानीय निकायों का कुल व्यय	कुल व्यय	
			राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान
2010-11	911.29	911.29	0.00	0.00
2011-12	1,473.51	1,473.51	0.00	0.00
2012-13	1,498.45	1,498.45	0.00	0.00
2013-14	3,408.67	3,408.67	0.00	0.00
2014-15	2,048.65	2,048.65	0.00	0.00

(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज, लखनऊ)

1.8 के अनुसार 2010-15 की अवधि में अनुदानों¹² की सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग कर लिया गया था। यद्यपि, 2011-14 की अवधि में 11 जिला पंचायतों की नमूना जांच में यह पाया गया कि ₹ 112.32 करोड़¹³ केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि अप्रयुक्त पड़ी थी $\frac{112.32}{112.32} \times 100 = 100\%$ । पंचायती राज संस्थाओं की नमूना जांच में अवशेष के कारणों के सम्बन्ध में निदेशक, पंचायती राज ने बताया (नवम्बर 2015) कि जिला

⁹ निदेशक पंचायती राज द्वारा भिन्न-भिन्न आंकड़ों की प्रतियों को प्रस्तुत किये जाने के कारण ए.टी.आई.आर. 2011 के आंकड़ों से विचलन हुआ।

¹⁰ निदेशक पंचायती राज द्वारा भिन्न-भिन्न आंकड़ों की प्रतियों को प्रस्तुत किये जाने के कारण ए.टी.आई.आर. 2014-15 के आंकड़ों से विचलन हुआ।

¹¹ वर्ष 2011-12 का अन्तिम अवशेष ₹ 31.93 करोड़, वर्ष 2012-13 का अन्तिम अवशेष ₹ 41.36 करोड़ तथा 2013-14 का अन्तिम अवशेष ₹ 44.42 करोड़।

¹² पंचायती राज संस्थाओं में तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों के उपभोग पर निष्पादन लेखापरीक्षा में निदेशक पंचायती राज द्वारा भिन्न-भिन्न आंकड़ों के प्रस्तुत किये जाने के कारण।

¹³ वर्ष 2011-12 का अन्तिम अवशेष ₹ 22.13 करोड़, वर्ष 2012-13 का अन्तिम अवशेष ₹ 38.22 करोड़ तथा 2013-14 का अन्तिम अवशेष ₹ 51.97 करोड़।

पंचायत राज अधिकारियों से स्थिति स्पष्ट करने के सम्बन्ध में सूचना मगायी गयी है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निदेशक, पंचायती राज राज्य स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की अनुदानों के उपभोग के अनुश्रवण हेतु सम्पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। पंचायती राज संस्थाओं के सम्बन्ध में तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का विस्तृत वर्णन "पंचायती राज संस्थाओं में तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान का उपभोग" विषयक निष्पादन लेखापरीक्षा के अध्याय 2.1 के संबंधित प्रस्तरों में दिया गया है।

1-9-8 विहंगावलोकन [क&ज [को

वित्तीय नियमों, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण नियमावली 1984 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत में वित्तीय क्रिया-कलापों एवं निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में अभिलेखों एवं पत्रावलियों के समुचित रख-रखाव के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। मूल अभिलेखों के अनुरक्षण के सम्बन्ध में नमूना जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत में अनुरक्षण कार्य पर्याप्त नहीं था तथा ग्राम पंचायत में लगभग शून्य था। नमूना लेखापरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं में अभिलेखों के अनुरक्षण नहीं किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या पंचायती राज संस्थाओं के तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों के उपभोग पर निष्पादन लेखापरीक्षा के अध्याय 2.1 के अन्तर्गत प्रस्तर 2.1.7 में दिया गया है।

1-9-9 विहंगावलोकन [क.क

ग्यारहवें वित्त आयोग ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीन स्तरों के लेखाओं के रख-रखाव के ऊपर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण किये जाने की संस्तुति की थी। तेरहवें वित्त आयोग के प्रस्तर 10.161 में भी यह अनुशंसा की गयी थी कि राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के निष्पादन अनुदान को प्राप्त करने हेतु तभी योग्य होगी जब वह इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि सभी ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संस्तुत लेखा प्रणाली लागू कर दी गयी है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा वेब-आधारित साफ्टवेयर (प्रियासॉफ्ट) पर विकसित मॉडल लेखांकन संरचना की संस्तुति पंचायती राज संस्थाओं के लिए की जिसमें आठ लेखांकन प्रपत्र थे। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रियासॉफ्ट अप्रैल 2010 से लागू करने की सलाह दी गयी (अक्टूबर 2009)। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से प्रियासॉफ्ट पर लेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य किया (जनवरी 2011)। तथापि, अक्टूबर 2015 की स्थिति के अनुसार आठ प्रपत्रों में से जिला पंचायतों तथा क्षेत्र पंचायतों द्वारा मात्र तीन प्रपत्रों (वार्षिक प्राप्ति तथा भुगतान लेखा, समेकित सार पंजिका एवं मासिक समाशोधन विवरण) पर प्रतिवेदन बनायी जा रही थी। अक्टूबर 2015 की स्थिति के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा मात्र वार्षिक प्राप्ति तथा भुगतान लेखा एवं समेकित सार पंजिका ही बनायी जा रही थी।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित सभी आठ प्रपत्रों में लेखाओं का अनुरक्षण नहीं किया जाना न केवल ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों की अवहेलना है वरन पंचायती राज संस्थाओं के लेखों का सम्पूर्ण परिदृश्य भी प्रदर्शित नहीं होता है।

1-10 विहंगावलोकन [क.क

- वर्ष 2014-15 में अनिस्तारित प्रस्तारों की संख्या (22,029) राज्य सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन के प्रति शिथिलतापूर्ण भाव को प्रदर्शित करता है।

¶i Lrj 1-6¶

- सभी नमूना लेखापरीक्षित ग्राम पंचायतों द्वारा बजट नहीं तैयार किये जाने के कारण उनकी प्राप्तियों एवं वास्तविक व्ययों का विश्लेषण एवं अनुश्रवण नहीं किया जा सका।

¶i Lrj 1-9-2¶

- वर्ष 2010-15 की अवधि में, केन्द्र पुरोनिधानित योजनओं, राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग आदि द्वारा अनुदान के रूप में बड़ी धनराशि पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित की गयी थी जबकि उक्त अवधि में स्वयं के राजस्व प्राप्ति में कोई उल्लेखनीय वृद्धि न होने के फलस्वरूप शासकीय अनुदान पर ही अधिक निर्भरता रही।

¶i Lrj 1-9-3¶

- पंचायती राज संस्थायें भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित समस्त आठ प्रारूपों (प्रियासॉफ्ट) में लेखाओं का अनुरक्षण नहीं कर रही थी जिसके कारण लेखाओं की शुद्धता की जांच नहीं हो सकी।

¶i Lrj 1-9-9¶

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (दिसम्बर 2015); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)

2-1 i pk; rh jkt l Fkkvka ea rjgoa foRr vk; ksx ds vuupkuka ds mi Hkksx
i j fu"i knu ys[kki jh{kk

dk; Zdkjh l kjka k

राज्यों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने और स्थानीय निकायों के संसाधनों को परिपूर्ण करने के उद्देश्य से तेरहवें वित्त आयोग ने सभी राज्यों के पंचायती राज संस्थाओं के लिए करों के विभाज्य पूल से ₹ 63,050.50 करोड़ के अनुदान की सिफारिश की थी, जिसमें से ₹ 9,787.70 करोड़ राज्य के पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया था। अनुदान को पेयजल, सीवरेज, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन, मार्ग प्रकाश, सड़कों और अन्य नागरिक सुविधाओं आदि की बुनियादी सुविधाओं के अनुरक्षण एवं रख-रखाव पर व्यय किया जाना था। यह निष्पादन लेखापरीक्षा राज्य के 75 में से 12 जनपदों में 2010-15 की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं में तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों के उपभोग पर किया गया। इसमें वित्तीय प्रबंधन, नियोजन, बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराना, कार्यों के निष्पादन, अनुश्रवण आदि में कमियों पर प्रकाश डाला गया है जिसकी चर्चा निम्नवत है:

foRrh; i caku

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में सामान्य बुनियादी अनुदान की द्वितीय किश्त ₹ 887.89 करोड़ और सामान्य निष्पादन अनुदान की प्रथम किश्त ₹ 485.51 करोड़ (कुल ₹ 1,373.40 करोड़) उत्तर प्रदेश सरकार को क्रमशः फरवरी और मार्च 2015 में जारी किए गये थे। फिर भी, नमूना जांच में चयनित जिला पंचायतों में प्रक्रियात्मक विलंब के कारण उक्त अनुदान क्रमशः अप्रैल और जून 2015 में प्राप्त हुए थे। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2014-15 की अवधि में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आवंटित धनराशि का उपभोग नहीं किया जा सका।

Wi Lrj 2-1-6-1½

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2011-15 की अवधि में, राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के लिए ₹ 3,339.43 करोड़ सामान्य निष्पादन अनुदान का आहरण अनुदान प्राप्त करने के लिए पूर्व अपेक्षित शर्तों का पूर्णतः पालन किये बिना ही किया गया।

Wi Lrj 2-1-6-2)

- 31 जुलाई 2015 को ₹ 24.69 करोड़ (₹ 16.30 करोड़ के ब्याज सहित) का अनुदान लखनऊ के आठ अग्रणी बैंकों द्वारा 31 से 74 दिनों तक निर्गत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, ₹ 20.64 करोड़ का अनिर्गत अवशेष भी विभिन्न बैंकों में 31 जुलाई 2015 को विगत 74 दिनों से पड़ा था। इस प्रकार, पंचायती राज संस्थाओं को निर्धारित समय सीमा के अन्दर ₹ 45.33 करोड़ को हस्तांतरित नहीं किया गया था।

Wi Lrj 2-1-6-3½

- वर्ष 2010-15 की अवधि में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत से संबंधित अनुदान यद्यपि कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर जारी किया गया था परन्तु चयनित जिला पंचायतों के बैंक खातों में एक से 143 दिनों के विलंब से जमा हुआ था।

Wi Lrj 2-1-6-4%

- नमूना जाँच किए गये पंचायती राज संस्थाओं में सितम्बर 2014 तक ₹ 324.36 करोड़ प्राप्त हुआ था जिसमें से मार्च 2015 तक ₹ 266.43 करोड़ व्यय किया गया और ₹ 57.93 करोड़ अप्रयुक्त पड़ा था।

Wi Lrj 2-1-6-6] 2-1-6-8 , oa 2-1-6-9%

dk; k̄ , oa foRrh; yu&nu ds vfHkys[kka dk j [k&j [kko

- नियमों के अधीन निर्धारित विभिन्न बुनियादी अभिलेखों का जिला पंचायत / क्षेत्र पंचायत में रख रखाव नहीं किया गया था और ग्राम पंचायतों में भी लगभग न के बराबर रख&रखाव किया गया। इसलिए, चयनित जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा 2010-15 की अवधि में किये गये व्यय ₹ 266.43 करोड़ की सत्यता की प्रमाण पूर्वक लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

Wi Lrj 2-1-7%

dk; Øe dk; k̄Jo; u

- तेरहवें वित्त आयोग अनुदान का जिला पंचायत द्वारा सीधे उपयोग के लिए वार्षिक कार्ययोजना या तो अपूर्ण बनायी गयी या बनायी ही नहीं गयी। क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों ने भी 2010-15 की अवधि में वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी।

Wi Lrj 2-1-8%

- वर्ष 2010-15 की अवधि में चयनित जिला पंचायतों द्वारा ₹ 214.60 करोड़ का व्यय मुख्य रूप से नये सड़क कार्यों पर किया गया एवं कुल व्यय ₹ 225.07 करोड़ का मात्र 4.65 प्रतिशत परिसंपत्तियों की मरम्मत व रख-रखाव पर किया गया था।

Wi Lrj 2-1-8- , oa ifjf'k"V 2-1-9%

- नमूना जाँच किये गये नौ जिला पंचायतों द्वारा 2010-15 की अवधि में 208 कार्यों का संपादन अनुबंध आधार पर कराया गया तथा कार्य विलम्ब से पूर्ण किये गये थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यों को समय से पूर्ण करने हेतु कार्यों की स्तर वार प्रगति की समीक्षा नहीं की गई और ठेकेदारों पर ₹ 2.15 करोड़ कम का अर्थ-दण्ड लगाया गया था।

Wi Lrj 2-1-8 , oa ifjf'k"V 2-1-11%

- ग्राम पंचायतों द्वारा बिना आगणन बनाये कार्यों का निष्पादन किया गया और तुलनात्मक दर प्राप्त किये बिना ₹ 18.27 करोड़ (₹ 9.67 करोड़ की सामग्री क्रय सहित) की लागत का कार्य कराया गया।

Wi Lrj 2-1-8] ifjf'k"V 2-1-13 , oa 2-1-15%

vuϕo.k

- जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ लखनऊ द्वारा जिला पंचायतों द्वारा कराये गये कार्यों का भौतिक निरीक्षण नहीं किया गया था। चयनित छह जिला पंचायतों ने

जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा किया गया अनुश्रवण अपर्याप्त था। पंचायती राज संस्थाओं की नियोजन एवं विकास समिति कार्यशील नहीं थी क्योंकि कार्यों को बिना उनके वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृति के निष्पादित किया गया था।

¶ [rj 2-1-9-2] 2-1-9-3 , 0a 2-1-9-4¶

2-1-1 iLrkouk

तेरहवें वित्त आयोग का गठन (13 नवम्बर 2007), करों के हस्तांतरण एवं अनुदानों के माध्यम से राज्यों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। तेरहवें वित्त आयोग ने पिछले वर्ष के विभाज्य पूल के एक प्रतिशत के रूप में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत इस हिस्सेदारी को सहायता अनुदान में परिवर्तित करने के पश्चात, (राज्यों के अंश के अतिरिक्त) स्थानीय निकायों के लिए सहायता अनुदान की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने तेरहवें वित्त आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के अनुसार अनुदान के अवमुक्त एवं उपभोग के सम्बंध में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के लिए निर्देश जारी किए (सितम्बर 2010)। अनुदान के दो घटक सामान्य बुनियादी अनुदान एवं सामान्य निष्पादन अनुदान थे। राज्यों के लिए उपलब्ध सामान्य बुनियादी अनुदान की धनराशि तेरहवें वित्त आयोग की अवधि (2010-15) में पिछले वर्ष के विभाज्य पूल के 1.5 प्रतिशत के बराबर थी। वर्ष 2011-12 से चार वर्ष की अवधि के लिए सभी राज्यों के लिए सामान्य निष्पादन अनुदान पिछले वर्ष के विभाज्य पूल के 0.5 प्रतिशत की दर से 2011-12 के लिए एवं उसके बाद 2014-15 तक के लिए एक प्रतिशत की दर से उपलब्ध था। पंचायती राज संस्थाओं के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान एवं सामान्य निष्पादन अनुदान के लिए उत्तर प्रदेश की राज्यवार हिस्सेदारी 2010-15 की अवधि में इन घटकों के सम्बन्ध में सभी राज्यों को अनुदान के आवंटन की कुल धनराशि का 15.52 प्रतिशत निश्चित की गयी थी। पंचायती राज संस्थाओं के लिए ये अनुदान व्यय की शर्तों के तहत मुक्त थे तथा पिछले वर्ष के किशतों के उपभोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर अवमुक्त किए जाने थे।

भारत सरकार के उक्त मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों पर आधारित राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के लिए तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों के अवमुक्त एवं उपभोग हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए (दिसम्बर 2010)। अनुदान को मूलभूत सुविधाओं के अनुरक्षण एवं रख-रखाव पर व्यय जैसे पेयजल, सीवरेज, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धन, मार्ग प्रकाश, सड़क एवं अन्य नागरिक सुविधाओं पर व्यय किया जाना था। अनुदान को स्वच्छता सुविधाओं एवं सभी को पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पुरानी जलापूर्ति योजनाओं के पुनर्वास एवं नवीन पेयजल योजनाओं पर भी उपभोग किया जा सकता था। पंचायती राज संस्थाओं को अनुगामी किशत जारी करने के लिए निर्धारित प्रारूप में उनके द्वारा उपभोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था।

आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर तेरहवें वित्त आयोग द्वारा सभी राज्यों के पंचायती राज संस्थाओं के लिए ₹ 63,050.50 करोड़ की सिफारिश की गई। इसमें से उत्तर प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं के लिए ₹ 9,787.70¹ करोड़ (15.52 प्रतिशत)

¹ अनुदान के उपरोक्त आंकड़े तेरहवें वित्त आयोग के अपनी अवधि के लिए अनुमानित करों के विभाज्य पूल पर आधारित हैं। वास्तविक निर्गत अनुदान की निर्भरता कर वसूली के अनुसार परिवर्तित रहेगी।

jkT; ds i pk; rh jkt
 l Fkkvka ds fy, rj goa
वित्त आयोग us ₹ 9]787-
 90 dj kM+ dh vuq ka k
 dh Fkh

तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया था। इस अनुपात में वर्ष 2010-15 में सामान्य बुनियादी अनुदान के लिए ₹ 6,399.52 करोड़ (65.38 प्रतिशत) एवं वर्ष 2011-15 में सामान्य निष्पादन अनुदान के लिए ₹ 3,388.18 करोड़ (34.62 प्रतिशत) शामिल था।

2-1-2 l kkBukRed <kjpk

राज्य में, अक्टूबर 2015 में 75 जिला पंचायतें², 821 क्षेत्र पंचायतें एवं 59,162 ग्राम पंचायतें थीं। शासन स्तर पर, प्रमुख सचिव, पंचायती राज जो कि निदेशक पंचायती राज द्वारा सहायित हैं, अनुदान के अवमुक्ति, प्रभावी उपभोग एवं समग्र अनुश्रवण के लिए जिम्मेदार हैं। वह बुनियादी ढाँचों के रख-रखाव के लिए तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए भी जिम्मेदार थे। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत स्तर पर, खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पंचायत स्तर पर एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर अनुदान के मितव्ययी एवं प्रभावी उपभोग के साथ बुनियादी सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार थे। अग्रेत्तर, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ लखनऊ एवं जिला पंचायत राज अधिकारी क्रमशः जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों/ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित कार्यों पर किए गये व्यय की निगरानी के लिए जिम्मेदार थे (ifj'k"V 2-1-1)। उक्त के अतिरिक्त, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति, उत्तर प्रदेश सरकार भी पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान की गयी अनुदान की विशेष शर्तों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थी।

2-1-3 ys[kki jh{kknfn';

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलित करना था कि:

- पंचायती राज संस्थाओं के अनुदान को समय से आवंटन एवं अवमुक्ति को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय प्रबंधन पर्याप्त एवं प्रभावी था और उनके द्वारा उसका उपभोग तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत मानदण्डों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार था।
- पंचायती राज संस्थायें वित्तीय लेन-देनों एवं कार्यों के सम्पादन के यथा निर्धारित उपयुक्त अभिलेखों का रख-रखाव कर रही थी।
- नियोजन प्रक्रिया नीचे से ऊपर की पद्धति का अनुकरण करते हुए उचित आवश्यकता के आकलन के आधार पर व्यापक थी।
- आधारभूत सेवाएँ एवं पुनर्वास और स्वच्छता सुविधाओं के उच्चीकरण तथा पेयजल सुविधाओं के रख-रखाव एवं अनुरक्षण को पर्याप्त प्राथमिकता प्रदान की गयी थी क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदानों के उपभोग के लिए अधिसूचित मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार यह मुख्य क्षेत्र थे।
- निर्धारित मानक/विशिष्टियों के अनुसार कार्यों/परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक सम्पादित किया गया, कार्यों के निष्पादन एवं सामग्री क्रय के लिए निविदा प्रक्रिया पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी थी एवं धनराशि के मूल्यों को सुनिश्चित किया गया, और
- निर्धारित उद्देश्यों के लिए अनुदान के समुचित उपभोग को सुनिश्चित करने के लिए अनुश्रवण तंत्र एवं आंतरिक नियंत्रण सुदृढ एवं प्रभावी था।

² अनुदानों को 72 जिलों में जारी किया गया आगे चल कर यह जिले 75 जिलों में बंट गये।

2-1-4 ys[kki jh{kk ekun.M

मानदण्ड के स्रोत निम्नलिखित थे:

- तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएँ, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत किये गये अनुदान के अवमुक्ति एवं उपभोग के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश;
- वित्तीय नियमों के प्राविधान, लोक निर्माण विभाग संहिता, कोषागार कोड, शासनादेश, वित्तीय हस्तपुस्तिका, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश, पंचायती राज अधिनियम एवं विभागीय मैनुअल; एवं
- पंचायती राज विभाग में प्रस्तुत/अनुरक्षित विभिन्न प्रतिवेदन एवं विवरणियाँ।

2-1-5 ys[kki jh{kk dh i) fr , oa {ks=

लेखापरीक्षा द्वारा राज्य के 75 जिलों में से 12 जिलों एवं उनके जिला पंचायतों का चयन निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए सिम्पल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के अनुसार किया गया। हमने चयनित जिलों के 12 जिला पंचायत राज अधिकारियों इन चयनित जिलों के 135 क्षेत्र पंचायतों में से 28 क्षेत्र पंचायतों तथा इन चयनित क्षेत्र पंचायतों के 1,793 ग्राम पंचायतों में 182 ग्राम पंचायतों का भी चयन किया। वित्तीय वर्ष 2010-15 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच मई से अगस्त 2015 तक की गयी। योजनाओं, बजट की तैयारी, स्वीकृति एवं अनुदानों की अवमुक्ति आदि से सम्बंधित अभिलेखों की जांच प्रमुख सचिव, पंचायती राज, निदेशक, पंचायती राज एवं जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, लखनऊ के कार्यालयों में भी किया गया। प्रत्येक चयनित जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के दो कार्यों के फोटोग्राफ भी लिए गये। प्रारंभिक संगोष्ठी का आयोजन 16 अप्रैल 2015 को प्रमुख सचिव, पंचायती राज के साथ किया गया जिसके दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से लेखापरीक्षा पद्धति, कार्यक्षेत्र उद्देश्यों एवं लेखापरीक्षा मानदण्ड पर चर्चा की गयी। राज्य सरकार से प्राप्त उत्तर (दिसम्बर 2016) को समुचित तरीके से सम्मिलित किया गया। राज्य सरकार को बार-बार अनुस्मारक के पश्चात भी राज्य सरकार के साथ समापन संगोष्ठी नहीं की जा सकी।

ys[kki jh{kk fu"d"kl

2-1-6 foRrh; i.c/ku

jkT; Lrjh; fu"d"kl

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति के फलस्वरूप, भारत सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 2010-11 से 2014-15 तक सामान्य बुनियादी अनुदान की दो किस्तों को (जनवरी एवं जुलाई) अवमुक्त करना था। अग्रेत्तर, वर्ष 2011-12 से सामान्य निष्पादन अनुदान को भी दो किस्तों में अवमुक्त किया जाना था। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदानों को जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में क्रमशः 20:10:70 के अनुपात में वितरित एवं स्थानांतरित किया जाना था।

2-1-6-1 Hkkjr ljdkj }kjk vuqku dk voefDr dj.k ,oa mRrj ins'k ljdkj }kjk vuqku dks LFkkukarfjr djuk

भारत सरकार द्वारा अनुदानों को अवमुक्त करने के पश्चात, उत्तर प्रदेश सरकार अपने बजट के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान सहायता अन्तर्गत किया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-15 की अवधि में जारी सामान्य बुनियादी अनुदान एवं सामान्य निष्पादन अनुदानों एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित की गयी धनराशियों का विवरण I.kj.kh 1 में दिया गया है।

I.kj.kh 1% Hkkjr ljdkj }kjk voefDr] mRrj ins'k ljdkj }kjk i'pk; rh jkt l LFkkvka dks LFkkukarfjr ,oa mRrj ins'k ljdkj ds ikl vo'ks'k vuqku

₹ dj.kM+ ea

Ø0 l Ø	o"z	jkt; ljdkj dks Hkkjr ljdkj }kjk voefDr vuqkuka dh dy /kujkf'k			mRrj ins'k ljdkj }kjk i'pk; rh jkt l LFkkvka dks vUrfjr vuqku ³	i'pk; rh jkt l LFkkvka }kjk mi Hkksx i'ek.k&i = ds ek/; e l s l fpr 0; ; /kuj kf' k	Hkkjr ljdkj dks jkt; ljdkj }kjk l fpr mi Hkksx dh /kuj kf' k	mRrj ins'k ljdkj ds ikl vo'ks'k
		cfu; kh vuqku	fu"i knu vuqku ⁴	dy vuqku				
1.	2010-11	911.29	00.00	911.29	911.29	911.29	911.29	0.00
2.	2011-12	1,142.34	529.94	1,672.28	1,672.28	1,672.28	1,672.28	0.00
3.	2012-13	1,297.68	1,078.97	2,376.65	2,376.65	2,376.65	2,376.65	0.00
4.	2013-14	1,497.06	1,245.01	2,742.07	2,742.07	2,742.07	2,742.07	0.00
5.	2014-15	1,636.30	485.51	2,121.81	748.41	748.41	748.41	1,373.40
	; ksx	6,484.67	3,339.43	9,824.10	8,450.70	8,450.70	8,450.70	1,373.40

(स्रोत: पंचायती राज निदेशालय)

2014&15 ds vUrfjr ea i'pk; rh jkt l LFkkvka dks voefDr ₹ 1373.40 dj.kM+2015&16 ea iklr gq s ftl l ; ; g i'pk; rh jkt l LFkk; a ml /kujkf'k dk mi Hkksx ml h foRrh; o"z 2014&15 ea ugha dj l dh

लेखापरीक्षा के दौरान हमने देखा कि वर्ष 2014-15 से सम्बंधित अनुदान ₹ 1,373.40 करोड़ (सामान्य बुनियादी अनुदान की दूसरी किस्त ₹ 887.89 करोड़ एवं सामान्य निष्पादन अनुदान की प्रथम किस्त ₹ 485.51 करोड़) भारत सरकार द्वारा फरवरी एवं मार्च 2015 में निर्गत की गयी थी। परिणामस्वरूप, यह अनुदान वित्तीय वर्ष 2014-15 की अवधि में उपभोग नहीं किया जा सका।

निदेशक, पंचायती राज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना 1/1 क.ख 1½ दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को धनराशि तत्परता से निर्गत की गयी थी तथा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत उपभोग प्रमाण-पत्र के अनुसार अनुदान का व्यय उसी वित्तीय वर्ष में किया गया। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि न तो निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंचायती राज संस्थाओं के बैंक खाते में अनुदान जमा किया गया और न ही उसी वित्तीय वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं ने अनुदान का उपभोग किया जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तारों 2.1.6.3, 2.1.6.6 एवं 2.1.6.7 में चर्चा की गयी है।

2-1-6-2 'krk dks i'jk fd, fcuk vuqku dh ekax

सामान्य निष्पादन अनुदान का आहरण तभी किया जाना था जब तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 6 शर्तों का अनुपालन राज्य सरकार कर लेती।

³ उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वर्ष 2012-13 में ₹ 2.02 करोड़ ब्याज के रूप में पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया।

⁴ वर्ष 2012-14 के दौरान प्राप्त ₹ 548.80 करोड़ की जब्त/अतिरिक्त निष्पादन अनुदानों को शामिल करते हुए।

जबकि लेखापरीक्षा ने देखा कि वित्तीय वर्ष 2011-15 की अवधि में राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सामान्य निष्पादन अनुदान ₹ 3,339.43 करोड़ आहरित किया परन्तु राज्य सरकार द्वारा सामान्य निष्पादन अनुदान प्राप्ति के लिए पूर्व अपेक्षित शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा अनुपालन की स्थिति एवं शर्तों का विवरण | kj . kh 2 में दिया गया है।

| kj . kh 2% | keku; fu"i knu vuṅku tkjh gkus ds fy, i ḡl vi f{kr
'krkḡ ds vuṅ kyu dh fLFkr

00 10	fu"i knu vuṅku ds fy, 'krḡ	j dkj }kj k vuṅ kyu dh fLFkr
1	राज्य सरकार के बजट में पंचायती राज संस्थाओं के लिए बजट प्रावधान, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लेखाओं के रख रखाव के लिए एक लेखा प्रणाली तथा पंचायतों के लिए माडल लेखाकन प्रणाली के अनुसार संहिताकरण पद्धति राज्य द्वारा अवश्य अपनायी जाए।	अनुपालन किया।
2	नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन व सहायता लेखापरीक्षा तथा तकनीकी मार्गदर्शन व सहायता लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवम् स्थानीय निधि के निदेशक की प्रतिवेदन राज्य विधान सभा में रखना।	पंचायती राज नियमों में आवश्यक संशोधन 2011 में किए गये। यद्यपि सिर्फ . वर्ष 2010-11 तक का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन राज्य विधान सभा में प्रस्तुत की गयी थी एवं मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, पंचायत की 2010-11 से आगे की वार्षिक प्रतिवेदन अब तक प्रस्तुत नहीं की गयी है।
3	अनुदानों के इलेक्ट्रानिक स्थानांतरण हेतु प्रणाली का विकास जिससे पंचायती राज संस्थाओं में पांच दिनों के अन्दर भारत सरकार से अवमुक्त अनुदान अंतरित किया जा सके।	अनुदानों का इलेक्ट्रानिक स्थानांतरण किया गया। यद्यपि, चयनित जिला पंचायतों के बैंक खातों में एक दिन से 143 दिनों के विलम्ब से अनुदान पहुँची थी। क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत में समुचित तरीके से अभिलेखों का रख रखाव न होने से अनुदानों के विलम्ब से पहुँचने को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।
4	पंचायती राज संस्थाओं के लिए लोकपाल की नियुक्ति	वर्तमान लोकायुक्त को लोकपाल का कार्य सौंपा गया था। यद्यपि, ग्राम पंचायत लोकायुक्त के अधीन नहीं है।
5	राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण	उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तर के अनुसार वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन एवं सचिव के लिए नामित किया जा रहा है। यद्यपि, सदस्यों की वांछित योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया था।
6	स्थानीय निकायों को सम्पत्ति कर लगाने के लिए सक्षम बनाना	उत्तर प्रदेश सरकार के जवाब के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं द्वारा करों की वसूली के लिए उत्तर प्रदेश जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अंतर्गत कोई प्रतिबंध नहीं है। यद्यपि केवल जिला पंचायतें कर आरोपित कर रही हैं।

(स्रोत: पंचायती राज निदेशालय)

j kT; | j dkj }kj
₹ 3]339-43 dj kM+
fu"i knu vuṅku i klr
fd; k x; k FkkA rFkfi]
vuṅku gsrq vf/knf' kr
'krkḡ dk i j h rjg l s
vuṅ kyu ugha fd; k
x; k Fkk

इस प्रकार वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन एवं मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी प्रतिवेदन राज्य विधान सभा में समय से प्रस्तुत करने और पंचायती राज संस्थाओं को समय से अनुदान स्थानांतरित करने की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। लेखापरीक्षा के बार-बार अनुरोध के बावजूद राज्य सरकार ने वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को सदन में रखा जाना सुनिश्चित नहीं किया। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया था एवं ग्राम पंचायतों को विद्यमान वर्तमान लोकायुक्त के अंतर्गत नहीं लाया गया था। इस प्रकार, बिना निर्धारित शर्तों के अनुपालन के राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से सामान्य निष्पादन अनुदान के ₹ 3,339.43 करोड़ की मांग की गयी।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2015) कि ग्राम पंचायत की संख्या 50,000 से अधिक है इसलिए ग्राम पंचायतों को लोकायुक्त के अंतर्गत लाना व्यावहारिक नहीं है। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों के योग्यता के संदर्भ में यह बताया गया कि राज्य वित्त आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष के पदों के लिए वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को नामित किया जा रहा है। अन्य शर्तों के अनुपालन के संदर्भ में कोई विशेष उत्तर नहीं दिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सामान्य निष्पादन अनुदानों को प्राप्त करने के लिए सभी छः शर्तों का अनुपालन आवश्यक था जो सुनिश्चित नहीं किया गया था।

2-1-6-3 i p k ; r h j k t | L F k k v k a d k s v u p n k u k a d k L F k k u k a r j . k u f d ; k t k u k

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण प्रणाली के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान जारी करने के लिए राज्य सरकार ने निदेशक पंचायती राज को लखनऊ के नौ अग्रणी बैंकों⁵ की शाखा में एक-एक बचत खाता खोलने का निर्देश दिया (जनवरी 2011)। इन खातों में अर्जित ब्याज पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया (अगस्त 2015) कि 31 जुलाई 2015 तक अनुदान के ₹ 24.69 करोड़ (₹ 16.30 करोड़ ब्याज सहित) 31 दिन से 74 दिनों के विलम्ब के बावजूद सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं को जारी नहीं किया गया था तथा लखनऊ में स्थित आठ अग्रणी बैंकों में खोले गये खातों में यह धनराशि अप्रयुक्त पड़ी थी। इसके अतिरिक्त 31 जुलाई 2015 को विगत 74 दिनों से विभिन्न बैंक खातों में ₹ 20.64 करोड़ अप्रयुक्त पड़ा था। लेकिन इन बैंकों में पड़ी अवशेष धनराशि पर अर्जित ब्याज की स्थिति से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया। पुनः अग्रणी बैंकों में एक खाता खोले जाने की स्वीकार्यता के विरुद्ध वर्ष 2010-15 के मध्य बैंक आफ इंडिया सचिवालय शाखा लखनऊ में निदेशक पंचायती राज द्वारा 17 बैंक खाते खोले गये। विभिन्न बैंक खाते खोला जाना सरकार के आदेश (जनवरी 2011) के विरुद्ध था। विभिन्न बैंकों में पड़ी हुई अप्रयुक्त अवशेष धनराशि का विवरण *ifff'k"V 2-1-2* में दिया गया है। इस प्रकार ₹ 45.33 करोड़ की धनराशि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को स्थानान्तरित नहीं की गई थी।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में बताया कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में ब्याज के उपयोग के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार के दिशानिर्देश में पांच दिनों के भीतर अनुदान के स्थानांतरण का स्पष्ट रूप से अधिदेश था एवं विलम्ब के मामले में ब्याज भी पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित किया जाना था।

2-1-6-4 i p k ; r h j k t | L F k k v k a d k s v u p n k u L F k k u k a r j . k o Ø f M V e a f o y e c

वित्त मंत्रालय द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के लिए जारी मार्गदर्शी सिद्धांत (सितम्बर 2010) के अनुसार भारत सरकार से धनराशि प्राप्ति के पांच दिनों के अन्दर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को निश्चित रूप से स्थानांतरित किया जाना था। अनुदान के विलम्ब से स्थानांतरण करने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दर से ब्याज के साथ राज्य सरकार द्वारा किश्त अवमुक्त की जानी थी।

⁵ इलाहाबाद बैंक, बैंक आफ बड़ोदा, बैंक आफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सिंडीकेट बैंक, एवं यूनियन बैंक आफ इण्डिया।

● जैसा कि पूर्व में प्रस्तर 2.1.6.1 में चर्चा की जा चुकी है कि वर्ष 2014-15 के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान (₹ 887.89 करोड़) की द्वितीय किश्त तथा सामान्य निष्पादन अनुदान (₹ 485.56 करोड़) की प्रथम किश्त भारत सरकार द्वारा क्रमशः 23 फरवरी 2015 व 31 मार्च 2015 को अवमुक्त की गयी थी। निर्धारित समयावधि के अन्दर 27 फरवरी 2015 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामान्य बुनियादी अनुदान को स्थानांतरित कर दिया गया था किन्तु 32 दिनों के विलम्ब के साथ सामान्य निष्पादन अनुदान को स्थानांतरित (07 मई 2015) किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन अनुदानों को पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान स्थानांतरित करने वाले लीड बैंकों द्वारा क्रमशः 30 तथा 54 दिनों के विलम्ब से भेजा गया। विलम्ब से अनुदान अवमुक्त करने पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत आवंटन आदेशों के अन्तर्गत विहित ब्याज उत्तर प्रदेश सरकार/बैंकों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जुलाई 2015 तक नहीं भेजा गया था।

● लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010-15 (फरवरी व मार्च 2015 में अवमुक्त अनुदान को छोड़कर) की अवधि में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत से सम्बंधित अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यद्यपि कि निर्धारित समय सीमा के अन्दर स्थानांतरित कर दिया गया था किन्तु चयनित जिला पंचायत के बैंक खातों में अनुदान (₹ 276.67 करोड़) एक से 143 दिनों के विलम्ब से क्रेडिट किया गया $\frac{1}{2}$ अनुदान क्रेडिट करने में विलम्ब के कारण चयनित जिला पंचायत को ₹ 1.03 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। चयनित क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत को अनुदान प्राप्ति में विलम्ब की स्थिति लेखापरीक्षा में ज्ञात नहीं की जा सकी क्योंकि या तो सम्बंधित अभिलेख यथा अनुदान पंजिका, बैंक खाता आदि अनुरक्षित नहीं थे अथवा उचित ढंग से अनुरक्षित नहीं थे।

राज्य सरकार द्वारा अपने उत्तर में यह बताया गया कि फरवरी 2015 में अवमुक्त सामान्य बुनियादी अनुदान (₹ 887.89 करोड़) वर्ष 2014-15 में उपभोग कर लिया गया तथा 31 मार्च 2015 को अवमुक्त सामान्य निष्पादन अनुदान (₹ 485.56 करोड़) 14वें वित्त आयोग से पुनर्विनियोग के द्वारा वर्ष 2015-16 में उपभोग किया गया तथा भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित कर दिया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चयनित जिला पंचायत द्वारा मात्र अप्रैल 2015 में सामान्य बुनियादी अनुदान (₹ 887.89 करोड़) और सामान्य निष्पादन अनुदान (₹ 485.56 करोड़) जून 2015 में प्राप्त किया गया था। इस प्रकार निर्धारित अवधि 2014-15 के अंतर्गत अनुदानों का उपभोग नहीं किया गया था। अग्रेतर 14वें वित्त आयोग के अनुदान से जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत को धन का पुनर्विनियोग अनुमन्य न था।

2-1-6-5 मि HkkDrk i Hkkjka dk u yxk; k tkuk

पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं के राजस्व संसाधनों को बढ़ाने के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों के क्षेत्र में स्थित उनके परिसरों के सम्बंध में सरकारी विभागों द्वारा उचित उपभोक्ता प्रभारों के भुगतान हेतु कार्यकारी अनुदेश जारी करने के लिए राज्य और केन्द्र सरकार से आग्रह किया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि इस सम्बंध में सरकारों द्वारा कोई भी निर्देश जारी नहीं किया गया था। तथापि राज्य सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 व उत्तर प्रदेश जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रभारों को आरोपित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

I kekl; cfu; knh o
fu"i knu vupku
i p; rh jkt l LFkkvka
ea , d l s 143 fnuka ds
foyc l s i klr gpz

2-1-6-6 वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्थानांतरित अनुदान निर्धारित अवधि के भीतर उपभोग कर लिया जाना था।

पंचायती राज संस्थाओं के बैंक खातों में तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्थानांतरित अनुदान निर्धारित अवधि के भीतर उपभोग कर लिया जाना था।
 ₹ 276.67 करोड़ 2010-15 के दौरान (अगस्त/सितम्बर 2014 तक) प्राप्त किया गया।
 इसके सापेक्ष ₹ 225.07 करोड़ व्यय किया गया जबकि ₹ 51.60 करोड़ मार्च 2015 तक अप्रयुक्त पड़े थे। चयनित जिला पंचायत में 2010-15 की अवधि में अवमुक्त अनुदान, व्यय एवं अव्ययित अनुदानों का व्यौरा 3 में दिया गया है।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्थानांतरित अनुदान निर्धारित अवधि के भीतर उपभोग कर लिया जाना था।

तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि नमूना जांच किये गये 12 जिला पंचायतों द्वारा ₹ 276.67 करोड़ 2010-15 के दौरान (अगस्त/सितम्बर 2014 तक) प्राप्त किया गया। इसके सापेक्ष ₹ 225.07 करोड़ व्यय किया गया जबकि ₹ 51.60 करोड़ मार्च 2015 तक अप्रयुक्त पड़े थे। चयनित जिला पंचायत में 2010-15 की अवधि में अवमुक्त अनुदान, व्यय एवं अव्ययित अनुदानों का व्यौरा 3 में दिया गया है।

3 में दिया गया है।

₹ 276.67

क्र.सं.	वर्ष	वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्थानांतरित अनुदान			वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्थानांतरित अनुदान	वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्थानांतरित अनुदान
		वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्थानांतरित अनुदान	वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्थानांतरित अनुदान	वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्थानांतरित अनुदान		
1.	2010-11	0.00	29.97	29.97	12.68	17.29
2.	2011-12	17.29	24.76	42.05	23.83	18.22
3.	2012-13	18.22	46.19	64.41	27.70	36.71
4.	2013-14	36.71	122.62	159.33	67.19	92.14
5.	2014-15	92.14	53.13	145.27	93.67	51.60
		₹ 276.67			₹ 225.07	₹ 51.60

(स्रोत: पंचायती राज निदेशालय)

जिला पंचायतवार अनुदान का स्थानांतरण, व्यय एवं अवशेष अनुदानों की मार्च 2015 तक की स्थिति 2-1-4 में दिया गया है।

उत्तर में राज्य सरकार द्वारा कहा गया (दिसम्बर 2015) कि जिला पंचायत द्वारा आगामी वर्ष में धनराशि का उपभोग कर लिया जायेगा। उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

2-1-6-7 वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्थानांतरित अनुदान निर्धारित अवधि के भीतर उपभोग कर लिया जाना था।

पंचायती राज संस्थाओं के बैंक खातों में तेरहवें वित्त आयोग अनुदान को राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरित किया जाना था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्देश (मार्च 2012) जारी किया गया कि उसके द्वारा अवमुक्त धनराशि, यदि ब्याज अर्जित करने के लिए सरकारी विभागों/निगमों/लोक उपक्रमों/स्थानीय निकायों द्वारा बैंक खातों में रखी जाती है तो, इस प्रकार से अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय मानी जाएगी तथा राज्य कोषागार में जमा की जायेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला पंचायत के बैंक खातों में अनुदानों को स्थानांतरित किया गया था परंतु जिला पंचायत द्वारा सामूहिक बैंक खाता खोले गये थे जिसमें अन्य योजनाओं यथा राज्य वित्त आयोग आदि की धनराशि भी रखी गयी थी, जिसके कारण तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान की अव्ययित धनराशि पर ब्याज की गणना किया जाना संभव न हो सका। तथापि, नमूना जांच किये गये 10 जिला पंचायतों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अनुदान पर 2010-15 में कुल ₹ 10.01 करोड़ ब्याज अर्जित किया गया। किंतु सम्बंधित जिला पंचायत द्वारा जून 2015 तक राज्य कोषागारों में ब्याज जमा नहीं किया गया था 2-1-5।

अग्रेतर, यह भी देखा गया कि जिला पंचायत बहराइच द्वारा अनुदान पृथक बैंक खाते में रखा गया था तथा 2010-15 में ₹ 89.82 लाख ब्याज अर्जित किया गया। इटावा, गौतमबुद्धनगर व गोण्डा की जिला पंचायत द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा बैंक खातों पर ₹ 155.58 लाख⁶ ब्याज अर्जित किया गया तथा ब्याज को जिला पंचायत की आय मानते हुए जिला निधि में स्थानांतरित कर दिया गया (ifj'k"V 2-1-5)।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर में यह कहा गया कि पांच जिला पंचायतों के अपर मुख्य अधिकारियों द्वारा बताया गया कि ब्याज को कोषागार में जमा करने के सम्बंध में आवश्यक निर्देश प्राप्त नहीं हुए। तीन जिला पंचायतों द्वारा बताया गया कि तेरहवें वित्त आयोग के कार्यों हेतु ब्याज व्यय किया गया। शेष दो जिलों के अपर मुख्य अधिकारियों द्वारा बताया गया कि ब्याज बैंक खातों में पड़ा है। इससे अर्जित ब्याज राज्य सरकार को स्थानांतरित न करने के तथ्य की पुष्टि होती है।

{ks= i p;k; r Lrj dh ys[kki jh{kk vki fRr; k;

2-1-6-8 voePr] 0; ; rFkk v0; f; r vuqku

जैसा कि पूर्व में प्रस्तर 2.1.1 में चर्चा की जा चुकी है कि निर्धारित अवधि के अन्दर बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर ही क्षेत्र पंचायत को स्थानांतरित अनुदान का उपयोग किया जाना था।

p; fur {ks= i p;k; r es
i klr ₹ 27-84 djkm+
%vxLr@fl rEcj 2014
rd% es l s ₹ 4-75
djkm+ekpl 2015 rd
viz; Pr i M; Fks

तथापि लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि 2010-15 में (अगस्त/सितम्बर 2014 तक) कुल उपलब्ध ₹ 27.84 करोड़ में से मार्च 2015 तक ₹ 23.09 करोड़ अनुदान नमूना जांच किये गये क्षेत्र पंचायतों द्वारा व्यय किया गया था। 2010-15 में अवमुक्त अनुदान, व्यय किया गया अनुदान तथा अनुदान का प्रगामी अवशेष का विस्तृत विवरण l kj . kh 4 में नीचे दिया गया है:

l kj . kh 4% o"kbkj voePr vuqku] 0; ; rFkk viz; Pr vuqku

₹ djkm+ek

Ø0 l 0	o"kl	{ks= i p;k; rka ea mi yC/k vuqku			{ks= i p;k; rka }kj k 0; ;	vuqkuka dk izkeh vo' k'sk
		i kj fHkd vo' k'sk	{ks= i p;k; rka dks LFkkukar fjr vuqku	{ks= i p;k; rka ds i kl dy vuqku		
1.	2010-11	0.00	3.06	3.06	1.26	1.80
2.	2011-12	1.80	2.99	4.79	2.28	2.51
3.	2012-13	2.51	3.79	6.30	3.83	2.47
4.	2013-14	2.47	11.05	13.52	7.30	6.22
5.	2014-15	6.22	6.95	13.17	8.42	4.75
		; kx	27.84		23.09	

(स्रोत: नमूना जांच की गयी क्षेत्र पंचायतों से एकत्रित सूचना)

उपर्युक्त सारणी से यह प्रमाणित है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत में ₹ 4.75 करोड़ अव्ययित पड़े थे। मार्च 2015 तक जिलेवार चयनित क्षेत्र पंचायतों को स्थानांतरित अनुदान, व्यय तथा अवशेष अनुदान की स्थिति ifj'k"V 2-1-6 में दी गयी है।

⁶ जिला पंचायतें इटावा, ₹ 69.18 लाख, गौतमबुद्ध नगर, ₹ 59.23 लाख तथा गोण्डा ₹ 27.17 लाख।

2-1-6-9 *voeDr] 0; ; rFkk v0; f; r vuqku*

जैसा कि प्रस्तर 2.1.1 में चर्चा की जा चुकी है कि 2010-15 के निर्धारित अवधि के दौरान ग्राम पंचायतों को स्थानांतरित अनुदान का उपयोग बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु किया जाना था।

तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि नमूना जाँच किये गये ग्राम पंचायतों द्वारा 2010-15 में (अगस्त/सितम्बर 2014 तक) कुल उपलब्ध ₹ 19.85 करोड़ में से मार्च 2015 तक ₹ 18.27 करोड़ अनुदान व्यय किया गया था। ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध अनुदान, किया गया व्यय तथा सम्बंधित वित्तीय वर्ष के अन्त में अव्ययित अवशेष अनुदान का विवरण I kj .kh 5 में दिया गया है।

I kj .kh 5% voeDr vuqku] 0; ; rFkk viz; Dr vuqku dk o"kbkj fooj .k

₹ dj km+ e

Ø0 I 0	o"z	xke i pk; rka es mi yC/k vuqku			xke i pk; rka }kj k 0; ;	vuqku dk izkeh vo' k'sk
		i kj fHkd vo' k'sk	xke i pk; rka ds LFkkukUrfj r vuqku	xke i pk; rka ds i kl dy vuqku		
1.	2010-11	0.00	1.85	1.85	0.95	0.90
2.	2011-12	0.90	1.91	2.81	2.03	0.78
3.	2012-13	0.78	3.20	3.98	3.24	0.74
4.	2013-14	0.74	7.49	8.23	6.40	1.83
5.	2014-15	1.83	5.40	7.23	5.65	1.58
		; ksx	19.85		18.27	

(स्रोत: नमूना जांच किये गये ग्राम पंचायतों से एकत्रित सूचना)

उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 के अंत में ₹ 1.58 करोड़ अवशेष थे। चयनित ग्राम पंचायतों की मार्च 2015 तक स्थानांतरित अनुदान, व्यय तथा अवशेष अनुदान की ग्राम पंचायतवार स्थिति *ifj'k"V 2-1-7* में दी गयी है।

2-1-6-10 *ys[kkadu I Ecu/kh dfe; kj*

पंचायती राज संस्थाओं के लेखांकन हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के आठ डाटा फार्मेट⁷ को समाहित करते हुए भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा माडल पंचायती राज लेखा मैनुअल निर्धारित किया गया है। प्रियासाफ्ट, आदर्श पंचायती राज लेखा मैनुअल का एक कम्प्यूटरीकृत संस्करण है जो पंचायती राज विभाग में क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित आँकड़े अपलोड करने के लिए विभिन्न माड्यूल उपलब्ध कराता है। प्रियासाफ्ट में तेरहवें वित्त आयोग अनुदान का आँकड़ा अपलोड करने हेतु एक अलग माँड्यूल है। यह माँड्यूल प्राप्ति और व्यय से सम्बंधित आँकड़ों की प्रविष्टि हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है।

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि एक बार प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों की प्रविष्टि के उपरान्त, यह सम्बंधित प्रारूप यथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखे, बैंक समाधान विवरण एवं समेकित सार बनाता है। नमूना जांच किये गये पंचायती राज संस्थाओं में मात्र यही

⁷ 1. प्राप्ति एवं भुगतान लेखे 2. समेकित सार पंजिका 3. बैंक समाधान विवरण 4. प्राप्य एवं भुगतान योग्य विवरण 5. अचल संपत्तियों की पंजिका 6. चल संपत्तियों की पंजिका 7. वस्तु सूची पंजिका 8. मांग, वसूली एवं अवशेष पंजिका

तीन प्रारूप बनाये जा रहे थे। नमूना जांच किये गये जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में आठ डाटा प्रारूपों में से अन्य पांच प्रारूपों में आंकड़े अपलोड नहीं किये जा रहे थे।

लेखापरीक्षा द्वारा ऑनलाईन आंकड़ों का हस्तलिखित (मैनुअल) अभिलेखों से सत्यापन करने पर त्रुटिपूर्ण डाटा फीडिंग के प्रकरण पाये गये। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014-15 के आंकड़े सभी नमूना जांच ग्राम पंचायतों में जून 2015 तक अपलोड नहीं किये गये थे।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रिया साफ्ट के पांच प्रारूपों में डाटा अपलोड न होने के तकनीकी कारणों का उल्लेख किया गया।

इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों में अनुदान का स्थानांतरण न करने, अनुदान के स्थानांतरण में विलम्ब, अर्जित ब्याज को क्रेडिट न करने तथा राज्य स्तर एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अव्ययित धनराशि के कारण वित्तीय प्रबंधन प्रभावित हुआ।

राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं को समय से अनुदान का स्थानांतरण एवं बैंक खाते में क्रेडिट करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा अनुदान के उपभोग का प्रभावी ढंग से अनुश्रवण करना चाहिए।

2-1-7 आंकड़ों का सत्यापन: अनुदान के स्थानांतरण के प्रभाव

वर्ष 2010-15 के दौरान लेखापरीक्षा के माध्यम से राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान का स्थानांतरण एवं बैंक खाते में क्रेडिट करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा अनुदान के उपभोग का प्रभावी ढंग से अनुश्रवण करना चाहिए।

संसाधनों के उचित प्रबंधन, वित्तीय नियंत्रण को लागू करने, निर्धारित गुणवत्ता के मानदण्डों का पालन करने, कार्यों के समयबद्ध निष्पादन का अनुश्रवण व पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा सम्बंधित कार्यदायी संस्थाओं की जवाबदेही हेतु वित्तीय नियम, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् निर्माण कार्य नियमावली 1984 तथा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत द्वारा किये गये वित्तीय संव्यवहार एवं सम्पादित कार्यों के सम्बंध में अपेक्षित अभिलेख एवं दस्तावेज अनुरक्षित किया जाना विहित करता है।

नियमों के अंतर्गत प्राविधानित आधारभूत अभिलेखों का अनुरक्षण नमूना जांच किये गये जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों में अपर्याप्त पाया गया तथा नमूना जांच की गयी ग्राम पंचायतों में प्रायः अस्तित्व में न था। नमूना जांच किये गये जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों में अनुरक्षित न किये गये अभिलेखों का विवरण तालिका 6 में दिया गया है।

तालिका 6: नमूना जांच के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में अनुरक्षित न किये गये अभिलेखों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	नियम
1	वार्षिक योजना	वर्ष के दौरान संपादित करने हेतु जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित कार्यों को सूचीबद्ध करने हेतु
2	सम्पत्ति पंजिका	जिला पंचायत द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं में मार्गों के साथ सृजित विभिन्न परिसम्पत्तियों के विवरण को अभिलेखीकृत करने हेतु

3	माप पुस्तिका निर्गम पंजिका	मापन हेतु माप पुस्तिकाओं के उपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिका का प्रयोग न किया जा सके	नियम-36(2), उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् निर्माण नियम, 1984
4	भण्डार प्राप्ति पंजिका	जिला पंचायत में भण्डार सामग्री के प्राप्ति से सम्बंधित आंकड़ों को अभिलेखीकृत करने हेतु	नियम-45, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति व जिला परिषद् निर्माण नियम, 1984
5	भण्डार निर्गम पंजिका	जिला पंचायत द्वारा कार्यों/अन्य इकाईयों को भण्डार सामग्री के निर्गम सम्बंधी आंकड़ों को अभिलेखीकृत करने हेतु	नियम-47, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति व जिला परिषद् निर्माण नियम 1984
6	मार्ग पंजिका	जिला पंचायत में निर्मित सड़कों के विवरण निर्माण/अनुरक्षण का वर्ष एवं स्थान लम्बाई व चौड़ाई आदि की सूचना के अभिलेखीकृत करने हेतु	नियम-4, उत्तर प्रदेश जिला पंचायत व (क्षेत्र पंचायत) (चल/अचल सम्पत्ति) मैनुअल, 1965
7	विस्तृत प्राक्कलन पंजिका	तैयार किये गये प्राक्कलनों की संख्या सुनिश्चित करना व तैयार प्राक्कलन का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु	वि. ह. पुस्तिका खण्ड-6, प्रस्तर-407
8	प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति पंजिका	प्राधिकारी द्वारा दिये गये प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु	वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6, प्रस्तर 316 व 317
{ks= i pk; rka }kj k vuig f{kr u fd; s x; s vfhkys[kka dh l iph			
1	वार्षिक योजना	वर्ष के दौरान सम्पादित करने हेतु क्षे.पं. द्वारा अनुमोदित कार्यों को सूचीबद्ध करने हेतु	नियम-63, उत्तर प्रदेश (क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत) अधिनियम 1961
2	सम्पत्ति पंजिका	क्षेत्र पंचायत द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं में मार्गों के साथ सृजित विभिन्न परिसम्पत्तियों के विवरण को अभिलेखीकृत करने हेतु	नियम-3(1), उत्तर प्रदेश (जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत) (चल/अचल सम्पत्ति) मैनुअल 1965
3	माप पुस्तिका निर्गम पंजिका	मापन हेतु माप पुस्तिकाओं के उपयोग पर नियंत्रण हेतु, जिससे अवैध माप पुस्तिका का प्रयोग न किया जा सके	नियम-36(2) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति व जिला परिषद् निर्माण नियम 1984
4	भण्डार प्राप्ति पंजिका	क्षेत्र पंचायत में भण्डार सामग्री के प्राप्ति से सम्बंधित आंकड़ों को अभिलेखीकृत करने हेतु	नियम-45, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् निर्माण नियम 1984
5	भण्डार निर्गम पंजिका	क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्यों/अन्य इकाईयों को भण्डार सामग्री के निर्गम सम्बंधी आंकड़ों को अभिलेखीकृत करने हेतु	नियम-47, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् निर्माण नियम 1984
6	मार्ग पंजिका	क्षेत्र पंचायत में निर्मित सड़कों के विवरण निर्माण वर्ष एवं स्थान/अनुरक्षण, लम्बाई एवं चौड़ाई आदि की सूचना को अभिलेखीकृत करने हेतु	नियम-4, उत्तर प्रदेश (जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत) (चल/अचल सम्पत्ति) मैनुअल 1965
7	विस्तृत प्राक्कलन पंजिका	तैयार किये गये प्राक्कलनों की संख्या सुनिश्चित करना व तैयार प्राक्कलन का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु	वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6, प्रस्तर-407
8	प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति पंजिका	प्राधिकारी द्वारा दिये गये प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु	वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 प्रस्तर-316 व 317
xke i pk; rka }kj k vuig f{kr u fd; s x; s vfhkys[kka dh l iph			
1	कार्य पंजिका	कार्यों की प्रगति तथा उस पर व्यय को सम्मिलित करते हुए कार्य का विवरण यथा प्राक्कलित लागत, वास्तविक लागत ठेकेदारों को उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों के क्रम में भुगतान पर नियंत्रण रखने हेतु	नियम-207, पंचायत राज मैनुअल
2	भण्डार पंजिका	ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त भण्डार सामग्री को अभिलेखीकृत करने हेतु	नियम-202, पंचायत राज मैनुअल

3	मस्टर रोल पंजिका	सम्पादित कार्य में लगाये गये श्रमिकों की उपस्थिति एवं भुगतान की गयी मजदूरी को अभिलेखीकृत करने हेतु	नियम-210, पंचायत राज मैनुअल
4	सम्पत्ति पंजिका	ग्राम पंचायत के स्वामित्व/प्रबंधन अधीन सम्पत्तियों का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु	नियम-136, पंचायत राज मैनुअल
5	प्राक्कलन पंजिका	स्वीकृत प्राक्कलनों का विवरण रखते हुए प्राक्कलन स्वीकृति पर नियंत्रण रखना	नियम-152, पंचायत राज मैनुअल
6	माप पुस्तिका	सम्पादित कार्यों का मापन तथा टेकेदारों को कृत भुगतानों का सारांश के साथ ही आपूर्ति सामग्री को अभिलेखीकृत करने हेतु	नियम-63, पंचायत राज मैनुअल
7	माप पुस्तिका निर्गम पंजिका	मापन हेतु माप पुस्तिकाओं के उपयोग पर नियंत्रण हेतु जिससे अवैध माप पुस्तिका का प्रयोग न किया जा सके	वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6, नियम 422
8	विस्तृत प्राक्कलन पंजिका	तैयार किये गये प्राक्कलनों की संख्या सुनिश्चित करना व तैयार प्राक्कलन का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु	वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6, प्रस्तर 407
9	निविदा/कोटेशन पत्रावली	संविदा आधारित कार्यों के सम्पादन व आपूर्ति हेतु निविदा/कोटेशन की प्रक्रिया को अभिलेखीकृत करने हेतु	नियम-360, वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6
10	प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति पंजिका	प्राधिकारी द्वारा दिये गये प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति पर नियंत्रण रखने हेतु	वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6, प्रस्तर-316 व 317
11	अनुदान पंजिका	योजनावार प्राप्त अनुदान, व्यय तथा अवशेष अनुदान का विवरण अभिलेखीकृत करने हेतु	ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल में किया गया प्राविधान

बुनियादी अभिलेखों के अनुरक्षण के अभाव में यह सत्यापित किया जाना सम्भव नहीं हो सका कि कार्य जिस पर व्यय भारित किया गया, वह वास्तव में सम्पादित किया गया, गुणवत्ता किया गया मानकों व मानदण्डों का तथा निर्धारित नियमों व प्रक्रियाओं का अनुपालन ऐसे व्यय का उपयुक्त अभिलेखों के अभाव में उच्चाधिकारियों, सरकार तथा लेखापरीक्षा द्वारा भी अनुश्रवण व समीक्षा करना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसी प्रणाली लोक निधि (पब्लिक फण्ड) के धोखाधड़ी, गबन, व्यावर्तन, दुर्विनियोजन तथा दुरुपयोग के गंभीर जोखिम से परिपूर्ण है।

अभिलेखों की कमी के कारण इस निष्पादन लेखापरीक्षा के क्षेत्र को सीमित किया गया। इसलिए, नमूना जाँच किये गये जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों द्वारा 2010-15 की अवधि में व्यय की गई धनराशि क्रमशः ₹ 225.07 करोड़, ₹ 23.09 करोड़ तथा ₹ 18.27 करोड़ का प्रमाणन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बुनियादी अभिलेखों का अनुरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।

2-1-8 क; Øe fØ; क्लो; u

पंचायतों की परिकल्पित सेवाएं प्रदान करने के लिए, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 में उल्लिखित है कि जिला पंचायत प्रत्येक वर्ष क्षेत्र पंचायत की योजनाओं का समेकन कर एक योजना तैयार करेगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 यथा वर्ष 2007 में संशोधित में ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना तैयार करने हेतु उल्लिखित है, जिसे क्षेत्र पंचायत द्वारा समेकित किया जाना था। योजना, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों के प्रस्तावों को समेकित कर तैयार किया जाना था।

अग्रेतर, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार (दिसम्बर 2010) अनुदानों का उपयोग पेयजल, सीवरेज, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धन, मार्ग प्रकाश, सड़कों और अन्य नागरिक सुविधाओं आदि के अनुरक्षण एवं रख-रखाव पर किया जाना था। तेरहवें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्वच्छता सुविधाओं और पुरानी जलापूर्ति योजनाओं की पुनर्स्थापना एवं जलापूर्ति की नई परियोजनाओं का निष्पादन भी शामिल था। कार्य का निष्पादन उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद निर्माण नियमावली, 1984 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किया जाना था। इन प्रावधानों में अपेक्षित था कि कार्यों का निष्पादन, वित्तीय और तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जाना चाहिए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार (सितम्बर 2008) ₹ 20,000 से अधिक एवं ₹ एक लाख से ऊपर के मदों/निर्माण सामग्रियों का क्रय क्रमशः कोटेशनों एवं निविदाएं आमंत्रित कर की जानी थी।

नमूना जांच किये गये जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई है-

2-1-8-1 ftyk ipk; r vyhx<+

ueuk tkp fd; s x; s
ftyk ipk; rka us; k
rks vi uh; kstuk ugha
cuk; h; ; k vuifpr
rjhds l s cuk; hA {ks=
i pk; rka, oa xke
i pk; rka }kj k o"K
2010&15 dh vof/k ea
; kstuk ugha cuk; h x; h

- वर्ष 2010-13 के दौरान निष्पादित किये जाने वाले कार्यों के प्रस्तावों को कार्यवाही रजिस्टर जो जिला पंचायत की बैठकों के लिए अनुरक्षित किया जाना था, में अभिलिखित नहीं किया गया था। जिला पंचायत सदस्यों के प्रस्तावों के संकलन द्वारा योजना बनाने व राज्य सरकार (जून 2014) द्वारा योजना को स्वयं अध्यक्ष द्वारा बनाने सम्बन्धी विशिष्ट प्रतिबंध लगाये जाने के विपरीत जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2014-15 में वार्षिक कार्य योजना बनायी गयी।

- कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का सीमांकन नहीं किया गया था जबकि राज्य सरकार के निर्देश (जनवरी 2005 एवं जून 2014) के अनुसार यह आवश्यक था। ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में जिला पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का उदाहरण ifff'k"V 2-1-8 में दिया गया है।

- जिला पंचायत द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के उपलब्ध अनुदान की लगभग समस्त धनराशि का उपयोग नये मार्गों के निर्माण कार्य पर किया गया था तथा बुनियादी आवश्यकताओं के मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों के प्राथमिक गतिविधियों, जिसके लिए तेरहवें वित्त आयोग अनुदान को उपलब्ध कराया गया था को नजरअंदाज किया गया। लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010-15 के दौरान ₹ 20.80 करोड़ में से ₹ 18.57 करोड़ (89 प्रतिशत) का व्यय मुख्यतः 232 नये मार्गों के निर्माण कार्यों *ifff'k"V 2-1-9* पर किया गया था और मात्र ₹ 2.23 करोड़ (11 प्रतिशत) अनुरक्षण कार्यों पर व्यय किया गया था *ifff'k"V 2-1-10*।

- जिला पंचायत ने अनुबंध के आधार पर वर्ष 2010-15 की अवधि में 257 कार्य कराये थे जिनमें 71 कार्य विलंबित थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यों को समय से पूर्ण करने हेतु कार्यों की स्तरवार प्रगति (स्टेज वाइज प्रोग्रेस) की निगरानी नहीं की गई थी और अनुबंध की शर्तों⁸ के अधीन अनुबंध को विलंब से पूर्ण करने के लिए ₹ 62.41 लाख कम जुर्माना (पेनाल्टी) लगाया गया था *ifff'k"V 2-1-11*।

⁸ उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद निर्माण कार्य नियमावली 1984 की धारा 2सी अनुबंध को विलंब से पूर्ण करने पर कार्य के प्राक्कलित लागत का एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अधिकतम 10 प्रतिशत तक का जुर्माना विहित करता है। तथापि, अपर मुख्य अधिकारी को जुर्माना कम करने का अधिकार है।

2-1-8-2 {ks= i p̄k; r pl̄nk̄] vk̄] [k̄]

- तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में क्षेत्र पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2012–15 की अवधि में ₹ 10.00 लाख से अधिक (कार्य की कुल लागत ₹ 121.24 लाख) के नौ कार्य श्रमिकों से कराया गया था और मस्टर रोल पर भुगतान किया गया था। तथापि, इन कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् निर्माण नियमावली 1984 के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना था जो कि प्राप्त नहीं किया गया था (i f f ' k " V 2-1-12½)

2-1-8-3 xke i p̄k; r ver̄i ḡ] pl̄nk̄]] xu s̄ ki ḡ] t [kk̄r̄k] eḡjkt̄i ḡ] vk̄xj uxyk jkth] jkfl̄ ni ḡ] xkjuk ¼{ks= i p̄k; r pl̄nk̄] ½ vk̄] xke i p̄k; r , nyi ḡ] Hkuk̄Syh] , p̄uk] dh̄jri ḡ] ef̄kuk] iykpl̄n] vk̄] l k̄Qk ¼{ks= i p̄k; r [k̄] ½

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में इन ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। चूँकि क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी अतः जिला पंचायत पूरे जिले हेतु नीचे से उपर की पद्धति का अनुकरण करते हुए एक समेकित योजना तैयार करने में समर्थ नहीं थी।
- इन ग्राम पंचायतों द्वारा अनुदानों का उपयोग जलापूर्ति प्रणाली, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबन्धन, मार्ग प्रकाश एवं सड़कों के निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण पर किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन सभी ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 56.42 लाख *ii f f ' k " V 2-1-13½* के विभिन्न सामग्रियों का क्रय सीधे बाजार से बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के किया था। बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के विभिन्न सामग्रियों का क्रय किये जाने के कारण दर की युक्तियुक्तता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- चयनित 14 में से उक्त 10 ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010–15 के दौरान ₹ 12.56 लाख का व्यय अपने ग्राम पंचायतों में स्थापित हैण्डपम्पों के मरम्मत पर किया था *ii f f ' k " V 2-1-14½* परन्तु सम्बंधित अभिलेख यथा शिकायत पंजिका, भंडार (स्टाक) प्राप्ति/निर्गम पंजिका आदि का रख रखाव नहीं किये जाने के कारण लेखापरीक्षा में मरम्मत की आवश्यकता एवं वास्तविक मरम्मत का पता नहीं चल सका।
- पंचायती राज मैनुअल के प्रस्तर 152 के अनुसार ₹ 1,000 से अधिक की लागत के कार्यों के निष्पादन हेतु आगणन बनाया जाना आवश्यक है। नमूना जाँच किये गये ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 1.15 करोड़ *ii f f ' k " V 2-1-15½* का व्यय ₹ 1,000 से अधिक लागत वाले विभिन्न कार्यों पर किया था किंतु मैनुअल के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उनका आगणन नहीं बनाया गया था।

2-1-8-4 ftyk i p̄k; r cḡjkb̄p

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में जिला पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।

- कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का सीमांकन नहीं किया गया था जबकि राज्य सरकार के निर्देश (जनवरी 2005 एवं जून 2014) के अनुसार यह आवश्यक था। ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में जिला पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का दृष्टान्त *ifj'k"V 2-1-8* में दिया गया है।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 24.39 करोड़ में से ₹ 24.19 करोड़ (99 प्रतिशत) का व्यय 204 नये मार्गों के निर्माण कार्यों *ifj'k"V 2-1-9* पर किया गया था और मात्र ₹ 0.20 करोड़ (एक प्रतिशत) का व्यय निर्धारित अनुरक्षण के कार्यों पर किया गया था *ifj'k"V 2-1-10*।

- जिला पंचायत द्वारा अनुबंध के आधार पर वर्ष 2010-15 की अवधि में 207 कार्य कराये गये थे जिनमें आठ कार्य विलंबित थे। कार्यों की स्तरवार प्रगति की निगरानी नहीं की गई थी और अनुबंध की शर्तों⁹ के अधीन अनुबंध को विलंब से पूर्ण करने के बावजूद देय जुर्माना ₹ 11.27 लाख कम लगाया गया था *ifj'k"V 2-1-11*।

2-1-8-5 {ks= ipk; r gqtj ig] uokcxat vks] rstoki g

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में इन क्षेत्र पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि क्षेत्र पंचायत तेजवापुर द्वारा वर्ष 2011-12 की अवधि में ₹ 10.00 लाख से अधिक (कार्य की कुल लागत ₹ 12.52 लाख) का एक कार्य कराया गया था परंतु राज्य सरकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी *ifj'k"V 2-1-12*।

- क्षेत्र पंचायत नवाबगंज में तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के लिए दो बैंक खाते लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं इलाहाबाद बैंक में खोले गये थे।

2-1-8-6 xke ipk; r vfygk] HkfVdq Mk] xksj; k] txrk tykyi g] ykdgj] fiifjgk eghiky fl g vks] fl g ig] {ks= ipk; r gqtj ig] } xke ipk; r cudgh] nojk] tykyi g] ek/koig funkuk] jghe uxj vks] fl l s k {ks= ipk; r uokcxat } , oa xke ipk; r cl k uk ekQh] prjk] tkCnh] yD[kk CkVh] jkexko] rMok f'kLVhi g {ks= ipk; r rstoki g }

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में इन ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। चूंकि क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी अतः जिला पंचायत पूरे जिला हेतु नीचे से उपर की पद्धति का अनुकरण करते हुए एक समेकित योजना तैयार करने में समर्थ नहीं थी।

- इन ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 131.22 लाख *ifj'k"V 2-1-13* के विभिन्न सामग्रियों का क्रय सीधे बाजार से बिना कोटेशन/

⁹ उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् निर्माण कार्य नियमावली 1984 की धारा 2सी अनुबंध को विलंब से पूर्ण करने पर कार्य के प्राक्कलित लागत में एक प्रतिशत की दर से अधिकतम 10 प्रतिशत तक का जुर्माना विहित करता है। तथापि, अपर मुख्य अधिकारी को जुर्माना कम करने का अधिकार है।

निविदा आमंत्रण के किया था। बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के विभिन्न सामग्रियों का क्रय किये जाने के कारण दरों की युक्तियुक्तता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- चयनित 19 में से 14 ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 9.67 लाख का व्यय अपने ग्राम पंचायत में स्थापित हैण्डपम्पों के मरम्मत पर किया था *॥i fff'k"V 2-1-14॥* परन्तु सम्बंधित अभिलेखों यथा शिकायत पंजिका, भंडार (स्टाक) प्राप्ति/निर्गम पंजिका आदि का रख रखाव नहीं किये जाने के कारण लेखापरीक्षा में मरम्मत की आवश्यकता एवं वास्तविक मरम्मत का पता नहीं चल सका।
- पंचायती राज मैनुअल के प्रस्तर 152 के अनुसार ₹ 1,000 से अधिक की लागत के कार्यों के निष्पादन हेतु आगणन बनाया जाना आवश्यक है। यद्यपि चयनित ग्राम पंचायत ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 1.68 करोड़ *॥i fff'k"V 2-1-15॥* का व्यय ₹ 1,000 से अधिक लागत वाले विभिन्न कार्यों पर किया था किंतु मैनुअल के प्रावधानों का उलंघन करते हुए उनका आगणन नहीं बनाया गया था।

2-1-8-7 ftyk ipk; r bVkok

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में जिला पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।
- कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का सीमांकन नहीं किया गया था। ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में जिला पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का दृष्टान्त *i fff'k"V 2-1-8* में दिया गया है।
- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों के प्राथमिक गतिविधियों को नजरअंदाज करते हुए नये मार्ग निर्माण कार्यों पर किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 12.56 करोड़ में से ₹ 11.79 करोड़ (94 प्रतिशत) का व्यय 131 नये मार्गों के निर्माण कार्यों *॥i fff'k"V 2-1-9॥* पर किया गया था और सिर्फ ₹ 0.77 करोड़ (छह प्रतिशत) का व्यय निर्धारित रखरखाव के कार्यों पर किया गया था *॥i fff'k"V 2-1-10॥*

2-1-8-8 {ks= ipk; r c<ijk vkj Ekgok

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में इन क्षेत्र पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2013-15 की अवधि में ₹ 10.00 लाख से अधिक (कार्य की कुल लागत ₹ 35.48 लाख) के तीन कार्य कराये गये थे परन्तु उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् निर्माण कार्य नियमावली, 1984 के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी *॥i fff'k"V 2-1-12॥*
- माप पुस्तिकाओं में मदों/सामग्रियों का मापन किये बिना आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया था।
- इन क्षेत्र पंचायतों ने 2013-15 की अवधि में कार्यों के लिए ₹ 31.32 लाख की सामग्रियों का क्रय बिना निविदा आमंत्रण के किया था जिसके कारण सामग्रियों के खरीद में पारदर्शिता, उद्धृत कीमतों के युक्तियुक्तता हेतु एवं निविदा में भाग लेने हेतु

सभी संभावित आपूर्तिकर्ताओं को समान एवं उचित अवसर को प्रदान करना सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- इन क्षेत्र पंचायतों के खण्ड विकास अधिकारियों ने 2010-15 की अवधि में ₹ 12.66 लाख का व्यय क्षेत्र पंचायत महेवा के ग्राम करौधि में निजी नलकूप के नाली निर्माण और क्षेत्र पंचायत बढपुरा में निजी जमीन पर इण्टरलाकिंग रोड के निर्माण कार्य पर किया था। निजी जमीन पर निष्पादित कार्यों का फोटोग्राफ नीचे दिया गया है:



2-1-8-9 xke ipk; r vokjh] fcpigkj] QOb] dkeB] ekfudig] ekgu] ljk; Hkxr ¼{ks= ipk; r c<igk½ vkj xke ipk; r vgsjhi g] Hkj b7 g] nkb7 g] blxksh] dpuBk] eMuk dyk [kq] fuokM# dyk vkj ljk; bykgh ¼{ks= ipk; r egok½

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में इन ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। चूँकि क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी अतः जिला पंचायत पूरे जिले हेतु नीचे से ऊपर की पद्धति का अनुकरण करते हुए एक समेकित योजना तैयार करने में समर्थ नहीं था।

- इन सभी ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 159.57 लाख ¼ijf'k"V 2-1-13½ के विभिन्न सामग्रियों का क्रय सीधे बाजार से बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के किया था। बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के विभिन्न सामग्रियों का क्रय किये जाने के कारण दरों की युक्तियुक्तता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- चयनित 14 में से 13 ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 36.45 लाख का व्यय अपने ग्राम पंचायत में स्थापित हैण्डपम्पों के मरम्मत पर किया था ¼ijf'k"V 2-1-14½ परन्तु सम्बंधित अभिलेखों यथा शिकायत पंजिका, भंडार प्राप्ति/निर्गम पंजिका आदि का रख रखाव नहीं किये जाने के कारण लेखापरीक्षा में मरम्मत की आवश्यकता एवं वास्तविक मरम्मत का पता नहीं चल सका।

- पंचायती राज मैनुअल के प्रस्तर 152 के अनुसार ₹ 1,000 से अधिक की लागत के कार्यों के निष्पादन हेतु आगणन बनाया जाना आवश्यक है। तथापि चयनित ग्राम

पंचायतों ने वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 1.80 करोड़ *॥i fff'k"V 2-1-15॥* का व्यय ₹ 1,000 से अधिक लागत वाले विभिन्न कार्यों पर किया था किन्तु मैनुअल के प्रावधानों का उलंघन करते हुए उनका आगणन नहीं बनाया गया था।

2-1-8-10 ftyk iṣk; r fQjktkckn

- तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में जिला पंचायत द्वारा वार्षिक कार्ययोजना नहीं बनायी गयी थी।
- राज्य सरकार के निर्देश (जनवरी 2005 एवं जून 2014) के अनुसार कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का सीमांकन नहीं किया गया था। ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में जिला पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का उदाहरण *i fff'k"V 2-1-8* में दिया गया है।
- मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों के प्राथमिक गतिविधियों को नजरअंदाज करके नये मार्ग निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 15.95 करोड़ में से ₹ 15.44 करोड़ (97 प्रतिशत) का व्यय 261 नये मार्गों के निर्माण कार्यों *॥i fff'k"V 2-1-9॥* पर किया गया था और सिर्फ ₹. 0.51 करोड़ (तीन प्रतिशत) का व्यय रख-रखाव के कार्यों पर किया गया था *॥i fff'k"V 2-1-10॥*

2-1-8-11 {ks= iṣk; r VqMyk vkṣ} gkFkollr

- तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में इन क्षेत्र पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।

2-1-8-12 xke iṣk; r cl b] ,yb] gtjriḡ] ekḡEenckn] igkMhiḡ HkksMyk ,oa ljk; ujjegy ¼{ks= iṣk; r VqMyk½ vkṣ} xke iṣk; r cyhiḡ rkl; k] fcYVhx<} bVgkj] dkj b] jgn] vkMeiḡ vkṣ} l kFkh ¼{ks= iṣk; r gkFkollr½

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में इन ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। चूंकि क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी, जिला पंचायत पूरे जिले हेतु नीचे से ऊपर की पद्धति का अनुकरण करते हुए एक समेकित योजना तैयार करने में समर्थ नहीं था।
- पंचायती राज मैनुअल के प्रस्तर 152 के अनुसार ₹ 1,000 से अधिक की लागत के कार्यों के निष्पादन हेतु आगणन बनाया जाना आवश्यक है। तथापि नमूना जाँच हेतु चयनित ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 1.23 करोड़ *॥i fff'k"V 2-1-15॥* का व्यय ₹ 1,000 से अधिक लागत वाले विभिन्न कार्यों पर किया था किन्तु मैनुअल के प्रावधानों का उलंघन करते हुए उनका आगणन नहीं बनाया गया था।

2-1-8-13 ftyk iṣk; r xkṣrecḡ) uxj

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में जिला पंचायत द्वारा वार्षिक कार्ययोजना नहीं बनायी गयी थी।

- कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का सीमांकन नहीं किया गया था। ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में जिला पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का उदाहरण i f j f ' k " V 2-1-8 में दिया गया है।
- वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 4.37 करोड़ में से ₹ 4.35 करोड़ (99.55 प्रतिशत) का व्यय 114 नये मार्गों के निर्माण कार्यों पर i f j f ' k " V 2-1-9 और मात्र ₹ 0.02 करोड़ (0.45 प्रतिशत) मरम्मत कार्यों पर i f j f ' k " V 2-1-10 व्यय किया गया था। इस प्रकार सृजित परिसंपत्तियों के अनुरक्षण और रख-रखाव की उपेक्षा की गई थी।
- जिला पंचायत द्वारा अनुबंध के आधार पर वर्ष 2010-15 की अवधि में 114 कार्यों को कराया गया था जिनमें 11 कार्य विलंबित थे। कार्यों की स्तरवार प्रगति की निगरानी नहीं की गई थी और अनुबंध को विलंब से पूर्ण करने के लिए जो अर्थदण्ड देय था वह ₹ 10.79 लाख i f j f ' k " V 2-1-11 कम लगाया गया था।

2-1-8-14 {ks= i p k; r f c l j [k

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में क्षेत्र पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2013-14 में ₹ 10.00 लाख से अधिक (कार्य की कुल लागत ₹ 12.46 लाख) का एक कार्य कराया गया था किन्तु इस कार्य के लिए राज्य सरकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना था जो कि प्राप्त नहीं किया गया था i f j f ' k " V 2-1-12
- माप पुस्तिका में मदों/सामग्रियों के मापन का अंकन किये बिना आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया था।

2-1-8-15 xke i p k; r cknyig] fpi; kuk [kq] fxj/kjig l qkj l h ddjkyk [kkl ig] eekj k] jkstk tykyig , oa l qrkui g

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में इन ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। चूंकि क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी, जिला पंचायत पूरे जिला हेतु नीचे से ऊपर की पद्धति का अनुकरण करते हुए एक समेकित योजना तैयार करने में समर्थ नहीं थी।
- चयनित सात में से पांच ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 9.94 लाख (i f j f ' k " V 2-1-13 के विभिन्न सामग्रियों का क्रय सीधे बाजार से बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के किया था। बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के विभिन्न सामग्रियों का क्रय किये जाने के कारण दरों की युक्तियुक्तता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। अग्रेतर, ग्राम पंचायत चिपियाना खुर्द एवं गिरधरपुर सुनारसी ने अपने अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया।
- चयनित सात में से उक्त चार ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 1.66 लाख का व्यय अपने ग्राम पंचायत में स्थापित हैण्डपम्पों के मरम्मत पर किया

था *॥i fff'k"V 2-1-14॥* परन्तु सम्बंधित अभिलेखों यथा शिकायत पंजिका, भंडार (स्टाक) प्राप्ति/निर्गम पंजिका आदि का रख रखाव नहीं किये जाने के कारण लेखापरीक्षा में मरम्मत की आवश्यकता एवं वास्तविक मरम्मत का पता नहीं चल सका।

- पंचायती राज मैनुअल के प्रस्तर 152 के अनुसार ₹ 1,000 से अधिक की लागत के कार्यों के निष्पादन हेतु आगणन बनाया जाना आवश्यक है। तथापि नमूना जाँच हेतु चयनित ग्राम पंचायत ने वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 0.19 करोड़ *॥i fff'k"V 2-1-15॥* का व्यय ₹ 1,000 से अधिक लागत वाले विभिन्न कार्यों पर किया था किंतु मैनुअल के प्रावधानों का उलंघन करते हुए उनका आगणन नहीं बनाया गया था।

2-1-8-16 ftyk ipk; r xkthij

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में जिला पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।
- कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का सीमांकन नहीं किया गया था। ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में जिला पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का उदाहरण *i fff'k"V 2-1-8* में दिया गया है।
- जिला पंचायत ने उपलब्ध लगभग समस्त धनराशि को नये मार्ग निर्माण कार्य पर व्यय कर दिया था तथा मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों के प्राथमिक गतिविधियों को नजरअंदाज किया था। वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 30.45 करोड़ में से ₹ 28.71 करोड़ (94 प्रतिशत) का व्यय 464 नये मार्गों के निर्माण कार्यों *॥i fff'k"V 2-1-9॥* पर किया गया था और मात्र ₹ 1.74 करोड़ (छः प्रतिशत) का व्यय निर्धारित अनुरक्षण के कार्यों पर किया गया था *॥i fff'k"V 2-1-10॥*
- जिला पंचायत द्वारा अनुबंध के आधार पर वर्ष 2010–15 की अवधि में 485 कार्य कराये गये थे जिनमें आठ कार्य विलंबित थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यों को समय से पूर्ण करने हेतु कार्यों की स्तरवार प्रगति की निगरानी नहीं की गई थी और अनुबंध की शर्तों के अधीन अनुबंध को विलंब से पूर्ण करने के बावजूद ₹ 12.96 लाख कम अर्थदण्ड लगाया गया था *॥i fff'k"V 2-1-11॥*

2-1-8-17 {ks= ipk; r t [kfu; k] ej ng , oa ckj kpoj

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में इन क्षेत्र पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2011–15 की अवधि में ₹ 10.00 लाख से अधिक के पांच कार्यों (कार्यों की कुल लागत ₹ 77.59 लाख) को श्रमिकों से कराया गया था तथा उनको मस्टर रोल पर भुगतान किया गया था। तथापि राज्य सरकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं किया गया था *॥i fff'k"V 2-1-12॥*
- माप पुस्तिका में मदों/सामग्रियों के मापन का अंकन किये बिना आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया था।
- इन क्षेत्र पंचायतों ने वर्ष 2011–15 की अवधि में कार्यों के लिए ₹ 75.56 लाख लागत की सामग्रियों का क्रय बिना निविदा के किया। जिसके कारण सामग्रियों के

खरीद में पारदर्शिता एवं उद्धृत कीमतों के युक्तियुक्तता हेतु स्पर्धा/तुलनात्मकता एवं निविदा में भाग लेने हेतु सभी संभावित आपूर्तिकर्ताओं को समान एवं उचित अवसर को प्रदान करना सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- क्षेत्र पंचायत मरदह ने खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय के परिसर में दो द्वारों के निर्माण के कार्यों पर ₹ 3.87 लाख का व्यय किया था। तथापि यह कार्य तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के अधीन अनुमन्य नहीं था तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान से निर्मित द्वारों की तस्वीर नीचे दी गयी हैं।



क्षेत्र पंचायत मरदह, गाजीपुर के खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय परिसर में निर्मित दो द्वार

2-1-8-18 xke iapk; r% veokod'kh] nkeknjig] xknl b; k] tkjig] [kpkD'ki g] ehjig rhjog] ikuhd'kk mQZ dfrfl xig] ,oa ljk; /kus'k %ks= iapk; r t[kfu; k%] xke iapk; r cgrj k] chjcyig] djng d'fkojh] ?kfj; k] ul h: nnhuig] ,oa : ghi g] %ks= iapk; r ejng%] ,oa xke iapk; r vegV] cuhi g] ngln] gVoj n; ky fl g] [kMgMk] U; w mQZ ÅpkMhg] ,oa ihgyh %ks= iapk; r ckj kpoj %

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में इन ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। चूँकि क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। अतः जिला पंचायत पूरे जिले हेतु नीचे से उपर की पद्धति का अनुकरण करते हुए एक समेकित योजना तैयार करने में समर्थ नहीं थी।

- चयनित सभी ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 156.15 लाख %i fff'k"V 2-1-13% के विभिन्न सामग्रियों का क्रय सीधे बाजार से बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के किया था। बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के विभिन्न सामग्रियों का क्रय किये जाने के कारण दर की युक्तियुक्तता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- चयनित 21 में से उक्त 17 ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 10.89 लाख का व्यय अपने ग्राम पंचायत में स्थापित हैण्डपम्पों के मरम्मत पर किया था (i fff'k"V 2-1-14% परन्तु सम्बंधित अभिलेखों यथा शिकायत पंजिका, भंडार (स्टाक) प्राप्ति/निर्गम पंजिका आदि का रख-रखाव नहीं किये जाने के कारण लेखापरीक्षा में मरम्मत की आवश्यकता एवं वास्तविक मरम्मत का पता नहीं चल सका।

- पंचायती राज मैनुअल के प्रस्तर 152 के अनुसार ₹ 1,000 से अधिक की लागत के कार्यों के निष्पादन हेतु आगणन बनाया जाना आवश्यक है। तथापि नमूना जाँच हेतु चयनित ग्राम पंचायत ने वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 1.97 करोड़ का व्यय ₹ 1,000 से अधिक लागत वाले विभिन्न कार्यों पर किया था किंतु मैनुअल के प्रावधानों का उलंघन करते हुए उनका आगणन नहीं बनाया गया था।

2-1-8-19

- जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2010–15 की अवधि में तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।

- कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का सीमांकन नहीं किया गया था जबकि राज्य सरकार के निर्देश (जनवरी 2005 एवं जून 2014) के अनुसार यह आवश्यक था। ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में जिला पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का उदाहरण में दिया गया है।

- जिला पंचायत ने उपलब्ध लगभग समस्त धनराशि को नये मार्ग निर्माण कार्य पर व्यय कर दिया था तथा मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों के प्राथमिक गतिविधियों को नजरअंदाज किया था। वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 29.65 करोड़ में से ₹ 29.24 करोड़ (98.62 प्रतिशत) का व्यय 346 नये मार्गों के निर्माण कार्यों पर किया गया था और मात्र ₹ 0.41 करोड़ (1.38 प्रतिशत) का व्यय अनुरक्षण के कार्यों पर किया गया था।

- जिला पंचायत ने अनुबंध के आधार पर वर्ष 2010–15 के दौरान 348 कार्य कराये थे जिनमें छः कार्य विलंबित थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यों को समय से पूर्ण करने हेतु कार्यों की स्तरवार प्रगति की निगरानी नहीं की गई थी और अनुबंध की शर्तों के अधीन अनुबंध को विलंब से पूर्ण करने के लिए देय अर्थदण्ड ₹ 33.78 लाख कम लगाया गया था।

2-1-8-20

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में इन क्षेत्र पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2011–15 की अवधि में ₹ 10 लाख से अधिक के दो कार्यों (कार्यों की कुल लागत ₹ 37.39 लाख) को कराया गया था किन्तु इन कार्यों के लिए राज्य सरकार से जो तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना था उसे प्राप्त नहीं किया गया था।

- माप पुस्तिका में मदों/सामग्रियों के मापन का अंकन किये बिना आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया था।

- इन क्षेत्र पंचायतों ने वर्ष 2012–14 की अवधि में कार्यों के लिए ₹ 22.47 लाख लागत की सामग्रियों का क्रय बिना निविदा के किया गया। जिसके कारण सामग्रियों के खरीद में पारदर्शिता एवं दरों की युक्तियुक्तता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- क्षेत्र पंचायत बेलसर ने ₹ 1.37 लाख की लागत से खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय परिसर में विभिन्न कार्यों यथा शौचालय, कार्यालय परिसर में सतह का

समतलीकरण, पेड़ों के चारों तरफ चबूतरा, सेप्टिक टैंक एवं नलकूप का बोरिंग कराया था। यद्यपि उक्त कार्य तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के अधीन नहीं कराया जा सकता था।

- क्षेत्र पंचायत कटरा बाजार ने ₹ 11.11 लाख की लागत से खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय परिसर में अमान्य कार्यो यथा आवासीय भवन, पशु चिकित्सालय की पुताई/मरम्मत, सहायक विकास अधिकारी के आवास एवं बीज भण्डार के बीच में सीमेन्ट कंक्रीट सड़क, क्षेत्र पंचायत के पूरब की ओर की चहारदीवारी एवं द्वार का मरम्मत कार्य कराया गया था।

2-1-8-21 xke iapk; r% cjbz xkngk] pjgk] xk]ok dyk] dksV; k enjk] unok] jk; ig Qdhj] frydk%{ks= iapk; r dVjk cktkj%] xke iapk; r vHkbz]g] HkKj hxt] Mkækyih] dM+] e/kbz]g [k. Mj k;] ijli]g] ljs ka pkcs %{ks= iapk; r ijli]g] ,oa xke iapk; r vyhi]l ksyh] fpjcl uk] gj [kki]g] ejxici]g] fl /kks/h %{ks= iapk; r csl j%]

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में इन ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। चूँकि क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनाया गया था अतः जिला पंचायत पूरे जिले हेतु नीचे से उपर की पद्धति का अनुकरण करते हुए एक समेकित योजना तैयार करने में समर्थ नहीं था।

- चयनित सभी ग्राम पंचायतों ने अनुदानों का उपयोग जल आपूर्ति व्यवस्था के निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण, साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन, मार्ग प्रकाश, और मार्गों के निर्माण एवं मरम्मत पर किया था। यद्यपि लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 168.27 लाख *ii fff'k"V 2-1-13%* के विभिन्न सामग्रियों का क्रय सीधे बाजार से बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के किया था। बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के विभिन्न सामग्रियों का क्रय किये जाने के कारण दर के युक्तियुक्तता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- चयनित 19 में से 13 ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 9.20 लाख का व्यय अपने ग्राम पंचायत में स्थापित हैण्डपम्पों के मरम्मत पर किया था *ii fff'k"V 2-1-14%* परन्तु सम्बंधित अभिलेखों यथा शिकायत पंजिका, भंडार प्राप्ति/निर्गम पंजिका आदि का रख रखाव नहीं किये जाने के कारण लेखापरीक्षा में मरम्मत की आवश्यकता एवं वास्तविक मरम्मत का पता नहीं चल सका।

- पंचायती राज मैनुअल के प्रस्तर 152 के अनुसार ₹ 1,000 से अधिक की लागत के कार्यो के निष्पादन हेतु आगणन बनाया जाना आवश्यक है। यद्यपि, चयनित ग्राम पंचायत ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 2.18 करोड़ *ii fff'k"V 2-1-15%* का व्यय ₹ 1,000 से अधिक की लागत वाले विभिन्न कार्यो पर किया था किंतु मैनुअल के प्रावधानों का उलंघन करते हुए उनका आगणन नहीं बनाया गया था।

2-1-8-22 ftyk iapk; r yfyri]g

- जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2010-15 की अवधि में तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वार्षिक कार्य योजना तो बनायी गयी थी किंतु विशिष्ट कार्यो का विवरण कार्यो के वास्तविक स्थान को दर्शाते हुए जहां कार्य कराया जाना था, का

उल्लेख योजना में नहीं किया गया था। जिला पंचायत सदस्यों के प्रस्तावों के संकलन के द्वारा योजना बनाने, राज्य सरकार (जून 2014) द्वारा योजना को स्वयं अध्यक्ष द्वारा बनाने पर विशिष्ट प्रतिबंध लगाये जाने के बावजूद, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2014-15 में वार्षिक कार्य योजना स्वयं बनायी गयी थी।

- कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का सीमांकन नहीं किया गया था जबकि राज्य सरकार के निर्देश (जनवरी 2005 एवं जून 2014) के अनुसार यह आवश्यक था। ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में जिला पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का उदाहरण *ifff'k"V 2-1-8* में दिया गया है।

- जिला पंचायत ने उपलब्ध लगभग समस्त धनराशि को नये मार्ग निर्माण कार्यों पर व्यय कर दिया था तथा मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों के प्राथमिक गतिविधियों को नजरअंदाज किया था। वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 7.51 करोड़ में से ₹ 7.51 करोड़ (100 प्रतिशत) का व्यय 94 नये मार्गों के निर्माण कार्यों *ifff'k"V 2-1-9* पर किया गया था और मरम्मत कार्यों पर कोई भी धनराशि व्यय नहीं की गयी थी। *ifff'k"V 2-1-10*

- जिला पंचायत ने अनुबंध के आधार पर वर्ष 2010-15 की अवधि में 94 कार्य कराये थे जिनमें 24 कार्य विलंबित थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यों को समय से पूर्ण करने हेतु कार्यों की स्तरवार प्रगति की निगरानी नहीं की गई थी और अनुबंध की शर्तों के अधीन अनुबंध को विलंब से पूर्ण करने के लिए ₹ 26.62 लाख कम अर्थदण्ड लगाया गया था *ifff'k"V 2-1-11*

2-1-8-23 {ks= i pk; r t [kk] k

- क्षेत्र पंचायत की वार्षिक कार्ययोजना का प्रारम्भ योजना एवं विकास समिति के माध्यम से नहीं कराया गया था।

2-1-8-24 xke i pk; r vMokgk] c]pk] xkj] [kMj] e]okj] ikpk]uh ,o fl yxu

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में इन ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। चूंकि क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी अतः जिला पंचायत पूरे जिले हेतु नीचे से ऊपर की पद्धति का अनुकरण करते हुए एक समेकित योजना तैयार करने में समर्थ नहीं थी।

- चयनित सात में से चार ग्राम पंचायतों ने अनुदानों का उपयोग जल आपूर्ति व्यवस्था के निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण, साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन, मार्ग प्रकाश, और मार्गों के निर्माण एवं मरम्मत पर किया था। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन सभी ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 9.84 लाख *ifff'k"V 2-1-13* के विभिन्न सामग्रियों का क्रय सीधे बाजार से बिना किसी कोटेशन/निविदा आमंत्रण के किया था। बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के विभिन्न सामग्रियों का क्रय किये जाने के कारण दर की युक्तियुक्तता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- चयनित सात में से छः ग्राम पंचायतों *ifff'k"V 2-1-14* ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 9.20 लाख का व्यय अपने ग्राम पंचायतों में स्थापित हैण्डपम्पों के मरम्मत

पर किया था परन्तु सम्बंधित अभिलेखों यथा शिकायत पंजिका, भंडार प्राप्ति/निर्गम पंजिका आदि का रख रखाव नहीं किये जाने के कारण लेखापरीक्षा में मरम्मत की आवश्यकता एवं वास्तविक मरम्मत का पता नहीं चल सका।

- पंचायती राज मैनुअल के प्रस्तर 152 के अनुसार ₹ 1,000 से अधिक की लागत के कार्यों के निष्पादन हेतु आगणन बनाया जाना आवश्यक है। यद्यपि, चयनित ग्राम पंचायत ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 0.59 करोड़ *₹ 0.59 करोड़* का व्यय ₹ 1,000 से अधिक लागत वाले विभिन्न कार्यों पर किया था किंतु मैनुअल के प्रावधानों का उलंघन करते हुए उनका आगणन नहीं बनाया गया था।

2-1-8-25 *ftyk i p k ; r y [ku*

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में जिला पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की गयी थी।

- कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का सीमांकन नहीं किया गया था जबकि राज्य सरकार के निर्देश (जनवरी 2005 एवं जून 2014) के अनुसार यह आवश्यक था। ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में जिला पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का उदाहरण *i f j f ' k " V 2-1-8* में दिया गया है।

- जिला पंचायत ने उपलब्ध लगभग समस्त धनराशि को नये मार्ग निर्माण कार्यों पर व्यय कर दिया था तथा मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों के प्राथमिक गतिविधियों को नजरअंदाज किया था। वर्ष 2010-15 की अवधि में उपलब्ध धनराशि ₹ 14.23 करोड़ में से ₹ 13.87 करोड़ की धनराशि (97.47 प्रतिशत) 156 नई सड़क निर्माण कार्यों पर *₹ 13.87 करोड़* और केवल ₹ 0.36 करोड़ (2.53 प्रतिशत) अनुरक्षण कार्यों पर *₹ 0.36 करोड़* व्यय किया गया था।

- जिला पंचायत ने अनुबंध के आधार पर वर्ष 2010-15 की अवधि में 159 कार्य कराये थे जिनमें दो कार्य विलंबित थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यों को समय से पूर्ण करने हेतु कार्यों की स्तरवार प्रगति की निगरानी नहीं की गई थी और अनुबंध की शर्तों के अधीन अनुबंध को विलम्ब से पूर्ण करने के लिए देय अर्थदण्ड ₹ 1.40 लाख कम लगाया गया था *₹ 1.40 लाख*।

2-1-8-26 *{ks= i p k ; r c [' k h d k r k y k c , o a e y h g k c k n*

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में इन क्षेत्र पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।

- क्षेत्र पंचायत बख्शी का तालाब ने 2011-15 की अवधि में ₹ 59.34 लाख के कार्यों को बिना योजना के कराया। इसमें खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में अतिरिक्त कमरे का निर्माण जो अनुमन्य कार्य नहीं था, पर ₹ 4.96 लाख व्यय किया गया।

2-1-8-27 xke ipk; r v/kkj [kMk] cxgk] Hkfj xguk] nq/kj] tykyig] enkjhi g] eqkfi ijh] jktksyh , oa l kuok ¼{ks= ipk; r c ['kh dk rkykc½ rFkk xke ipk; r vYyig] nrkyh] gfejki g] [kMk] ehBs uxj , oa l kfgykeÅ

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में इन ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।
- नमूना जांच किये गये ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 118.34 लाख *¼i fff'k"V 2-1-13½* के विभिन्न सामग्रियों का क्रय सीधे बाजार से बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के किया था। बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के विभिन्न सामग्रियों का क्रय किये जाने के कारण दर की युक्तियुक्तता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- चयनित 15 में से 12 ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010–15 के दौरान ₹ 13.91 लाख का व्यय अपने ग्राम पंचायत में स्थापित हैण्डपम्पों के मरम्मत पर किया था *¼i fff'k"V 2-1-14½* परन्तु सम्बंधित अभिलेखों यथा शिकायत पंजिका, भंडार (स्टाक) प्राप्ति/निर्गम पंजिका आदि का रख-रखाव नहीं किये जाने के कारण लेखापरीक्षा में मरम्मत की आवश्यकता एवं वास्तविक मरम्मत का पता नहीं चल सका।
- पंचायती राज मैनुअल के प्रस्तर 152 के अनुसार ₹ 1,000 से अधिक की लागत के कार्यों के निष्पादन हेतु आगणन बनाया जाना आवश्यक है। चयनित ग्राम पंचायत ने वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 1.47 करोड़ *¼i fff'k"V 2-1-15½* का व्यय ₹ 1,000 से अधिक लागत वाले विभिन्न कार्यों पर किया था किंतु मैनुअल के प्रावधानों का उलंघन करते हुए उनका आगणन नहीं बनाया गया था।

2-1-8-28 ftyk ipk; r eÅ

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में जिला पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।
- कार्यों का सीमांकन जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं किया गया था। जिला पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायतों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्पादित कार्यों का उदाहरण *i fff'k"V 2-1-8* में दिया गया है।
- जिला पंचायत ने उपलब्ध अधिकांश धनराशि को नये मार्ग निर्माण पर व्यय किया था और अनुरक्षण एवं मरम्मत की प्राथमिक गतिविधियों को नजरअंदाज किया था। वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 15.77 करोड़ में से ₹ 11.80 करोड़ (74.83 प्रतिशत) का व्यय 119 नये सड़क निर्माण कार्यों पर *¼i fff'k"V 2-1-9½* और केवल ₹ 3.97 करोड़ (25.17 प्रतिशत) रख रखाव कार्यों पर व्यय किया गया था *¼i fff'k"V 2-1-10½*।
- जिला पंचायत ने अनुबंध के आधार पर वर्ष 2010–15 की अवधि में 160 निर्माण कार्यों को कराया था जिनमें पांच कार्य विलंबित थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यों को समय से पूर्ण करने हेतु कार्यों की स्तरवार प्रगति की निगरानी नहीं की गई थी और अनुबंध की शर्तों के अधीन अनुबंध को विलंब से पूर्ण करने के लिए देय अर्थदण्ड ₹ 14.79 लाख कम लगाया गया था (*i fff'k"V 2-1-11½*)।

2-1-8-29 {ks= iṑk; r nkgjh ?kkV vkṣ ijngk

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में इन क्षेत्र पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।
- क्षेत्र पंचायत दोहरी घाट ने वर्ष 2011-15 की अवधि में ₹ 76.44 लाख का समस्त व्यय मार्ग प्रकाश पर अन्य मूलभूत सुविधाओं हेतु व्यय के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए किया था।

2-1-8-30 xke iṑk; r cgjkeiḡ] cṙkkoj] xykyḡh dykḡ dknhiḡ] dgṙtk] ij'kjkeiḡ] ujgjiḡ , oa l jQkj k {ks= iṑk; r nkgjh?kkV} xke iṑk; r vMhfnḡ] chchiḡ [kḡkekṣ] ijngk , oa l jou{ks= iṑk; r ijngk}

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में इन ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। चूँकि क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी अतः जिला पंचायत पूरे जिला हेतु नीचे से उपर की पद्धति का अनुकरण करते हुए एक समेकित योजना तैयार करने में समर्थ नहीं थी।
- चयनित 12 में से आठ ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 21.96 लाख का व्यय अपने ग्राम पंचायत में स्थापित हैण्डपम्पों के मरम्मत पर किया था *॥ fff'k"V 2-1-14* परन्तु सम्बंधित अभिलेखों यथा शिकायत पंजिका, भंडार प्राप्ति/निर्गम पंजिका आदि का रख रखाव नहीं किये जाने के कारण लेखापरीक्षा में मरम्मत की आवश्यकता एवं वास्तविक मरम्मत का पता नहीं चल सका।
- पंचायती राज मैनुअल के प्रस्तर 152 के अनुसार ₹ 1,000 से अधिक की लागत के कार्यों के निष्पादन हेतु आगणन बनाया जाना आवश्यक है। यद्यपि, नमूना जाँच हेतु चयनित ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 1.49 करोड़ *॥ fff'k"V 2-1-15* का व्यय ₹ 1,000 से अधिक लागत वाले विभिन्न कार्यों पर किया था किंतु मैनुअल के प्रावधानों का उलंघन करते हुए उनका आगणन नहीं बनाया गया था।

2-1-8-31 ftyk iṑk; r l hrkiḡ

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-12 की अवधि में जिला पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। जिला पंचायत ने जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ स्तर से स्वीकृत कार्यों की सूची से कार्यों को चुन कर संपादित किया था। वर्ष 2014-15 की योजना मई 2015 तक तैयार नहीं की गयी थी। वर्ष 2014-15 की योजना राज्य सरकार (जून 2014) के विशिष्ट प्रतिबंध के बावजूद, जिला पंचायत के सदस्यों के प्रस्ताव के आधार पर तैयार न कर जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा स्वयं योजना तैयार की गयी। इसके अतिरिक्त जिला पंचायत के अनुमोदन के बिना विभिन्न कार्य सम्पादित किए गए थे।
- कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का सीमांकन नहीं किया गया था जबकि राज्य सरकार के निर्देश (जनवरी 2005 एवं जून 2014) के अनुसार यह आवश्यक था। ग्राम पंचायतों के

अधिकार क्षेत्र में जिला पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का उदाहरण *ifff'k"V 2-1-8* में दिया गया है।

- जिला पंचायत ने उपलब्ध लगभग समस्त धनराशि को नये मार्ग निर्माण कार्यों पर व्यय कर दिया था तथा मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों के प्राथमिक गतिविधियों को नजरअंदाज किया था। 2010–15 की अवधि में उपलब्ध धनराशि ₹ 31.07 करोड़ में से ₹ 31.02 करोड़ की धनराशि (99.84 प्रतिशत) 405 नई सड़क निर्माण कार्यों पर *ifff'k"V 2-1-9* और केवल ₹ 0.05 करोड़ (0.16 प्रतिशत) रख रखाव कार्यों पर *ifff'k"V 2-1-10* व्यय किया गया था।

2-1-8-32 {ks= iꣳk; r fcl ok} igyk} ygji g , oa l dju

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में इन क्षेत्र पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।
- सीतापुर की क्षेत्र पंचायत लहरपुर द्वारा वर्ष 2011–15 की अवधि में ₹ 66.26 लाख के 12 कार्यों को क्षेत्र पंचायत बैठक में चर्चा एवं अनुमोदन के बिना सम्पादित किया गया।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि 2010–15 की अवधि में ₹ 10.00 लाख से अधिक के (कार्यों की कुल लागत ₹ 200.99 लाख) 13 कार्यों को श्रमिकों को लगाते हुए सम्पादित किया गया था एवं भुगतान मस्टर रोले के माध्यम से किया गया था। यद्यपि, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् निर्माण नियमावली, 1984 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार से प्राप्त की जाने वाली आवश्यक तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी *ifff'k"V 2-1-12*।

2-1-8-33 xke iꣳk; r vEcgjig} cyokcgknjig} fcl sMh} gl uig} dUnqih} yk/kkj} ekbtqnhig} ig} suk , oa l j\$ ka fetkig} ¼{ks= iꣳk; r fcl ok} xke iꣳk; r ctgjk} HkjFkj} fQjktig} dUnkj k} yk/kkj k jktk l kgc} ify; k , oa l j\$ ka dknhig} ¼{ks= iꣳk; r igyk} xke iꣳk; r vdcjig} nfj; kig} djL; ksjk edui g} iVokjk , oa 'kjig} ¼{ks= iꣳk; r ygji g} xke iꣳk; r vnokjh fpfYg; k} [kEgfj; k egfj; k} eMkj} iVuh , oa l j\$ ka dyk ¼{ks= iꣳk; r l dju

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010–15 की अवधि में इन ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। चूंकि क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी अतः जिला पंचायत पूरे जिले हेतु नीचे से ऊपर की पद्धति का अनुकरण करते हुए एक समेकित योजना तैयार करने में समर्थ नहीं थी।
- इन ग्राम पंचायतों ने अनुदान का उपयोग जल आपूर्ति व्यवस्था के सृजन, संचालन एवं रख रखाव, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, मार्ग प्रकाश तथा मार्गों के निर्माण एवं अनुरक्षण पर किया था। यद्यपि लेखापरीक्षा ने पाया कि इन ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010–15 की अवधि में ₹ 94.32 लाख *ifff'k"V 2-1-13* के विभिन्न सामग्रियों का क्रय सीधे बाजार से बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के किया था। बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के विभिन्न सामग्रियों का क्रय किये जाने के कारण दर की युक्तियुक्तता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- नमूना जांच किये गये 28 में से 24 ग्राम पंचायतों ने 2010-15 की अवधि में ₹ 25.59 लाख का व्यय 24 ग्राम पंचायत में स्थापित हैण्डपम्पों के मरम्मत पर किया था *॥ fff'k"V 2-1-14॥* परन्तु सम्बंधित अभिलेखों यथा शिकायत पंजिका, भंडार (स्टाक) प्राप्ति/निर्गम पंजिका आदि का रख रखाव नहीं किये जाने के कारण लेखापरीक्षा में मरम्मत की आवश्यकता एवं वास्तविक मरम्मत का पता नहीं चल सका।
- पंचायती राज मैनुअल के प्रस्तर 152 के अनुसार ₹ 1,000 से अधिक की लागत के कार्यों के निष्पादन हेतु आगणन बनाया जाना आवश्यक है। यद्यपि नमूना जांच किये गये ग्राम पंचायत ने 2010-15 की अवधि में ₹ 3.20 करोड़ *॥ fff'k"V 2-1-15॥* का व्यय ₹ 1,000 से अधिक लागत वाले विभिन्न कार्यों पर किया था किंतु मैनुअल के प्रावधानों का उलंघन करते हुए उनका आगणन नहीं बनाया गया था।

2-1-8-34 ftyk iṣk; r l ṣrkuiḡ

- यद्यपि जिला पंचायत द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में कार्य योजना बनाई गई थी किंतु विनिर्दिष्ट कार्यों के वास्तविक कार्य स्थल जहां कार्य सम्पादन किया जाना था, का विवरण योजना में नहीं दिया गया था। जिला पंचायत सदस्यों के प्रस्ताव को कार्यवाही पंजिका में दर्ज नहीं किया गया था एवं योजनाओं को जिला पंचायत की बैठक के उपरान्त तैयार किया गया। इस प्रकार सदस्यों के प्रस्तावों के बिना ही कार्यों को योजना में सम्मिलित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। जिला पंचायत सदस्यों के प्रस्तावों के संकलन के द्वारा योजना बनाने एवं राज्य सरकार (जून 2014) द्वारा योजना को स्वयं अध्यक्ष द्वारा बनाने के लिए विशिष्ट प्रतिबंध लगाये जाने के बावजूद जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2014-15 में वार्षिक कार्य योजना बनायी गयी थी।
- कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों का सीमांकन नहीं किया गया था जबकि राज्य सरकार के निर्देश (जनवरी 2005 एवं जून 2014) के अनुसार यह आवश्यक था। ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में जिला पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का उदाहरण *i fff'k"V 2-1-8* में दिया गया है।
- जिला पंचायत ने उपलब्ध लगभग समस्त धनराशि को नये मार्ग निर्माण कार्यों पर व्यय कर दिया था तथा मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्यों के प्राथमिक गतिविधियों को नजरअंदाज किया था। वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 18.32 करोड़ में से ₹ 18.11 करोड़ की धनराशि (98.85 प्रतिशत) 139 नई सड़क निर्माण कार्यों पर *॥ fff'k"V 2-1-9॥* और केवल ₹ 0.21 करोड़ (1.15 प्रतिशत) अनुरक्षण कार्यों पर *॥ fff'k"V 2-1-10॥* व्यय किया गया था।

- जिला पंचायत ने अनुबंध के आधार पर वर्ष 2010-15 की अवधि में 142 कार्य कराये थे जिनमें 73 कार्य विलंबित थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यों को समय से पूर्ण करने हेतु कार्यों की स्तरवार प्रगति की निगरानी नहीं की गई थी और अनुबंध की शर्तों के अधीन अनुबंध को विलंब से पूर्ण करने के लिए देय अर्थदण्ड ₹ 41.14 लाख कम लगाया गया था *॥ fff'k"V 2-1-11॥*

2-1-8-35 {ks= iṣk; r /kui rxat] i rki iḡ dehPNk , oa djks/kh dyka

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में इन क्षेत्र पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी।

2-1-8-36 xke ipk; r ,uij] fcl ok] bVokeyuki g] egemig] jkeuxj ,oa
 l ejksuk %ks= ipk; r /kuirxat% xke ipk; r c\hdykj ?kegk]
 dkBjk[kn] jkex<} lk<ki g] %ks= ipk; r irkiig dehNk% ,oa
 xke ipk; r ckxj dyk] xkj k fVdjh ,oa igkM+g dyk %ks=
 ipk; r djkshdyk%

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु वर्ष 2010-15 की अवधि में इन ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। चूँकि क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी अतः जिला पंचायत पूरे जिले हेतु नीचे से उपर की पद्धति का अनुकरण करते हुए एक समेकित योजना तैयार करने में समर्थ नहीं थी।
- चयनित 15 में से 14 ग्राम पंचायतों ने अनुदान का उपयोग जल आपूर्ति व्यवस्था के सृजन, संचालन तथा रखरखाव, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, मार्ग प्रकाश तथा मार्गों के निर्माण एवं अनुरक्षण पर किया था। यद्यपि लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 63.32 लाख %i fff'k"V 2-1-13% के विभिन्न सामग्रियों का क्रय सीधे बाजार से बिना किसी कोटेशन/निविदा आमंत्रण के किया था। बिना कोटेशन/निविदा आमंत्रण के विभिन्न सामग्रियों का क्रय किये जाने के कारण दर की युक्तियुक्तता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- चयनित 15 में से 13 ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 26.89 लाख का व्यय अपने ग्राम पंचायतों में स्थापित हैण्डपम्पों के मरम्मत पर किया था %i fff'k"V 2-1-14% परन्तु सम्बंधित अभिलेखों यथा शिकायत पंजिका, भंडार प्राप्ति/निर्गम पंजिका आदि का रख रखाव नहीं किये जाने के कारण लेखापरीक्षा में मरम्मत की आवश्यकता एवं वास्तविक मरम्मत का पता नहीं चल सका।
- पंचायती राज मैनुअल के प्रस्तर 152 के अनुसार ₹ 1,000 से अधिक की लागत के कार्यों के निष्पादन हेतु आगणन बनाया जाना आवश्यक है। यद्यपि चयनित ग्राम पंचायत ने वर्ष 2010-15 की अवधि में ₹ 1.32 करोड़ %i fff'k"V 2-1-15% का व्यय ₹ 1,000 से अधिक लागत वाले विभिन्न कार्यों पर किया था किंतु मैनुअल के प्रावधानों का उलंघन करते हुए उनका आगणन नहीं बनाया गया था।

राज्य सरकार द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए (दिसम्बर 2015) कहा गया कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947/1961 के अनुसार योजना तैयार करने के लिए आवश्यक निर्देश दिये गये हैं एवं तदनुसार योजनायें तैयार की जा रही हैं। आगे यह भी कहा गया कि निर्माण सामग्री की खरीद केवल टेण्डर/कोटेशन के आधार पर ही किये जाएं तथा ग्राम पंचायत से क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक निर्देश (30 जुलाई 2014) जारी कर दिये गये हैं। नये सड़क के निर्माण एवं मौजूदा सड़को के रख-रखाव हेतु जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा सदन में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किये गये थे जबकि मार्ग प्रकाश, पेयजल एवं अन्य नागरिक सुविधाओं हेतु कोई प्रस्ताव नहीं थे।

राज्य सरकार का उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपभोग हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अंतर्गत नये मार्गों का निर्माण सम्मिलित नहीं था। अग्रेतर, जिला पंचायत के 10 लाख से ऊपर के सभी कार्य राज्य सरकार से स्वीकृत होने थे। इसलिए राज्य सरकार को भी नये

सड़को के निर्माण के प्रस्ताव स्वीकृत करते समय दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए था। राज्य के ग्रामीण आबादी में सफाई, अपशिष्ट प्रबन्धन, सीवेज निस्तारण, पेयजल आपूर्ति, मार्ग प्रकाश आदि में सुधार की आवश्यकता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, जिला पंचायत सदस्यों द्वारा विचार करने एवं उपयुक्त स्तर से स्वीकृति के लिए जमीनी स्तर की आवश्यकताओं को विस्तृत ढंग से पहचान हेतु एक सुव्यवस्थित पद्धति को अपनाने की आवश्यकता है।

देय अर्थदण्ड के संबंध में राज्य सरकार द्वारा बताया गया कि जुर्माना नियमानुसार लगाया गया एवं वसूला गया जो कि आगणन का एक प्रतिशत प्रतिदिन एवं अधिकतम दस प्रतिशत अथवा अपर मुख्य अधिकारी द्वारा तय धनराशि थी। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि कार्यों को विलंब से पूर्ण करने के लिए दोषी ठेकेदारों से वसूल किये जाने वाले अर्थदण्ड को अपर मुख्य अधिकारी मनमाने ढंग से कम नहीं कर सकते।

राज्य सरकार से तकनीकी स्वीकृति न प्राप्त करने की आपत्ति को राज्य सरकार द्वारा मान लिया गया। अमान्य कार्यों के निर्माण से सम्बंधित उत्तर में यह बताया गया कि कार्यों को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कराया गया। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि ये कार्य स्कूल के निजी परिसर एवं खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में कराये गये हैं जो कि नागरिक सुविधाओं की श्रेणी में नहीं आते।

राज्य सरकार द्वारा यह भी बताया गया कि (दिसम्बर 2015) ग्राम पंचायत द्वारा ₹ 50,000 तक के कार्य प्राक्कलन के आधार पर बिना किसी तकनीकी स्वीकृति के करा सकती है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यों को प्राक्कलन के आधार पर नहीं कराया गया था।

ग्रामीण जनता को मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करने के लिए अपर्याप्त योजना थी और विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के क्रय एवं कराये गये कार्यों के लिए स्वीकृत मूल्य टेण्डर/कोटेशन पर आधारित नहीं थे। जिला पंचायत द्वारा अन्य आधारभूत सुविधाओं की अनदेखी कर मुख्यतः सड़को के कार्यों को कराया गया था।

वृद्धि का 8% राज्य सरकार को तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन स्वीकृत सभी मूलभूत सुविधाओं के लिए पर्याप्त योजना के साथ कार्यकलाप तथा सामग्री खरीद की प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

2-1-9 सुविधाओं की जांच

2-1-9-1 मूलभूत सुविधाओं की जांच: सुविधाओं की जांच के लिए स्वीकृत मूल्य

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (जुलाई 2010) के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन (जुलाई 2010) प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य योजनाओं की स्वीकृति, कार्य योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण और अनुदानों के उपयोग की समीक्षा करने के उद्देश्य से किया गया था। उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति को वर्ष के प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करना था।

पंचायती राज सचिवालय के अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में की गई। जबकि, वर्ष 2012-13 के दो तिमाहियों में तथा 2014-15 की एक तिमाही में बैठक नहीं की गई।

2-1-9-2 ftyk ipk; r vuϕo.k izdk'B }kjk vuϕo.k

जिला पंचायत के कार्यकलापों की गहन निगरानी को सुनिश्चित करने के क्रम में प्रमुख सचिव पंचायती राज के अधीन जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन किया गया था (मार्च 1992)। ₹ 10 लाख से ऊपर की अनुमानित लागत वाले कार्यों की राज्य सरकार की ओर से तकनीकी तथा प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया का अनुश्रवण इस प्रकोष्ठ को करना था। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार (सितम्बर 2011) जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ के तकनीकी अधिकारियों द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की निरन्तर जांच की जानी थी। इसके अतिरिक्त तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपभोग का प्रमाण-पत्र जिला पंचायत द्वारा प्रत्येक माह जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ को भेजा जाना था। जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग के लिए अनुश्रवण और भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। चयनित 12 में से छः¹⁰ जिला पंचायतों ने जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ को उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया था। जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ के पास तेरहवें वित्त आयोग अनुदान के उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं थे।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा की आपत्तियों को स्वीकार करते हुए जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ द्वारा अपर्याप्त अनुश्रवण के लिए तकनीकी मानवशक्ति की कमी को मुख्य कारण बताया।

2-1-9-3 ftyk@[k.M Lrj ds vf/kdkfj; k}kjk vuϕo.k

क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपभोग की प्रगति जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा की जानी थी। ग्राम पंचायतों द्वारा अनुदानों के उचित उपभोग के लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) पूर्णतः जिम्मेदार थे।

यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि जिला स्तरीय अधिकारियों ने क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपभोग का गम्भीरतापूर्वक निगरानी नहीं की गई। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों से पूर्णतः उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया गया था। जिला पंचायत राज अधिकारी के स्तर पर उनके द्वारा की गई जांच के समर्थन में किसी निरीक्षण प्रतिवेदन का रख-रखाव नहीं किया गया था।

2-1-9-4 vfØ; k'khy fu; kstu , oa fodkl | fefr

राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम¹¹ 1947 के 29वें अनुच्छेद के अधीन अधिसूचित 'विकास एवं नियोजन समिति' का कार्य ग्राम पंचायत के नियोजन एवं उनके विकास कार्यों में सहायता पहुँचाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित जिलों के नमूना जांच किये गये ग्राम पंचायतों में यह समिति क्रियाशील नहीं थी। क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा उचित योजना सुनिश्चित करने हेतु इनकी कोई बैठक नहीं हुई। वार्षिक कार्य योजना भी इस समिति को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप कार्य को इस समिति

¹⁰ गौतम बुद्ध नगर, गोण्डा, लखनऊ, मऊ, सीतापुर एवं सुल्तानपुर।

¹¹ उत्तर प्रदेश अधिनियम 33, 1999 द्वारा प्रतिस्थापित।

की स्वीकृति के बिना कराया गया जबकि इस समिति को विशेषतः कार्य की स्वीकृति के लिए ही बनाया गया था।

2-1-9-5 vKlrfjd fu; æ.k i z.kkyh

लेखापरीक्षा ने पाया कि पंचायती राज संस्थाओं में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अभाव था जैसा कि निम्नवत वर्णन किया गया है—

- उपयोग में लाये गये मस्टर रोल और माप पुस्तिकाओं पर उनकी क्रम संख्या अंकित नहीं थी और वे क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत के नियंत्रण अधिकारी (जिला पंचायत राज अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा निर्गत नहीं किया गया था।
- माप पुस्तिकाओं की जाँच नहीं की गई थी।
- अधिकांश क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में श्रमिकों को नकद भुगतान किया गया था।
- मुख्य लेखा अधिकारी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के 49,824 लेखापरीक्षा प्रस्तर निस्तारण हेतु मार्च 2015 तक अवशेष थे।

राज्य सरकार ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए कार्यों का मापन माप पुस्तिकाओं में किया जा रहा है तथा तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत श्रमिकों को भुगतान इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर पद्धति से किया जाना प्राविधान में नहीं था। उत्तर सही नहीं है क्योंकि नमूना जांच किये गये ग्राम पंचायत में भुगतान की स्थिति भिन्न थी और भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु श्रमिकों को भुगतान उनके बैंक खातों के माध्यम से करना था।

2-1-10 fu"d"kl , oa vuq ka k

वित्तीय प्रबंधन, अभिलेखों का रख रखाव, योजना, कार्यों का सम्पादन और अनुश्रवण में अनेक कमियों के कारण तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान का उचित उपयोग निर्धारित अवधि में कुशलतापूर्वक सुनिश्चित नहीं किया गया था विवरण निम्नवत है:

- वित्तीय प्रबंधन की कमियों के परिणामस्वरूप अनुदानों को स्थानान्तरित नहीं किया जा सका, अनुदानों के स्थानान्तरण में विलम्ब हुआ, अर्जित ब्याज क्रेडिट नहीं किया जा सका और राज्य स्तर तथा पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर में अप्रयुक्त निधि पड़ी हुई थी।

¶i Lrj 2-1-6-1 / s 2-1-6-9¶

vuq ka k% राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं के बैंक खाते में अनुदानों का समय से स्थानान्तरण तथा जमा होना सुनिश्चित करना चाहिए। अनुदानों का प्रभावी ढंग से उपभोग भी सुनिश्चित करना चाहिये।

- बुनियादी अभिलेख जैसे, प्राक्कलन पंजिका, भंडार प्राप्ति पंजिका, भंडार निर्गम पंजिका, मार्ग पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, अनुबंध पंजिका, माप पुस्तिका आदि का रख-रखाव नमूना जांच किये गये पंचायती राज संस्थाओं में नहीं किया गया था। इसने निष्पादन लेखापरीक्षा को सीमित किया तथा पंचायती राज संस्थाओं में किए गए व्यय का भी सही और प्रमाणपूर्वक सत्यता लेखापरीक्षा में नहीं हो सका।

¶i Lrj 2-1-7¶

वृद्धि का 8% सरकार द्वारा बुनियादी अभिलेखों का रख-रखाव अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- नीचे से ऊपर की पद्धति में उचित योजना बनाना पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित नहीं किया गया था जिसके कारण मूलभूत सुविधाओं को नहीं प्रदान किया जा सका तथा निधियों का अप्रयुक्त अवशेष भी था।

¶i Lrj 2-1-8-1 / s 2-1-8-36¶

वृद्धि का 8% मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने एवं निधियों के अप्रयुक्त अवशेष से बचने के लिए पर्याप्त नियोजन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- जिला पंचायतों ने अधिकांशतः सड़क कार्यों (कुल व्यय का 95.35 प्रतिशत) को कराया था तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं के क्रियाकलापों की अनदेखी किया था।

¶i Lrj 2-1-8-1 / s 2-1-8-36¶

वृद्धि का 8% ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालिक विकास के लिए मूलभूत सुविधाओं पर व्यय को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

- बिना कोटेशन/टेण्डर के सामग्रियों का क्रय तथा कार्य का निष्पादन कराया गया था, जिसके कारण दरों के युक्तियुक्तता की पुष्टि लेखापरीक्षा में नहीं हो सकी।

¶i Lrj 2-1-8-1 / s 2-1-8-36¶

वृद्धि का 8% सरकार द्वारा भण्डार एवं स्टॉक के क्रय तथा कार्यों के निष्पादन से सम्बंधित नियमों एवं प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- कार्यक्षेत्र में जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ द्वारा नगण्य तथा जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा न्यूनतम अनुश्रवण किया गया था।

¶i Lrj 2-1-9-2 , oa 2-1-9-3¶

वृद्धि का 8% व्यय को मूलभूत सुविधाओं के लिए परिसीमित/सुनिश्चित करने हेतु जिला पंचायत स्तर पर मजबूत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2-2 BvkfMV vkiD LdhEI : YI] 2011B ij ogn iLrj

dk; Ldkjh I kjk k

भारत सरकार ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कि परामर्श से "आडिट ऑफ स्कीम्स रूल्स, 2011" नामक नियमों एवं विनियमों के एक सेट को तैयार किया। तदोपरान्त उत्तर प्रदेश शासन ने एक स्वतंत्र अभिकरण के रूप में सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई (एस.ए.यू.) का गठन किया (अगस्त 2012)। सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई का मुख्य उद्देश्य सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित किये जाने हेतु ग्राम सभा की क्षमता का विकास करना, सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु प्रारूप तैयार करना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों एवं हकदारी के बारे में श्रमिकों में जागरूकता पैदा करना एवं अभिलेखों और कार्यस्थलों के सत्यापन हेतु सुविधा प्रदान करना था। "आडिट ऑफ स्कीम्स रूल्स, 2011" पर विस्तृत प्रस्तर की प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् वर्णित है:

fuf/k i xU/ku

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश (अप्रैल 2013) के अनुसार मनरेग्स निधि के कुल व्यय का एक प्रतिशत तक सामाजिक लेखापरीक्षा पर व्यय किया जाना था एवं पाँच प्रतिशत तक मनरेग्स योजना के प्रशासनिक व्यय हेतु नियत किया गया था। यद्यपि मनरेगा प्रकोष्ठ ने 2013-14 एवं 2014-15 में सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु ₹ 44.03 करोड़ सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को कम अवमुक्त किया था जबकि मनरेगा प्रकोष्ठ के द्वारा प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत 2013-15 की अवधि में पाँच प्रतिशत से अधिक (₹ 104.11 करोड़) व्यय किया गया था।

¶iLrj 2-2-7-2¶

fu; kstu

● सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत की प्रति छः माह में कम से कम एक सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु एक वार्षिक कैलेण्डर तैयार किया जाना था। तदानुसार प्रत्येक वर्ष में प्रदेश की 52,111 ग्राम पंचायतों की 1,04,222 सामाजिक लेखापरीक्षा नियोजित की जानी थी। फिर भी 2013-14 एवं 2014-15 में क्रमशः मात्र 13,192 (13 प्रतिशत) एवं 25,748 (25 प्रतिशत) सामाजिक लेखापरीक्षा नियोजित की गयी इनमें से 2013-14 में मात्र 11,412 (11 प्रतिशत) एवं 20,844 (20 प्रतिशत) क्रमशः 2013-14 एवं 2014-15 में सम्पादित की गयी।

¶iLrj 2-2-8-1¶

● सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु विलम्ब से वार्षिक कैलेण्डर तैयार किये जाने के कारण ग्राम सभा की बैठक की तिथि से 15 दिन पूर्व अभिलेखों को सामाजिक लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित नहीं किया गया था।

¶iLrj 2-2-8-2¶

● 38 जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक एवं 446 ब्लाक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक, जुलाई 2012 से मार्च 2013 की अवधि में लगाये गये थे लेकिन उस अवधि में कोई सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित नहीं की गयी, परिणामस्वरूप उन्हें ₹ 3.62 करोड़ के मानदेय का किया गया भुगतान अलाभकारी रहा। इसके अतिरिक्त 29,162 अधिक संसाधित व्यक्तियों को दिये गये प्रशिक्षण के कारण ₹ 94.15 लाख व्यर्थ रहा।

¶iLrj 2-2-8-3 , oa 2-2-8-4¶

I kekftd ys[kki jh{kk dk I Eiknu

- 30 नमूना परीक्षित जनपदों में से 24 जनपदों में पाया गया कि 2014-15 की अवधि में 1,302 असम्प्रेक्षित ग्राम पंचायतों में से 769 ग्राम पंचायतों द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा दल को अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी थी।

Wi Lrj 2-2-9-3%

- 50 नमूना जाँच की गयी ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा की बैठकों में ग्रामीणों की सहभागिता नगण्य थी एवं ग्राम पंचायतों की कुल जनसंख्या का 0.07 से 3.76 प्रतिशत के मध्य थी।

Wi Lrj 2-2-9-5%

- सामाजिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा में पायी गयी आपत्तियों के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं रखा गया था, यद्यपि दिशानिर्देशों में प्रावधानित था।

Wi Lrj 2-2-9-7%

- सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को लेखापरीक्षा के दौरान परिसम्पत्तियों का स्थायित्व एवं उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु गुणवत्ता अनुश्रवक उपलब्ध कराना था, तथापि लेखापरीक्षा पाया गया कि परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता अनुश्रवण सुनिश्चित करने हेतु कोई भी गुणवत्ता अनुश्रवक नियुक्त नहीं किये गये थे।

Wi Lrj 2-2-9-8%

I kekftd ys[kki jh{kk ij vuprhl dk; bkgb

सामाजिक लेखापरीक्षा के उपरान्त पायी गयी कमियों पर सुधारात्मक कार्यवाही जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा किया जाना था तथा राज्य सरकार अनुवर्ती कार्यवाही हेतु उत्तरदायी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 30 नमूना परीक्षित जनपदों में से 16 जनपदों में मार्च 2015 तक ₹ 164.22 लाख (2013-15) के दुर्विनियोग के 444 लम्बित प्रकरणों के सापेक्ष मात्र ₹ 0.13 लाख (0.08 प्रतिशत) की वसूली की गयी थी।

Wi Lrj 2-2-12 , oa 2-2-14%

2-2-1 i Lrkouk

सामाजिक लेखापरीक्षा (एसए) वह लेखापरीक्षा है जो सरकार और जनता, विशेषकर जो लेखापरीक्षित योजना के अभिप्रेत लाभार्थी हैं या उससे प्रभावित हैं के द्वारा संयुक्त रूप से सम्पादित की जाती है। सामाजिक लेखापरीक्षा को समुदाय द्वारा प्राथमिक हितधारकों के सक्रिय भागीदारी के रूप में योजना/कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं उसके परिणामों के सत्यापन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह सत्यापन कार्य के क्रम में समुदायों की भागीदारी से कार्यालयीय अभिलेखों एवं जमीनी वास्तविकता से तुलना करके सत्यापन कार्य में पायी गयी आपत्तियों को सार्वजनिक मंच पर तेज आवाज में पढ़ कर सम्पादित किया जाता है। सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया वित्तीय लेखांकन जाँच से आगे जाकर यह बताती है कि जिस धन का व्यय किया गया है, वह उचित रूप से व्यय किया गया है और उससे जनता के जीवन स्तर में सुधार आया है। सामाजिक लेखापरीक्षा का लक्ष्य प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनियमितताओं पर नियंत्रण करना है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 (मनरेगा) की धारा 17(2) ग्राम सभा की सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित करने हेतु स्पष्ट रूप से अधिदेश प्रदान करती है। भारत सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से नियमों एवं विनियमों को अप्रैल, 2011 में तैयार किया गया जिसे "महात्मा गाँधी नेशनल रूरल इम्प्लायमेंट गारण्टी आडिट ऑफ स्कीम्स रूल्स, 2011" नामक शीर्षक से मनरेगा की धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सामाजिक लेखापरीक्षा को सम्पादित किया जाने हेतु प्रक्रिया सम्बन्धी दिशानिर्देश दिया गया। "आडिट ऑफ स्कीम रूल्स, 2011" के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक स्वतंत्र अभिकरण "उत्तर प्रदेश मनरेग्स सोशल आडिट संगठन", जिसे आगे "सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई" (एसएयू) के रूप में संदर्भित किया गया है, के गठन के लिए आदेशित किया (जुलाई 2012) जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 में पंजीकृत हुयी (अगस्त 2012)।

2-2-2 | लेखापरीक्षा प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश (जुलाई 2012) के अनुसार तीन निकायों यथा; साधारण सभा, शासी सभा एवं कार्यकारी समिति का गठन सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई की कार्यप्रणाली के निष्पादन एवं कार्यान्वयन के लिये किया गया था। शासन द्वारा राज्य स्तर पर एक निदेशक की नियुक्ति¹ की गयी थी जो संगठन के समग्र प्रबंधन, उपरोक्त सभा/समितियों के निर्णयों के क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी थे। सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई उत्तरदायी थी:

(क) सामाजिक लेखापरीक्षा संपादन के लिए ग्राम सभा की क्षमता को विकसित करना एवं उत्तर प्रदेश की जनता के अधिकारों के प्रति जागरूक करना, काम का अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले अनुभवी प्राथमिक हितधारकों और अन्य नागरिक सामाजिक संगठनों में से ग्राम, ब्लाक, जनपद एवं राज्य स्तर पर उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करना, प्रशिक्षण देना एवं तैनाती करना;

(ख) सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया हेतु सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रारूपों, संसाधन सामग्री, दिशानिर्देशों एवं नियम पुस्तिकाओं को तैयार करना;

(ग) मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरों के बीच उनके अधिकारों एवं हकदारी के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करना;

(घ) अभिलेखों एवं कार्यस्थलों के सत्यापन के लिये प्राथमिक हितधारकों को सुविधा प्रदान करना;

(ङ) ग्राम सभाओं में सामाजिक लेखापरीक्षा के सुचारु रूप से सम्पादन एवं आवश्यक चर्चा के पश्चात् निर्णयों को पढ़ने, अंतिम रूप देने में सुविधा प्रदान करना; एवं

(च) सार्वजनिक स्थल पर सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित उस पर की गयी कार्यवाही को प्रदर्शित करना।

2-2-3 | लेखापरीक्षा रिपोर्ट


राज्य स्तर पर निदेशक, सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई, राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा के समग्र सम्पादन हेतु उत्तरदायी थे। जिला कार्यक्रम समन्वयक² (डीपीसी) एवं

¹ अर्द्धशासकीय पत्राक-एम.एस.-80/दो-2-2012 दिनांक 18.10.12।

² जिलाधिकारी को जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में कार्य करना था।

कार्यक्रम अधिकारी³ (पीओ) क्रमशः जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा का सुचारु रूप से संचालन हेतु उत्तरदायी थे। संसाधित व्यक्तियों के पाँच सदस्यीय दल को ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित करना था। इसके अतिरिक्त, जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक एवं ब्लॉक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक क्रमशः जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर जिला विकास अधिकारी के अधीन सामाजिक लेखापरीक्षा को सुविधा प्रदान करने हेतु संविदा के आधार पर अनुबंधित थे।

सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई (एस0ए0यू0)



(स्रोत: सामाजिक लेखा परीक्षा निदेशालय)

अग्रेतर, राज्य सरकार भी सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाही हेतु उत्तरदायी थी। सुधारात्मक कार्यवाही जिला कार्यक्रम समन्वयक के पर्यवेक्षण में ग्राम स्तर पर सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी), ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी (पीओ), जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक के पर्यवेक्षण में उपायुक्त, महात्मा गान्धी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेग्स) एवं शासन स्तर पर अपर आयुक्त, मनरेग्स द्वारा किया जाना था। राज्य स्तर पर राज्य रोजगार गारण्टी परिषद् (एसईजीसी), शासन द्वारा की गयी अनुवर्ती कार्यवाही का अनुश्रवण करने एवं कृत कार्यवाही को वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल करते हुए विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने के अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी थी।

2-2-4 सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ;

आडिट ऑफ स्कीम्स रूल्स, 2011 पर विस्तृत प्रस्तर में हमारे द्वारा लिये गये लेखापरीक्षा उद्देश्यों में यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

- राज्य में एक स्वतंत्र, सक्षम, योग्य, संसाधन युक्त सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई अस्तित्व में है;
- राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई, उचित सहायक तंत्र जैसे; अभिलेखों की उपलब्धता, नियोजन, प्रतिवेदन एवं अनुवर्ती कार्यवाही प्रदान करती है;

³ खण्ड विकास अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य करते थे।

- वर्ष 2014-15 के दौरान की गयी सामाजिक लेखापरीक्षा नियमों तथा विनियमों के अनुसार उचित एवं प्रभावकारी थी। क्या यह जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं राज्य सरकार के अन्य पदाधिकारियों द्वारा सक्रिय रूप से समर्थित एवं सहायतित थी;
- सामाजिक लेखापरीक्षा तंत्र को समर्थन की दृष्टि से, अन्य अभिकरण जैसे; राज्य रोजगार गारण्टी परिषद् (एस.ई.जी.सी.), ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम.ओ.आर.डी.), इत्यादि के द्वारा पर्याप्त रूप से अपनी भूमिका का निर्वाह किया गया था।

2-2-5 य[क्कि जह{क्क eki n. M%

लेखापरीक्षा मापदण्ड के निम्नलिखित स्रोत थे:

- मनरेगा 2005 के प्रासांगिक प्रावधान;
- मनरेगा आडिट ऑफ स्कीम्स रूल्स, 2011;
- सामाजिक लेखापरीक्षा 2014 की विशेष परियोजना के दिशा-निर्देश एवं तदोपरान्त जारी स्पष्टीकरण;
- शासन द्वारा जारी किये गये नियमों एवं विनियमों, उत्तर प्रदेश सामाजिक लेखापरीक्षा संदर्शिका 2014 (प्रथम संस्करण), सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई का ज्ञापन; एवं
- मनरेगा की धारा 27(2) के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के प्रस्तर 10 में संशोधन।

2-2-6 य[क्कि जह{क्क {ks=} dk; ï z. kkyh vkj foLrkj

राज्य स्तर पर, निदेशक, सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई, मनरेगस प्रकोष्ठ, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान एवं प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय के सूचनाओं एवं अभिलेखों की जाँच की गयी। अग्रेतर, स्टैटिस्टिकल रैण्डम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के अनुसार 2014-15 में जहाँ सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी थी, में से 50 ग्राम पंचायतों (if f'k"V 2-2-1½ एवं संबंधित 30 जनपदों में 47 ब्लकों का चयन लेखापरीक्षा के लिए किया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा स्थिति के मूल्यांकन के लिए जून 2015 एवं जुलाई 2015 में आडिट ऑफ स्कीम्स रूल्स, 2011 पर वृहद प्रस्तर लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी।

प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के साथ 07 मई 2015 को एक प्रारम्भिक बैठक आयोजित की गयी थी, लेकिन प्रमुख सचिव के साथ समापन बैठक की तिथि दिसम्बर 2015 तक प्रतीक्षित थी, यद्यपि नवम्बर 2015 में इस हेतु अनुरोध किया गया था। तथापि शासन द्वारा ली गयी लेखापरीक्षा आपत्तियों पर उत्तर उपलब्ध करा दिया गया था जिसे लेखापरीक्षा में यथास्थान सम्मिलित किया गया है।

य[क्कि जह{क्क fu"d"kl

2-2-7 fuf/k i xU/ku

मनरेगा के संचालन मार्गदर्शिका की धारा 13.4.6 के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई की स्थापना एवं सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन का व्यय योजना को लागू करने के लिए दिये गये प्रशासनिक व्यय से पूरा किया जाना था। अग्रेतर, ग्रामीण

विकास मंत्रालय द्वारा दिये गये आदेशानुसार⁴ सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई की लागत एवं मनरेगा कार्यो की सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादन की लागत मनरेगस के छः प्रतिशत प्रशासनिक व्यय से पूरी की जानी थी। राज्य में मनरेगस के कुल व्यय का एक प्रतिशत तक सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई के गठन एवं मनरेगा के कार्यो की सामाजिक लेखापरीक्षा पर व्यय, उपलब्ध छः प्रतिशत “प्रशासनिक व्यय” में से किया जाना था एवं अवशेष पांच प्रतिशत मनरेगस के अर्न्तगत प्रशासनिक व्यय से किया जाना था।

निधि का आवंटन मनरेगा प्रकोष्ठ द्वारा निदेशक, सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई एवं उक्त के पश्चात् सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा जिला विकास अधिकारी को सामाजिक लेखापरीक्षा के व्ययों एवं जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक, ब्लॉक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक एवं सामाजिक लेखापरीक्षा दल के सदस्यों को मानदेय के भुगतान हेतु किया जाना था।

वर्षवार सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा अनुमोदित बजट, मनरेगा योजना के अन्तर्गत व्यय, निधियों की प्राप्तियाँ एवं सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा 2012-13 से 2014-15 में किये गये व्यय को I kj.kh 1 एवं pkVl 2 में प्रदर्शित किया गया है।

I kj.kh 1% I kekftd ys[kki jh{kk bdkbZ dk foRrh; fooj.k


₹ dj km+ e9

o'kZ	eujXl ; ktuk dk 'd i fr'kr 0; ;	I keftd ys[kki jh{kk bdkbZ }kj k vupkfnr ctV	i kj fEHkd vo' k'sk	i klr fuf/k; k;		dy mi yC/k fuf/k; k;	I keftd ys[kki jh{kk bdkbZ dk 0; ; %dkye&7 dk i fr'kr½	vi z Dr vo' k'sk %dkye&7 dk i fr'kr½
				eujXl ; ktuk ds vlr½r %dkye&2 dk i fr'kr½	vU; i kflr; k;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012-13	27.44	23.14	0.00	3.00(11)	0.01	3.01	0.44 (15)	2.57 (85)
2013-14	35.47	24.95	2.57	16.83(47)	0.29	19.69	14.72 (75)	4.97 (25)
2014-15 ⁵	31.41	56.33	4.97	6.01(19)	0.81	11.79	10.98 (93)	0.81 (07)

(स्रोत: मनरेगा प्रकोष्ठ एवं सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई)

pkVl 2% I kekftd ys[kki jh{kk bdkbZ dh foRrh; fLFkfr

₹ dj km+ e9



(स्रोत: मनरेगा प्रकोष्ठ एवं सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई)

⁴ ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिये गये आदेश संख्या-जे-110033/28/2012-मनरेगा (आर. ई.-7) दिनांक-12 अप्रैल 2013
⁵ सरणी में केवल मनरेगा योजना का व्यय शामिल किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा 17.55 करोड़ प्राप्त किया गया था और ₹ 6.78 करोड़ इन्दिरा आवास योजना की सामाजिक लेखापरीक्षा पर व्यय किया गया था जिसे वित्तीय विवरण में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वर्ष 2014-15 तक की बैलेंस शीट सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा जुलाई 2015 तक तैयार नहीं की गयी थी।

अभिलेखों की जाँच में निम्नवत् कमियाँ दृष्टिगत हुयी:

2-2-7-1 I kekftd ys[kki jh{kk bdkb} dks de fuf/k voeDr fd; k tkuk

जैसा कि सारणी 1 एवं चार्ट 2 में उल्लिखित है कि आवश्यकता के सापेक्ष 2012-15 की अवधि में 11 से 47 प्रतिशत निधि सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु अवमुक्त की गयी थी तथापि सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ने उपलब्ध निधि को व्यय नहीं किया था एवं 2012 से 2015 के दौरान सात से 85 प्रतिशत निधि बिना व्यय के अवशेष के रूप में पड़ी रही यह अनियमित वित्तीय प्रबंधन को प्रदर्शित करता था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि निधि के व्यय न होने का कारण निधियों का कम एवं विलम्ब से अवमुक्त किया जाना था।

2-2-7-2 I kekftd ys[kki jh{kk bdkb} ds v{k dks eujXl }kj k 0; ; fd; k tkuk

जैसा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश (अगस्त 2012) में उल्लेखित है कि मनरेग्स के अन्तर्गत किये गये कुल व्यय का छः प्रतिशत प्रशासनिक व्यय पर किया जाना था। अग्रेतर, ग्राम्य विकास मंत्रालय (अप्रैल 2013) द्वारा स्पष्ट किया गया था कि कुल वार्षिक व्यय का एक प्रतिशत तक राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु उपयोग किया जा सकता है, शेष पाँच प्रतिशत प्रशासनिक व्यय हेतु उपयोग किया जा सकता है।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 2013-14 और 2014-15 की अवधि में एक प्रतिशत सामाजिक लेखापरीक्षा अंश, सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को उपलब्ध नहीं कराया गया था और जैसा कि I kj.kh 2 में दिया गया है दोनों वर्षों में प्रशासनिक व्यय पांच प्रतिशत से अधिक था।

I kj.kh 2% i'z kkl fud 'kh"kl ds vlr}r 0; ; , oa I kekftd ys[kki jh{kk bdkb} dks voeDr /kujkf'k; k;

₹ dj km+ eq

0"l	i kjfEHkd v'k'k , oa Lohdfr	dly 0; ;	ns i'z kkl fud 0; ; %N% i fr'kr½			okLrfod i'z kkl fud 0; ;			vLrj		
			eujXl %dye rhu dk i kp i fr'kr½	I kekftd ys[kki jh{kk bdkb} %dye rhu dk , d i fr'kr½ ; kx %4+5%	eujXl	I kekftd ys[kki jh{kk bdkb} dks fuxr ; kx %7+8%	vf/kd 0; ; %7&4%	I kekftd ys[kki jh{kk bdkb} dks de voeDr %8&5%	I kekftd ys[kki jh{kk bdkb} dks v{k dk eujXl i d'k'k B }kj k 0; ;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2013-14	3,967.23	3,546.56	177.33	35.46	212.79	275.61	16.83	292.44	98.28	18.63	18.64
2014-15	3,178.26	3,140.62	157.03	31.41	188.44	162.86	6.01	168.87	5.83	25.40	5.83
; kx	7]145-49	6]687-18	334-36	66-87	401-23	438-47	22-84	461-31	104-11	44-03	24-47

(स्रोत: मनरेगा प्रकोष्ठ एवं सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई, लखनऊ)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 2013-15 की अवधि में ₹ 44.03 करोड़ सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को कम अवमुक्त किया गया था एवं मनरेग्स प्रकोष्ठ द्वारा

प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत पाँच प्रतिशत से अधिक (₹ 104.11 करोड़) व्यय किया गया था जिसमें ₹ 24.47 करोड़ सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई का अंश भी शामिल था।

शासन द्वारा उपरोक्त आपत्तियों का उत्तर नहीं दिया गया।

वृद्धि का सामाजिक लेखापरीक्षा के सुगम संचालन हेतु निर्धारित निधियां अवमुक्त की जानी चाहिए।

2-2-8 fu; ktu

सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई (एसएयू) का मुख्य उद्देश्य, प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत किये गये कार्यों की, सामाजिक लेखापरीक्षा (एसए) का सम्पादन कम से कम छः माह में एक बार आच्छादित किया जाना था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को, सामाजिक लेखापरीक्षा के सम्पादन के लिये ग्राम सभा की क्षमता के निर्माण के लिये संसाधित व्यक्तियों की पहचान करना, प्रशिक्षण देना एवं ग्राम, ब्लाक, जनपद और राज्य स्तर पर उपयुक्त संसाधित व्यक्तियों को तैनात करना था एवं सामाजिक लेखापरीक्षा को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये वार्षिक कैलेंडर तैयार करना था। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ दृष्टिगत हुईं:

2-2-8-1 I kekftd ys[kki jh{kk ds fy; s vi ; klr ; ktuk

सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करना था जिससे प्रत्येक ग्राम पंचायत की सामाजिक लेखापरीक्षा छः महीने में कम से कम एक बार सम्पन्न हो सके। इसके अनुसार, राज्य में प्रत्येक वर्ष 52,111 ग्राम पंचायतों के लिये 1,04,222 सामाजिक लेखापरीक्षा की योजना तैयार की जानी थी।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ने 2013-14 एवं 2014-15 की अवधि में क्रमशः 13,192 (13 प्रतिशत) एवं 25,748 (25 प्रतिशत) सामाजिक लेखापरीक्षा की योजना बनाई जिसमें से मात्र 11,412 (11 प्रतिशत) 2013-14 में एवं 20,844 (20 प्रतिशत) 2014-15 की सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा बताया गया कि सामाजिक लेखापरीक्षा उपलब्ध संसाधनों, व्यक्तियों, निधि की उपलब्धता एवं अन्य कारणों पर आश्रित होती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ने बताया कि नव सृजित संगठन होने के कारण सभी ग्राम पंचायतों की सामाजिक लेखापरीक्षा आच्छादित नहीं की जा सकी। उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ने उपलब्ध मानव शक्ति के उपयोग के लिये पर्याप्त योजना नहीं बनाई एवं प्रशिक्षित संसाधित व्यक्तियों का अधिकतम उपयोग नहीं कर सकी जैसा कि आगे के प्रस्तरों 2.2.8.4 एवं 2.2.8.5 में चर्चा की गयी है।

2-2-8-2 I kekftd ys[kki jh{kk ds fy; s okf"kkd dSys.Mj r\$ kj djus ea foyEc

संचालन मार्गदर्शिका की धारा 13.3.1 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत की छः माह में कम से कम एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पन्न किये जाने हेतु सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करना था एवं वर्ष के प्रारम्भ में, कैलेंडर की एक प्रति आवश्यक व्यवस्था हेतु सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रेषित की जानी थी। आडिट ऑफ स्कीम रूल्स, 2011 के प्रस्तर 7 के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी को सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु 15 दिन पूर्व मांगी गयी सूचनाओं और

अभिलेख जैसे जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका, कार्य पंजिका आदि को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराना था।

सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई के अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि 2014-15 के प्रारम्भ में वार्षिक कैलेण्डर तैयार नहीं किया गया था, इसके स्थान पर त्रैमासिक कैलेण्डर तैयार किये गये थे। प्रथम त्रैमास का कैलेण्डर तैयार नहीं किया गया था, दूसरे त्रैमास (जुलाई से सितम्बर 2014) का कैलेण्डर 5 जून, 17 जून और 5 अगस्त 2014 को जारी किया गया था, तीसरे त्रैमास (अक्टूबर से दिसम्बर 2014) का कैलेण्डर 16 अक्टूबर 2014 और चौथे त्रैमास (जनवरी से मार्च 2015) का कैलेण्डर 4 फरवरी 2015 को जारी किया गया था। अंतिम त्रैमास, जनवरी 2015 में बिना लेखापरीक्षा के, 9 फरवरी 2015 से प्रभावी हुआ था। इस प्रकार वार्षिक कैलेण्डर न तैयार करने के कारण सामाजिक लेखापरीक्षा दलों को ग्राम सभा की बैठक से 15 दिन पूर्व अभिलेख उपलब्ध कराना सुनिश्चित नहीं किया गया था।

इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर दिया कि सामाजिक लेखापरीक्षा के सुचारु संचालन और अधिक सुविधाजनक बनाये जाने हेतु त्रैमासिक आधार पर कैलेण्डर जारी किये गये थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संचालन मार्गदर्शिका के अनुसार वार्षिक कैलेण्डर तैयार किया जाना चाहिये था।

अग्रेतर 50 ग्राम पंचायतों की नमूना जाँच में पाया गया कि सामाजिक लेखापरीक्षा कैलेण्डर में ग्राम सभा की सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु केवल एक तिथि अंकित की गयी थी, सामाजिक लेखापरीक्षा किये जाने हेतु समयावधि नहीं दी गयी थी। इस प्रकार, 23 ग्राम पंचायतों की सामाजिक लेखापरीक्षा एक दिन में सम्पादित की गयी थी एवं 17 ग्राम पंचायतों में समयावधि का अंकन नहीं किया गया था एवं अवशेष 10 ग्राम पंचायतों में दो से 13 दिन में सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी थी। जैसा कि *ifff'k"V 2-2-2* में दिया गया है।

उत्तर में शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया एवं भविष्य में अनुपालन का आश्वासन दिया गया।

2-2-8-3 fu"Qy 0; ;

सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई की स्थापना (जुलाई 2012) के पूर्व मनरेगस कार्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु संविदा के आधार पर जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक एवं ब्लॉक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक को लगाया गया था। शासन ने (जुलाई 2012) सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई की स्थापना के लिये एवं जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक एवं ब्लॉक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक की सेवाओं को एक वर्ष के लिये जारी रखने का आदेश दिया था। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जुलाई 2012 में 38 जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक एवं 446 ब्लॉक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक की सेवाओं को जारी रखने के बावजूद नौ माह तक (जुलाई 2012 से मार्च 2013 तक) कोई सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित नहीं की गयी। जिसके फलस्वरूप जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक/ब्लॉक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक को दिये गये मानदेय पर व्यय ₹ 3.62 करोड़⁶ निष्फल रहा।

⁶ 38 x 12,000x9 = 41,04,000, 446 x 8,000 x 9 = 3,21,12,000 = 41.04 + 321.12 = 362.16 लाख।

उत्तर में शासन ने बताया (नवम्बर 2015) कि जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक एवं ब्लाक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक पर किया गया व्यय निष्फल नहीं था, क्योंकि उन्हें सामाजिक लेखापरीक्षा के लिये प्रशिक्षण दिया जाना था एवं उनकी सेवायें सामाजिक लेखापरीक्षा के लिये जागरूकता लाने में उपयोग की गयी थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 2012-13 में सामाजिक लेखापरीक्षा दल का गठन नहीं किया गया था एवं उत्तर प्रदेश सोशल आडिट संदर्शिका 2014 के प्रस्तर 7.3 के अनुसार जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक एवं ब्लाक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक ऐसे कार्यों के लिये नहीं लगाये गये थे।

2-2-8-4 *vfrfjDr l d kf/kr 0; fDr; k dks i f' k{k.k*

मानकों के अनुरूप राज्य में सभी 52,111 ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा करने हेतु 34,265 संसाधित व्यक्तियों की आवश्यकता⁷ थी। अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 2013-14 में 34,265 संसाधित व्यक्तियों के सापेक्ष 40,670 को राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। इस प्रकार सभी ग्राम पंचायतों की सामाजिक लेखापरीक्षा आच्छदित की जा सकती थी। तथापि सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ने 2013-14 में 13,192 ग्राम पंचायतों की योजना बनायी एवं मात्र 11,412 ग्राम पंचायतों की ही सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी, जिसे मात्र 11,508 संसाधित व्यक्तियों⁸ द्वारा किया जा सकता था। इस प्रकार 29,162 अतिरिक्त संसाधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिये जाने पर ₹ 94.15 लाख⁹ का व्यय निरर्थक साबित हुआ क्योंकि प्रत्येक वर्ष नये सामाजिक लेखापरीक्षा दल का गठन किया जाना था।

इंगित किये जाने पर शासन ने बताया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य सामाजिक लेखापरीक्षा टीम तैयार करना ही नहीं था बल्कि सामाजिक लेखापरीक्षा एवं ग्राम पंचायत में अन्य संचालित योजनाओं के प्रति जागरूक करना था।

शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रशिक्षण मात्र सामाजिक लेखापरीक्षा दल के सदस्यों को दिया गया जो चयन समिति के द्वारा चयनित किये गये थे।

2-2-8-5 *l d kf/kr 0; fDr; k dk de mi ; kx*

मानक के अनुसार प्रत्येक सामाजिक लेखापरीक्षा दल के द्वारा छः महीने में 10 ग्राम पंचायतों तथा एक वर्ष में 20 ग्राम पंचायतों की सामाजिक लेखापरीक्षा की जानी थी। वर्ष 2014-15 में नमूना जॉच में लिये गये 30 जनपदों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई के द्वारा 14,040 ग्राम पंचायतों की सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु, 2,345 (682 आरक्षित टीम को छोड़कर) सामाजिक लेखापरीक्षा दल के लिये वार्षिक कैलेण्डर तैयार किया गया था। इस प्रकार, प्रत्येक सामाजिक लेखापरीक्षा दल के लिये एक वर्ष में 20 ग्राम पंचायतों के मानक के सापेक्ष केवल तीन से 11 ग्राम पंचायतों की योजना बनायी गयी थी। *(i f f' k"V 2-2-3)*

⁷ मानक के अनुसार 10 ग्राम पंचायतों की सामाजिक लेखा परीक्षा हेतु सामाजिक लेखा परीक्षा दल में पांच सदस्य होने थे और एक ब्लाक में प्रत्येक श्रेणी के दो सदस्यों (2x5=10) आरक्षित सदस्य थे। इस प्रकार, सामाजिक लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक सामाजिक लेखा परीक्षा दल (52111/10) = 5,211 थे। आवश्यक सामाजिक लेखा परीक्षा दलों के सदस्यों की संख्या (5211/5) = 26,055 एवं आरक्षित सदस्यों की संख्या (821 ब्लाक/10) = 8,210 इस प्रकार, 52,111 ग्राम पंचायतों की सामाजिक लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक सदस्यों की संख्या (26,055+8,210) = 34,265

⁸ 13192/20x5 = 3298+8210 (आरक्षित सदस्यों की संख्या)=11,508 संसाधित व्यक्तियों

⁹ ₹ (98,202+1,64,728+5,38,446+1,23,29,850) = (13131226/40670) x 29,162 = ₹ 94,15,608

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने बताया कि लोकसभा सदस्यों के उपचुनाव, अन्य स्थानीय कारण एवं निधि की कमी के कारण सामाजिक लेखापरीक्षा प्रभावित हुई।

शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपलब्ध संसाधित व्यक्तियों के अनुसार ही योजना बनायी जानी चाहिये थी।

सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु समय पर वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाना चाहिये जिससे संसाधित व्यक्तियों का सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु उचित उपयोग किया जा सके।

2-2-9 सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु समय पर वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाना चाहिये जिससे संसाधित व्यक्तियों का सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु उचित उपयोग किया जा सके।

सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु 2014-15 हेतु 30 जनपदों के 47 क्षेत्र पंचायतों के चयनित 50 ग्राम पंचायतों, सामाजिक लेखापरीक्षा निदेशालय तथा मनरेग्स प्रकोष्ठ के अभिलेखों की जाँच में निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में आयीं:

2-2-9-1 सामाजिक लेखापरीक्षा संदर्शिका के प्रस्तर 7.1(ब) के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों/कर्मचारियों/पदाधिकारियों को सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि से कम से कम 30 दिन पूर्व सूचित किया जाना था।

सामाजिक लेखापरीक्षा संदर्शिका के प्रस्तर 7.1(ब) के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों/कर्मचारियों/पदाधिकारियों को सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि से कम से कम 30 दिन पूर्व सूचित किया जाना था।

लेखापरीक्षा विश्लेषण में दृष्टिगत हुआ कि नमूना जाँच में ली गयी 50 ग्राम पंचायतों में से 34 ग्राम पंचायतों को सामाजिक लेखापरीक्षा तिथि से 30 दिन पूर्व, सभी स्तरों से सामाजिक लेखापरीक्षा की सूचना विलम्ब से प्राप्त होने के कारण सूचित नहीं किया गया था। विलम्ब से दी गयी सूचना की अवधि तीन से 28 दिनों के मध्य थी। सात ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि से केवल दो से सात दिन पूर्व ही सूचित किया गया था जैसा कि *ifjfk"V 2-2-4* में वर्णित है। पूर्व सूचना न दिये जाने के कारण कई अभिलेख सामाजिक लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध नहीं कराये गये एवं ग्रामीणों एवं लाभार्थियों की उपस्थिति भी कम थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने तथ्यों की स्वीकार किया एवं भविष्य में अनुपालन का आश्वासन दिया।

2-2-9-2 आडिट आफ स्कीम रूल्स के प्रस्तर 7 एवं संचालन मार्गदर्शिका की धारा 13.3.3 के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा दल को सभी सूचनाएं तथा अभिलेख जैसे जाब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि को 15 दिन पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना था। अभिलेखों की जाँच में पाया गया नमूना जाँच में लिये 50 ग्राम पंचायतों में से 45 ग्राम पंचायतों में अभिलेखों को 15 दिन पूर्व सामाजिक लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत नहीं किया गया था। 13 ग्राम पंचायतों (26 प्रतिशत) में अभिलेखों को सामाजिक लेखापरीक्षा बैठक के ही दिन उपलब्ध कराया गया था। विवरण *ifjfk"V 2-2-5* में दिया गया है। इंगित किये जाने पर शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं भविष्य में अनुपालन हेतु आश्वासन दिया।

आडिट आफ स्कीम रूल्स के प्रस्तर 7 एवं संचालन मार्गदर्शिका की धारा 13.3.3 के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा दल को सभी सूचनाएं तथा अभिलेख जैसे जाब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि को 15 दिन पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना था। अभिलेखों की जाँच में पाया गया नमूना जाँच में लिये 50 ग्राम पंचायतों में से 45 ग्राम पंचायतों में अभिलेखों को 15 दिन पूर्व सामाजिक लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत नहीं किया गया था। 13 ग्राम पंचायतों (26 प्रतिशत) में अभिलेखों को सामाजिक लेखापरीक्षा बैठक के ही दिन उपलब्ध कराया गया था। विवरण *ifjfk"V 2-2-5* में दिया गया है। इंगित किये जाने पर शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं भविष्य में अनुपालन हेतु आश्वासन दिया।

अग्रेतर, उत्तर प्रदेश सामाजिक लेखापरीक्षा संदर्शिका 2014 के प्रस्तर 8.1.1 के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्यदायी विभागों द्वारा कराये गये कार्यों से संबंधित अभिलेखों को विवरणों के साथ, सामाजिक लेखापरीक्षा दल को 15 दिन पूर्व उपलब्ध कराया जाना था।

नमूना जाँच में लिये गये 50 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि पांच ग्राम पंचायतों¹⁰ में कार्यदायी विभागों द्वारा मनरेग्स योजना के अन्तर्गत कार्य कराये गये थे लेकिन अभिलेखों को सामाजिक लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने तथ्यों की स्वीकार किया एवं भविष्य में अनुपालन का आश्वासन दिया गया।

2-2-9-3 I kekftd ys[kki jh{kk dk I Eikfnr u gkuk

संचालन मार्गदर्शिका की धारा 13.4.2 के अनुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक या उसकी ओर से किसी अधिकारी को यह सुनिश्चित करना था कि कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा सभी अभिलेख कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से सामाजिक लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराये जायें। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2014-15 में नमूना जाँच में लिये गये जनपदों में से 24 जनपदों की 11,830 नियोजित ग्राम पंचायतों में से मात्र 10,528 ग्राम पंचायतों की सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी थी। असम्प्रेक्षित 1,302 (ifj'k"V 2-2-6½) ग्राम पंचायतों में से 769 ग्राम पंचायतों द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा दल को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था अन्य इंगित कारणों में कैलेंडर का उपलब्ध न कराया जाना, उपचुनाव तथा बाढ़ आदि था। यद्यपि अनुपालन नहीं करने वाली ग्राम पंचायतों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन द्वारा उत्तर नहीं दिया गया।

2-2-9-4 ukfer vf/kdkfj ; k dk Hkkx u yuk

संचालन मार्गदर्शिका की धारा 13.3.6 के अनुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को ग्राम सभा सामाजिक लेखापरीक्षा बैठक के सुगम संचालन हेतु इसका पर्यवेक्षण करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच में लिये गये 50 ग्राम पंचायतों में से 40 ग्राम पंचायतों (80 प्रतिशत) की सामाजिक लेखापरीक्षा बैठक में जिला कार्यक्रम समन्वयक या उनके द्वारा नामित अधिकारी उपस्थित नहीं थे। यद्यपि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जैसा कि ifj'k"V 2-2-7 में वर्णित है।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया एवं भविष्य में जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।

2-2-9-5 I kekftd ys[kki jh{kk cBd ea xkeh. kka dh I ghkkfxrk u gkuk

संचालन मार्गदर्शिका की धारा 13.3.2 के अनुसार श्रमिकों एवं ग्राम समुदायों को सामाजिक लेखापरीक्षा बैठक के लिये सूचित किया जाना था एवं कार्यक्रम अधिकारी द्वारा ग्राम सभा में पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित की जानी थी।

¹⁰(1) चरवा, ब्लाक: चायल, जिला: कौशाम्बी (2) गोसा प्रयागपुर, ब्लाक: गंजमुरादाबाद, जिला: उन्नाव (3 एवं 4) लक्ष्मनपुर मटही और मटिहा ब्लाक: बलहा, जिला: बहराइच (5) सतिजोर, ब्लाक: नवाबगंज, जिला: बहराइच।

समन्वयक को प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करायेगा। जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को www.nrega.nic.in पर अपलोडिंग सुनिश्चित करेगा एवं प्रतिवेदन की एक प्रति निदेशक सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई एवं आयुक्त रोजगार गारण्टी को, सामाजिक लेखापरीक्षा के पूर्ण होने के पांच दिन के भीतर ई-मेल द्वारा भेजेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मई 2015 तक नमूना जाँच में लिये गये 30 जनपदों में से 22 जनपदों में 1,279 सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2014-15) वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया था *2-2-9*। अग्रेतर हमने पाया कि ब्लाक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदनों एवं अपलोड प्रतिवेदनों में समानता नहीं थी जैसे 47 ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित 286 आपत्तियाँ जो ब्लाक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक के प्रतिवेदन में थी, अपलोडेड प्रतिवेदनों में नहीं पायी गयी थी जबकि सात ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित 13 आपत्तियाँ अपलोडेड प्रतिवेदनों में थी जबकि ब्लाक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक द्वारा हस्त लिखित प्रतिवेदनों में नहीं थी। यहां तक की अपलोडेड प्रतिवेदन में अंकित सामाजिक लेखापरीक्षा तिथि हस्त लिखित प्रतिवेदनों की तिथि से मिलान नहीं करती थी *2-2-10*।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया और भविष्य में समय से सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अपलोड करने का आश्वासन दिया गया। अपलोडेड प्रतिवेदन एवं हस्तलिखित प्रतिवेदनों के अन्तर के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

ys[kki jh{kk e# nf"Vxr mYys[kuh; dk;'

आडिट आफ स्कीम रुल्स 2011 के प्रस्तर 4(बी) के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई, सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए प्रतिवेदन प्रारूपों, संसाधन सामग्री, नियम पुस्तिका एवं मार्ग-दर्शिका तैयार करने के लिये उत्तरदायी थी। जाँच में पाया गया कि सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ने सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादन हेतु संसाधित व्यक्तियों को योग्य बनाने के लिये समग्र साहित्य एवं नियमावली तैयार की थी। सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ने उत्तर प्रदेश सामाजिक लेखापरीक्षा संदर्शिका, 2014 नामक संदर्शिका हिन्दी में प्रकाशित की थी जिसमें सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया एवं उसके उद्देश्य, हितधारकों के कर्तव्यों एवं दायित्वों तथा मनरेग्स कार्यों को लागू कराने वाले अधिकारियों के लिये विस्तृत दिशानिर्देश थे। सामाजिक लेखापरीक्षा दल एवं ब्लाक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विस्तृत प्रारूप तैयार किये गये थे जो कि सूचनाओं के संकलन एवं प्रतिवेदन को तैयार करने के लिये सहायक थे। उक्त के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें एवं विवरणिका जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005, जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक/ब्लाक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक के लिये समाजिक लेखापरीक्षा मार्ग दर्शिका, समाजिक लेखापरीक्षा सन्दर्भ साहित्य, सामाजिक लेखापरीक्षा दल प्रशिक्षण माड्यूल एवं समाजिक लेखापरीक्षा द्वारा ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता, जनसहभागिता तथा जवाबदेही भी संसाधित व्यक्तियों एवं हितधारकों के लिये प्रकाशित की गयी थी।

2-2-10 I ekftd ys[kki jh{kk i fromnuka dk xq koRrk fu; #. k

आडिट आफ स्कीम रुल्स 2011 के प्रस्तर 4 (बी) के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रारूपों, संसाधन सामग्री, नियम पुस्तिका एवं मार्ग-दर्शिका तैयार करना चाहिये था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि सामाजिक

लेखापरीक्षा इकाई द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा प्रारूप एवं नियम पुस्तिका तैयार की गयी थी तथापि प्रतिवेदन की गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

अग्रेतर, आडिट आफ स्कीम रूल्स 2011 की लेखापरीक्षा के प्रस्तर 4(एफ) के अनुसार अनुवर्ती कार्यवाही सहित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक स्थलो पर प्रदर्शित किया जाना चाहिये था। नमूना जाँच में लिये 50 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि यद्यपि बेबसाइट पर प्रतिवेदन अपलोड किये गये थे एव गलती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को भी दर्शाया गया था लेकिन गलती करने वाले स्टाफ के खिलाफ कृत कार्यवाई अंकित नहीं थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

2-2-11 ftyk fodkl vf/kdkjh }kjk =fVi #kz l ipuk dk i \$k.k

ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा पूर्ण करने के पश्चात ब्लाक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक द्वारा प्रतिवेदन तैयार किया जाना था एवं ग्राम पंचायतों, कार्यक्रम अधिकारी और जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जानी थी एवं जिले की समेकित रिपोर्ट जिला विकास अधिकारी द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई को प्रेषित की जानी थी।

जिला विकास अधिकारी आगरा के अभिलेखों की जाँच में पाया गया, कि 2014-15 में 381 ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा की गयी जिसमें 8,170 आपत्तियों सहित ₹ 160.89 लाख का दुर्विनियोग पाया गया था। जबकि जिला विकास अधिकारी ने 339 ग्राम पंचायतों में 1,367 आपत्तियों सहित ₹ 35.72 लाख के दुर्विनियोग की सूचना प्रेषित की गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन द्वारा उत्तर नहीं दिया गया।

2-2-12 ftyk dk; Øe l ello; d }kjk d'r dk; bkgh

जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा पर समयबद्ध, सुधारात्मक कार्यवाई सुनिश्चित किया जाना था। गबन की धनराशि अथवा अनुचित तरीके से दुरुपयोग की गयी मजदूरी की धनराशि वसूल की जानी थी एवं ऐसे व्यक्ति से जो दुरुपयोग अथवा गबन के लिए उत्तरदायी थे, उनके विरुद्ध आपराधिक, सिविल कार्यवाही एवं सेवा से निष्कासन की कार्यवाही की जानी थी। राज्य सरकार के ग्राम विकास विभाग द्वारा जारी आदेश (अगस्त 2014) के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पायी गयी आपत्तियों पर कार्यदायी संस्थाओं, ग्राम विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं उपायुक्त (मनरेग्स) द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक के पर्यवेक्षण में ग्राम सभा की बैठक के बाद एक माह के अन्दर सुधारात्मक कार्यवाई की जानी थी।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि राज्य स्तर पर प्रतिवेदित दुर्विनियोग की धनराशि ₹ 343.63 लाख में से मार्च 2015 तक, मात्र ₹ 2.91 लाख (0.84 प्रतिशत) की धनराशि वसूल की गयी थी एवं राज्य स्तर पर सात प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी उसके अतिरिक्त मार्च 2015 तक 2,43,734 पंजीकृत आपत्तियों में से मात्र 1,62,376 (67 प्रतिशत) आपत्तियों को निस्तारित किया गया था। अवशेष 81,358 आपत्तियों में से 2013-14 से सम्बंधित 21,158 (26 प्रतिशत) आपत्तियाँ, मार्च 2015 तक लम्बित थी।

अग्रेतर, नमूना जाँच में लिये गये 30 जनपदों में से 16 जनपदों में 444 दुर्विनियोग के प्रकरणों में ₹ 164.22 लाख की धनराशि में से मात्र ₹ 0.13 लाख (0.08 प्रतिशत) वसूल की गयी थी *वि.सं. 2-2-11* एवं नमूना जाच के 30 जनपदों में 64,373 पंजीकृत आपत्तियां मार्च 2015 तक लम्बित थी *वि.सं. 2-2-12*।

शासन ने उत्तर में बताया कि सुधारात्मक कार्यवाई सुनिश्चित करने के लिये जिला कार्यक्रम समन्वयक को निर्देश दे दिये गये हैं।

2-2-13 वि.सं. 2-2-13

मनरेगा (14 मई 2014) के संचालन प्रावधान 27(2) से मानक प्रक्रिया के प्रस्तर 10 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य के सचिव, ग्रामीण विकास के सीधे प्रभार के अन्तर्गत मनरेगा से सम्बन्धित सभी शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित होना चाहिये था।

इंगित किये जाने पर शासन द्वारा उत्तर में बताया गया कि अपर आयुक्त (मनरेग्स) के अधीन शिकायत निवारण तन्त्र एवं शिकायत के निवारण के लिए हेल्पलाइन की स्थापना की गयी है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि (मनरेग्स) से सम्बन्धित सभी शिकायतों के लिए, राज्य स्तर पर सचिव, ग्रामीण विकास के सीधे प्रभार में शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए था।

2-2-14 वि.सं. 2-2-14

आडिट आफ स्कीम्स रूल्स 2011 की धारा 7(4),7(5) एवं 3(2) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाई की जानी थी एवं राज्य रोजगार गारण्टी परिषद द्वारा राज्य सरकार द्वारा कृत अनुवर्ती कार्यवाही का अनुश्रवण किया जाना था।

राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन में, कृत अनुवर्ती कार्यवाही को शामिल किया जाना था एवं राज्य सरकार द्वारा, वित्तीय वर्ष के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के सारांश को, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत किया जाना था।

अग्रेतर राज्य स्तर पर अपर आयुक्त, मनरेग्स को सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही को सुनिश्चित कराने एवं पर्यवेक्षण हेतु निर्देशित¹¹ किया गया था। तथापि अपर आयुक्त मनरेग्स के पास कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि अपर आयुक्त मनरेग्स को अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के सारांश को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भेजने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

वि.सं. 2-2-14 सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की आपत्तियों पर समय से अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिये।

¹¹ सं. 1729/38-7-2014-324 नरेगा/2012 दिनांक 04 अगस्त 2014।

2-2-15 fu"d"kl , oa vuq ka k

आडिट आफ स्कीम्स रूल्स 2011 के परिपालन में सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादन हेतु एक स्वतन्त्र संगठन सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई की स्थापना अगस्त 2012 में की गयी थी, यद्यपि लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादन हेतु दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित निधि अवमुक्त नहीं की गयी थी।

%i Lrj 2-2-7%

vuq ka k% सामाजिक लेखापरीक्षा के सुगम संचालन हेतु निर्धारित निधियाँ अवमुक्त की जानी चाहिए।

- सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई ने ग्राम पंचायतों को सामाजिक लेखापरीक्षा से आच्छदित करने हेतु संसाधित व्यक्तियों के सम्यक उपयोग हेतु उचित योजना नहीं बनाई थी।

%i Lrj 2-2-8%

vuq ka k% सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु समय पर वार्षिक कैलेण्डर तैयार किया जाना चाहिये जिससे संसाधित व्यक्तियों का सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु सम्यक उपयोग किया जा सके।

- शासन द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गयी थी एवं अनुवर्ती कार्यवाही पर समेकित वार्षिक प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया था।

%i Lrj 2-2-14%

vuq ka k% सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की आपत्तियों पर समय से अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिये।

v/; k; 3
i p̄k; rh jkt | 1.Fkkvka dh vuq̄kyu ys[kki jh{k

3-1 C; kt dh gkfu

[k.M fodkl vf/kdkjh] {ks= i p̄k; r] uk&x<} plnksyh }kjk ;kstuk ds fn'kk&fun'kk dk vuq̄kyu u fd, tkus ds QyLo: i ₹ 22 yk[k ds C; kt dh gkfu rFkk iHkkoh vuq̄j.k ds vHkko ea cpr cfd [kkrs ea vo'ks'kka ij C; kt dks vuq̄e; u dj k i k u k A

भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय असन्तुलन को कम करने, गरीबी उन्मूलन की दिशा में योगदान करने तथा जनजातीय व पिछड़े क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिये, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना प्रारम्भ की गयी (जनवरी 2007)। राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में विकास को गति देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2010-11 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत एकीकृत कार्ययोजना प्रारम्भ की, जिसके अन्तर्गत योजना में प्राप्त ब्याज को अतिरिक्त संसाधन के रूप में लिया जाना था तथा योजना/परियोजना के उद्देश्यों के लिये उपयोग किया जाना था। अग्रेतर, योजना की निधि को सार्वजनिक क्षेत्र के बचत बैंक खाते में रखा जाना था।

क्षेत्र पंचायत, नौगढ़, चन्दौली के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2014) एवं संकलित सूचनाओं (मई/जुलाई 2015) में पाया गया कि एकीकृत कार्ययोजना के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2012-13 में ₹ 6.54 करोड़¹ प्राप्त किया तथा उसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक², (बैंक) के बचत खाता संख्या 618032010013622, शाखा नौगढ़, जनपद चन्दौली में रखा गया था। यह खाता खण्ड विकास अधिकारी द्वारा योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मार्च 2012 में खोला गया था। दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना निधि को सार्वजनिक क्षेत्र के बचत बैंक खातों में रखा जाना चाहिए था। अग्रेतर, संवीक्षा में पाया गया कि बैंक द्वारा मार्च 2012 से मार्च 2015 तक की अवधि में जमा ₹ 22 लाख³ की धनराशि पर ब्याज नहीं दिया गया *॥ f/fश"V 3-1॥* तथापि, खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अनुमन्य ब्याज खातों में जमा किए जाने के सम्बन्ध में कोई प्रयास मार्च 2015 तक नहीं किया गया।

इस सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत, नौगढ़ ने बताया (अगस्त 2015) कि ब्याज का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में बैंक को मई 2015, जून 2015 तथा जुलाई 2015 में पत्र प्रेषित किये गये थे। बैंक ने अपना मन्तव्य खण्ड विकास अधिकारी को बताया (जुलाई 2015) कि खाता, बचत खाते के रूप में खोला गया था परन्तु मुख्यालय के निर्देश 23 जुलाई 2014 के क्रम में इसे चालू खाता योजना में परिवर्तित कर दिया गया। इसलिए खाते में ब्याज के संचयन प्रक्रिया को बन्द कर दिया गया था। बैंक का मन्तव्य स्वीकार्य नहीं था क्योंकि खाता धारक के लिखित अनुरोध के बिना खाता की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। खण्ड विकास अधिकारी का उत्तर भी स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि वर्ष 2012-14 तक खाता में अवशेषों का न तो अनुश्रवण किया गया न ही ब्याज को खाते में जमा कराये जाने का समय से प्रयास किया गया था। इसके अतिरिक्त, वह दिशानिर्देशों के अनुसार

¹ 20 जून 2012 को ₹ 1.44 करोड़, 25 जून 2012 ₹ 4.10 करोड़ को एवं 25 मार्च 2013 को ₹ 1.00 करोड़।

² काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक।

³ चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर आगणित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ब्याज दर पर)।

योजना निधि को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में जमा कराने एवं यथोचित सावधानी व देखभाल सुनिश्चित करने में विफल रहे।

3-2 jktLo gkfu

ftykf/kdkjh }kjk nqkuka ds fy, fu/kkFjr njka ds vuq kj fdjk, dk fu/kkFj.k u fd;s tkus l s ftyk iapk; r] l hrki g dks ₹ 30-61 yk[k dh jktLo gkfuA

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिसम्बर 1997 में जारी शासनादेश के प्राविधान के अनुसार अध्यक्ष, जिला पंचायत द्वारा जिला पंचायत के अधीन निर्मित दुकानों/काम्पलेक्सों का मासिक किराया, सार्वजनिक नीलामी पद्धति अपनाते हुए तथा यह सुनिश्चित किया जाना था कि नियत किराया, बाजार दर से कम न हो। शासनादेश के अनुसार बाजार दर जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर को माना गया। शासनादेश में आगे यह भी कहा गया है कि इस निर्धारित किराया दर की प्रति तीन वर्षों पर 25 प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिये। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के नियम 4 में प्रावधानित है कि जिलाधिकारी, जहाँ तक सम्भव हो अगस्त माह में प्रत्येक दो वर्ष पर, जिले के विभिन्न भागों में स्थित व्यावसायिक भवनों का प्रति वर्ग मीटर की दर से न्यूनतम मासिक किराया नियत करेंगे।

अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सीतापुर के लेखा-अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2013) तथा संकलित सूचनाओं (जनवरी व जून 2015) में पाया गया कि जिला पंचायत, सीतापुर द्वारा जिला सीतापुर के महमूदाबाद तहसील में स्थित 98 दुकानों हेतु वर्ष 2008-09 में नियमानुसार किराये का संशोधन तीन/पाँच वर्षों में सम्मिलित करते हुए तीन/पाँच वर्षों के विस्तार के प्रावधान सहित किराया अनुबन्ध निजी पार्टियों के साथ निष्पादित किया गया। जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा 2008-2015 की अवधि में तीन बार व्यावसायिक भवनों का न्यूनतम मासिक किराया जून 2008, जून 2010 तथा अगस्त 2013 में नियत किया गया। तथापि, जिला पंचायत द्वारा शासनादेश के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए दुकानों का किराया, जिलाधिकारी द्वारा नियत दर के अनुसार संशोधित नहीं किया गया तथा कम दर पर मासिक किराया की वसूली जारी रखी गयी जैसा कि नीचे वर्णित है:

लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि:

- जिला पंचायत, सीतापुर द्वारा जब वर्ष 2008-09 में किराया अनुबन्ध किया जा रहा था तो किराये की प्रारम्भिक धनराशि जिलाधिकारी द्वारा बाजार दर के समान निर्धारित नहीं की गयी थी जिसके फलस्वरूप 98 दुकानों के सापेक्ष ₹ 28,447 की राजस्व हानि हुयी $\frac{1}{2}$ 3-2
- वर्ष 2008-15 की अवधि में, किसी भी दुकान के सापेक्ष किरायादारों से प्रारम्भिक अनुबन्धित मासिक किराया दर में तीन वर्षों के पश्चात जैसा कि किराया अनुबन्ध/शासनादेश की शर्तों में प्रावधानित था, संशोधित नहीं किया गया जिससे जिला पंचायत, सीतापुर को पुनः ₹ 30.33 लाख की हानि हुई $\frac{1}{2}$ 3-3

इस प्रकार शासनादेश का अनुपालन न करने के कारण जिला पंचायत, सीतापुर को ₹ 30.61 लाख की राजस्व हानि हुई।

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर अपर मुख्य अधिकारी, सीतापुर ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2013) कि किराए का निर्धारण दुकानों की श्रेणी के आधार

पर किया गया था तथा जिलाधिकारी द्वारा किराये के निर्धारित दर के समान किराया निर्धारण हेतु कार्यवाही की जायेगी। अपर मुख्य अधिकारी ने आगे यह भी बताया (जून 2015) कि जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम किराया दर जिला पंचायतों पर बाध्यकारी नहीं है क्योंकि जिला पंचायत स्वायत्तशासी संस्था है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासन द्वारा जारी शासनादेश में अपेक्षित था कि समस्त जिला पंचायतों को यह सुनिश्चित करना था कि उनके द्वारा निर्धारित मासिक किराया दर, जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित बाजार दर से कम न हो।

3-3 0; ; kf/kD;

' kkl dh; vkn's kka dh vogsyuk dj mPp nj ij fufonk Lohdr fd; s tkus ds QyLo: lk ₹ 19-16 yk[k dk 0; ; kf/kD; A

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 के प्रस्तर 364 के अनुसार सामान्यतः निम्नतम निविदा स्वीकार की जानी चाहिए। शासनादेश (जून 2012) के अनुसार प्राक्कलित दर से निम्न दर पर की जाने वाली निविदा में एक अतिरिक्त सुरक्षा/निष्पादन गारंटी ली जानी चाहिए थी जिससे कि ठेकेदार/फर्म, कार्य को बीच में छोड़/बंद न कर सके।

जिला पंचायत, गाजीपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (नवम्बर 2014) में पाया गया कि तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत अल्पकालिक सूचना पर नमूना जाँच किये गये छः कार्यों के लिए आमंत्रित (जून, 2013) निविदाओं के सापेक्ष प्राक्कलित दर से 13 से 19 प्रतिशत कम दर पर प्राप्त की गयी थी (जुलाई 2013)। अग्रेतर, शासनादेश के अनुसार (दिसम्बर 2007) इस प्रकार के प्रकरणों में निविदा स्वीकृत करने वाले अधिकारी को यह अधिकार है कि वह निविदाकर्ता से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगे कि इतने कम दर पर वह कार्य कैसे पूरा करेगा और यदि यह निश्चित हो जाता है कि निविदाकर्ता ने जानबूझकर निम्न दर दिया है तो मेरिट के आधार पर अधिकारी द्वारा निविदा निरस्त की जा सकती है तथा इसे निरस्त करने के लिये आदेश जारी करेंगे जिसमें निविदा को निरस्त किये जाने के कारण दर्शाये जायेंगे। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ये निविदायें इस आधार पर निरस्त कर दी गयी थी कि निविदा दर प्राक्कलित दर से कम थी तथा कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती। तथापि, निविदा निरस्त करने के पूर्व निविदाकर्ता से न तो कोई स्पष्टीकरण मांगा गया न ही निम्नतम निविदाकर्ता को नियमानुसार अतिरिक्त सुरक्षा/निष्पादन गारंटी जमा करने हेतु अवसर ही दिया गया। जिससे कार्य न करने के प्रति जोखिम की अभिरक्षा प्राप्त हो सके। इस प्रकार, बिना निविदा प्रक्रिया का पालन किये निविदा निरस्त करना अनियमित था।

अग्रेतर, अपर मुख्य अधिकारी ने बताया (जुलाई 2015) कि निविदा दूसरी बार जुलाई 2013 में आमंत्रित की गयी थीं तथा अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दी गयीं थीं। इन कार्यों के लिए तीसरी बार (सितम्बर 2013) में निविदा या तो प्राक्कलित धनराशि पर या प्राक्कलित धनराशि से सात प्रतिशत निम्न दर पर स्वीकृति की गयी थी। समस्त छः कार्यों को तीसरी निविदा की दर पर पूर्ण किया गया था। इस प्रकार, नियमों के विरुद्ध मनमाने ढंग से प्रथम निविदा निरस्त किये जाने तथा बाद में अपर मुख्य अधिकारी, गाजीपुर द्वारा अधिक दर पर निविदा स्वीकृत किए जाने के फलस्वरूप ₹ 19.16 लाख का अधिक व्यय किया गया जैसा कि $\frac{1}{2} \text{ of } 3-4 \frac{1}{2}$ में वर्णित है।

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ने बताया (नवम्बर 2014) कि निविदाओं को कार्य की गुणवत्ता में कमी की आशंका के

आधार पर निरस्त किया गया था क्योंकि निविदा प्राक्कलित धनराशि से 19 प्रतिशत तक कम थी तथा यह स्वीकार किया कि अतिरिक्त सुरक्षा/निष्पादन गारण्टी नहीं ली गयी थी। अपर मुख्य अधिकारी ने पुनः बताया (अगस्त 2015) कि जिला पंचायत में कोई भी निविदा बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है तथा 19 प्रतिशत तक कम दर पर निविदा स्वीकृत करने पर कार्य की गुणवत्ता निश्चित रूप से प्रभावित होती। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निरस्त करने के पूर्व नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी थी।

इस प्रकार निविदा को अधिक दर पर स्वीकार करना तथा निम्न दर की निविदा को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना अस्वीकार करना, नियमों के विरुद्ध था तथा उस सीमा तक शासनादेश का उल्लंघन था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 19.16 लाख का अधिक व्यय हुआ।

3-4 vfu; fer 0; ;

vi f{kr vfHkys[kk ds l eFku ds fcuk ₹ 53-87 yk[k dk vkgj.k dj fuekZk dk; k l s l EcfU/kr Hkpxrkuk ij vfu; fer : lk l s 0; ; fd;k tkukA

ग्राम पंचायत (मैनुअल) में वित्त एवं लेखा प्रबंधन के लेखा मैनुअल अध्याय 5 के प्रस्तर 5 के अनुसार ₹ 2,000 से अधिक धनराशि के भुगतान को अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड VI के प्रस्तर 434, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार ₹ 50 से अधिक के निर्माण अथवा सामग्री आपूर्ति से सम्बन्धित भुगतान की प्रविष्टि माप पुस्तिका में अंकित की जानी चाहिये। अग्रेतर जारी शासनादेश जुलाई 2011 के अनुसार "उनके मानदेय के अतिरिक्त ग्राम-प्रधान को कोई भी भुगतान धारक चेक के माध्यम से नहीं किया जायेगा" पुनः शासनादेश के अनुसार ग्राम-निधि से नगद आहरण की सीमा ₹ 5000 तक सीमित की गयी है।

जिला मिर्जापुर के ब्लाक नारायणपुर के ग्राम पंचायत, अमदहा, पौनी तथा घाटमपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2015) एवं संकलित सूचनाओं (अगस्त 2015) में पाया गया कि 2011-15 की अवधि में ग्राम प्रधानों द्वारा शासनादेश व मैनुअल का उल्लंघन करते हुए कई बार ₹ 5,000 से अधिक का आहरण ग्राम निधि से कुओं का चबूतरा निर्माण तथा कुओं की सफाई, नाली निर्माण, खंडजा, सड़कों को जोड़ना, हैण्डपम्पा के मरम्मत तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यों हेतु कुल ₹ 53.87 लाख $\frac{3-5}{2}$ भुगतान करने हेतु आहरित किये गये थे। इसमें से ₹ 14.87 लाख $\frac{3-6}{2}$ आहरण फार्म (86 प्रकरण) के माध्यम से आहरित किया गया था और शेष धनराशि धारक चेक के माध्यम से आहरित की गयी थी। अग्रेतर, ऐसे आहरणों द्वारा भुगतान के समर्थन में ग्राम पंचायतों द्वारा स्टॉक बुक व माप-पुस्तिका जैसे आवश्यक अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था। इन अभिलेखों के अभाव में निष्पादित किये गये कार्यों की प्रमाणिकता तथा आहरण द्वारा किये गये भुगतान को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सकता था।

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अमदहा, पौनी और घाटमपुर ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी (सचिवों) ने बताया (अगस्त 2015) कि स्टॉक-बुक और माप-पुस्तिकाओं का रख-रखाव वर्ष 2015-16 से किया जा रहा है। ग्राम प्रधानों द्वारा ग्राम-निधि से ₹ 5,000 से अधिक के नगद आहरण/निकासी के सम्बन्ध में सचिवों ने बताया (अगस्त 2015) कि ₹ 5,000 से अधिक के नगद आहरण

अथवा भुगतान धारक चेक के माध्यम से वर्ष 2015-16 से नहीं किये जा रहे हैं। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम-निधि से आहरण के लिये सम्बन्धित मैनुअल व शासनादेश के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया तथा मैनुअल व वित्तीय हस्त-पुस्तिका में भुगतानों से सम्बन्धित निर्धारित आवश्यक अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था।

इस प्रकार, ग्राम प्रधानों द्वारा स्वीकार्य सीमा से अधिक धनराशि का आहरण, ग्राम-निधि से किये जाने के फलस्वरूप ₹ 53.87 लाख का आहरण अनियमित था। इसके अतिरिक्त, मौलिक समर्थित अभिलेखों के रख-रखाव नहीं किये जाने से भुगतान की सत्यता एवं शुद्धता लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी।

3-5 vf; fer 0; ;

jkt; foRr vk; kx ds vuunku | ECU/kh fn'kk&fun' kka dk ikyu u fd; s tkus ds dkj .k xke i pk; r] Njkr | fM; ky] toku] vyhx<+ ea nrdkuka ds fuekZk ij ₹ 23-21 yk[k dk vf; fer 0; ; A

तृतीय राज्य वित्त आयोग के अनुदान को सम्बन्धी ग्राम पंचायतों द्वारा उपभोग के सम्बन्ध में सितम्बर 2010 में जारी शासनादेश⁴ के अनुसार, अनुदान का उपभोग सामुदायिक सम्पत्ति के रख-रखाव जैसे पंचायत भवनों, विद्यालय भवनों, अन्य समुदायिक भवनों, सार्वजनिक सड़कें और अन्य सार्वजनिक सम्पत्तियों के रख-रखाव पर किया जाना था।

ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत, छेरात सुडियाल, खण्ड जवान, अलीगढ़ के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2015) में पाया गया कि वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की अवधि में 15 दुकानों⁵ के निर्माण सम्बन्धी ₹ 25.25 लाख की परियोजना, ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित की गयी थी। कुल 15 दुकानों⁶ का निर्माण स्वीकृत धनराशि ₹ 25.25 लाख के सापेक्ष राज्य वित्त आयोग के अनुदान से ₹ 23.21 लाख व्यय करके कराया गया था $\frac{11}{10} \frac{11}{10} \frac{11}{10} \frac{11}{10} \frac{11}{10}$ । दुकानों का निर्माण राज्य वित्त आयोग के अनुदान से कराया जाना शासनादेश का उल्लंघन था क्योंकि यह राज्य वित्त आयोग अनुदान के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं था।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर ग्राम पंचायत अधिकारी, अलीगढ़ ने बताया (अप्रैल 2015) कि दुकानों का निर्माण आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राज्य वित्त आयोग के अनुदान का उद्देश्य सार्वजनिक सम्पत्तियों के रख-रखाव हेतु था तथा ग्राम पंचायतों में दुकानों का निर्माण कर आय बढ़ाने हेतु राज्य वित्त आयोग अनुदान से अनुमन्य नहीं था। अग्रेतर, जिला पंचायत राज अधिकारी और निदेशक, पंचायती राज उत्तर प्रदेश के पत्र क्रमशः 25 जुलाई 2015 एवं 21 अगस्त 2015 द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि ग्राम पंचायतों में दुकानों के निर्माण पर व्यय राज्य वित्त आयोग के अनुदान से अनुमन्य नहीं था।

इस प्रकार, राज्य वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन न किये जाने के कारण ₹ 23.21 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

⁴ शासनादेश संख्या. 1719/33-3-2010-48/2007 दिनांक 01.09.2010।

⁵ छः दुकानों के निर्माण कार्य हेतु ₹ 9.50 लाख, आठ दुकानों के निर्माण हेतु ₹ 14 लाख की परियोजना तथा एक दुकान के निर्माण हेतु ₹ 1.75 लाख।

⁶ छः दुकानें वर्ष 2013-14 में ₹ 8,14,712 का व्यय; और नौ दुकानें वर्ष 2014-15 में ₹ 15,06,340 व्यय।

3-6 vfrØfer Hkife dks [kkyh u dj; k tkukA

mRrj ins'k {ks= iapk; r rFkk ftyk iapk; r vf/kfu; e} 1961 , oa mRrj ins'k ftyk iapk; r vkj {ks= iapk; r fu; ekoyh} 1965 ds iko/kkuka dk ftyk iapk; r] yfyri g }kjk ikyu u fd; s tkus ds QyLo: i ₹ 3-77 dj kM+ dh | Ei fRr dks vfrØe. k | s eDr u dj; k tkukA

उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (चालू एवं स्थायी परिसम्पत्ति) नियमावली, 1965 के नियम 5 के अनुसार जिला पंचायत को नियमित अंतराल पर कम से कम तीन वर्ष में एक बार जाँच अधिकारी द्वारा सम्पत्ति पंजिका की जाँच कर अभिलेखों की शुद्धता प्रमाणित की जानी चाहिये और यदि कोई प्रविष्टि गलत पाई जाती है तो जिला पंचायत को अग्रेतर कार्यवाही हेतु रिपोर्ट करना चाहिये। उत्तर प्रदेश पंचायत कानून (संशोधन) अधिनियम 1999 की धारा 107 के अनुसार कोई भी "जिला पंचायत के क्षेत्र की किसी भूमि पर अतिक्रमण करता है, वह अवश्य दण्डनीय है"। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 246 यह अधिकार प्रदान करती है कि जिला पंचायत द्वारा जारी नोटिस का किसी व्यक्ति के द्वारा अनुपालन नहीं करने पर उसके विरुद्ध दण्ड का प्रावधान है।

अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, ललितपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2014) एवं संकलित सूचना (मई 2015) में पाया गया कि वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु शासनादेश (दिसम्बर 1998) के अनुपालन में जिला पंचायत ने अपनी नजूल⁷ भूमि को फ्री-होल्ड कराने का निर्णय लिया (फरवरी 1999)। इसके पश्चात, जिला पंचायत ने 4,493.64 वर्ग मीटर नजूल भूमि⁸ को जिला पंचायत के पक्ष में फ्री-होल्ड करने हेतु ₹ 6.26 लाख कोषागार में जमा किये (दिसम्बर 1998 एवं मार्च 2000)⁹ जो जिला पंचायत के पक्ष (जुलाई 2000) में फ्री-होल्ड हो गया। तथापि, 4,493.64 वर्गमीटर भूमि में से 2,791.64 वर्ग मीटर भूमि मूल्य ₹ 3.77 करोड़¹⁰ पर अतिक्रमण रहा (मई 2015) *ii jff'k"V 3-8*। अग्रेतर, संवीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत के सम्पत्ति पंजिका का परीक्षण वर्ष 2015 तक नहीं किया गया था और न ही जिला पंचायत द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी। जिला पंचायत ने फरवरी 2000 में अतिक्रमण किये गये भूमि को खाली कराने हेतु सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिस जारी किया लेकिन अतिक्रमणकारियों द्वारा भूमि खाली नहीं की गई। जिला पंचायत द्वारा आगे नोटिस नहीं जारी किया गया। जिला पंचायत द्वारा अतिक्रमण की गयी भूमि को खाली कराने हेतु उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, 1961 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत कानून (संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रावधान में वर्णित शक्तियों का प्रयोग नहीं किया गया।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, ललितपुर ने बताया (जुलाई 2014) कि स्टाफ की कमी के कारण सम्पत्ति पंजिका का वर्ष 2001 के पश्चात परीक्षण नहीं किया जा सका और अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किया गया है। अपर मुख्य अधिकारी ने आगे बताया (सितम्बर 2015) कि भूमि के अतिक्रमण का प्रकरण समय-समय पर जिलाधिकारी, ललितपुर के संज्ञान में लाया गया

⁷ नजूल भूमि सरकार के स्वामित्व की भूमि है। स्थानीय निकायें उसके प्रबन्धन के लिये उत्तरदायी थे तथा पुनः कब्जे हेतु अधिकार शासन में निहित है।

⁸ ₹ 1,36,831 कोषागार चालान संख्या टी-3 दिनांक 31.12.1998 एवं ₹ 4,88,683 कोषागार चालान सं० टी-9 दिनांक 15.03.2000।

⁹ नजूल प्लॉट संख्या 3747 स्थित गुसयाना, ललितपुर

¹⁰ सम्प्रेक्षा में आगणित 2,791.52 वर्ग मी०@ ₹ 13,500.00 = ₹ 3,76,85,520.00

किन्तु भूमि खाली नहीं कराया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि अपर मुख्य अधिकारी के कर्तव्यों में भूमि व सम्पत्ति पंजिका के परीक्षण की जिम्मेदारी थी, जिसका निर्वहन विगत 14 वर्षों से नहीं किया गया था। अग्रेतर अतिक्रमण की गयी भूमि को खाली कराने हेतु अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा नियम एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये थे।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 और उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत नियमावली, 1965 के प्रावधानों का अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत द्वारा अनुपालन न किये जाने के कारण ₹ 3.77 करोड़ की भूमि पर अब तक अतिक्रमण रहा।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (मार्च से जून 2015) उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2015) था।

v/; k; 4

'kgjh LFkkuh; fudk; k dh dk; i z kkyh] tckngh r= , oa
foRrh; i frou ds i dj .kk ij fogkoykdu

4-1 iLrkouk

चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) में शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करने तथा उनको अधिक कार्य एवं निधियों का हस्तांतरण करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। परिणामस्वरूप, एक त्रिस्तरीय ढाँचे के अन्तर्गत नगर निगम⁴, नगर पालिका परिषद⁵ तथा नगर पंचायत⁶ को और अधिक विविधतापूर्ण जिम्मेदारियाँ सौंपी गयीं। 74वें संविधान संशोधन के उपबन्धों को शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश की विधायिका द्वारा 1994 में उत्तर प्रदेश शहरी स्वशासी कानून (संशोधन) अधिनियम, 1994 अधिनियमित किया गया।

तदन्तर, मौजूदा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 को संशोधित कर राज्य सरकार को राज्य में अन्तिम पायदान तक निधि, कार्य एवं पदाधिकारियों को देने हेतु सक्षम बनाया गया। इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उसके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना था।

4-1-1 jkT; dk ifjn";

उत्तर प्रदेश, देश का पाँचवा सबसे बड़ा प्रदेश है जो लगभग 2.41 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राज्य में 634 शहरी स्थानीय निकाय हैं जो कि सामान्यतः पांच वर्ष की अवधि के लिए चुने गये सदस्यों की निर्वाचित परिषद द्वारा शासित होती हैं। इन शहरी स्थानीय निकायों का अन्तिम निर्वाचन वर्ष 2012 में हुआ था। राष्ट्रीय मूल्य के सापेक्ष शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा I kj .kh 1 में दी गयी है।

I kj .kh 1: jkT; ds egRoi w k/ vkqdM+

ØØ I Ø	Lkdnd	bdkbz	jkT; eM;	jk"Vh; eM;
1	शहरी जनसंख्या	प्रतिशत	22.28	31.16
2	शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	संख्या	634	3,842
3	नगर निगमों की संख्या	संख्या	14	139
4	नगर पालिका परिषदों की संख्या	संख्या	194	1,595
5	नगर पंचायतों की संख्या	संख्या	426	2,108
6	लिंग अनुपात (शहरी)	1000 पुरुषों के सापेक्ष महिलाएं	894	929
7	साक्षरता (शहरी)	प्रतिशत	75.14	84.98

(स्रोत: जनगणना प्रतिवेदन 2011 तथा तेरहवाँ वित्त आयोग प्रतिवेदन)

⁴ वृहद शहरी क्षेत्र को निरूपित करता है।


⁵ मध्य शहरी क्षेत्र को निरूपित करता है।

⁶ संकमणीय क्षेत्र को निरूपित करता है।

4-2 'kgjh LFkkuh; fudk; ka dk l xBukRed <kpk

राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के सरकारी एवं निर्वाचित प्रतिनिधि स्तर तक का रेखीय चित्र का विवरण पकV 1 में दर्शाया गया है।

PkkV 1% 'kgjh LFkkuh; fudk; ka dk l xBukRed <kpk



(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

नगर निगम में जहाँ महापौर अध्यक्ष होता है, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों की अध्यक्षता सभापति करता है। निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रयोग निर्वाचित सदस्यों की समिति के माध्यम से करते हैं। नगर निगमों में नगर आयुक्त तथा नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, जो कार्यों के क्रियान्वयन एवं निधियों के उपयोग के लिए उत्तरदायी होते हैं। शासन स्तर पर, प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग के सम्पूर्ण नियंत्रण में निदेशक, स्थानीय निकाय सम्बन्धित निकायों का प्रमुख होता है।

4-3 'kgjh LFkkuh; fudk; ka dh dk; i z kkyh

संविधान का अनुच्छेद 243 डब्ल्यू शक्तियों, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्वों का उल्लेख करता है कि राज्य की विधायिका नगर निकायों को स्वशासित संस्थानों के रूप में कार्य करने हेतु अनुमोदित कर सकती है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का अनुसरण करते हुए राज्य विधायिका ने (मार्च 1996) शहरी स्थानीय निकायों को 18 कार्य सौंपने के लिए कानून लागू किया जैसा कि *ifff'k"V 4-1* में वर्णित है।

राज्य सरकार ने (मार्च 1996) विनिर्दिष्ट किया कि शहरी स्थानीय निकायों के कार्य विभिन्न अभिकरणों द्वारा निष्पादित किये जायेंगे। 74वें संशोधन में सूचीबद्ध शहरी स्थानीय निकायों के कार्य जो कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा क्रमशः 7 एवं 114 में शामिल है विकास प्राधिकरणों, क्षेत्रीय जल संस्थानों, विनियमित क्षेत्र प्राधिकरणों एवं सम्बन्धित शासकीय विभागों द्वारा निष्पादित किये जा रहे थे।

उक्त शासनादेश के अनुसार विशेष रूप शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर 18 में से आठ कार्य पूर्णतः निष्पादित किये जायेंगे (1999-2000), पाँच कार्य राज्य सरकार के विभाग/संस्था द्वारा निष्पादित किया जाता रहेगा (1999-2000) एवं पाँच कार्य शहरी स्थानीय निकाय एवं अन्य सरकारी संस्था के बीच साझेदारी से निष्पादन किया जाएगा (1999-2000)। तथापि, संविधान में उल्लिखित सभी 18 कार्यों को सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित नहीं किया गया।

इस प्रकार आंशिक रूप से निधि, कार्यों एवं पदाधिकारियों का हस्तान्तरण शहरी स्थानीय निकायों के क्रियाकलापों को बाधित करता है एवं संविधान में उल्लिखित गरीबी उन्मूलन, आर्थिक नियोजन एवं सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम में निकायों के सक्रिय सहभागिता को प्रभावित करता है।

4-4 फोहकुल | फेर; कडक xBu

4-4-1 'kgjh LFkkh; fudk; कडक LFkk; h | फेर; कडक

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 88 से 105 एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 104 से 112 के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के कार्यों को सम्पादित करने हेतु स्थायी समितियों के गठन की आवश्यकता थी। किन्तु निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में स्थायी समितियों के गठन तथा उनके क्रियान्वयन सम्बन्धी कोई सूचना, मांगे जाने पर भी प्रदान नहीं की गई (दिसम्बर 2015)।

4-4-2 ftyk ; kstuk | फेर; कडक

भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 243 जेड डी प्राधिकृत करता है कि "प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर, जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का समेकन करने और सम्पूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने हेतु एक जिला योजना समिति का गठन किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश शासन ने उक्त संशोधन के अनुपालन में उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 (जुलाई 1999) पारित किया। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक जिले में जिला विकास योजना तैयार करने हेतु एक जिला योजना समिति का गठन किया जायेगा। समिति के सुझाव के अनुसार खण्ड एवं उप खण्ड हेतु निधियों का निर्धारण शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जिला विकास योजना की रूपरेखा के अनुसार किया जायेगा।

निदेशक स्थानीय निकाय, लखनऊ ने बताया कि जिला योजना समितियाँ गठित एवं क्रियाशील थी।

4-5 ys[kki jh{k 0; oLFkk

4-5-1 i kFkfed ys[kki jh{k d

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि, लेखापरीक्षा अधिनियम 1984 के उपबन्धों के अनुसार निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा हेतु प्राथमिक लेखापरीक्षक है। निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में 13 से 20 प्रतिशत इकाईयों की लेखापरीक्षा नहीं की गयी।

निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा द्वारा बकायों की वर्षवार स्थिति। 1.1.2 में दी गई है।

1.1.2 2% बकायों का धारा 8(3) के अनुसार निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा द्वारा

क्र.सं.	वर्ष	बकायों का धारा 8(3) के अनुसार		निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा द्वारा	
		प्रतिवेदन	प्रतिवेदन	प्रतिवेदन	प्रतिवेदन
1	2010-11	624	542	82	13
2	2011-12	625	529	96	15
3	2012-13	628	510	118	18
4	2013-14	628	500	128	20
5	2014-15	630	545	85	13

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा, लखनऊ)

अधिनियम की धारा 8 (3) के अनुसार निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा, लेखाओं पर एक समेकित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करके प्रत्येक वर्ष राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने हेतु सरकार को प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना है। यद्यपि, ये प्रतिवेदन केवल 2009-10 तक के ही प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2011-12 से 2014-15 का प्रतिवेदन को अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया था। निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा ने उत्तर में बताया कि राज्य सरकार द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणी पर चर्चा करने हेतु स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अनुपालन समिति का गठन किया गया है एवं 1999-2000 से 2009-2010 तक के प्रतिवेदन पर चर्चा की जा रही है। यद्यपि, उत्तर में निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2011-15 तक जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत किया जाना था के अप्रस्तुतिकरण का कारण स्पष्ट नहीं था।

4-5-2 निरीक्षण के लिए निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा द्वारा


ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्थानीय निकायों के लेखाओं के समुचित रख-रखाव हेतु तकनीकी दिशा-निर्देशन एवं सहायता की व्यवस्था की गयी एवं उनकी लेखापरीक्षा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किये जाने के साथ ही राज्य विधान मण्डल एवं लोक लेखा समिति की तरह गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत की जानी थी। तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2001 में भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक को तकनीकी दिशा-निर्देशन एवं सहायता का कार्य सौंपा। इसके पश्चात, 12वें वित्त आयोग द्वारा भी यह बात दोहराई गयी। वर्तमान में 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर तकनीकी दिशा-निर्देशन एवं सहायता का कार्य राज्य में जारी है। अतिरिक्त घटक निष्पादन अनुदान को देने के लिए यह शर्त जुड़ी थी कि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के स्थानीय निकायों के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को विधान मण्डल में प्रस्तुत किया जाएगा। भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र शर्तों के अनुपालन को प्रदर्शित करता है। यद्यपि, पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया गया, जबकि शहरी स्थानीय निकायों के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया। सौंपे गए पत्र 2011 के अनुसार, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक या उनके प्रतिनिधि को अपने विवेक के आधार पर लेखापरीक्षा परिणाम को राज्य विधान मण्डल को रिपोर्ट करने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कार्य-क्षेत्र, प्रकार एवं सीमा का निश्चय लेखापरीक्षा आयोजन हेतु किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिदेश निम्नानुसार हैं:

(i) शहरी स्थानीय निकाय के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 20(i) के अन्तर्गत की जाती है। स्थानीय निधि लेखापरीक्षक/निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षक को शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए तकनीकी दिशा-निर्देशन एवं सहायता नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(i) के अन्तर्गत दिया जाता है।

(ii) लेखापरीक्षा परिणाम/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अनुसरण एवं अनुपालन की कार्यवाही हेतु राज्य सरकार, निदेशक, स्थानीय निकाय एवं निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षक को प्रेषित किया जाता है।

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा की कार्य प्रणाली को pKVI 2 में प्रदर्शित किया गया है।

pKVI 2% 'kgjh LFkkuh; fudk; k dh ys[kki jh{kk dh dk; l i z.kkyh



मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष तक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन शासन को प्रेषित किया गया जो बार-बार शासन को अनुस्मारक⁴ देने के उपरान्त भी न ही विधान मण्डल के समक्ष रखा गया और न ही चर्चा हेतु समिति का गठन किया गया। यह इंगित करता है कि शासन लेखापरीक्षा के प्रति अनुक्रियाशील नहीं था।

4-6 ys[kki jh{kk fu"d"kk dh vufØ; k

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा 2013-15 की अवधि में शहरी स्थानीय निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा की योजना एवं लेखापरीक्षित इकाईयों की श्रेणी I kj.kh 3 में प्रदर्शित की गयी है।

⁴ दिनांक 13.11.14, 28.11.14, 07.04.15, 05.05.15, 20.05.15, 16.07.15, 11.08.15, 04.09.15 एवं 16.11.15।

I kj .kh 3: 'kgjh LFkkuh; fudk; ka dh ys[kki jh{kk

'kgjh LFkkuh; fudk; ka dh Js kh	2013&14		2014&15	
	ys[kki jh{kk grq bdkbz; ka dh ;kst uk	ys[kki jh{kr bdkbz; k;	ys[kki jh{kk grq bdkbz; ka dh ;kst uk	ys[kki jh{kr bdkbz; k;
नगर निगम	11	10	10	10
नगर पालिका परिषद	64	62	34	34
नगर पंचायत	60	56	70	80

(स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद का लेखापरीक्षा आयोजना)

उपरोक्त के आधार पर यह पाया गया कि लेखापरीक्षा योजना के अनुसार सभी इकाईयों की लेखापरीक्षा की गयी। वर्ष 2013-14 में 756 (मूल्य ₹ 4,107.19 करोड़) एवं 2014-15 में 730 (मूल्य ₹ 2,701.09 करोड़) लेखापरीक्षा टिप्पणियों को शहरी स्थानीय निकायों के कार्यालयाध्यक्षों एवं निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा को प्रेषित किया गया था, किन्तु, मार्च 2015 तक कोई भी लेखापरीक्षा टिप्पणी निस्तारित नहीं की गयी थी।

tckngh r= , oa foRrh; i fronu ds i dj .k

tckngh r=

4-7 I Ei fRr dj i fj "kn-

समुचित सम्पत्ति कर आरोपित करने और वसूली से संबन्धित विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए सम्पत्ति कर परिषद् गठित किया गया था। यद्यपि, नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि सम्पत्ति कर परिषद् का गठन मार्च 2011 में किया गया था, लेकिन यह निष्प्रभावी बना रहा क्योंकि सम्पत्ति कर परिषद् का मूल उद्देश्य कर आरोपित करना और सम्पत्ति कर की वसूली करना था जो नहीं किया जा सका। निष्कर्ष का पूर्ण विवरण निष्पादन लेखापरीक्षा "तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का शहरी स्थानीय निकायों में उपभोग" के अध्याय 5 के प्रस्तर 5.6.4 में दिया गया है।

4-8 I ok Lrj ekud

तेरहवें वित्त आयोग के दिशा-निर्देश के प्रस्तर 6.4.10 के अनुसार राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के अन्त तक राज्य में सभी नगरपालिकाओं एवं नगर निगमों द्वारा प्रस्तावित चार क्षेत्रों के प्रत्येक पहलुओं को उसके द्वारा पूर्ण करने हेतु विशेष रूप से न्यूनतम स्तर की सेवा प्रदान करने के लिए अधिसूचित करेगा। जबकि, अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायत के लिए सेवा के लिये निर्धारित न्यूनतम स्तर अधिसूचित नहीं किया था। निष्कर्ष का पूर्ण विवरण निष्पादन लेखापरीक्षा "तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का शहरी स्थानीय निकायों में उपभोग" के अध्याय 5 के प्रस्तर 5.7.3 में दिया गया है।

4-9 v kx I s [krjs dh i frfØ; k

एक लाख से अधिक आबादी (2001 की जनगणना) के सभी नगर निगमों के क्षेत्राधिकार में आग से खतरा एवं प्रतिक्रिया एवं शमन योजना स्थापित करना था, जबकि नगर निगम लखनऊ के नमूना जाँच के अनुसार उपरोक्त योजना की सम्बन्धित अधिसूचना और निधि की उपलब्धता के उपरान्त भी, संचालित नहीं किया जा सका। निष्कर्ष का


पूर्ण विवरण निष्पादन लेखापरीक्षा “तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का शहरी स्थानीय निकायों में उपभोग” के अध्याय 5 के प्रस्तर 5.6.4 में दिया गया है।

4-10 foRrh; i froun ds i xj .k

4-10-1 fuf/k; kdk l ks

अनुरक्षण एवं विकास के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकायों के आधार संसाधन, निजी प्राप्तियाँ, राज्य वित्त आयोग अनुदान, केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान, राज्य सरकार अनुदान एवं केन्द्र पुरोनिधानित योजना से प्राप्त होते हैं। प्रत्येक स्तर पर निधिवार स्रोत तथा इसकी अभिरक्षा नीचे pkVI 3 में दिया गया है:

pkVI 3% LFkkuh; fudk; es fuf/k; kdk i xkg



(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

4-10-2 jktLo i xkg

बारहवें वित्त आयोग के गठन के साथ शहरी स्थानीय निकायों को पहली बार वित्त आयोग के क्षेत्राधिकार में लाया गया। इसका उद्देश्य राज्य सरकार की संचित निधि में वृद्धि कर शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों की पूर्ति करना था। तदनुसार, बारहवें एवं तेरहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकारों के लिए अनुदान अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की। राज्य सरकार को भी अपने राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों को अवमुक्त करना था। कुल मिलाकर शहरी स्थानीय निकायों के लिए राजस्व के स्रोत निम्नलिखित हैं:

- बारहवें/तेरहवें वित्त आयोग द्वारा सौंपे गये अनुदान;
- केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत प्राप्त निधि;
- तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार के कुल कर राजस्व प्राप्तियों के शुद्ध आगम का 7.5 प्रतिशत अंश दिया जाना;
- शहरी स्थानीय निकायों को स्थानान्तरित कार्यों हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा निधियों का हस्तान्तरण; और
- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने निजी स्रोतों से प्राप्त राजस्व जैसे—कर, किराया, शुल्क आदि।

शहरी स्थानीय निकायों के 2010-15 की अवधि में प्राप्ति एवं व्यय की स्थिति | kj.kh 4 में दी गयी है।

| kj.kh 4: o"l 2010&15 dh vof/k ea 'kgjh LFkkuh; fudk; ka dh i kflr , oa 0; ;

₹ dj km+ ea

क्र.सं.	वर्ष	ज.स.प. के अंतर्गत										
		कुल				राजस्व			अन्य			
		प्राप्ति	व्यय	अनुवर्ती	अनुवर्ती	कुल	अनुवर्ती	अनुवर्ती	कुल	अनुवर्ती	अनुवर्ती	
1.	2010-11	507.39	78.67	350.34	936.40	274.92	2,730.74	962.98	4,905.04	3,359.90	1,893.87	5,253.77
2.	2011-12	647.16	68.88	373.15	1,089.19	517.51	3,354.37	1,539.28	6,500.35	4,207.63	2,457.61	6,665.24
3.	2012-13*	776.60	82.66	447.76	1,307.02	756.49	3,993.98	1,355.34	7,412.83	5,049.15	2,949.13	7,998.28
4.	2013-14	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1,269.11	760.01	6,160.69	1,107.75	9,297.56	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
5.	2014-15	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	821.98	6,948.17	299.10	8,069.25	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

*(अनुमानित + वास्तविक)

₹ निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ द्वारा 2013-14 के आंशिक आंकड़े ही उपलब्ध कराये गये।

(अनुपलब्ध: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ द्वारा आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये)

| kj.kh 4 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2010-13 की अवधि में प्राप्तियों की तुलना में व्यय अधिक हुआ है। इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ द्वारा सूचित किया गया कि पूर्व वर्षों की अवशेष निधियों को अनुवर्ती वर्षों में व्यय किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सभी वर्षों (2010-13) में सम्पूर्ण व्यय उन वर्षों की कुल प्राप्तियों से अधिक था इसीलिए कोई राजस्व अधिशेष नहीं था। यह गत वर्ष की वास्तविक धनराशि का उपभोग एवं प्रत्येक वर्ष के अन्त में अवशेष धनराशि के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान नहीं करता है। यह 2013-14 एवं 2014-15 के प्राप्ति एवं व्यय विवरण प्रस्तुत न करने के कारण की भी व्याख्या नहीं करता।

4-10-3 'kgjh LFkkuh; fudk; ka dks ctV dk i ko/kku , oa voeDr fd; k tkuk

राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों को बजट प्रावधान के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त की गई निधियों की स्थिति नीचे | kj.kh 5 में दिया गया है।

| kj.kh 5: jkT; ctV l s jkT; foRr vk; ks dks fuf/k; ka dk i ko/kku

₹ dj km+ ea

क्र.सं.	वर्ष	कुल		राजस्व		अन्य		अनुवर्ती
		प्राप्ति	व्यय	कुल	अनुवर्ती	कुल	अनुवर्ती	
1.	2010-11	2,565.68	2,514.37	45.15	45.15	2,610.83	2,559.52	(-) 51.31
2.	2011-12	2,790.00	2,758.76	326.13	326.13	3,116.13	3,084.89	(-) 31.24
3.	2012-13	3,373.65	3,303.91	393.66	393.66	3,767.31	3,697.57	(-) 69.74
4.	2013-14	4,875.00	4,808.61	1,001.04	1,001.04	5,876.04	5,809.65	(-) 66.39
5.	2014-15	5,775.00	5,677.87	873.17	873.17	6,648.17	6,554.04	(-) 97.13

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

Lkkj.kh 5 से स्पष्ट है कि 2010–15 की अवधि में बजट प्रावधान के सापेक्ष राज्य वित्त आयोग की धनराशि कम अवमुक्त की गयी थी। इसका कारण यह था कि सामान्य बजट प्रावधान में दो प्रतिशत प्रोत्साहन निधि एवं एक प्रतिशत मलिन निधि का शामिल होना जिसे केवल उन्हीं शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त किया गया जो अपने संसाधनों को बढ़ाने में समर्थ हो सके और उनकी मलिन आबादी 15 प्रतिशत से अधिक थी।

4-10-4 d\lnt; foRr vk; ksx dh vuqk k, j

वर्ष 2010–15 की अवधि में शहरी स्थानीय निकायों को केन्द्रीय वित्त आयोग निधि के आवंटन एवं अवमुक्त की गई धनराशि की स्थिति l kj.kh 6 में दर्शायी गयी है।

l kj.kh 6: d\lnt; foRr vk; ksx fuf/k dk vko\mu

₹ dj km+ e\

Ø l 0	foRrh; o"z	l kekU; cfu; knh vunku		l kekU; fu"i knu vunku		; ksx		dy Lohdr l s de %&%@vf/kd %\$%
		Lohdr	voeDr	Lohdr	voeDr	Lohdr	voeDr	
1.	2010–11	274.92	274.92	—	—	274.92	274.92	
2.	2011–12	318.83	344.60	109.02	172.91	427.85	517.51	(+) 89.66
3.	2012–13	372.61	391.47	255.72	365.01	628.33	756.48	(+) 128.15
4.	2013–14	441.50	451.62	301.63	308.39	743.13	760.01	(+) 16.88
5.	2014–15	451.55	493.63	292.92	328.35	744.47	821.98	(+) 77.51

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

l kj.kh 6 से स्पष्ट है कि शहरी स्थानीय निकायों को केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा 2011–15 की अवधि में स्वीकृत निधियों से अधिक निधि अवमुक्त करने का कारण अतिरिक्त आधिक्य अनुदान की प्राप्ति हुयी थी। इस सम्बन्ध में, निदेशक, स्थानीय निकाय ने कहा कि इसका कारण केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा निष्पादन न करने वाले राज्यों के अनुदान को निष्पादन करने वाले राज्यों को दिया जाना था जो तेरहवें वित्त आयोग की नौ शर्तों को पूर्ण करेंगे, पूर्ण विवरण निष्पादन लेखापरीक्षा "तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का शहरी स्थानीय निकायों में उपभोग"के अध्याय 5 के संबन्धित प्रस्तर में दिया गया है।

4-10-5 i æq[k d\lnt; i j kfu/kkfur ; kstuk ds v\lrxr fd; s x; s 0; ;

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन शहरी स्थानीय निकायों में क्रियान्वित की जा रही प्रमुख केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना है। भारत सरकार ने दिसम्बर 2005 में प्रमुख शहरों में सुधार एवं तीव्रगामी प्रोत्साहन के उद्देश्य से जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन की शुरुआत, शहरी आधारभूत ढाँचा तथा सेवा वितरण तंत्र, सामुदायिक सहभागिता एवं शहरी स्थानीय निकायों की जबाबदेही की दक्षता पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर, किया था। निदेशक, स्थानीय निकाय/राज्य नोडल एजेन्सी जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन योजना के अनुश्रवण के लिए जिम्मेदार था। इस योजना के अन्तर्गत 2010–15 की अवधि में शहरी स्थानीय निकायों में किये गये व्यय को l kj.kh 7 में दिया गया है।

चित्र 7: शहरी स्थानीय निकायों की धनराशि का विवरण (₹ करोड़ में)

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
धनराशि	866.50	1,512.43	1,279.38	1,107.75	299.10
अवधि	866.50	1,512.43	1,279.38	1,107.75	299.10
कुल	5,065.16	5,065.16	5,065.16	5,065.16	5,065.16


(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

चित्र 7 से स्पष्ट है कि 2010-15 की अवधि में शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित धनराशि पूरी उपभोग कर ली गयी थी। निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ द्वारा सूचित किया गया कि शहरी स्थानीय निकायों को अवमुक्त की गई धनराशि को अन्तिम व्यय माना जाये। छ: नगर निगम एवं एक नगर पालिका परिषद् के लेखापरीक्षा की नमूना जाँच में संज्ञान में आया कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन योजना की धनराशि ₹ 1,059 करोड़ सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकायों के पास अप्रयुक्त पड़ी हुई थी, यह राज्य सरकार के त्रुटिपूर्ण सूचना तन्त्र एवं वित्तीय नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

4-10-6 शहरी स्थानीय निकायों की धनराशि का विवरण (₹ करोड़ में)

शहरी स्थानीय निकायों को स्थापना एवं अनुवर्ती व्यय के लिए अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्षेत्रीय निवासियों से कर, किराया व शुल्क आदि के संग्रहण द्वारा राजस्व का सृजन करना था। शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2013-15 की अवधि में शासन द्वारा निर्धारित राजस्व वसूली लक्ष्य तथा उसके सापेक्ष उपलब्धि की स्थिति चित्र 4 एवं चित्र 4-5 में दिया गया है।

चित्र 4: शहरी स्थानीय निकायों की धनराशि का विवरण (₹ करोड़ में)




(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

पृष्ठ 4 से स्पष्ट है कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को 2013-15 की अवधि में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका। निदेशक, स्थानीय निकाय ने उत्तर में बताया कि (नवम्बर 2015) शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व की वसूली नहीं की जा सकी। अतः शासन द्वारा राजस्व हेतु निर्धारित लक्ष्य को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त न कर पाने के परिणामस्वरूप शासन के अनुदान पर अत्यधिक निर्भरता रही।

4-10-7 शहरी स्थानीय निकायों के निधि हस्तांतरण का तुलनात्मक विश्लेषण

तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसानुसार राज्य सरकार के कर राजस्व के निवल उत्पाद का 7.5 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों को अन्तरित किया जाना चाहिए था। वर्ष 2010-15 की अवधि में हस्तान्तरित निधि पृष्ठ 5 एवं पृष्ठ 4-6 में दर्शाया गया है।

पृष्ठ 5: शहरी स्थानीय निकायों के निधि हस्तांतरण का तुलनात्मक विश्लेषण (₹ करोड़ में)



(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

पृष्ठ 5 से स्पष्ट है कि क्रमशः 2013-14 एवं 2014-15 में हस्तांतरण हेतु आवश्यक निधियों की तुलना में राज्य वित्त आयोग के अनुदान का अन्तरण 32 से 141 प्रतिशत अधिक हुआ। राज्य वित्त आयोग के अनुदान के हस्तांतरण में काफी बढ़ोत्तरी हुई, 2010-11 में ₹ 2,560 करोड़ से 2014-15 में ₹ 6,554 करोड़, पाँच वर्ष में 156 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

राज्य एवं केन्द्रीय योजनान्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों को निधियों के हस्तांतरण के वृद्धि को देखते हुए यह आवश्यक था कि राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा त्वरित सुधारात्मक कदम उठाकर उक्त कमियों को दूर कर शहरी स्थानीय निकायों को धनराशि का हस्तांतरण सुनिश्चित करना एवं उनके अपने निजी धनराशि को नियमानुसार विवेकपूर्ण ढंग से व्यय एवं उसका समुचित लेखांकन किया जाये।

4-10-8 'kgjh LFkkuh; fudk; ka ds foRr ij MSVksd ,oa ik: ika dk j [k&j [kko

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए उपार्जन आधार पर बजट एवं लेखांकन पद्धति के प्रारूप निर्धारित किये गये थे, जिसकी स्वीकृति के लिए शहरी विकास मन्त्रालय द्वारा राज्य सरकार को परिपत्र (जून 2003) जारी किया गया। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने इसे शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय वर्ष 2009-10 से लागू करने के लिए एक आदेश (जून 2008) जारी किया।

निदेशक, स्थानीय निकाय लखनऊ द्वारा बताया गया (नवम्बर 2015) कि शहरी स्थानीय निकाय में नगर पालिका लेखांकन मैनुअल 2012 द्वारा दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली लागू करने के लिए तैयार किया गया। निदेशक द्वारा पुनः बताया गया कि 635 शहरी स्थानीय निकायों में उपार्जन आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली के प्रचालन की अग्रिम अवस्था में है। जबकि 2015 में सम्पादित निष्पादन लेखापरीक्षा "तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का शहरी स्थानीय निकायों में उपभोग" सम्पादित किया गया था जिसमें 51 नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के नमूना जाँच में पाया गया कि दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली द्वारा लेखा का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था। अतः शहरी निकायों में उपार्जन आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली व्यवहार में नहीं थी।

4-11 ekuo l d k/ku dh mi yC/krk

योजना, कार्यक्रम एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु पर्याप्त मानव संसाधन एक आवश्यक प्रमुख तत्व है। शहरी स्थानीय निकायों में स्वीकृत कर्मचारियों/स्टाफ की संख्या के सापेक्ष कार्यरत कर्मचारी की स्थिति I kj .kh 8 में दिया गया है।

I kj .kh 8: ekuo l d k/ku dh mi yC/krk

depkfj ; ka dh l a[; k %31-03-2014 dk%						
'kgjh LFkkuh; fudk; dh Js kh	uxj fuxe	uxj i kfydk i fj "kn	uxj i pk; r	; kx		
केन्द्रीयकृत	स्वीकृत	1,949	1,140	427	3,516	
	कार्यरत	1,404	619	204	2,227	
अकेन्द्रीयकृत	स्वीकृत	17,198	12,400	3,143	32,741	
	कार्यरत	नियमित	11,474	10,505	2,812	24,791
		अनियमित	746	939	401	2,086
	; kx		12]220	11]144	3]213	26]877
सफाई कर्मचारी	स्वीकृत	27,541	18,743	4,836	51,120	
	कार्यरत	नियमित	18,616	14,646	4,080	37,342
		अनियमित	10,896	13,883	7,446	32,225
; kx		29]512	28]529	11]526	69]567	
dy depkj h	Lohdr	46]688	32]283	8]406	87]377	
	dk; j r	43]136	40]592	14]943	98]671	

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

⁷ 31 मार्च 2015 तक की श्रेणीवार स्थिति, निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया था।

Lkkj.kh 8 से स्पष्ट है कि केन्द्रीयकृत श्रेणी में 3,516 स्वीकृत कर्मचारियों के सापेक्ष 2,227 (37 प्रतिशत कमी) एवं अकेन्द्रीयकृत श्रेणी में 32,744 स्वीकृत कर्मचारियों के सापेक्ष 24,791 (23 प्रतिशत कमी) कर्मचारी कार्यरत थे। अकेन्द्रीयकृत श्रेणी में कमी को 2,086 अनियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करके कुछ सीमा तक कम किया गया। सफाई कर्मचारियों की श्रेणी में 51,120 स्वीकृत के सापेक्ष 37,342 (27 प्रतिशत कमी) कर्मचारी कार्यरत थे। 13,778 नियमित सफाई कर्मचारियों की कमी के सापेक्ष 32,225 अनियमित सफाई कर्मचारी अधिक कार्यरत थे। इस प्रकार 18,447 सफाई कर्मचारी अधिक लगाए गए थे। अधिक सफाई कर्मचारी लगाए जाने का कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।

4-11-1 if'k{k.k

छः सौ तीस शहरी स्थानीय निकायों में 1,09,629 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत थे तथा 630 महापौर/अध्यक्ष एवं 11,290 निर्वाचित सभासद/सदस्य शहरी स्थानीय निकायों के परिषद में होते हैं। 74वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में शहरी विकास केन्द्र को सशक्त बनाने के लिए एक प्रशिक्षण प्रारूप तैयार करने की आवश्यकता है जिसमें नगर पालिका पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियाँ निर्दिष्ट हो। निदेशक, स्थानीय निकाय ने कर्मचारियों की दक्षता में सुधार लाने हेतु एक एकेडमी स्थापित करने का प्रस्ताव दिया (अगस्त 2013)। अग्रेतर, निदेशक, स्थानीय निकाय ने बताया (नवम्बर 2015) कि उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों के प्रबन्धन एवं मानव संसाधन विकास के लिए बुनियादी एवं संस्थागत ढाँचा की कमी है। किन्तु, प्रशिक्षण के लिये प्रस्तावित एकेडमी नवम्बर 2015 तक स्थापित नहीं की गयी थी। इस प्रकार, कर्मचारियों के कार्यदक्षता में वृद्धि का प्रयास न करने के कारण शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकलाप पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था।

4-12 fu"d"kl

- तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखना तथा इसके चर्चा के लिए एक समिति का गठन किया जाना अनिवार्य किया गया था। राज्य सरकार द्वारा अभी तक इसका अनुसरण नहीं किया गया है।

¶iLrj 4-5-2¶

- गत वर्षों के अधिक संख्या में लेखापरीक्षा प्रस्तारों का अनुपालन आख्या राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजे जाने के परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा प्रस्तारों का निस्तारण नहीं किया जा सका।

¶iLrj 4-6¶

- शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा राजस्व की प्राप्ति के लिए शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किए जा पाने के फलस्वरूप शासकीय अनुदान पर अधिक निर्भरता रही।

¶iLrj 4-10-6¶

प्रकरण में शासन को संदर्भित किया गया दिसम्बर 2015; उत्तर प्रतीक्षित (जनवरी 2016) है।

v/; k; 5
शकगjh LFkkuh; fudk; k; e; rj go; foRr vk; kx ds vu;pkuk; ds mi Hkksx i j
fu"i knu ys[kki jh{kk

dk; ;dkjh | kj k; k

कर संग्रहण एवं सहायता अनुदान के माध्यम से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा 13वें वित्त आयोग का गठन (नवम्बर 2007) किया गया था। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों हेतु अनुशंसित किए गए अनुदानों की अवमुक्ति एवं उपभोग हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गए (सितम्बर 2010) थे। अनुदान के दो भाग थे, सामान्य बुनियादी अनुदान एवं सामान्य निष्पादन अनुदान। शहरी स्थानीय निकायों हेतु 2010-15 की अवधि में उत्तर प्रदेश राज्य को सामान्य बुनियादी अनुदान एवं सामान्य निष्पादन अनुदान में हिस्सेदारी, समस्त राज्यों को दी जाने वाली कुल अनुदान राशि के 3.427 प्रतिशत निश्चित की गयी थी। विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में आवंटन का निर्धारण सम्बन्धित प्रदेश द्वारा किया जाना था। वर्ष 2010-15 की अवधि में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को तेरहवें वित्त आयोग का अनुदान ₹ 3,130.90 करोड़ अवमुक्त किया गया। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार अनुदानों का अन्तरण विनिर्दिष्ट चार सेवाओं; जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं वर्षा जल निकासी के संवर्धन हेतु उपयोग किया जाना था एवं तदनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के लिए चारों सेवाओं के सापेक्ष सेवा मानकों के लक्ष्य को अधिसूचित करना था।

तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान के उपभोग पर निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2010-15 की अवधि के लिए प्रदेश के 54 शहरी स्थानीय निकायों का चयन किया गया। लेखापरीक्षा में वित्तीय प्रबन्धन, आयोजना, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में विभिन्न कमियाँ उजागर हुयी। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों पर निम्नानुसार प्रकाश डाला जा रहा है:

fuf/k i xU/ku

- उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों (सितम्बर 2014) के अनुसार बैंक में खोले गये बचत खातों में जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज को राजकीय कोषागारों में जमा किया जाना था। जबकि, नमूना जाँच किए गए 54 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वर्ष 2010-15 की अवधि में बचत बैंक खातों में जमा धनराशि पर ₹ 14.42 करोड़ ब्याज अर्जित किया गया था जिसे राजकीय कोषागारों में जमा नहीं किया गया था।

Wi Lrj 5-6-3½

- तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूर्ण किये बिना, राज्य सरकार द्वारा सामान्य निष्पादन अनुदान की राशि ₹ 812.83 करोड़ प्राप्त की गयी थी।

Wi Lrj 5-6-4½

- अनुदान की धनराशि अपने पास रोके रखने के कारण 2010-15 की अवधि में राज्य सरकार को ₹ 1.05 करोड़ ब्याज के रूप में आय हुयी, परन्तु इस विलम्ब के लिए, अर्जित ब्याज की धनराशि शहरी स्थानीय निकायों को अन्तरित नहीं की गयी।

¶i Lrj 5-6-5%

- वर्ष 2013-15 की अवधि में नगर निगम, अलीगढ़ एवं लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम को ₹ 6.91 करोड़ की धनराशि विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु अन्तरित की गयी थी, परन्तु परियोजना के जुलाई 2015 तक पूर्ण हो जाने के बाद भी जल निगम द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण अंतरित की गयी राशि असमायोजित पड़ी हुयी थी।

¶i Lrj 5-6-8%

fu; ktu

- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वर्ष के दौरान कार्यों के सम्पादन हेतु वार्षिक कार्य-योजना नहीं बनायी गयी थी, अपितु तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान प्राप्त होने के बाद चिन्हित कार्यों हेतु उनके पूर्ण किये जाने की कोई समय सीमा का उल्लेख किये बिना निधियों का आवंटन किया गया था।

¶i Lrj 5-7-1%

- गैर अनुमन्य कार्यों के सम्पादन पर 33 शहरी स्थानीय निकायों में ₹ 12.25 करोड़ व्यय किया गया था।

¶i Lrj 5-7-2%

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगर पंचायतों के लिए चारों विनिर्दिष्ट सेवाओं के सन्दर्भ में सेवा मानक अधिसूचित नही किये गये थे जैसा कि तेरहवें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार वांछित था।

¶i Lrj 5-7-3%

dk; kll; u

- नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में, नगर निगम अलीगढ़ एवं नगर पालिका परिषद, इटावा के अतिरिक्त अन्य सभी में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु उपयुक्त व्यवस्था का अभाव था। इसी प्रकार, नमूना जांच किए गए राज्य के 12 जनपदों में जैव- चिकित्सकीय अपशिष्ट का प्रबन्धन पर्याप्त नहीं था।

(i Lrj 5-8-1 , oa 5-11-3-3%

- नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों द्वारा विवाद रहित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना नालों का निर्माण प्रारम्भ किए जाने के कारण अपूर्ण नालों के निर्माण पर ₹ 2.27 करोड़ व्यय किया गया था।

¶i Lrj 5-8-2-1] 5-9-4-1] 5-11-4-1 , oa 5-12-4-1%

- चार सेवाओं की सुपुर्दगी के सेवा मानकों में वर्गीकृत होते हुए भी लखनऊ, सीतापुर एवं इटावा जनपदों के अतिरिक्त सीवरेज सम्बन्धी कार्यों हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। नगर पालिका परिषद, इटावा में सीवरेज प्रणाली घरों से संयोजन न होने के कारण संचालित नहीं थी, जबकि नगर निगम फिरोजाबाद में सीवेज प्रशोधन संयंत्र निर्मित न होने के कारण यह प्रणाली अप्रयुक्त पड़ी हुयी थी।

¶i Lrj 5-9-2-1] 5-11-2 , oa 5-11-2-1%

- नगर निगम लखनऊ में प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले 675 मिलियन लीटर सीवेज में से मात्र 185 मिलियन लीटर का ही शोधन दो सीवेज प्रशोधन संयंत्रों में किया जा रहा था।

WiLrj 5-10-1%

- चौदह शहरी स्थानीय निकायों में ₹ 94.86 लाख के उपकरण/संयंत्र अनुपयोगी पड़े हुये थे।

WiLrj 5-8-2/ 5-11-3-3 , 08 5-12-3-3%

vuϕo.k

- राज्य स्तर एवं जनपद स्तर पर अनुश्रवण प्रणाली का अभाव था। उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा कार्यों के सम्पादन एवं अनुदानों के उपभोग की समीक्षा न करके मात्र शहरी स्थानीय निकायों अनुदानों की अनुशंसा एवं प्रशासनिक विभाग से उपयोगिता प्रमाण पत्रों की माँग की गयी थी।

WiLrj 5-13%

5-1 iLrkouk


कर संग्रहण एवं सहायता अनुदान के माध्यम से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा 13वें वित्त आयोग का गठन (नवम्बर 2007) किया गया था। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों हेतु गत वर्ष के करों के विभाज्य पूल के प्रतिशत के रूप में भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत इस अंश को सहायता अनुदान में परिवर्तित करते हुये अनुदान की अनुशंसा की गयी थी। अनुदान के दो भाग थे; सामान्य बुनियादी अनुदान एवं सामान्य निष्पादन अनुदान। तेरहवें वित्त आयोग की अवधि (2010-15) में प्रत्येक राज्य को उपलब्ध करायी जाने वाली सामान्य बुनियादी अनुदान की धनराशि गत वर्ष के विभाज्य पूल के 1.5 प्रतिशत के बराबर थी। जबकि सामान्य निष्पादन अनुदान प्रत्येक राज्य को 2011-12 से चार वर्ष तक, वर्ष 2010-11 के लिए गत वर्ष के विभाज्य पूल के 0.5 प्रतिशत की दर पर एवं उसके पश्चात वर्ष 2014-15 तक एक प्रतिशत की दर पर उपलब्ध करायी गयी थी। शहरी स्थानीय निकायों हेतु उत्तर प्रदेश राज्य को सामान्य बुनियादी अनुदान एवं सामान्य निष्पादन अनुदान की हिस्सेदारी 2010-15 की अवधि में इन हेतु समस्त राज्यों को दी जाने वाली अनुदान की कुल राशि के 3.427 प्रतिशत पर निश्चित की गयी थी। शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान, व्यय की शर्तों से अबद्ध एवं अनुदान की अवमुक्ति पूर्ववर्ती किस्तों के उपभोग प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण पर ही की जानी थी।

भारत सरकार के उपरोक्त दिशा-निर्देशों के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों में तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान की अवमुक्ति एवं उपभोग हेतु दिशा निर्देशक सिद्धान्त जारी किए गए (मई 2011)। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार अनुदानों का अन्तरण विनिर्दिष्ट चार सेवा क्षेत्रों; जलापूर्ति, सीवेज, टोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं वर्षा जल निकासी के संवर्धन हेतु उपभोग किया जाना था। तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान की प्रभावी उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार के निर्देश में यह अपेक्षा की गयी थी कि राज्य सरकार प्रत्येक नगर निगम एवं नगर पालिकाओं को विनिर्दिष्ट चार सेवा क्षेत्रों हेतु सेवा मानक भी अधिसूचित करें। राज्य सरकार को प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के लिए चारों सेवाओं के सन्दर्भ में सेवा मानक अधिसूचित करने थे।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2010-15 की अवधि में राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान की राशि ₹ 3,130.90 करोड़ अवमुक्त की गयी।

5-2 1% का अनुदान

शहरी स्थानीय निकायों हेतु प्राप्त अनुदानों के अन्तर्गत कार्यान्वित किये जाने वाली परियोजनाओं/योजनाओं के क्रियान्वित, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग एवं विभागीय स्तर पर निदेशक, स्थानीय निकाय उत्तरदायी थे। शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर कार्यों के सम्पादन हेतु नगर निगम के लिये नगर आयुक्त, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत हेतु अधिशासी अधिकारी उत्तरदायी थे। संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:-



(स्रोत: उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959, नगर पालिका परिषद अधिनियम, 1916)

5-3 अनुदान का उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि:

- वित्तीय प्रबन्धन मितव्ययी, दक्ष एवं प्रभावकारी था एवं अनुदानों का उपभोग निर्धारित प्रयोजनों हेतु किया जा रहा था;
- आयोजना पद्धति प्रभावकारी एवं तेरहवें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप थी;
- कार्यों/परियोजनाओं का सम्पादन निर्धारित मानदण्डों एवं विशिष्टियों के अनुरूप किया गया था एवं विकसित किये गये संरचनात्मक ढांचे का उपयोग निर्धारित प्रयोजनों हेतु किया गया था; एवं
- दिशा निर्देशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अनुश्रवण प्रणाली विद्यमान थी।

5-6-2 foRrh; fu"i knu%

वर्ष 2010-15 की अवधि में तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान की प्राप्ति एवं उसके सापेक्ष व्यय की स्थिति। क. 1 में दी गयी है:

क. 1 में 2010-15 का अनुदान, व्यय और अंतर का विवरण


वर्ष	अनुदान	व्यय	अंतर	अनुदान	व्यय	अंतर
2010-11	274.92	--	--	274.92	274.92	274.92
2011-12	318.83	109.02	89.66	517.51	517.51	517.51
2012-13	372.60	255.72	128.16	756.48	756.48	756.48
2013-14	441.5	301.63	16.88	760.01	760.01	760.01
2014-15	451.55	146.46	223.97	821.98	821.98	821.98
कुल	1,859.40	812.83	458.67	3,130.90	3,130.90	3,130.90

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश (जुलाई 2010) के अनुसार प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को उन्हें अन्तर्गत किये गये अनुदान के सापेक्ष उपभोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी थी। जबकि, अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 54 शहरी स्थानीय निकायों में से 45 द्वारा 2010-15 की अवधि में उपभोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और शेष नौ शहरी स्थानीय निकायों³ द्वारा 2010-15 की अवधि में उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

नमूना रूप में चयनित 54 शहरी स्थानीय निकायों में 2010-15 की अवधि में तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान की उपलब्ध एवं व्यय धनराशि की स्थिति। क. 2 में भी चित्रित है

क. 2 में 2010-15 का अनुदान, व्यय और अंतर का विवरण



(स्रोत: नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदत्त सूचना)

³ वर्ष 2012-13 तक एक शहरी स्थानीय निकाय (नगर पालिका परिषद-दादरी, गौतमबुद्ध नगर), वर्ष 2013-14 तक दो शहरी स्थानीय निकाय (नगर पंचायत-कोपागंज, मऊ एवं नगर पंचायत जहांगीरपुर, गौतमबुद्ध नगर) एवं वर्ष 2014-15 तक छः शहरी निकाय (नगर निगम-अलीगढ़ नगर निगम, लखनऊ, नगर पालिका परिषद मऊ, नगर पालिका परिषद अतरौली, अलीगढ़, नगर पंचायत महसौनी, ललितपुर एवं नगर पंचायत तालबेहट, ललितपुर)

जैसा कि ऊपर दिये गये pkVl 2 के विवरण से स्पष्ट है, नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकाय, आवंटित अनुदान को उपयोग करने में असफल रहे तथा 2010–15 की अवधि में व्यय उपलब्ध निधि की तुलना में 17 से 44 प्रतिशत तक कम था। *¶i fff'k"V 5-3½*

i fff'k"V 5-3 में यह देखा जा सकता है कि 2010–15 की अवधि में नगर निगमों में अनुदान का उपयोग 20 से 97 प्रतिशत के मध्य, नगर पालिका परिषदों में 47 से 80 प्रतिशत के मध्य और नगर पंचायतों में 52 से 79 प्रतिशत के मध्य था।

अग्रेतर, नगर पालिका परिषद, गोण्डा की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कार्ययोजना के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कराये जाने के कारण ₹ 7.51 करोड़ की धनराशि 30 मार्च 2015 को परिषद के बैंक खाते में अप्रयुक्त पड़ी हुयी थी। इस प्रकार, नगर पालिका परिषद गोण्डा में धन की उपलब्धता होते हुये भी विकास कार्य बाधित थे। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का स्वीकार करते हुये उल्लिखित किया गया कि कार्ययोजना के अनुसार कार्यों पर धन का उपयोग किया जायेगा।

5-6-3 C; kt dh /kujkf'k dks'kkxkj ea tek ugha fd; k tkuk

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये (सितम्बर 2014) कि बचत खाते पर अर्जित किया गया ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय के रूप में समझी जायेगी और इसे शासकीय कोषागार में जमा किया जाना था। जबकि, नमूना जाँच में पाया गया कि सभी 54 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 2010–15 की अवधि में बचत खातों में ₹ 14.42 करोड़ ब्याज के रूप में अर्जित किया गया था परन्तु इसे राजकीय कोषागारों में जमा नहीं किया गया था एवं कार्यों के निष्पादन पर भी इसका उपयोग कर लिया गया था। *¶i fff'k"V 5-4½*

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उल्लिखित किया गया कि ब्याज के उपयोग के सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त नहीं हुये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जैसे कि ऊपर उल्लिखित किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के अनुसार ब्याज के रूप में अर्जित की गयी राशि शासकीय कोषागार में जमा की जानी थी।

5-6-4 okfNr ekun.M dks i wkl fd; s fcuk l kekl; fu"i knu vupku i klr djuk

तेरहवें वित्त आयोग की मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर संख्या 6.4.1 से 6.4.11 के अनुसार नियमित सामान्य बुनियादी अनुदान प्राप्त करने के अतिरिक्त भारत सरकार से सामान्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिये प्रदेश सरकार को अनिवार्य नौ शर्तों का अनुपालन करना था *¶i fff'k"V 5-2½*। मार्ग निर्देशिका के प्रस्तर 4.3 के अनुसार, निष्पादन अनुदान की निरन्तर प्राप्ति हेतु 2010–15 की अवधि में इन शर्तों को बनाये रखा जाना था। पात्रता अवधि में किसी भी समय, किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं किये जाने पर राज्य निष्पादन अनुदान की प्राप्ति हेतु अपात्र होगा, जब तक कि वह दोबारा इन सभी शर्तों का अनुपालन पूर्ण न कर ले।

यद्यपि, अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूर्ण करने की अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये बिना 2011–15 की अवधि में

₹ 812.83 करोड़ का निष्पादन अनुदान प्राप्त किया गया था। अग्रेतर लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रेषित की गयी अनुपालन आख्या वास्तविक स्थिति पर आधारित नहीं थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिकांश महत्वपूर्ण शर्तें पूर्ण नहीं की गयी थीं, जिनकी चर्चा नीचे की गयी है:

(i) *nkgjh ysfkk izkkyh ij ysfkk dk j[k j[kko*—नगर निगम अलीगढ़ एवं नगर निगम फिरोज़ाबाद के अतिरिक्त नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में से कोई भी दोहरी लेखा प्रणाली पर लेखों का रख रखाव नहीं कर रहा था।

(ii) *fu; =d , oa egkys[kki jh{k d dk okf"kd rduhdh ysfkki jh{k iifronu , oa funs'kd] LFkkuh; fuf/k ysfkki jh{k ds okf"kd iifronu dk jkT; fo/kkf; dk ds l e{k iLrjhdj.k*—शासन द्वारा नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कोई भी वार्षिक तकनीकी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अक्टूबर 2015 तक राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। जबकि, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 के बाद से राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

(iii) *'kgjh LFkkuh; fudk; k ds vupkuk dk byDVkfud varj.k*—राज्य स्तर पर लेखों का मिलान नहीं किये जाने के कारण अनुदानों के विलम्बित एवं त्रुटिपूर्ण अन्तरण के प्रकरण लेखापरीक्षा में पाये गये।

(iv) *l EifRr dj ifj"kn dk xBu iih-Vh-ch-½*—सम्पत्ति कर के उपयुक्त अधिरोपण एवं वसूली से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं को देखे जाने हेतु सम्पत्ति कर परिषद् का गठन किया जाना था। यद्यपि, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मार्च 2011 में सम्पत्ति कर परिषद् का गठन किया गया था, तथापि यह प्रभावहीन रहा क्योंकि शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि सम्पत्ति कर परिषद् के गठन के आधारभूत प्रयोजन—जैसे सम्पत्ति कर के अधिरोपण की प्रक्रिया को सरल बनाना एवं उसकी वसूली, पूर्ण नहीं किये गये थे, जिनकी चर्चा नीचे की गयी है।

- नमूना जांच किये गये 54 शहरी स्थानीय निकायों में से चार⁴ में गृहकर अधिरोपित नहीं किया गया था। शेष 50 निकायों में तीन से लेकर 25 वर्षों की अवधि से गृहकर का पुनरीक्षण नहीं किया गया था जबकि इसे प्रत्येक दो वर्षों में पुनरीक्षित किया जाना था।

- नमूना जांच किये गये किसी भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा भूमि को सम्पत्ति कर के दायरे में लाने के लिये सर्वेक्षण नहीं किया गया।

- सम्पत्ति कर की वसूली भी उपयुक्त प्रकार से नहीं की गयी थी क्योंकि नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में मार्च 2015 तक ₹ 168.59 करोड़ की वसूली अवशेष थी। *i fff'k"V 5-5½*

(v) *jkT; Lrjh; l ok ekudk ds fu"iknu dk em; kadu*—अनिवार्य राज्य स्तरीय सेवा मानकों को नगर पंचायतों पर लागू नहीं किया गया था;

(vi) *vx l s [krjs dh ifrfØ; k , oa 'keu ; ktuk*—10 लाख से अधिक जनसंख्या (जनगणना वर्ष 2001) वाले प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को उनके

⁴ नगर पंचायत, सैदपुर, गाजीपुर, नगर पंचायत, अडारी (मऊ), नगर पंचायत, अमेठी एवं गोसाईगंज, लखनऊ

अधिकार क्षेत्र में आग के खतरे से प्रतिक्रिया एवं शमन योजना स्थापित करनी थी; जबकि लखनऊ नगर निगम में इसकी अधिसूचना के पश्चात एवं धन की उपलब्धता होते हुये भी उपरोक्त योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकी थी।

वित्त आयोग के विशिष्ट अनुदान के उपयोग के लिए शर्तों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

5-6-5 'कृषि विकास; कृषि विकास; कृषि विकास के लिए वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग'

तेरहवें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, भारत सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान, राज्य सरकार द्वारा प्राप्ति के पांच दिनों के अन्दर शहरी स्थानीय निकायों को अन्तरित करना था। निकायों को विलम्ब से अनुदान अन्तरण की दशा में, ब्याज की धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निकायों को अन्तरित करनी थी।

54 शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान, निकायों में 218 दिन तक के विलम्ब से प्राप्त हुये थे। जबकि, राज्य सरकार ने 2010-15 की अवधि में रोके गये अनुदानों से ₹ 1.05 करोड़ ब्याज अर्जित किया परन्तु समानुपातिक रूप से ब्याज की धनराशि शहरी स्थानीय निकायों को अन्तरित नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर निदेशक, स्थानीय निकाय ने तथ्यों को स्वीकार (जून 2015) किया और बताया कि कर्मचारियों की कमी के कारण नोडल बैंक के साथ मिलान नहीं किया जा सका।

5-6-6 'नगर पालिका परिषद, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर के अनुदानों का उपयोग'

नगर पालिका परिषद, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर के 2010-15 की अवधि के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि निदेशक, स्थानीय निकाय ने तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान की 19 किस्तें नगर पालिका परिषद के लिए अवमुक्त की, जिसमें से ₹ 2.13 करोड़, 14 किस्तों में अवमुक्त किया गया, और उसे नगर पालिका परिषद के बैंक खाते में जमा किया गया, जो आवंटित आदेश की धनराशि (₹ 2.19 करोड़) से मेल नहीं खाती थी। अग्रेतर, अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वास्तव में यह धनराशि नगर पालिका परिषद जमानियाँ (जिला गाजीपुर की अन्य नगर पालिका परिषद) के लिये अवमुक्त की गयी थी। इस त्रुटिपूर्ण अनुदान जमा होने के परिणामस्वरूप, नगर पालिका परिषद मोहम्मदाबाद को ₹ 5.47 लाख कम प्राप्त हुआ। नगर पालिका परिषद मोहम्मदाबाद द्वारा उपरोक्त त्रुटि के संशोधन के लिए न तो राज्य सरकार और न ही निदेशक स्थानीय निकाय के संज्ञान में लाया गया बल्कि इन अनुदानों का उपभोग कर लिया गया।

इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकाय के खाते में अनुदान के त्रुटिपूर्ण अन्तरण के साथ बैंक खाते के अवशेष का असमाधानित रहना सार्वजनिक धन के दुर्विनियोग की आशंका थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा बताया गया कि तथ्यों से निदेशक, स्थानीय नगर निकाय को अवगत कराया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस सन्दर्भ में अभिलेखीय साक्ष्य मांगे जाने के पश्चात भी उपलब्ध नहीं कराया गया (जुलाई 2015)।

5-6-7 नजीगढ़ के लिए खर्च के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि का अन्य योजनाओं में उपयोग किया गया, जिसकी चर्चा नीचे की गयी है:

- नगर पालिका परिषद खैर, अलीगढ़ में राज्य वित्त आयोग के कार्यों के लिये अक्टूबर 2012 से जून 2015 तक की अवधि में ₹ 53.16 लाख तेरहवें वित्त आयोग की धनराशि से भुगतान किया गया *॥i fff'k"V 5-8॥*। लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर, नगर पालिका परिषद खैर ने ₹ 20 लाख (जुलाई 2015) राज्य वित्त आयोग के खाते से, तेरहवें वित्त आयोग के खाते में वापस जमा किया, जबकि ₹ 33.16 लाख जुलाई 2015 तक जमा किया जाना अवशेष था।
- इसी प्रकार, नगर पालिका परिषद, गाजीपुर में (फरवरी 2011) तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान से ₹ 86.06 लाख जिला अधिकारी, गाजीपुर द्वारा तीन सामुदायिक भवनों के निर्माण हेतु ब्यावर्तन किया गया। कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित नहीं था। नगर पालिका परिषद के कर्मचारी के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि सामुदायिक भवन अभी तक अपूर्ण पड़े थे। परिणामस्वरूप तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान से किया गया व्यय ₹ 86.06 लाख अलाभकारी रहा। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा बताया गया कि धनराशि का हस्तान्तरण जिलाधिकारी, गाजीपुर के निर्देश पर किया गया था।
- नगर पंचायत, जलाली, अलीगढ़ में वर्ष 2012-13 में नाली के निर्माण के लिये ₹ 19.45 लाख स्वीकृत किया गया, जिसे वर्ष 2013-14 की अवधि में मार्ग प्रकाश उपकरणों के क्रय पर व्यय किया गया था। उपरोक्त क्रय संदिग्ध थे, क्योंकि क्रय सामग्रियों की मार्च 2015 तक न तो भण्डार लेखों में प्रविष्टियाँ की गयीं और न ही स्थापना हेतु निर्गत किये गये थे।

5-6-8 जल निगम के लिए खर्च के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष 2013-15 की अवधि में नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम को ₹ 5.81 करोड़ की धनराशि विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु अन्तरित की गयी थी *॥i fff'k"V 5-9॥* लेकिन परियोजना के पूर्ण हो जाने के (जुलाई 2015) उपरान्त भी, जल निगम द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की प्रत्याशा में धनराशि असमायोजित पड़ी हुई थी। इसी प्रकार नगर निगम लखनऊ द्वारा जल निगम (मई 2015) को ₹ 1.10 करोड़ की अन्तरित धनराशि भी असमायोजित पड़ी हुई थी *॥i fff'k"V 5-9॥*। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर सम्बंधित नगर निगम द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया और बताया गया कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश जल निगम से प्राप्त किये जायेंगे।

5-6-9 नजीगढ़ के लिए खर्च के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

नगर पालिका परिषद, खैर, अलीगढ़ के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु भुगतान के समय ठेकेदार के बिलों से ₹ 4.23 लाख आयकर एवं मूल्य सर्वाधिक कर (वैट) की कटौती (जून 2013 से जून 2015 तक) की गयी थी। अग्रेतर, जाँच में पाया गया कि नगर पालिका परिषद द्वारा इस कटौती की धनराशि को सरकार के सम्बन्धित लेखा शीर्ष में जमा करने के लिये

चेक निर्गत किये गये और उनकी प्रविष्टियाँ रोकड़बही में भी की गयी थी, तथापि, इन चेकों को सम्बन्धित लेखा शीर्ष में जमा नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, आयकर एवं वेट को उस सीमा तक कम जमा किया गया। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा आपत्ति को स्वीकार किया गया और बताया गया कि कटौती की गयी धनराशि को शीघ्र जमा किया जायेगा।

5-6-10 वुफप्र य्स[ककदु

एकल लेखा प्रणाली के स्थान पर दोहरी लेखा प्रणाली को 01 अप्रैल 2011 से अपनाया जाना था, इस सम्बन्ध में प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को दोहरी लेखा प्रणाली के लेखाओं को तैयार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिये क्षेत्र स्तरीय सलाहकार/चार्टर्ड एकाउंटेंट की सेवायें ली जानी थी। क्षेत्र स्तरीय सलाहकार से नियमित कर्मचारी को प्रशिक्षण दिये जाने के पश्चात, शहरी स्थानीय निकाय को लेखाओं को तैयार करने के लिये स्वयं सक्षम होना था। तथापि हमने पाया कि:

- 33 नमूना जाँच किये गये शहरी स्थानीय निकायों ने प्रारम्भिक तुलन पत्र⁵ (01 अप्रैल 2009 से) तैयार किया था और केवल 11 शहरी स्थानीय निकायों ने नयी प्रणाली में लेखाओं को तैयार करने के लिये अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया, परिणामस्वरूप शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नयी लेखांकन प्रणाली को नहीं अपनाया गया।

- नमूना जाँच किये गये 35 शहरी स्थानीय निकायों ने अपने लेखाओं को दोहरी लेखा प्रणाली में तैयार करने के लिये चार्टर्ड एकाउंटेंट/क्षेत्र स्तरीय सलाहकार के साथ अनुबन्ध किया गया। तथापि, किसी भी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपने लेखाओं को दोहरी लेखा प्रणाली पर तैयार नहीं किया जा सका था और 47 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट/क्षेत्र स्तरीय सलाहकार को फीस के रूप में ₹ 1.38 करोड़ व्यय करने के बावजूद नयी लेखा प्रणाली को अपनाने का उद्देश्य अप्राप्त था $\frac{1}{100} \times 1.38 \times 100 = 1.38\%$ । निदेशक स्थानीय निकाय के निर्गत निर्देश के अनुपालन (जून 2011) में किसी भी शहरी निकाय ने तैयार लेखाओं/तुलन-पत्रों को अपने चयनित परिषद/बोर्ड के समक्ष नहीं रखा था। सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकायों ने अपने उत्तर में बताया कि लेखा कर्मचारी को प्रशिक्षण देने के उपरान्त लेखाओं को तैयार किया जायेगा।

वुड कल क% उपयोगिता प्रमाण-पत्र का समय से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिये। समस्त शहरी स्थानीय निकायों में यथाशीघ्र दोहरी लेखा प्रणाली लागू किया जाना चाहिये।

5-7 fu; kst u

शहरी स्थानीय निकायों में सम्पत्ति एवं सेवाओं की संरचना एवं रख-रखाव हेतु विभिन्न वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराते हुये, तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान को दक्ष एवं प्रभावशाली ढंग से उपयोग में लाने के लिये सही नियोजन प्रक्रिया लागू की जानी थी। वास्तविक आवश्यकता पर आधारित कार्य/सेवाओं को चिन्हित किया जाना अनिवार्य था, ताकि निर्धारित चार सेवा क्षेत्रों यथा-जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं वर्षा जल निकासी में वांछित कमियों की जाँच की जा सके एवं सेवा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

⁵ लेखाओं के अद्यतन सहित प्रारम्भिक तुलनपत्र और चालू सम्पत्ति पंजिका, चिन्हित सम्पत्तियों, सम्पत्तियों का मूल्यांकन और सम्पत्ति पंजिका को तैयार करना।

5-7-1 *okf'kld ; kstuk dk u cuk; k tkuk*

राज्य सरकार द्वारा आदेशित (मई 2011) किया गया कि प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में एक कार्ययोजना बनायी जानी चाहिये। जिला स्तर पर आयुक्त/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नामित समिति द्वारा योजना का अनुमोदन किया जाना था। जिला स्तर की योजना का राज्य स्तर पर निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा समेकित किया जाना था और इसे उच्चस्तरीय अनुश्रवण समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना था।

शहरी स्थानीय निकाय की नमूना जाँच में पाया कि वर्ष के दौरान कार्यों के सम्पादन हेतु वार्षिक कार्ययोजना नहीं बनायी गयी थी, अपितु तेरहवें वित्त की किस्तें प्राप्त होने पर चिन्हित कार्यों हेतु, उनके पूर्ण किये जाने के समय सीमा निर्धारण किये बिना ही निधियों का आवंटन किया गया था। साथ ही, कोई वार्षिक योजना अनुमोदन हेतु उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति को प्रस्तुत नहीं की गयी।

vuq kd k% प्रभावी निष्पादन एवं अनुश्रवण के लिये आवश्यकता के उचित निर्धारण के बाद योजना तैयार की जानी चाहिये।

5-7-2 *xj & vupe; dk; kd dks dj; k tkuk*

तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान, व्यय की शर्तों से आबद्ध नहीं थे और चार सेवाओं यथा जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं वर्षा जल निकासी पर केन्द्रित थे। फिर भी, तेरहवें वित्त आयोग की प्रथम किस्त ₹ 137.46 करोड़ (जुलाई 2010) को अवमुक्त करते समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान के निश्चित प्रतिशत का उपयोग अन्य सेवाओं, जैसे—सड़क नवीनीकरण एवं चौड़ीकरण, पाकिंग स्थल की रखरखाव, हैण्डपम्पों की स्थापना एवं अनुरक्षण, मार्ग प्रकाश एवं नागरिक सुविधाओं इत्यादि पर करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये, जोकि तेरहवें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित उद्देश्यों के विपरीत था, जिसके परिणामस्वरूप 31 नमूना जाँच किये गये स्थानीय निकायों पर ₹ 2.48 करोड़ किया गया व्यय गैर अनुमन्य था *ii f'k'V 5-11*।

यद्यपि, वर्ष 2011-15 की अवधि में शहरी स्थानीय निकायों को ₹ 2,993.44⁶ करोड़ उतरोत्तर अनुदान (2010-11 की द्वितीय किस्त से) अवमुक्त किये गये, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों में परिभाषित उद्देश्यों के अनुसार, अनुदानों का उपयोग करने हेतु निर्देश जारी किये गये। अग्रेतर, जाँच में पाया गया कि नमूना जाँच किये गये 34 शहरी स्थानीय निकायों ने उत्तर प्रदेश सरकार के स्पष्ट वर्णित दिशा-निर्देशों के बाद भी ₹ 9.77 करोड़ का व्यय गैर अनुमन्य कार्यों पर किया *ii f'k'V 5-11*।

इस प्रकार, ₹ 12.25 करोड़ का व्यय तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत गैर-अनुमन्य सेवाओं पर किया गया था।

5-7-3 *uxj i pk; rkd ds fy; s ekudkd dk vf/kl ifpr u fd; k tkuk*

तेरहवें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों के प्रस्तर 6.4.10 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रदेश के सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों को,

⁶ ₹ 3,130.90 – ₹ 137.46

उत्तरोत्तर वित्तीय वर्ष में चार सेवा क्षेत्रों में लक्ष्य प्राप्त करने के लिये, न्यूनतम मानक स्तर सूचकांक निर्गत किये जाने थे। तथापि, अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायतों के लिये चार सेवा क्षेत्रों में प्रत्येक सूचक के लिये न्यूनतम मानक निर्धारित करने के लिये अधिसूचना निर्गत नहीं की गयी। इस प्रकार, 33 नमूना जाँच किये गये नगर पंचायतों में बिना लक्ष्य निर्धारित किये ₹ 30.10 करोड़ $\frac{1}{2}$ के कार्य निष्पादित किये गये।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, निदेशक, स्थानीय निकाय ने उत्तर में बताया (जुलाई 2015) कि उपरोक्त मानक नगर पालिकाओं के लिये निर्धारित किये गये थे न कि नगर पंचायतों के लिये। उत्तर सही नहीं था, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार नगर पंचायतें भी नगर पालिकाओं का भाग हैं इस प्रकार उपरोक्त वर्णित मानक नगर पंचायतों के लिये भी निर्धारित किये जाने थे।

dk; kll; u

5-8 uxj fuxe] vyhx<+

5-8-1 uxjh; Bkl vif'k"V izU/ku

नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा 2010–15 की अवधि में नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत पांच कार्यो पर ₹ 1.33 करोड़ व्यय किया गया।

नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य, बाहरी संस्था से ठेके पर कराना था। नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबन्धन के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2014–15 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष नगर निगम अलीगढ़ द्वारा निम्नलिखित उपलब्धियाँ सूचित की गयीं:

Lkkj .kh 2% l ok {ks= ekudka ea mi yfc/k; ka dk foj .k

ki fr'kr e

क्र.सं.	कार्य	लक्ष्य	प्राप्त	प्रतिशत
1.	टोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा में घरेलू स्तरीय आच्छादन	100	73	73
2.	नगरीय टोस अपशिष्ट के एकत्रीकरण की क्षमता	100	100	100
3.	नगरीय टोस अपशिष्ट के पृथक्करण की सीमा	100	100	100
4.	नगरीय टोस अपशिष्ट के उठाने की सीमा	80	80	80
5.	नगरीय टोस अपशिष्ट का वैज्ञानिकी निस्तारण की सीमा	100	100	100
6.	नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबंधन लागत वसूली की सीमा	100	10	10
7.	नगरीय टोस अपशिष्ट शुल्क की वसूली की क्षमता	90	38	38
8.	ग्राहकों की शिकायतों के निवारण की क्षमता	80	80	80

(स्रोत: नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

इस प्रकार, नगर निगम अलीगढ़ द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार टोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत सभी मानकों के निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त किया गया। जबकि, अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त वर्णित टोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति वास्तविक रूप से सही नहीं थी क्योंकि

अभिलेखों की नमूना जाँच और संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि फर्म द्वारा शहर के सात सफाई वार्डों में से केवल चार वार्डों में टोस अपशिष्ट का घर-घर एकत्रीकरण किया गया था तथा फर्म द्वारा इन वार्डों से एकत्रित किये गये टोस अपशिष्टों को ढलाव घर में फेंका जा रहा था और टोस अपशिष्ट प्रबन्ध प्रसंस्करण प्लांट के अक्रियाशील होने के कारण टोस अपशिष्ट का पृथक्कीकरण भी नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार, चार वार्डों में टोस अपशिष्टों का प्रसंस्करण एवं निस्तारण नहीं किया जा रहा था। शेष तीन सफाई वार्डों में अपशिष्ट को घर-घर एकत्रित नहीं किया जा रहा था और नगर निगम अलीगढ़ द्वारा टोस अपशिष्ट का पृथक्कीकरण, प्रसंस्करण और निस्तारण किये बिना ही स्थानीय एकत्रीकरण स्थल से अपशिष्ट निस्तारण स्थल तक परिवहन किया जा रहा था।



नगर निगम अलीगढ़ में अक्रियाशील नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्रसंस्करण प्लांट (24.07.15)

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का अभिप्राय किसी भी स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठान में मनुष्य या पशुओं के निदान, उपचार अथवा टीकाकरण के दौरान उत्पन्न हुए अपशिष्ट से है। पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा सन् 2000 में संशोधित, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (हथालन और प्रबन्धन) नियम 1998 अधिनियम की धारा 6, 8 और 25 के अर्न्तगत अधिसूचित किया गया। जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण एवं हथालन के प्रबन्धन के लिये नियमों में निर्धारित मानकों के साथ सभी सम्बन्धित उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया है।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलीगढ़ द्वारा जिले के सरकारी चिकित्सालयों में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु फर्म के साथ अनुबन्ध किया गया था, जिसका वार्षिक नवीनीकरण किया जाना था। तथापि, जाँच में पाया गया कि जिला अलीगढ़ में मार्च 2013 से अनुबन्ध का नवीनीकरण नहीं किया गया, और इस प्रकार जिले के किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित नहीं किया गया। इस प्रकार, अनुबन्ध के नवीनीकरण के बिना ही फर्म पिछले दो वर्ष से जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण का कार्य कर रही थी और निस्तारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आच्छादित न करते हुए केवल जिला अस्पताल को ही सुविधायें प्रदान कर रही थी।

5-8-2 जल निकासी

नगर निगम अलीगढ़ द्वारा वर्ष 2014-15 में वर्षा जल निकासी के संदर्भ में 64 कार्यों पर ₹ 17.74 करोड़ का व्यय किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्षा जल निकासी के लिए वर्ष 2014-15 की अवधि में निर्धारित किये गये लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियों को 3 में दिया गया है:

Lkkj.kh 3% l ok Lrj ekud dh mi yfC/k; ka dk foofj.k

Ø0 l 0	o"kkz ty fudkl h ds ekun.M	ekud Hkkjr ljdkj	y{; mRrj ims'k ljdkj	mi yfC/k
1.	वर्षा जल निकासी नेटवर्क का आच्छादन (प्रतिशत में)	100	66	66
2.	जल भराव/बाढ़ प्रकरण	0	24	24

(स्रोत: नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

नगर निगम अलीगढ़ द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि सूचित की गयी। यद्यपि लेखापरीक्षा के दौरान निम्न कमियाँ सज्ञान में आयी।

5-8-2-1 vi k ukys

वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड 5, भाग 1 के नियम 378 के अनुसार किसी ऐसी भूमि पर कार्य आरम्भ नहीं किया जाना चाहिए, जिसे सक्षम सिविल अधिकारी द्वारा ऐसा किये जाने योग्य घोषित नहीं किया गया हो। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि नगर निगम अलीगढ़ में खैर रोड, नगला मसानी क्रासिंग पर भूसा की टाल से ईदगाह क्रासिंग तक एक नाला धनराशि ₹ 14.39 लाख के व्यय के बाद भी अपूर्ण था। नाले के संरेखण में एक मन्दिर और अतिक्रमण होने के कारण नाले को पूर्ण नहीं किया जा सका था। इस प्रकार निर्विवाद स्थल को सुनिश्चित किये बिना कार्य प्रारम्भ किये जाने के परिणामस्वरूप अपूर्ण रहे नाले पर किया गया ₹ 14.39 लाख का व्यय अलाभकारी रहा। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि नाले के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नगर निगम द्वारा विवाद रहित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना कार्य प्रारम्भ कराया गया।

5-8-2-2 viz q r mi dj.k

नगर निगम, अलीगढ़ के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि आवश्यकताओं का त्रुटिपूर्ण आकलन करने के कारण ₹ 25.81 लाख मूल्य के जनरेटर एवं कॉपर केबिल क्रय किये गये जो वर्ष 2012 से निष्क्रिय पड़े थे। अतः नगर निगम द्वारा अनुपयोगी उपकरणों के क्रय पर परिहार्य व्यय किया गया था।

5-8-3 lk; kbj.k i Hkko

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम में भू-भरण स्थल को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, ठोस अपशिष्ट का निस्तारण ऐसी भूमि में किया जाना चाहिए जो भूमिगत, सतह जल प्रदूषण, वायु द्वारा उड़ायी गंदगी, दुर्गन्ध, आग, पक्षी, कीट अथवा कृन्तकों और भूमि कटाव से बचाव हेतु सुविधा से परिपूर्ण हो। यह नियम पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये बनाये गये थे।



नाले को अलीगढ़ नाला और जफारी नाला से जोड़ा गया (23.07.2016)

नगर निगम अलीगढ़ की लेखापरीक्षा में हमने पाया कि 66 नालों के दूषित पानी को बगैर उनका शोधन किये सिंचाई विभाग द्वारा सिंचाई के उपयोग के लिए दो नालों (अलीगढ़ नाला एवं जाफरी नाला) में सीधे जोड़ा गया था। नगर निगम द्वारा न तो जल निकासी के लिये कोई योजना तैयार की गयी और न ही नालों के पानी के शोधन के लिये कोई संयंत्र स्थापित किया गया। इस प्रकार, नालों का अनियोजित निर्माण, जिले के सभी नालों के अशोधित पानी को सिंचाई विभाग के इन दो नालों में गिराने के परिणामस्वरूप सिंचाई के प्रयोजन हेतु पानी को प्रदूषित एवं पर्यावरण को परोक्ष रूप से प्रभावित कर रहा था।

अधिशासी अभियंता, अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर (सिंचाई विभाग) ने स्वीकार किया कि नगर निगम, अलीगढ़ के नाले, सिंचाई प्रयोजन हेतु बने अलीगढ़ नाला और जाफरी नाला से सीधे जोड़े गये हैं जिस कारण इन दोनों नालों का प्रदूषण स्तर बढ़ गया।

वृद्धि के सरकार द्वारा तेरहवें वित्त आयोग के दिशा-निर्देश के सेवा स्तर मानकों को प्राप्त करने के लिये कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

5-9 सिंचाई प्रयोजन

5-9-1 सिंचाई प्रयोजन

नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा 2010-15 की अवधि में जलापूर्ति सेवा सम्बन्धी 111 कार्यों पर ₹ 4.19 करोड़ व्यय किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के लिये जलापूर्ति सेवा में निर्धारित किये गये लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि 4 में दी गयी है:

लक्ष्य 4% उपलब्धि

क्र.सं.	कार्य	लक्ष्य (%)	उपलब्धि (%)	व्यय (₹)
1.	जलापूर्ति संयोजन का आच्छादन (प्रतिशत में)	100	38	39
2.	अन्तिम उपभोक्ता तक प्रतिव्यक्ति पानी की उपलब्धता (एलपीसीडी में)	135	70	131
3.	जलसंयोजनों के लिये मीटर लगाने की सीमा (प्रतिशत में)	100	0	0
4.	गैर-राजस्व पानी की मात्रा (प्रतिशत में)	20	9	5
5.	जलापूर्ति की निरंतरता (घंटों में)	24	5	4.50
6.	ग्राहकों की शिकायतों के निवारण में दक्षता (प्रतिशत में)	100	80	91
7.	जल की गुणवत्ता (प्रतिशत में)	80	100	100
8.	जलापूर्ति सेवाओं में लागत वसूली (प्रतिशत में)	100	89	59
9.	जलापूर्ति से सम्बन्धित शुल्कों के संग्रह में दक्षता (प्रतिशत में)	90	44	11

(स्रोत: नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि कुल 1,01,597 भवनों के सापेक्ष केवल 40,148 भवनों (60 प्रतिशत) में जलापूर्ति का संयोजन किया गया था। नगर निगम फिरोजाबाद में जलापूर्ति संयोजनों में मीटर नहीं लगे थे। लेखापरीक्षा के दौरान नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा जलापूर्ति कार्यों से सम्बन्धित संज्ञान में आये अन्य प्रकरणों की चर्चा निम्नवत की गयी है—

5-9-1-1 ifjgk; L0; ;

नगर निगम फिरोजाबाद की जाँच में पाया गया कि में तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत यहां 185 सबमर्सिबल पम्प (2012–14) स्थापित किये गये जिन पर ₹ 71.03 लाख व्यय किया गया जबकि उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा वर्ष 2034 तक की आवश्यकता के लिये पहले से ही जलापूर्ति परियोजना स्थापित की जा चुकी थी एवं नगर निगम को हस्तगत किया जा चुका था (अगस्त 2011)। इस प्रकार, नगर निगम ने इन सबमर्सिबल पम्पों की स्थापना पर ₹ 71.03 लाख को परिहार्य व्यय किया।

अग्रेतर जाँच में पाया गया कि नगर निगम में कुल 239 ट्यूबवेल/सबमर्सिबल पम्प में से केवल 189 क्रियाशील थे और शेष 50 अक्रियाशील थे। अग्रेतर, नगर निगम के अभिलेखों के अनुसार केवल 116 ट्यूबवेल/सबमर्सिबल पम्प विद्युत संयोजित थे। इस प्रकार ट्यूबवेल/सबमर्सिबल पम्प की स्थापना और इसके अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया गया था। इंगित किये जाने पर नगर आयुक्त द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया और बताया गया कि जल स्तर गिर जाने से पूर्व स्थापित नलकूपों की क्षमता में कमी आने के कारण इन पम्पों को स्थापित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जलनिगम द्वारा पम्पों की स्थापना वर्ष 2034 तक की अवधि के लिये गयी थी एवं मांगे जाने के बावजूद कोई अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये थे (जून 2015)।

5-9-2 I hojst dk; l

इस सेवा के अन्तर्गत सूचकों के लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। यद्यपि, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा कराये गये सीवरज कार्यों के निष्पादन में लेखापरीक्षा द्वारा पायी गयी कमियों की चर्चा नीचे की गयी है:

5-9-2-1 vfØ; k'khy I hoj iz.kkyh

उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के साथ सीवर लाइन की परियोजना भी बनायी जानी थी। जबकि, केवल सीवर लाइन तैयार की गयी और नगर निगम फिरोजाबाद को हस्तगत की गयी (अगस्त 2012)। अग्रेतर जांच में पाया गया कि नगर निगम में जून 2015 तक सीवेज प्रशोधन संयंत्रों की स्थापना के लिये भूमि उपलब्ध कराने में विफल रहा। भूमि की अनुपलब्धता के कारण जल निगम सीवेज प्रशोधन संयंत्रों तैयार नहीं कर सका (जून 2015)। इसप्रकार, सीवेज प्रशोधन संयंत्रों की अनुपलब्धता के कारण संयोजित सीवर लाइन क्रियाशील नहीं की जा सकी थी (जून 2015)।

5-9-3 uxjh; Bkd vif'k"V icrku

नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा 2010–15 की अवधि में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत 56 कार्यों पर ₹ 4.00 करोड़ व्यय किया गया। इस सेवा के अन्तर्गत सूचकों के लिये लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे। तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिये वर्ष 2007 में परियोजना स्वीकृत की गयी थी लेकिन नगर निगम, फिरोजाबाद इस उद्देश्य के लिये आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने में विफल रहा और परियोजना मार्च 2015 तक पूर्ण नहीं की जा सकी। इस प्रकार, नगर निगम फिरोजाबाद में ठोस अपशिष्ट का घर-घर एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, कम्पोस्टिंग और वैज्ञानिक निस्तारण सुनिश्चित नहीं किया जा सका था (जून 2015)।

5-9-4 o"kkz ty fudkl h

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्षा जल निकासी के लिए वर्ष 2014-15 में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियाँ I kj.kh 5 में दर्शायी गयी हैं:

I kj.kh 5% I ok Lrj ekud dh mi yfC/k; k dk fooj.k

Ø0 I Ø	o"kkz ty fudkl h ekud	ekud %kkj r I j dkj %	y{; %mRrj i ns k I j dkj %	mi yfC/k
1.	वर्षा जल निकासी का नेटवर्क का आच्छादन (प्रतिशत में)	100	51	100
2.	जल भराव/बाढ़ क्षेत्रों के प्रकरण	0	0	0

(स्रोत: नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा शत-प्रतिशत उपलब्धि सूचित की गयी। यद्यपि, नगर निगम द्वारा वर्षा जल निकासी के कराये गये कार्यों की लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये प्रकरणों की चर्चा नीचे की गयी:

5-9-4-1 vi wkl uky

वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड 5 के भाग 1 के नियम 378 के अनुसार किसी ऐसी भूमि पर कार्य आरम्भ नहीं किया जाना चाहिए, जिसके सन्दर्भ में सक्षम सिविल अधिकारी द्वारा ऐसा किया जाना घोषित नहीं किया गया हो। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि नगर निगम, फिरोजाबाद में आकाशवाणी रोड गली संख्या 3 से गौधी के घर तक नाला निर्माण पर किये गये ₹ 20.23 लाख के व्यय के बाद भी मार्च 2015 तक अपूर्ण था। नाले के सीध में एक विद्युत ट्रांसफार्मर आने के कारण इसको पूर्ण नहीं किया जा सका था। इस प्रकार विवाद रहित भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित किये बिना कार्य प्रारम्भ किये जाने के परिणामस्वरूप अपूर्ण नाले के निर्माण पर ₹ 20.23 लाख का किया गया व्यय अलाभकारी रहा।

5-10 uxj fuxe y[kuÅ

5-10-1 I host dk; l

नगर निगम, लखनऊ में वर्ष 2010-15 की अवधि में 122 कार्यों पर ₹ 4.38 करोड़ का व्यय किया गया। नगर निगम, लखनऊ में सीवेज प्रबंधन के अन्तर्गत सेवा मानक स्तर की उपलब्धि की स्थिति I kj.kh 6 में दर्शायी गयी है।

I kj.kh 6% I ok ekud Lrj e mi yfC/k; k dk fooj.k

%i fr'kr e%

Ø0 I Ø	i Lrkfor I pd	ekud %kkj r I j dkj %	y{; %mRrj i ns k I j dkj %	mi yfC/k %2014&15%
1.	शौचालय का आच्छादन	100	76	70
2.	अपशिष्ट जल नेटवर्क सेवाओं का आच्छादन	100	63	69
3.	अपशिष्ट जल नेटवर्क की संग्रह क्षमता	100	88	84
4.	अपशिष्ट जल उपचार क्षमता की पर्याप्तता	100	88	84
5.	उपचारित अपशिष्ट जल के पुर्नचक्रण और पुनरुपयोग की सीमा	100	0	0
6.	उपचारित अपशिष्ट जल की गुणवत्ता	100	70	67
7.	ग्राहकों की शिकायतों के निवारण में दक्षता	80	80	92
8.	अपशिष्ट जल प्रबंधन में लागत वसूली की क्षमता	100	40	28
9.	सीवेज मूल्य वसूली में दक्षता	90	80	88

(स्रोत: नगर निगम, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि नगर निगम, लखनऊ चार सूचक सेवा क्षेत्रों में लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका था।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि कुल जनित 675 मिलीयन लीटर प्रतिदिन सीवेज के सापेक्ष नगर निगम, लखनऊ द्वारा दौलतगंज एवं भरवारा में दो सीवेज प्रशोधन संयंत्र क्रमशः 70 मिलीयन लीटर प्रतिदिन एवं 345 मिलीयन लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्थापित किये गये थे। इनमें से दौलतगंज के सीवेज प्रशोधन संयंत्र 70 मिलीयन लीटर प्रतिदिन क्षमता से कार्य कर रही थी जबकि भरवारा स्थित दूसरी सीवेज प्रशोधन संयंत्र की स्थिति इसके संचालन/रखरखाव के लिये उत्तरदायी फर्म द्वारा खराब रख-रखाव/असंचालन के कारण स्थापना (जनवरी 2011) से उत्तरोत्तर क्षीण हो रही थी। संयंत्र भी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर रहा था। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि सीवेज प्रशोधन संयंत्रों के अनुरक्षण का कार्य प्रगति पर है और 115 मिलीयन लीटर प्रतिदिन की एक इकाई क्रियाशील है। इस प्रकार, अप्रभावी/अपर्याप्त शोधन सुविधा के कारण केवल 185 मिलीयन लीटर प्रतिदिन सीवेज ही शोधित हो रहा था (दौलतगंज 70 मिलीयन लीटर प्रतिदिन और भरवारा 115 मिलीयन लीटर प्रतिदिन) और गैरशोधित सीवेज गोमती नदी में बहाया जा रहा था।

5-10-2 uxjh; Bkl vif'k"V izU/ku

नगर निगम लखनऊ द्वारा 2010-15 की अवधि में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत 16 कार्यों पर ₹ 11.75 करोड़ का व्यय किया गया। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिये निर्धारित किये गये वर्ष 2014-15 के लक्ष्यों के सापेक्ष नगर निगम लखनऊ द्वारा सूचित उपलब्धियों का विवरण निम्नवत दर्शाया गया है:

I kj.kh 7% I ok ekud Lrj ea mi yfC/k; ka dk fooj.k

ki fr'kr e%

Ø0 I Ø	i Lrkfor I dard	ekud ¼Hkkjr I jdkj½	y{; ¼mRrj i ns'k I jdkj½	mi yfC/k
1.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा में घरेलू स्तरीय आच्छादन	100	62	56
2.	नगरीय ठोस अपशिष्ट के एकत्रीकरण की क्षमता	100	100	99
3.	नगरीय ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण की सीमा	100	39	68
4.	नगरीय ठोस अपशिष्ट के उठाने की सीमा	80	80	47
5.	नगरीय ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिकी निस्तारण की सीमा	100	0	0
6.	नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन लागत वसूली की सीमा	100	100	82
7.	नगरीय ठोस अपशिष्ट शुल्क की वसूली की क्षमता	90	90	92
8.	ग्राहकों की शिकायतों के निवारण की क्षमता	80	80	100

(स्रोत: नगर निगम लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

इस प्रकार, चार सूचकों के सापेक्ष सेवा स्तर मानक प्राप्त नहीं किये गये और तीन में अधिक प्राप्त थे। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि सेवा स्तर मानकों के सापेक्ष उपरोक्त वर्णित नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की स्थिति वास्तविक स्थिति के अनुरूप

नहीं थी। जाँच में पाया गया कि ठोस अपशिष्ट का घर-घर से एकत्रीकरण, 110 वार्डों में से 57 वार्डों में किया जा रहा था और नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र के संचालित न होने के कारण अपशिष्ट के पृथक्कीकरण का कार्य इसके लिये उत्तरदायी फर्म द्वारा वर्ष 2010 से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा था।

तब&fपfdRI h; vi f'k"V

जैसा कि प्रस्तर 5.8.1 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षा में पाया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ द्वारा जिले के सरकारी चिकित्सालयों के जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु एक फर्म के साथ अनुबन्ध किया गया था, जिसका वार्षिक नवीनीकरण किया जाना था।

यद्यपि, लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि जिला लखनऊ में अनुबन्ध का नवीनीकरण नहीं किया गया था, और जिले के किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उचित प्रबन्धन नहीं पाया गया। इस प्रकार, जून 2015 तक अनुबन्ध के नवीनीकरण किये बिना ही फर्म कार्य कर रही थी और जिले में उत्सर्जित जैव चिकित्सा अपशिष्ट के वैज्ञानिक निस्तारण के लिये समुचित व्यवस्था नहीं की गयी थी।



सामुदायिक केन्द्र मलीहाबाद लखनऊ की दीवार के नजदीक फैला जैव चिकित्सीय अवशिष्ट (07.06.2015)

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा के मत को स्वीकार करते हुए उल्लिखित किया गया कि शीघ्र ही अनुबन्ध का नवीनीकरण किया जायेगा।

5.10.3 vkx ds [kr]s l s fui Vus dh 0; oLFkk , oa mi 'keu dh ; kst uk

दस लाख से अधिक जनसंख्या (जनगणना 2001) वाले सभी नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में आग के खतरे से निपटने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उद्देश्य की प्राप्ति के लिये, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 2011-15 की अवधि में विभिन्न चरणों में छः नगर निगमों में उपकरणों की आपूर्ति और निर्माण कार्यों के निष्पादन की कार्ययोजना अधिसूचित (मार्च 2011) की गयी। लखनऊ नगर निगम, की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2011-15 की अवधि में उत्तर प्रदेश सरकार से कुल अवमुक्त धनराशि ₹ 10.56⁷ करोड़ में से ₹ 6.27 करोड़ हाइड्रोलिक प्लेटफार्म एवं वाटर बाउजर के क्रय के लिये महानिदेशक अग्निशमन सेवा उत्तर प्रदेश लखनऊ को और भूमिगत जलाशय और हाइड्रेन्ट के निर्माण के लिये ₹ 2.92 करोड़ जल संस्थान को दिया गया। अभिलेखों की जांच और संयुक्त भौतिक निरीक्षण में निम्न तथ्य संज्ञान में आये:

⁷ हाइड्रोलिक प्लेटफार्म: ₹ 5.99 करोड़; वाटर बाउजर: ₹ 28 लाख; भूमिगत जलाशय एवं हाइड्रेन्ट: ₹ 2.92 करोड़; जीवन रक्षक के साथ एम्बुलेन्स एवं जीप को खींचने वाला वाहन: ₹ 1.36 करोड़।

Lkj.kh 8% ueuk tkp fd; s x; s uxj i kfydk i fj"kn ea o"z 2010&15 dh vof/k ea dj; s x; s dk; l


₹ yk[k ea

Ok"z	tyki frl		l hojst		Ok"kk&ty fudkl h		uxjh; Bkl vif'k"V i zll/ku		vU; dk; l	
	dk; l	0; ;	dk; l	0; ;	dk; l	0; ;	dk; l	0; ;	dk; l	0; ;
2010-11	30	84.54	4	95.13	49	217.82	38	212.68	75	195.25
2011-12	26	133.42	3	19.49	60	406.39	27	194.24	14	63.61
2012-13	28	262.32	0	0	157	1371.36	36	368.70	15	71.40
2013-14	78	486.93	3	15.82	159	1878.64	75	602.18	14	39.31
2014-15	34	181.79	3	54.21	83	633.13	15	141.74	14	51.54
; kx	196	1,149.00	13	184.65	508	4,507.34	191	1,519.54	132	421.11

(स्रोत: नमूना जाँच किये गये नगर पालिका परिषदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

pkVl 3% o"z 2010&15 dh vof/k ea pkj l okvka ea fd; k x; k 0; ;

Wi fr'kr ea



(स्रोत: चयनित नगर पालिका परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उपरोक्त pkVl 3 में स्पष्ट है कि सभी 18 चयनित नगर पालिका परिषदों में चार सेवाओं में से अधिकतम व्यय वर्षा जल निकासी पर किया गया जबकि सभी में सीवरेज कार्यों की उपेक्षा की गयी।

5-11-1 tyki frl l ok; j

जलापूर्ति सेवा के अन्तर्गत चयनित नगर पालिका परिषदों द्वारा 2010-15 की अवधि में 196 कार्यों में ₹ 11.49 करोड़ व्यय किया गया

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य और चयनित नगर पालिका परिषद द्वारा सूचित उपलब्धि नीचे lkj.kh 9 में दी गयी:

lkj.kh 9% l ok Lrj ekudka dh mi yfC/k dk foj;k

ØØ l Ø	tyki frl l dard	Ekkud %Hkkjr l jdkj½	Yk{; Lrj %2014&15½	mi yfC/k dk Lrj
1.	जलापूर्ति संयोजन का आच्छादन (प्रतिशत में)	100	2-73	2-68
2.	अन्तिम उपभोक्ता तक प्रतिव्यक्ति पानी की उपलब्धता (एलपीसीडी में)	135	30-104	30- 118
3.	जलसंयोजन में मीटर की सीमा (प्रतिशत में)	100	0-5	0
4.	गैर-राजस्व पानी की सीमा (प्रतिशत में)	20	5-30	2-37

5.	पानी आपूर्ति की निरंतरता (घंटों में)	24	4-17	3-17
6.	ग्राहकों की शिकायतों के निवारण में दक्षता (प्रतिशत में)	100	80-100	80-100
7.	पानी की गुणवत्ता की आपूर्ति (प्रतिशत में)	80	80-101	90-100
8.	पानी आपूर्ति सेवाओं में लागत वसूली (प्रतिशत में)	100	9-79	11-54
9.	पानी आपूर्ति से सम्बन्धित शुल्कों के संग्रह में दक्षता (प्रतिशत में)	90	17-90	13-95

(स्रोत: नमूना जाँच किये गये नगर पालिका परिषदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि अधिकांश सूचकों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मानक के सापेक्ष लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ बहुत कम थी और किसी भी नमूना जाँच किये गये नगर पालिका परिषद में जलापूर्ति संयोजन में मीटर नहीं पाया गया। नमूना जाँच किये गये नगर पालिका परिषदों में भवनों के जलापूर्ति संयोजन में 21 से 98 प्रतिशत की कमी थी।

5-11-1-1 फुक वको' ; द्रक दस Ø; fd; k tkuk

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 के भाग प्रथम के नियम 256 के अनुसार, निधि के अवरोधन से बचने के लिये किसी भी सामग्री का क्रय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि नगर पालिका परिषद गोण्डा ने तेहरवें वित्त आयोग के अनुदान से ₹ 6.03 लाख के जलकल उपकरणों, यथा—एल्बो, पाइप इत्यादि के क्रय पर व्यय किये जबकि, उपकरण दिसम्बर 2011 से अप्रयुक्त पड़े हुए थे। यह इंगित करता है कि सामग्री का क्रय बिना वास्तविक आवश्यकता के आकलन किये किया गया था। इसे इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए बताया कि भविष्य में आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री का क्रय किया जायेगा।

5-11-1-2 व्यकHkdkjh 0; ;

नगर पालिका परिषद, महमूदाबाद, सीतापुर में वर्ष 2010–11 में पिछड़ा क्षेत्रीय अनुदान निधि योजना के अंतर्गत ₹ 27.96 लाख की लागत से पूर्व स्थापित छः मिनी ट्यूबवेल के द्वारा जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 2011–14 की अवधि में पाइप लाइन विस्तार, जनरेटर एवं पी.वी.सी ओवरहेड टैंक की स्थापना पर तेहरवें वित्त आयोग से ₹ 32.49 लाख व्यय किया गया था। अभिलेखों की जाँच और संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि यह ट्यूबवेल अप्रयुक्त पड़े हुए थे, क्योंकि नगर पालिका परिषद द्वारा अप्रैल 2015 तक किसी भी घर में एक भी जल संयोजन नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, ₹ 32.49 लाख का व्यय अलाभकारी रहा।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी महमूदाबाद द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया और बताया गया कि स्थानीय जनता को भविष्य में अबाध जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने हेतु जनरेटर एवं ट्यूबवेल स्थापित किये गये थे।

5-11-2 I hojst dk; l

अट्टारह चयनित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 2010–15 की अवधि में सीवरेज से सम्बन्धित 13 कार्यों पर ₹ 1.85 करोड़ का व्यय किया गया।

जाँच में पाया गया कि नगर पालिका परिषद, इटावा को छोड़कर किसी भी चयनित नगर पालिका परिषद में सीवरेज कार्य नहीं कराया गया, यद्यपि इन सभी में सीवरेज सुविधा का अभाव था।

5-11-2-1 वफØ; k'khy | hojst fl LVe

नगर पालिका परिषद, इटावा में, एक सीवेज प्रशोधन संयंत्र मुख्य पम्पिंग स्टेशन के साथ 22.15 किमी सीवेज सिस्टम जून 2013 में बनाया गया, परन्तु 52,130 भवनों के सापेक्ष मात्र तीन भवनों को अब तक सीवेज सिस्टम से जोड़ा गया। अग्रेतर, सीवेज सिस्टम अक्रियाशील होने के कारण तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान से क्रय की गयी सीवर जेटिंग मशीन (दिसम्बर 2014) पर किया गया व्यय ₹ 29.89 लाख भी अलाभकारी रहा। यद्यपि एक नाला, जो कि यमुना एक्शन प्लान के अन्तर्गत पूर्व निर्मित दूसरी सीवेज प्रशोधन संयंत्र से जुड़ा था, उसे बन्द करके सीवेज प्रशोधन संयंत्र और मुख्य पम्पिंग स्टेशन को क्रियाशील करने के लिये दूषित पानी को इस नई सीवेज प्रशोधन संयंत्र की तरफ मोड़ दिया गया। लेखापरीक्षा में इंगित करने पर, अधिशासी अधिकारी द्वारा बताया गया कि सीवेज सिस्टम को भवनों से जोड़ने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सीवेज सिस्टम का निर्माण करने से पूर्व उसके औचित्य का आकलन नहीं किया गया था।

5-11-3 uxjh; Bkl vif'k"V izU/ku

अट्टारह नमूना जाँच किये गये नगरीय निकायों द्वारा 2010-15 की अवधि में नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबन्धन से सम्बन्धित 191 कार्यों पर ₹ 15.20 करोड़ का व्यय किया गया।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं नमूना जाँच किये गये नगर पालिका परिषदों द्वारा सूचित उपलब्धि | kj .kh 10 में दी गयी है:

| kj .kh 10% | ok Lrj ekudka ds mi yfC/k dk fooj .k

%i fr'kr e%

ØØ Ø	Ukxjh; Bkl vif'k"V dnd	ekud %Hkkjr jdkj½	y{; %mRrj ins'k jdkj½	mi yfC/k dk Lrj
1.	टोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा में घरेलू स्तरीय क्षेत्र	100	0	0-16
2.	नगरीय टोस अपशिष्ट के एकत्रीकरण की क्षमता	100	100-109	97-100
3.	नगरीय टोस अपशिष्ट के पृथक्कीकरण की सीमा	100	0-100	0-100
4.	नगरीय टोस अपशिष्ट के अतिमीकरण की सीमा	80	0	0-55
5.	नगरीय टोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक रीति से निस्तारण की सीमा	100	0-100	0-100
6.	नगरीय टोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा में लागत वसूली की सीमा	100	0	0
7.	नगरीय टोस अपशिष्ट शुल्क प्रभार वसूली की क्षमता	90	0	0
8.	ग्राहकों की शिकायतों के निवारण की क्षमता	80	78-80	0-100

(स्रोत: नमूना जाँच किये गये नगर पालिका परिषदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें)

उपरोक्त | kj .kh से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा नगरीय टोस अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया था। यद्यपि, 18 नगर पालिका परिषदों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि घर-घर से अपशिष्ट के एकत्रीकरण हेतु मात्र नगर पालिका परिषद, सीतापुर में ही वाह्य एजेन्सी द्वारा किया जा रहा था। अग्रेतर, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया कि नमूना जाँच किये गये 18 नगर पालिका परिषदों में से मात्र नगर पालिका परिषद, इटावा में ही टोस अपशिष्ट के संशोधन एवं निस्तारण की सुविधायें उपलब्ध थी। कार्य के निष्पादन में पायी गयी कमियों की आगे के प्रस्तारों में चर्चा की गयी है:

5-11-3-1 दमक , d=hdj.k LFky dk vi vkf fodkl

नगरीय ठोस अपशिष्टों के निस्तारण के लिये कूड़ा एकत्रीकरण स्थलों का विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की एक मूलभूत आवश्यकता है। जांच में पाया गया कि नमूना जाँच किये गये 18 नगर पालिका परिषद में से 12 नगर पालिका परिषद में कूड़ा एकत्रीकरण स्थल, भूमि की अनुपलब्धता के कारण उपलब्ध नहीं थे। छः नगर पालिका परिषदों में कूड़ा एकत्रीकरण स्थल के लिए भूमि उपलब्ध थी जिसमें से तीन नगर पालिका परिषदों द्वारा 2010-15 की अवधि में कूड़ा एकत्रीकरण स्थलों की स्थापना के लिए ₹ 54.61 लाख का व्यय किया गया *वि.वि.वि.क. 5-13*। फिर भी किसी नगर पालिका परिषद द्वारा विभिन्न कारणों से इन कूड़ा एकत्रीकरण स्थलों का उपयोग नहीं किया जा रहा था। परिणामस्वरूप इन 18 नगर पालिका परिषदों में प्रतिमाह जनित 12,542 एम.टी. नगरीय ठोस अपशिष्ट अभी भी अनधिकृत रूप से खुले स्थान, यथा सड़क के किनारे नीचे गड्ढों, तालाबों आदि में एकत्रित किया जा रहा था *वि.वि.वि.क. 5-14*। लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर सम्बंधित अधिशासी अधिकारी द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि डम्पिंग स्थल तक पहुँच मार्ग पर और स्थानीय नागरिकों के साथ विवाद के कारण डम्पिंग स्थल का उपयोग नहीं किया जा रहा था।

5-11-3-2 LVkd dh vuqj yC/krk

नगर पालिका परिषद, गोंडा में जून 2014 में कूड़ा निस्तारण के लिए 50 डस्टबिन ₹. 12.20 लाख में क्रय किये गये थे। स्टाक पंजिका की जाँच में पाया गया कि 50 डस्टबिन में से 27 डस्टबिन उसी दिन वितरित कर दिये। स्टाक पंजिका के अनुसार 23 डस्टबिन अवशेष के रूप में दर्शाये गये परन्तु स्टाक के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में एक भी डस्टबिन भण्डार में नहीं पाया गया। अग्रेतर, जाँच में पाया गया कि स्टाक पंजिका में प्राप्त/निर्गत डस्टबिनों की प्रविष्टि नहीं की गयी थी। इस प्रकार स्टाक में ₹ 5.61 लाख की लागत के कम प्रदर्शित डस्टबिनों का आकलन किया जाना आवश्यक है।

5-11-3-3 viz qRk mi dj.k

नमूना जाँच किये गये 18 नगर पालिका परिषदों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि चार नगर पालिका परिषदों में ₹ 37.07 लाख की लागत के उपकरण/मशीनें क्रय किये जाने के बाद से अप्रयुक्त रखी हुई थी *वि.वि.वि.क. 5-15*। इस प्रकार नगर पालिका परिषद द्वारा बिना उचित नियोजन के उपकरणों का क्रय किये जाने के परिणामस्वरूप यह उपकरण अप्रयुक्त थे। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि भविष्य में आवश्यकताओं के अनुरूप उपकरणों को उपयोग में लाया जायेगा।

tB&fpfdRI h; vi f'k"V

इस प्रतिवेदन के प्रस्तर 5.8.1 में उल्लिखित प्रावधानों के सन्दर्भ में लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि नमूना जाँच किये गये जनपदों में से मात्र पांच¹⁰ जनपदों की नगर पालिका परिषदों के अन्तर्गत सरकारी अस्पतालों में चिकित्सीय जैव-अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निजी संस्थाओं से अनुबंध निष्पादित किये गये थे। इन अनुबंधों का प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाना था। जांच में पाया गया कि जनपद सुलतानपुर के अतिरिक्त अन्य किसी में भी अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया गया था और कथित संस्थाएँ

¹⁰ बहराइच, इटावा, गोण्डा, मऊ, सुलतानपुर

बिना अनुबंध को नवीनीकृत किये ही क्रियाशील रही। उपरोक्त पांच जनपदों में स्थित अतिरिक्त/नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के उचित निस्तारण हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं किये जाने के कारण इनमें चिकित्सीय जैविक अपशिष्ट के निस्तारण की कोई उपयुक्त प्रणाली नहीं थी।

अग्रेतर, जाँच में यह भी पाया गया कि जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट को जिला अस्पताल (पुरुष) इटावा के परिसर में एवं अस्पताल की चहारदीवारी के पास स्थित तालाब में फेंका गया था। जिला अस्पताल (महिला) इटावा के वार्डों में अलग-अलग तीन रगों के कूड़ेदान भी नहीं स्थापित थे। जैसा कि फोटोग्राफ में दर्शित है, जनपद इटावा में बिना रंगीन थैली के चार वार्डों के मध्य मात्र एक कूड़ादान स्थापित किया गया था।



इटावा में अस्पताल की चहार दीवारी के निकट स्थित तालाब में पाया गया जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (25.06.2015)

इटावा में महिला जिला अस्पताल में चार वार्डों के लिये पायी गयी केवल वाल्टी (25.06.2015)

5-11-4 0"kk&ty fudkl h

वर्ष 2010-15 के दौरान नमूना जाँच किये गये 18 नगर पालिका परिषदों द्वारा वर्षा-जल निकासी से सम्बन्धित 508 कार्यों पर ₹ 45.07 करोड़ व्यय किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं उसके सापेक्ष नमूना जाँच किये गये नगर पालिका परिषदों द्वारा उपलब्धियों का विवरण l kj .kh 11 में दिया गया है।

l kj .kh 11% l ok Lrj ekudka dh mi yfC/k dk fooj .k

Ø0 l Ø	0k"kkz ty fudkl h ekud	ekud %kkjr l jdkj½	y{; %mRrj i ns'k l jdkj½	mi yfC/k dk Lrj
1.	वर्षा जल निकासी नेटवर्क का आच्छादन (प्रतिशत में)	100	16-101	15-100
2.	जल भराव/बाढ़ के प्रकरण	0	0-24	0-24

(स्रोत: नमूना जाँच किये गये नगर पालिका परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें)

सेवा मानकों का लक्ष्य निर्धारित किये जाने का उद्देश्य था कि नालों का उचित रूप से निर्माण करके क्षेत्रों में जलभराव/बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के प्रकरणों को कम किया जा सके। नमूना जाँच किये गये 18 नगर पालिका परिषदों में से मात्र सात¹¹ नगर पालिका परिषदों द्वारा जल भराव/बाढ़ के शून्य प्रकरण का लक्ष्य पूर्ण किया गया था।

¹¹नगर पालिका परिषद, दादरी (गौतमबुद्ध नगर), नगर पालिका परिषद, अतरौली (अलीगढ़ नगर पालिका परिषद, महमूदाबाद (सीतापुर), नगर पालिका परिषद, खैर (अलीगढ़), नगर पालिका परिषद, भरथना (इटावा), नगर पालिका परिषद, नानपारा (बहराइच), नगर पालिका परिषद, नवाबगंज (गोण्डा)।

के अन्तर्गत नमूना जाँच किये गये नगर पंचायतों द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण I kj.kh 12 एवं pKV 3 में दिया गया है।

I kj.kh 12% 2010&15 ds nkjku p; fur uxj i pk; r ea dj k; s x; s dk; l


₹ yk[k e]

0k"z	tyki frl		Lkhjst		0k"z ty fudkl h		Bkl vi f'k"V i c/ku		vU; dk; l	
	dk; l	0; ;	dk; l	0; ;	dk; l	0; ;	dk; l	0; ;	dk; l	0; ;
2010-11	32	20.15	3	0.82	32	62.27	46	106.16	75	50.58
2011-12	32	63.68	3	3.43	44	93.32	38	77.86	29	55.74
2012-13	45	89.83	5	62.56	73	246.32	65	132.69	22	52.23
2013-14	54	208.44	1	6.08	114	452.01	55	295.36	22	63.47
2014-15	30	118.99	1	8.53	75	394.29	53	244.57	21	61.37
; kx	193	501.09	13	81.42	338	1,248.21	257	856.64	169	283.39

(स्रोत: नमूना जाँच किये गये नगर पंचायतों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

pKV 4% 0"z 2010&15 dh vof/k ea pkj l okvka ea fd; k x; k 0; ;

%i fr'kr e



(स्रोत: नमूना जाँच किये गये नगर पंचायतों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि चारों सेवाओं में अधिकतम व्यय वर्षा जल निकासी पर किया गया, जबकि सीवरेज कार्यों को सभी नमूना जाँच किये गये 33 नगर पंचायतों द्वारा उपेक्षित किया गया था।

5-12-1 tyki frl l ok; :

नमूना जांच में चयनित 33 नगर पंचायतों द्वारा 2010-15 की अवधि में जलापूर्ति सेवाओं के अन्तर्गत 193 कार्यों पर ₹ 5.01 करोड़ का व्यय किया गया था। अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, सम्पादित कराये गये कार्यों में पायी गयी कमियों की नीचे चर्चा की गयी है:

- नगर निकाय क्षेत्र में स्थित नलकूपों की विद्युत वैकल्पिक व्यवस्था हेतु विद्युत संयोजन हेतु नगर पंचायत, सैदपुर, गाजीपुर द्वारा 400 किलो वोल्ट एम्पीयर क्षमता के दो अदद ट्रांली युक्त ट्रान्सफार्मर फरवरी 2015 में (लागत ₹ 22.43 लाख) में क्रय किये गये थे। जांच में पाया गया कि इन ट्रान्सफार्मरों की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसी कार्य हेतु वर्ष 2011-12 में दो अदद 40 किलो वोल्ट एम्पीयर जनरेटर क्रय किये

गये थे, जो क्रियाशील थे। फलस्वरूप, एक ट्रान्सफार्मर फरवरी 2015 से भंडार में निष्क्रिय पड़ा था एवं दूसरे ट्रान्सफार्मर को विद्युत विभाग की मुख्य विद्युत आपूर्ति लाइन से संयोजित किया गया था। उक्त तथ्यों की पुष्टि लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण में की गयी एवं नीचे दिये गये चित्र में प्रदर्शित है।



लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा बताया गया कि मुख्य विद्युत लाइन के कम विद्युत भार को बढ़ाने के लिये आवश्यकता पड़ने पर ट्रान्सफार्मर का उपयोग किया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपयुक्त विद्युत भार की विद्युत आपूर्ति का दायित्व विद्युत विभाग का था।

5-12-2 I hojst dk; l

वर्ष 2010–15 की अवधि में नमूना जाँच किये गये 33 नगर पंचायतों में से आठ नगर पंचायतों द्वारा सीवरेज व्यवस्था के अन्तर्गत 13 कार्यों पर ₹ 81.42 लख का व्यय किया गया था। किसी भी नमूना जाँच किये गये नगर पंचायत द्वारा सीवरेज व्यवस्था संबंधी कोई कार्य नहीं कराया गया था जबकि इन नगर पंचायतों में सीवेज निकासी की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

नगर पंचायत, अडारी, मऊ के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2012–13 में एक सीवर सक्शन मशीन के क्रय पर ₹ 7.80 लाख का व्यय किया गया था जो कि निष्क्रिय पड़ी थी। मशीन के रख रखाव पर वर्ष 2014–15 में ₹ 2.65 लाख का अतिरिक्त व्यय भी किया गया था। इस प्रकार सीवर सक्शन मशीन के क्रय व रख-रखाव पर जुलाई 2015 तक किया गया कुल ₹ 10.45 लाख का व्यय अलाभकारी हुआ। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि भविष्य में मशीन को उपयोग में लाया जायेगा।

5-12-3 uxjh; Bkl vif'k"V iCU/ku

नमूना जाँच किये गये 33 नगर पंचायतों द्वारा वर्ष 2010–15 की अवधि में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत 257 कार्यों पर ₹ 8.57 करोड़ का व्यय किया गया था। अभिलेखों के जांच की अवधि में सम्पादित कराये गये कार्यों में कमियां पायी गयी जिसकी चर्चा अग्रेत्तर प्रस्तारों में की गयी है।

5-12-3-1 dMk , d=hdj .k LFkyk dk vi wkl fodkl

नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन के अन्तर्गत अपशिष्टों के निस्तारण हेतु कूड़ा एकत्रीकरण स्थलों का विकास किया जाना बुनियादी आवश्यकता थी। नमूना जाँच किये

गये 33 नगर पंचायतों में से 21 नगर पंचायतों में भूमि उपलब्ध न होने के कारण कूड़ा एकत्रीकरण स्थल उपलब्ध नहीं थे। उनमें से 12 नगर पंचायतों के पास कूड़ा एकत्रीकरण स्थल के लिए भूमि उपलब्ध थी, तथा नौ नगर पंचायतों द्वारा 2010-15 की अवधि में कूड़ा एकत्रीकरण स्थल के लिए भूमि क्रय करने अथवा विकास कार्यों में ₹ 75.62 लाख का व्यय किया गया था $\frac{1}{11}$ । किन्तु किसी भी नमूना जाँच किये गये नगर पंचायत द्वारा कूड़ा एकत्रीकरण स्थलों का उपयोग नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार नमूना जाँच किये गये 33 नगर पंचायतों में प्रतिमाह जनित 1,610 मैट्रिक टन कूड़े का निस्तारण अनधिकृत रूप से खुले में, जैसे-सड़कों के किनारे, निचली भूमि, जलाशय इत्यादि में किया जा रहा था $\frac{1}{11}$ । लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर सम्बंधित अधिशासी अधिकारियों द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि स्थल तक पहुँच मार्ग में स्थानीय जनता के साथ विवाद होने के कारण कूड़ा एकत्रीकरण स्थलों का उपयोग नहीं किया जा सका है।

5-12-3-2 नक़ी क़ लफ़्क़ दस प; उ फ़द; स त्कुस दस दक़ .क व्क़क़क़क़ 0; ;

नगर पंचायत बकेवर, जनपद इटावा के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2011-12 में राजमार्ग के किनारे एवं विद्युत आपूर्ति घर के निकट ₹ 6.40 लाख¹³ के व्यय से एक कूड़ाघर एवं ढलाव-घर का अगल-बगल निर्माण किया गया था। स्थल उपयुक्त नहीं पाया गया, क्योंकि कूड़ाघर के ऊपर से 33 किलो वोल्ट एम्पीयर विद्युत लाइन जा रही थी। फलस्वरूप, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बकेवर के संयुक्त निरीक्षण के पश्चात स्थल को विहित प्रयोजन हेतु अनुपयुक्त होने के कारण निर्मित ढांचे को पांच फीट तक ध्वस्त कर दिया गया था। (जून 2015)



नगर पंचायत बकेवर में राज्यमार्ग के किनारे विद्युत घर के निकट अप्रयुक्त कूड़ाघर एवं ढलाव घर (27/06/2015)

इस प्रकार दोषपूर्ण स्थल के चयन किये जाने के कारण नगरीय टोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिये अनुपयुक्त स्थल के निर्माण पर किया गया ₹ 6.40 लाख का व्यय अलाभकारी रहा एवं निर्मित ढांचे पर स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था जैसा कि नीचे चित्र में प्रदर्शित है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर अधिशासी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि तत्कालीन अधिशासी अधिकारी के त्रुटिपूर्ण निर्णय के कारण निधियों का दुरुपयोग हुआ।

5-12-3-3 फुफ़"Ø; मि द्ज .क

नमूना जाँच किये गये 33 नगर पंचायतों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि आठ नगर पंचायतों द्वारा चार सेवाओं से सम्बंधित उपकरण/मशीन के क्रय पर ₹ 31.98 लाख व्यय किया गया था, जिसे क्रय किये जाने के पश्चात उपयोग में नहीं लाया गया था $\frac{1}{11}$ । इस प्रकार, उचित नियोजन के अभाव में नगर पंचायतों द्वारा

¹³ कूड़ाघर पर ₹ 3.21 लाख एवं ढलाव पर ₹ 3.19 लाख का व्यय

क्रय कलये गये उपकरणों का उपयोग नहीं कलया जा सका अथवा क्षमता से कम उपयोग कलया गया था। लेखापरीक्षा में इंगलत कलये जाने पर सम्बंधलत अधलशासी अधिकारी द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कल भवलष्य में उपकरणों को उपयोग में लाया जायेगा।

5-12-4 o"kkz ty fudkl h

नमूना जांच में 33 नगर पंचायतों द्वारा वर्ष 2010–15 की अवधल में वर्षा जल नलकासी के अन्तर्गत 338 कार्यों पर ₹ 12.48 करोड़ का व्यय कलया गया था। अभललेखों की जांच के दौरान सम्पादलत कराये गये कार्यों मे कमलयां पायी गयी, ललसकी चर्चा आगे के प्रस्तरों में की गयी है।

5-12-4-1 vi wkl ukys

इस प्रतिवेदन के प्रस्तर 5.8.2.1 में इंगलत प्रावधानों के अनुसार, लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कल नमूना जांच में 33 नगर पंचायतों में से पांच नगर पंचायतों द्वारा छः नालों के नलर्माण पर ₹ 25.76 लाख व्यय कलये जाने के बावजूद नाले अपूर्ण थे। उक्त नालों के संरेखण में धार्मलक स्थलों, वलद्युत खंभों ट्रान्सफार्मर एवं स्थानीय लोगों द्वारा वलरोध, अलतिक्रमण जैसे अवरोधों के कारण ये पूर्ण नहीं कलये जा सके। इस प्रकार, बलना अवलवादलत भूमल की उपलब्धता सुनलश्चलत कलये नालों का नलर्माण प्रारम्भ कलये जाने से अपूर्ण नालों पर कलया गया ₹ 27.76 लाख का व्यय अलाभकारी रहा *lll fff'k"V 5-16lll*

लेखापरीक्षा में इंगलत कलये जाने पर सम्बंधलत अधलशासी अधिकारी द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कल भवलष्य में इन नालों को पूर्ण कर क्रलयाशील कलया जायेगा।

5.12.4.2 ukyka dks mi ; Qr 'kh"kl l s l a kftr u fd; k tkuk

नमूना जांच में 33 नगर पंचायतों में से तीन नगर पंचायतों के अभललेखों की जांच में पाया गया कल ₹ 32.69 लाख व्यय करके सात सहायक नाली नलर्माण कलया गया था कलन्तु नाली के अन्तलम छोर पर मुख्य नाले/जलाशय के न होने, स्थलीय वलवाद एवं अनुचलत संरेखण के कारण इन नालों को मुख्य नालों/जलाशय से जोड़ा नहीं जा सका था। इस प्रकार उक्त नालों को क्रलयाशील नहीं कलया जा सका और ₹ 32.69 लाख का व्यय अलाभकारी रहा *lll fff'k"V 5-17lll*। लेखापरीक्षा में इंगलत कलये जाने पर सम्बंधलत अधलशासी अधिकारलियों द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कल भवलष्य में और नाले नलर्मलत करके इन नालों को क्रलयाशील कलया जायेगा।

5.12.4.3 foRrh; l hek dk mYy?ku

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश¹⁴ (अक्टूबर 2012) के अनुसार, नगर पंचायतों द्वारा नाला नलर्माण पर व्यय की अधिकतम सीमा ₹ पांच लाख नलर्धारलत की गयी थी। इससे अधिक व्यय सीमा के नाले का नलर्माण एवं डलजाइन सेवा, जल नलगम, उत्तर प्रदेश द्वारा कलया जाना था।

अभललेखों की नमूना जांच में पाया गया कल 33 नगर पंचायत में से सात नगर पंचायतों द्वारा उनकी वलत्तीय सीमा का उल्लंघन करते हुए नौ नालों के नलर्माण पर

¹⁴ शासनादेश संख्या 3788/9–5–2012/111/बजट/2010 दलनांक 09–10–2012।

₹ 1.17 करोड़ का व्यय अनियमित रूप से किया गया था। *ii f'f'k"V 5-18%* लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर सम्बंधित अधिशासी अधिकारी द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5-13 vuqJo.k

प्रत्येक श्रेणी के अनुदान के सम्बन्ध में विशेष शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन जुलाई 2010 में किया गया था।

उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार होनी चाहिए थी। सचिव, नगर विकास विभाग, लखनऊ के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक नियमित रूप से नहीं हो रही थी। एक वर्ष में न्यूनतम चार बैठकें आयोजित किये जाने के मानक के सापेक्ष, उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2014-15 में क्रमशः दो एवं तीन बैठकें आयोजित की गयी थी। वर्ष 2010-15 में हुई 23 बैठकों में से मात्र छः बैठकों का कार्यवृत्त लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया था जिससे स्पष्ट था कि उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति ने स्थानीय निकायों द्वारा अनुदानों का उपयोग एवं कार्यों के सम्पादन की समीक्षा करने की बजाय निकायों को केवल स्थानीय नगर निकायों को अनुदान की संस्तुति की एवं प्रशासनिक विभाग से उपभोग प्रमाण-पत्रों की माँग की थी। इस प्रकार अनुश्रवण प्रक्रिया का राज्य एवं जनपद स्तर पर पूर्ण रूप से अभाव था।

vuq ka k% स्थानीय नगर निकायों के तीनों स्तरों पर पर्याप्त अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

5-14 i fj| hek; १

यह अनिवार्य है कि सभी क्रियाकलापों एवं लेने-देनों का उचित रूप से प्रलेखन एवं पर्याप्त साक्ष्य हो। किन्तु अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि नमूना जाँच किये गये नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में कार्य सम्पादन से सम्बन्धित मुख्य अभिलेख, जैसे- वार्षिक योजना, आगणन पंजिका, कार्य पंजिका, सम्पत्ति पंजिका एवं अनुबंध पंजिका या तो अनुचित रूप से या बिल्कुल ही नहीं बनाये गये थे।

शहरी स्थानीय निकायों में उचित प्रलेखन के अभाव में, जैसे- साक्ष्य का अभाव, सेवा मानकों के अन्तिम स्तर पर उपलब्धि की स्थिति को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। कार्य वास्तव में सम्पादित किये गये थे अथवा नहीं, इसे उचित रूप से सत्यापित किया जाना भी सम्भव नहीं था।

5-15 f'kdk; r fuokj.k i z.kkyh

नमूना जाँच में शहरी स्थानीय निकायों में कहीं भी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित नहीं थी। जल संस्थान, लखनऊ के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि यद्यपि शिकायत निवारण के लिए एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया था, किन्तु शिकायतों के निवारण के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। शिकायतें दर्ज करने के लिए मात्र एक शिकायत पंजिका रखी गयी थी, जिसमें शिकायतों की प्राप्ति एवं निवारण उसी दिन दिखाया गया था, जो प्रदर्शित करता है कि शिकायतों का वास्तव में उपयुक्त रूप से निवारण नहीं किया जा रहा था। नगर पालिका परिषद, भरथना में प्राप्त शिकायतों की

जाँच में पाया गया कि हैण्ड पम्प रिबोरिंग के सम्बन्ध में छः शिकायतों की शिकायत पंजिका में प्रविष्टि नहीं की गयी थी।

इसी प्रकार, नगर निगम, फिरोजाबाद में शिकायतों का कोई अनुश्रवण नहीं किया गया था क्योंकि शिकायतों के निस्तारण की कोई प्रविष्टि शिकायत पंजिका में नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013-14 के पश्चात शिकायत पंजिका में कोई शिकायत की प्रविष्टि नहीं की गयी थी।

5-16 fu"d"kl , oa vuq ka k

- सामान्य निष्पादन अनुदान को तेहरवें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों में निर्धारित पूर्व शर्तों, जैसे नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को पटल पर रखा जाना, राष्ट्रीय नगर पालिका लेखा संहिता का अनुपालन, अग्नि सुरक्षा मानकों को लागू किया जाना इत्यादि, के अनुपालन किए बिना अवमुक्त किया गया था।

Wi Lrj 5-6-4%

vuq ka k

विशिष्ट अनुदानों की प्राप्ति हेतु शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए।

- वित्तीय प्रबन्धन अपर्याप्त था क्योंकि नमूना जाँच में शहरी स्थानीय निकायों में से अधिकांश में निधियों के स्थानान्तरण में विलम्ब, निधियों का व्यावर्तन एवं ब्याज के जमान होने सम्बन्धी प्रकरण प्रकाश में आये। निर्धारित दोहरी लेखा प्रणाली पूरी तरह से अब तक लागू नहीं की जा सकी थी।

Wi Lrj 5-6-10%

vuq ka k

उपयोगिता प्रमाण पत्रों को समय से भेजा जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सभी शहरी स्थानीय निकायों में दोहरी लेखा प्रणाली शीघ्र लागू की जानी चाहिए।

- वार्षिक योजनायें नहीं बनायी गयी थी। निधियों के प्राप्ति के पश्चात तदर्थ रूप से केवल कार्य योजनायें बनायी गयी थी एवं इन्हें सक्षम प्राधिकारी से पुनःरीक्षित नहीं कराया गया था।

Wi Lrj 5-7-1%

vuq ka k

योजनाओं के प्रभावी सम्पादन एवं अनुश्रवण के लिये आवश्यकताओं के समुचित आंकलन के पश्चात ही योजनायें बनायी जानी चाहिए।

- शासन द्वारा निश्चित किये गये सेवा मानकों के लक्ष्यों के अनुसार चारों सेवाओं, यथा जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्षा जल निकासी के अर्न्तगत कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित नहीं किया गया था।।

Wi Lrj 5-8%

वृद्धि का क

तेरहवें वित्त आयोग में निर्धारित सेवा स्तर मानको को प्राप्त करते हुए कार्यो का सम्पादन शासन द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- राज्य एवं जिला स्तर पर अनुश्रवण व्यवस्था का अभाव था।

W/Lrj 5-13½

वृद्धि का क

शहरी स्थानीय निकायों के सभी तीनों स्तरों में पर्याप्त अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया गया था, (सितम्बर 2015)। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

v?; k; 6
'kgjh LFkkuh; fudk; ka dh vuq kyu ys[kki jh{kk

6-1 vykHkdjh 0; ;

gkbMkfyd Vkoj oXu fl LVe vkj cgmnns' kh; dMk xkMh dks
vko'; drk dk vkdyu fd; s fcuk Ø; fd; k tkuk rFkk rhu o"kkh l s
vf/kd l e; rd fuf"Ø; i Mj jgus ds ifj.kkeLo: lk ₹ 20-27 yk[k dk
vykHkdjh 0; ; A

विद्युत खम्भों में मार्ग प्रकाश के अनुरक्षण एवं नगरीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट परिवहन को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका परिषद के बोर्ड द्वारा 14 अगस्त 2010 की बैठक में एक बहुउद्देशीय कूड़ा गाड़ी एवं एक हाइड्रोलिक टावर वैगन सिस्टम को क्रय करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, ₹ 17.69 लाख (एक बहुउद्देशीय कूड़ा गाड़ी ₹ 7.72 लाख तथा एक हाइड्रोलिक टावर वैगन सिस्टम हेतु ₹ 9.97 लाख) का आकलन कर जिलाधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में समिति द्वारा अनुमोदन किया गया (मार्च 2011)। समिति द्वारा ₹ 9.62 लाख तेरहवें वित्त आयोग से एवं शेष ₹ 8.07 लाख नगर पालिका परिषद की राज्य वित्त आयोग अनुदान/पालिका निधि से व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी (मार्च 2011)।

अधिकासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सरधना, मेरठ के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी और जून 2015) में पाया गया कि ₹ 8.95 लाख की एक बहुउद्देशीय कूड़ा गाड़ी और ₹ 11.32 लाख की हाइड्रोलिक टावर वैगन सिस्टम, कुल कीमत ₹ 20.27 लाख में क्रय (दिसम्बर 2011) किया गया। अग्रेतर, जांच में पाया गया कि बहुउद्देशीय कूड़ा गाड़ी एवं हाइड्रोलिक टावर वैगन सिस्टम आपूर्ति के समय (दिसम्बर 2011 एवं मार्च 2012) से निष्क्रिय पड़ी हुयी थी। उसके अतिरिक्त, हाइड्रोलिक टावर वैगन सिस्टम जिस वाहन में लगाया जाना था, इसके लिये आगणन में कोई प्रावधान नहीं किया गया था तथा इकाई की स्टॉक-पंजिका में प्रविष्टियों (दिसम्बर 2011 व मार्च 2012) के अवलोकन में पाया गया कि इन मशीनों को मई 2015 तक कभी भी संचालन हेतु निर्गत नहीं किया गया था। यह भी संज्ञान में आया कि इन मशीनों के संचालन हेतु कोई नियमित कर्मचारी भी नियुक्त नहीं किया गया था।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर अधिकासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद ने बताया (मई 2015) कि मशीनों के क्रय की आवश्यकता का आकलन नहीं किया गया, मशीनें सुरक्षित हैं तथा संचालित नहीं हैं, भविष्य में इनका उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा। यद्यपि, नगर पालिका परिषद ने मशीनों के अनुपयोगी रहने के सन्दर्भ में कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया। नगर पालिका परिषद ने पुनः बताया (अगस्त 2015) कि बहुउद्देशीय कूड़ा गाड़ी को हाइड्रोलिक टावर वैगन सिस्टम पर लगाने हेतु परिवर्तित किया गया तथा वर्तमान में जब एवं जहाँ आवश्यकता होती है उसका प्रयोग कर्मचारी संविदा पर रखकर किया जा रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि (1) बहुउद्देशीय कूड़ा गाड़ी क्रय किये जाने के चार वर्ष बाद तक कूड़ा संग्रह उद्देश्य हेतु उपयोग में नहीं लिया गया, अब भी इसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा था। (2) हाइड्रोलिक

टावर वैगन सिस्टम का तीन वर्ष तक उपयोग नहीं किया गया तथा उसकी उपयोगिता अब भी क्षीण है। (3) मशीनों का क्रय आवश्यकता का समुचित आंकलन किये बिना किया गया और (4) इन मशीनों के उत्पादक जीवन का महत्वपूर्ण भाग बिना निर्दिष्ट लाभ लिए बीत गया।

इस प्रकार, बहुउद्देशीय कूड़ा गाड़ी का उपयोग कूड़ा संग्रह के उद्देश्य हेतु नहीं किया गया, और हाइड्रोलिक टावर वैगन सिस्टम क्रय के तीन वर्ष व्यतीत होने के बाद भी उपयोग आशान्वित नहीं था, परिणामस्वरूप ₹ 20.27 लाख इन उपकरणों के क्रय में निवेशित करना अलाभकारी रहा।

6-2 jktLo gkfu

o"kl 2008&15 dh vof/k e tyew; dh ol yh u fd; s tkus ds dkj.k uxj ikfydk ifj"kn] 'kkeyh dks de l s de ₹ 89-86 yk[k dh jktLo gkfu rFkk vfu;fer : lk l s ty ew; l eklr fd; s tkus l s epl 2008 rd ₹ 46-11 yk[k dh gkfuA

उत्तर प्रदेश शासन ने समस्त शहरी स्थानीय निकायों को परामर्श (जनवरी 1997) दिया था कि उनके वर्तमान घरेलू जल मूल्य जो कि जलापूर्ति की बढ़ती लागत के अपेक्षा बहुत कम हैं, के परिप्रेक्ष्य में नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत द्वारा घरेलू जल मूल्य की दरों को पुनरीक्षित कर कम से कम ₹ 75, ₹ 50, तथा ₹ 30 प्रतिमाह के आधार पर निर्धारित किया जाय। इसी क्रम में, नगर पालिका परिषद, शामली ने जल संभरण नियमावली 2001 (नियम) के नियम 9 तथा उत्तर प्रदेश शासन के गजट (जुलाई 2002) में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, भवनों के वार्षिक मूल्यांकन तथा जलापूर्ति हेतु बिछायी गयी पाइप-लाइन की क्षमता के आधार पर ₹ 8 से ₹ 70 प्रतिमाह के मध्य घरेलू जल मूल्य को पुनरीक्षित किया।

अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2015) में पाया गया कि नगर पालिका/नगर पालिका परिषद, शामली के बोर्ड द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर (दिसम्बर 2008) जल मूल्य के साथ मार्च 2008 के अन्त तक पूर्व वर्षों के बकाया ₹ 46.11 लाख को समाप्त कर दिया। जलमूल्य को समाप्त करने का निर्णय इस आधार पर लिया गया था कि जलकर के साथ जलमूल्य की वसूली भ्रम की स्थिति पैदा कर रही थी तथा बकाया जलमूल्य को इस आधार पर माफ कर दिया गया था कि यह विगत कई वर्षों से लम्बित था। प्रकरण को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 137 के अन्तर्गत अन्तिम निर्णय हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को सन्दर्भित किया गया (मार्च 2009)। यद्यपि, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद द्वारा विभिन्न अनुस्मारक प्रेषित किये जाने के पश्चात भी अगस्त 2015 तक शासन का निर्णय प्रतीक्षित था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर पालिका परिषद के बोर्ड के निर्णय के आधार पर तथा उत्तर प्रदेश शासन की अनुमति के बिना नगर पालिका परिषद ने 2008-15 की अवधि में क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं के लिये जलमूल्य के निर्धारण तथा जलमूल्य देयकों को निर्गत करना बन्द कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप 14,708 घरेलू उपभोक्ताओं से कम से कम ₹ 89.86 लाख¹ जलमूल्य की वसूली नहीं की जा सकी

¹ ₹ 8.00 प्रतिमाह न्यूनतम दर के अनुसार गणना।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद ने बोर्ड की बैठक में तथ्यपरक बिन्दु रखा था कि शासन की नियमावली के सुसंगत उपबन्धों द्वारा निर्देशित स्थानीय निकायों के बढ़े हुए राजस्व एवं जलमूल्य को समाप्त नहीं किया जा सकता। उपरोक्त प्रावधान के पश्चात भी नगर पालिका परिषद, शामली के बोर्ड द्वारा जल मूल्य को समाप्त कर दिया गया तथा विगत वर्षों की बकाया वसूली को माफ कर दिया गया एवं जलकर के निर्धारण और उपभोक्ताओं को जल देयकों का निर्गत करना बन्द कर दिया गया।

इस प्रकार, उत्तर प्रदेश शासन की अनुमति के बिना बोर्ड का यह निर्णय कि जलमूल्य को समाप्त कर दिया जाये, अनियमित एवं अन्यायसंगत था। अग्रेतर पाया गया कि जलमूल्य को केवल इस आधार पर समाप्त किया जाना कि, जलकर के साथ इसकी वसूली भ्रम पैदा कर रही है, तर्कसंगत नहीं था।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर (जनवरी 2015) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शामली ने इस तथ्य को स्वीकार किया (अगस्त 2015) कि बोर्ड पुराने बकायों को समाप्त करने हेतु सक्षम नहीं था। उन्होंने पुष्टि भी की कि अगस्त 2015 तक जलमूल्य की वसूली नहीं की गयी है।

इस प्रकार, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के विरुद्ध 2008-15 की अवधि में जल मूल्य की वसूली न किये जाने के कारण नगर पालिका परिषद, शामली को कम से कम ₹ 89.86 लाख एवं अनियमित रूप से जलमूल्य को समाप्त तथा माफ किये जाने से ₹ 46.11 लाख की हानि हुयी।

6-3 jktLo gkfu

mRrj insk inWk.k fu; a.k ckM ds ekudka dk vujkyu fd; s fcuk l pkyr o/k'kkyk ds cn gkus ds QyLo: lk ₹ 5-37 djkm+ dh jktLo gkfu %uoEcj 2015%A

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 114 (xxi) के अनुसार सार्वजनिक बाजारों, वधशालाओं का निर्माण, अनुरक्षण एवं उनका नियमितीकरण करना नगर निगम का एक आवश्यक कर्तव्य है। अग्रेतर, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत वधशाला की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है।

नगर निगम, अलीगढ़ के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2014) में यह पाया गया कि नगर निगम में वधशाला का संचालन संविदा के आधार पर सहमति शुल्क के भुगतान पर किया जा रहा था एवं ठेकेदार उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रदूषण मानक को अनुपालन करने के लिये बाध्य था। लेखापरीक्षा ने पाया कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का अनुपालन न किये जाने के कारण उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 2002-15 की अवधि में कई बार² वधशाला को बंद करने का आदेश दिया गया था *ii fff'k"V 6-2%*। तथापि, शहर में मांस की अत्यधिक मांग के कारण

² वधशाला को बन्द करने की तिथि 27.11.2002 से 22.05.2007, 01.04.2012 से 05.12.2013 एवं अंतिम रूप से 12.03.2015 से 30.11.2015 तक।

पशुओं के अवैध वध को ध्यान में रखते हुये बंदी आदेश में छूट (23 मई 2007 से 31 मार्च 2012 तक एवं 6 दिसम्बर 2013 से 11 मार्च 2015 तक) इस शर्त पर दी गयी थी कि नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा उत्प्रवाह प्रशोधन संयन्त्र की स्थापना के साथ उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अन्य पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाये। तथापि, नगर निगम ने वर्ष 2002 से 2011 के मध्य वधशाला संचालन के लिए प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन सुनिश्चित न करने के लिये ठेकेदार पर संविदा के प्रावधानों को बाध्य करने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की एवं वधशाला के आधुनिकीकरण के लिए उत्प्रवाह प्रशोधन संयन्त्र, जैव उर्वरक इकाई की स्थापना एवं ठोस तथा तरल अपशिष्ट के प्रबन्धन एवं उसके उचित निवारण में भी असफल रहा।

अग्रेतर, यह भी संज्ञान में आया कि नगर आयुक्त, नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों पर आधारित सार्वजनिक निजी सहभागिता मॉडल पर वधशाला के आधुनिकीकरण के लिए निविदा आमंत्रित (सितम्बर 2012) की गयी थी। बोर्ड की बैठक में ₹ 1.91 करोड़ के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया एवं शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया था (दिसम्बर 2012), किन्तु उसका अनुमोदन प्रतीक्षित था (नवम्बर 2015)। उसी समय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तुरन्त वधशाला को बंद करने का आदेश जारी किया गया था (दिसम्बर 2014)। यद्यपि, नगर निगम ने मार्च 2015 में वधशाला को बंद कर दिया था।

इस प्रकार, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का अनुपालन न किये जाने के फलस्वरूप वर्ष 2002 से लंबी अवधि तक वधशाला का बार-बार बंद होना यह दर्शाता है कि वधशाला के अनुरक्षण संबंधी बाध्यकारी कर्तव्यों को पालन करने में नगर निगम असफल रहा। अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2013 एवं 12 मार्च 2015 से नवम्बर 2015 तक वधशाला के बंद होने के समय में वधशाला से क्रमशः ₹ 15.60 लाख एवं ₹ 26 लाख प्रतिमाह की दर से राजस्व की प्राप्ति हो रही थी। इस प्रकार, नगर निगम एवं उत्तर प्रदेश शासन के समय से वधशाला के आधुनिकीकरण को सुनिश्चित किये जाने में असफल रहने के फलस्वरूप ₹ 5.37 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर नगर आयुक्त, नगर निगम, अलीगढ़ ने बताया (जनवरी 2014 एवं जून 2015) कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार आधुनिक वधशाला के निर्माण का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है एवं अवैधानिक वधशालाओं के विरुद्ध कारवाई की गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नगर निगम पशुओं के अवैधानिक वध के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने में असफल रहा एवं आधुनिक वधशाला के निर्माण के प्रस्ताव (मार्च 2013) में 10 वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ।

इस प्रकार, नगर निगम द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्धारित मानकों का अनुपालन कर आधुनिक वधशाला के निर्माण में समय से कार्रवाई नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप वधशाला के बंद होने से नवम्बर 2015 तक ₹ 5.37 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

6-4 फुजफ़क़द 0; ;

uxj ikfydk ifj "kn} irki x<+vkj ty fuxe ds chip l ello; eā deh ds dkj.k tul keklj; dks rhu o"kl ls vf/kd l e; rd gpl l eL; kvk ds vfrfjDr {kfrxLr l Mēd ds fuekz k ij ₹ 27-33 yk[k ds fuj Fkd 0; ; A

उत्तर प्रदेश के बजट मैनुअल के प्रस्तर 205 की शर्तों के अनुसार प्रत्येक सरकारी अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सरकारी धनराशि का व्यय करते समय वैसी ही सतर्कता रखे जैसी कि वह सामान्य परिस्थितियों में स्वयं के धन को व्यय करते समय रखता है।

नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2014) में पाया गया कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अन्तर्गत एक सड़क जो "गाय घाट से अम्बेडकर चौराहा होते हुये, श्री राम चौराहा और घंटाघर से अचलपुर जेल तिराहा तक" जाती थी को सदृढीकरण का कार्य होना था। नगर पालिका परिषद द्वारा 07 फरवरी 2011 को निविदा आमंत्रित की गयी थी, इसी अवधि में 26 फरवरी 2011 को जल निगम ने अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, प्रतापगढ़ से अनुरोध किया कि नगर पालिका परिषद की सीमा के भीतर किसी सड़क का निर्माण कार्य न किया जाये, क्योंकि उसमें सीवर पाइप-लाइन डाली जानी है अन्यथा सड़क के निर्माण कार्य पर दोबारा व्यय करना पड़ेगा। अग्रेतर, जिला अधिकारी, प्रतापगढ़ ने नगर पालिका परिषद को निर्देश (जुलाई 2011) दिये कि श्री राम तिराहे से सिनेमा सड़क तक प्रथम कोट का कार्य करें और सड़क के शेष भाग में आने वाले त्योहारों को देखते हुये पैचिंग का कार्य करें और तत्पश्चात जल निगम द्वारा सीवर पाइप-लाइन डालने के बाद सड़क का स्थायी निर्माण कार्य किया जाये।

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि नगर पालिका परिषद द्वारा जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुये पुनः निविदा आमंत्रित (फरवरी और मई 2012) की। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जल निगम से सम्पर्क किये बिना ही सड़क के सुदृढीकरण का कार्य प्रारम्भ (मई 2012) कर दिया गया। अति व्यस्त सड़क होने के कारण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना था, तो भी, नगर पालिका परिषद द्वारा समन्वय एवं त्वरित कार्यवाही हेतु मामले को उच्च प्राधिकारियों के संज्ञान में नहीं लाया गया। तदोपरान्त, नगर पालिका परिषद द्वारा ठेकेदार के माध्यम से 3369.76 घन मीटर वाटर मिक्स मैकडम का कार्य करा दिया गया (अगस्त 2012)। यह संज्ञान में आया कि नगर पालिका परिषद द्वारा सड़क का वाटर मिक्स मैकडम का कार्य पूर्ण होने के तुरन्त बाद जल निगम ने (अक्टूबर 2012) में सीवर पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप, 856.06 घन मीटर वाटर मिक्स मैकडम की सड़क लागत ₹ 27.33 लाख थी, क्षतिग्रस्त हो गयी। तथ्य यह है कि नगर पालिका परिषद द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के ठीक चार माह बाद जल निगम ने अपना कार्य प्रारम्भ किया जिससे यह प्रदर्शित होता है कि दोनों एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी थी एवं नगर पालिका परिषद द्वारा वित्तीय औचित्य के नियमों की पूर्णरूप से अवहेलना की गयी। नगर पालिका परिषद द्वारा मार्च 2014 में क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कार्य को ₹ 27.33 लाख की लागत में पूर्ण कराया गया। इस प्रकार, नगर पालिका परिषद और जल निगम के बीच उचित समन्वय की कमी के कारण क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कार्य पर ₹ 27.33 लाख का व्यय निरर्थक हुआ।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर (जनवरी 2015) नगर पालिका परिषद द्वारा उत्तर में बताया (फरवरी 2015) कि निविदा आमंत्रित करने के लिये आदेश तत्कालीन जिलाधिकारी से अनुमोदित (अप्रैल 2012) था और कार्य आदेश कार्य प्रारम्भ करने हेतु जारी किया गया था। नगर पालिका परिषद का उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि जिलाधिकारी ने नगर पालिका परिषद को आदेशित (जुलाई 2011) किया था कि सीवर पाइप लाइन बिछाने के बाद ही सड़क का निर्माण किया जाय, जिसका अनुपालन नहीं किया गया। जिलाधिकारी ने नगर पालिका परिषद को जुलाई 2011 में यह भी निर्देशित किया था कि सड़क पर केवल प्रथम कोट एवं पैचिंग का कार्य किया जाय और सड़क पर स्थायी निर्माण नहीं किया जाय। अग्रेतर नगर पालिका परिषद ने कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जल निगम से सीवर पाइप-लाइन के प्रस्ताव की स्थिति को सुनिश्चित नहीं किया। इस प्रकार, नगर पालिका परिषद और जल निगम के बीच समन्वय की कमी के कारण ₹ 27.33 लाख का व्यय निरर्थक था।

6-5 jktLo gkfu

okg; l ksrka ds ek/; e l s ikfdlx 'k/d dh ol wjh gsrq fufonk ds vflurehdj.k ea , oa foHkkxh; de;pkfj; ka ds }kjk yf{kr jktLo dh ol wjh ea vl Qy jgus ds dkj.k uxj ikfydk ifj"kn} cyjkeig ea okgu LVMM l s ₹ 32-53 yk[k ds de jktLo ol wjh gkukA

उत्तर प्रदेश के नगर पालिका अधिनियम, 1916, की धारा 99 के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका आगामी वर्ष के 31 मार्च तक के लिए बजट तैयार करेगी जिसमें प्राक्कलित प्राप्तियों एवं व्ययों का वास्तविक विवरण तैयार करेगी और 1 अप्रैल से पूर्व बोर्ड की बैठक में रखेगी। आगामी वर्ष से पूर्व, प्रत्येक प्राक्कलित प्राप्तियों की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाना चाहिये।

अधिकासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2014) में पाया गया कि नगर पालिका परिषद ने नगरीय क्षेत्र में टैक्सी स्टैण्डों एवं सभी वाणिज्यिक वाहनों से लोडिंग एवं अनलोडिंग पर पार्किंग शुल्क अधिरोपित किया। पार्किंग शुल्क की वसूली वार्षिक खुली निविदा के माध्यम से करायी जानी थी। अधिकासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद ने शहरी क्षेत्र में 2013-2014 के लिये टैक्सी स्टैण्डों, सभी वाणिज्यिक वाहनों से लोडिंग एवं अनलोडिंग पर पार्किंग शुल्क नीलामी हेतु निविदा (मार्च 2013) प्रारम्भ किया। निविदा एवं पुनर्निविदा (कुल आठ बार³) जुलाई 2013 तक करने के पश्चात भी, अधिकासी अधिकारी द्वारा पार्किंग शुल्क के वसूली की नीलामी नहीं की जा सकी। निविदा के अस्वीकार होने का कारण पर्याप्त संख्या (तीन बार) में निविदाएं प्राप्त न होना, सक्षम प्राधिकारी की अनुपस्थिति (दो बार) और पूर्व वर्ष की तुलना में प्रस्तावित मूल्य कम होना (तीन बार) था। उच्चतम निविदा ₹ 44 लाख प्राप्त हुई (मई 2013)। विभाग द्वारा कम निविदा के कारण का विश्लेषण नहीं किया गया था। निविदा जिलाधिकारी द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दी गयी, कि निविदा की धनराशि पूर्व वर्ष में प्राप्त धनराशि से कम थी, जैसे ₹ 74.75 लाख। इसी बीच, विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से अप्रैल 2013 से जुलाई 2013 के मध्य ₹ 4.63 लाख का राजस्व एकत्रित किया गया। अग्रेतर, जिलाधिकारी ने गत वर्ष के राजस्व प्राप्ति के लेखों के आधार पर, 2013-14 के शेष अवधि के लिये ₹ 47.57 लाख का लक्ष्य⁴ निर्धारित करने हेतु आदेशित (अगस्त 2013) किया। किन्तु, अनुश्रवण में

³ दिनांक 10.04.2013, 17.04.2013, 30.04.2013, 10.05.2013, 10.06.2013, 19.06.2013, 01.07.2013 एवं 12.07.2013।

⁴ ₹ 22,652.00 प्रतिदिन, ₹ 6.80 लाख प्रतिमाह एवं ₹ 20.39 लाख प्रति त्रैमास।

शिथिलता के कारण लक्षित धनराशि की वसूली विभागीय कर्मचारियों द्वारा नहीं की जा सकी।

अग्रेतर, जाँच में पाया गया कि ₹ 22,652.72 प्रतिदिन के लक्ष्य के सापेक्ष विभागीय प्राधिकारियों द्वारा ₹ 1,140 एवं ₹ 5,045 के मध्य पार्किंग शुल्क प्रतिदिन वसूला गया (अप्रैल 2013 से अगस्त 2013)। परन्तु नगर पालिका परिषद, बलरामपुर द्वारा विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से पार्किंग शुल्क की शिथिलतापूर्ण वसूली लगातार जारी रही और वर्ष के दौरान मात्र ₹ 15.04 लाख ही वसूला गया। इस प्रकार, जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वसूली को प्राप्त करने में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर असफल रहे। यदि राजस्व वसूली की प्रक्रिया का प्रभावी अनुश्रवण किया गया होता, ₹ 32.53 लाख की हानि को रोका जा सकता था। यह भी संज्ञान में आया कि 2014-15 का अनुबन्ध ₹ 46.05 लाख में पूर्ण किया गया (मार्च 2014) और धनराशि अधिशासी अधिकारी द्वारा ठेकेदार से प्राप्त की गयी।

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (अगस्त 2014) नगर पालिका परिषद ने बताया (मई 2015) कि कम वसूली का कारण खुदाई पर प्रतिबन्ध होना था, जिसके कारण शहर में वाहनों का प्रवेश बाधित था। उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि प्रतिबन्धित अवधि में राजस्व वसूली न किया जाना और प्रतिबन्धित अवधि से संबंधित अभिलेखीय साक्ष्य मांगने (अगस्त 2015) पर भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। अग्रेतर, विभागीय कर्मचारियों के वसूली में विफल रहने पर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

यह भी संज्ञान में आया कि नगर पालिका परिषद के शिथिलतापूर्ण रवैया के कारण वाह्य स्रोतों से निविदा को अन्तिम रूप देने एवं राजस्व हानि की जाँच सम्बन्धी निर्णय समय से लेने में विफल रहने के कारण नगर पालिका परिषद को ₹ 32.53 लाख की हानि वहन करनी पड़ी।

6-6 व्यक्ककjh 0; ;


uxj ipk; r] fupyky] egjktxat ea ukyka ds viwkl fuekzk dk; l ij
 ₹ 32-66 yk[k dk vykHkdkjh 0; ;] ifj.kkeLo: i] ty cgko dks eq[;
 ukys l s tkM; tkus l Ecl/kh mnns'; ka dh i kflr u gkuka

नगर पंचायत निचलौल, महाराजगंज में जल निकासी की सुविधा हेतु नाला बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी, महाराजगंज की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तेरहवें वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत वार्ड संख्या 11 (नाला 'ए' रेखाचित्र में नीचे) में 400 मीटर नाला⁵ निर्माण हेतु ₹ 6.50 लाख की स्वीकृति (दिसम्बर 2012) प्रदान की गयी, जिसे मुख्य नाला (नाला 'एक्स') टूठीबारी सड़क पर जोड़ा जाना था। अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, महाराजगंज द्वारा ₹ 13.25 लाख के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जनवरी 2013 को दी गयी थी। अतिरिक्त व्यय ₹ 6.75 लाख राज्य वित्त आयोग से पूरा किया जाना था। नाला 'ए' के निर्माण हेतु 16 फरवरी 2013 को कार्यादेश जारी किया गया था कि कार्यादेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण हो जाय ।

⁵ श्री सत्यनारायण बाबा, कटरा चौराहा के घर से माधवलिया रोड बाग तक।

नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत वार्ड संख्या 3 और 13 (नाला 'बी' से 'एफ' तक रेखा चित्र में नीचे) में 472.50 मीटर के पाँच नालों के निर्माण के लिये एक अन्य प्रस्ताव भी नगर पंचायत अध्यक्ष से स्वीकृत (दिसम्बर 2012) था, जिसे मुख्य नाला (नाला 'वाई') सिसवा मार्ग पर जोड़ा जाना था, जिसके लिये शासन ने ₹ 20 लाख की स्वीकृति प्रदान की थी (फरवरी 2013)। अधिशासी अभियन्ता द्वारा फरवरी 2013 में ₹ 20 लाख ('बी' से 'एफ' तक ₹ 4 लाख प्रत्येक नाला) की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। नाला 'बी' से 'एफ' तक के निर्माण हेतु 7 मार्च 2013 को कार्यादेश जारी किया गया कि कार्यादेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर कार्य पूर्ण हो जाय।

ikDdfyr , oafufeñ ukyk dh yEckbz dks in' kñ dj us l cñ/kh js[kkfp=



नगर पंचायत के अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2014) में पाया गया कि 400 मीटर नाला 'ए' के स्थान पर मात्र 280 मीटर नाला का निर्माण किया गया (जुलाई 2013)। इसी प्रकार 472.50 मीटर के नाले 'बी, सी, डी, ई एवं एफ' के स्थान पर मात्र 315.60 मीटर नाला का निर्माण किया गया (अप्रैल 2013)। सभी निर्मित नाले अपूर्ण थे (सितम्बर 2015)। तदनु रूप, प्राक्कलित लम्बाई 872.50 मीटर के छः नालों के सापेक्ष कुल 595.60 मीटर की लम्बाई के निर्माण हेतु नगर पंचायत द्वारा ₹ 32.66 लाख⁶ का भुगतान किया गया $\frac{595.60}{872.50} \times 32.66 = 22.14$ । अग्रेतर, यह देखा गया (जनवरी 2015) कि नाला 'ए' और 'बी' से 'एफ' तक को क्रमशः मुख्य नाला एक्स और वाई से जोड़ा जाना था, परन्तु अपूर्ण निर्माण के कारण इन्हें मुख्य नाले से नहीं जोड़ा गया था। अग्रेतर, स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच में पाया गया कि ये नये नाले थे, लेकिन इनके निर्माण से पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं वास्तविक प्राक्कलन तैयार करने हेतु कोई सर्वे नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप नाला 'ए' की कुछ भूमि वन विभाग की थी, जिसका क्लियरेंस प्राप्त न होने के कारण विवादित थी, परिणामस्वरूप नाला 'ए' अपूर्ण रहा। इस प्रकार नगर क्षेत्र में जल निकासी का उद्देश्य पूर्ण न होने के कारण किया गया व्यय ₹ 32.66 लाख अलाभकारी रहा (मई एवं अगस्त 2013)।

इस सम्बन्ध में इंगित (जनवरी और मई 2015) किये जाने पर अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत ने उत्तर में बताया कि नाला 'ए' का निर्माण, कार्यस्थल पर विवाद के कारण पूर्ण नहीं हो सका। नाला 'बी' 'सी' 'डी' और 'एफ' के लिये बताया (जनवरी 2015) कि

⁶ दिनांक 27.08.2013 को नाला ए के लिए ₹ 12.66 लाख एवं दिनांक 01.05.2013 को नाला बी से एफ के लिए ₹ 20 लाख।

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के विपरीत निविदा दरें अधिक होने कारण वांछित लम्बाई का निर्माण नहीं हुआ। नाला 'ई' के लिये बताया कि नाले की गहराई अनुमान से अधिक होने के कारण उल्लिखित लम्बाई का निर्माण नहीं हुआ। नगर पंचायत ने यह भी बताया कि जल को बाहर गिराये जाने हेतु, वर्तमान में नालों की अस्थायी खुदाई का कार्य किया जा रहा है। अग्रेतर, यह बताया (सितम्बर 2015) गया कि अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु निधि प्राप्त हो गयी है एवं नालों को मुख्य नाला से जोड़ दिया जायेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अभिलेखों से पता चला कि प्राप्त निधि उक्त कार्य से भिन्न कार्य के लिये थी। इस प्रकार नाला 'एक्स' और 'वाई' से जोड़ने की सम्भावना निकट भविष्य में बहुत कम थी।

इसके अतिरिक्त, भूमि की उपलब्धता, कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित की जानी चाहिए थी। अग्रेतर, भूमि का विवाद, स्थल पर गड़ढे होना जैसे मुद्दों से बचने और वास्तविक प्राक्कलन को तैयार करने हेतु, कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थल का समुचित सर्वेक्षण किया जाना चाहिये था। अतः कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण न किये जाने और वास्तविक प्राक्कलन न किये जाने के कारण, जल निकासी का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ तथा ₹ 32.66 लाख का व्यय अलाभकारी रहा।

6-7 व्यक्तिकर्तव्य 0 ; ;

uxj ipk; r Äu] 'kkeyh ea l kenkf; d dlnz ds foxr N% o"kkz l s
vf/kd l e; rd vuq; kxh jgus ds dkj .k ml ds fuekz k ij vykHkdKjh
0; ; ₹ 12-96 yk[kA

चयनित क्षेत्रीय विकास केन्द्रों पर आधारभूत संरचना एवं सुविधा प्रदाता के रूप में विकसित किए जाने के उद्देश्य से केन्द्र पुरोनिधानित संगठित विकास योजना प्रारम्भ (1979-80) की गई, जिससे उक्त नगर को आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार परक तथा बड़े एवं महानगरों की ओर पलायन को रोकने के लिए क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना था।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों, विवाहों आदि के आयोजन के लिए एक हाल एवं तीन कमरा युक्त सामुदायिक केन्द्र नगर पंचायत ऊन, शामली में निर्माण हेतु ₹ 15.13 लाख (माह फरवरी 2007) की स्वीकृति प्रदान की गयी। कुल निर्माण कार्य की लागत में से ₹ 7.06 लाख संगठित विकास योजना निधि से एवं शेष ₹ 8.06 लाख नगर पंचायत को अपने निजी स्रोत से पूरा करना था।

अधिकांसी अधिकारी, नगर पंचायत ऊन, शामली के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2014) में पाया गया कि जुलाई 2007 में एक ठेकेदार को तीन माह की अवधि में कार्य पूर्ण किए जाने की शर्त के साथ सामुदायिक केन्द्र के निर्माण की निविदा दी गयी। कार्य जुलाई 2007 में प्रारम्भ किया गया और ठेकेदार को ₹ 12.96 लाख भुगतान किया गया (अप्रैल 2009)। आगे की अवधि में ठेकेदार को कोई भी भुगतान नहीं किया गया। नगर पंचायत द्वारा अपने हिस्से की वांछित धनराशि नहीं दिये जाने के फलस्वरूप विद्युतीकरण, दरवाजे, खिड़की आदि अधूरे कार्य सितम्बर 2009 के मध्य रोक दिया गया। इस प्रकार सामुदायिक केन्द्र के निर्माण का कार्य छः वर्षों से अधिक अवधि (सितम्बर 2015) से अपूर्ण रहने के कारण ₹ 12.96 लाख का व्यय अलाभकारी रहा।



नगर पंचायत, उन शामली में सामुदायिक केन्द्र भवन

इस सम्बन्ध में इंगित (दिसम्बर 2014 एवं जून 2015) किये जाने पर अधिशासी अधिकारी ऊन, शामली द्वारा स्वीकार किया गया कि भवन अनुपयोगी पड़ा हुआ है तथा बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त न किए जाने के कारण कार्य रूका हुआ था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि संगठित विकास योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹ 12.02 लाख का उपयोग सामुदायिक केन्द्र हेतु किया जा चुका है, जो कि सामुदायिक केन्द्र हेतु स्वीकृत धनराशि ₹ 7.06 लाख से अधिक था। जबकि, उत्तर प्रदेश शासन की स्वीकृति के अनुसार नगर पंचायत द्वारा अपने निजी स्रोत से वांछित धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी थी जिसके फलस्वरूप सितम्बर 2015 तक सामुदायिक केन्द्र अपूर्ण रहा।

इस प्रकार, अधिशासी अधिकारी, ऊन, शामली की शिथिलता के कारण सामुदायिक केन्द्र अपूर्ण पड़ा रहा एवं सामुदायिक कार्यो, विवाहों आदि के आयोजन से होने वाले सामुदायिक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी जिसके फलस्वरूप ₹ 12.96 लाख का व्यय अलाभकारी रहा। इसके अतिरिक्त जैसा कि उक्त चित्र में प्रदर्शित है, सामुदायिक केन्द्र का भवन उपयोग न किये जाने एवं समुचित रख-रखाव न किये जाने से क्षरण की ओर अगसर था।

6-8 व्यक्तिकर्तव्य 0; ;

uxj fuxe ejknkcn e ck; kœfv'd fQ&j fi V mi fLFkfr e'khuka ds vfØ; k'khy jgus ds QyLo: i vykHkdj h 0; ; ₹ 14-27 yk[kA

नगर निगम, के कामकाज में आधुनिकीकरण और पारदर्शिता के उद्देश्य से सरकारी नीति में परिकल्पित बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट उपस्थिति मशीनें नगर निगम, मुरादाबाद में स्थापित (दिसम्बर 2009) की गई।

अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2014) में पाया गया कि नगर निगम, मुरादाबाद ने बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट उपस्थिति मशीनें नगर निगम कार्यालयों में स्थापित करने हेतु क्रय करने का निर्णय (जून 2009) लिया। टेण्डर आमन्त्रित किये गये (जुलाई 2009) किन्तु प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण नगर निगम द्वारा मे0 अदमान टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (फर्म) से कोटेशन (अगस्त 2009) आमन्त्रित किया गया जो कि उसी तरह की मशीनों को दिल्ली नगर निगम को आपूर्ति कर चुका था। तत्पश्चात, फर्म एवं नगर निगम के मध्य ₹ 13.69 लाख में 20 नग बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट उपस्थिति मशीनें स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन फर्म एवं नगर निगम के मध्य

निष्पादित किया गया था (अक्टूबर 2009)। अग्रेतर, हमने पाया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में फर्म से निष्पादन सुरक्षा⁷ प्राप्त करने वाली एक उपधारा थी, जबकि इस तरह का कोई उपधारा नगर निगम एवं फर्म के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में शामिल नहीं की गयी थी। आपूर्ति की तिथि से एक वर्ष की वारंटी मशीनों में निहित थीं। मशीनों की आपूर्ति अक्टूबर 2009 में प्राप्त हुई एवं दिसम्बर 2009 में स्थापित एवं संचालित हुई (18 मशीनें स्वास्थ्य विभाग, एक मशीन जल-कल विभाग एवं एक नगर निगम कार्यालय में)। तत्पश्चात्, अक्टूबर 2009 से फरवरी 2011 तक फर्म को ₹ 12.68 लाख का भुगतान किया गया था। जबकि जल-कल विभाग में स्थापित मशीन ने वारंटी की अवधि के दौरान (अगस्त 2010) ही कार्य करना बंद कर दिया था। तत्पश्चात्, नगर निगम के कम्प्यूटर विभाग ने दिसम्बर 2010 में नगर आयुक्त को सूचित किया कि फर्म द्वारा स्थापित सभी मशीनें एवं सॉफ्टवेयर अक्रियाशील हो गये हैं। जबकि दिसम्बर 2010 में इन मशीनों की वारंटी अवधि⁸ समाप्त हो चुकी थी, फर्म ने जनवरी 2011 में नगर निगम से फरवरी 2011 से जनवरी 2012 की अवधि की वार्षिक अनुरक्षण संविदा निष्पादित करने का अनुरोध किया जो कि फरवरी 2011 में निष्पादित कर लिया गया एवं फर्म को ₹ 1.59 लाख की धनराशि अग्रिम के रूप में भुगतान (जनवरी 2011) कर दी गयी। किन्तु वार्षिक अनुरक्षण संविदा के अन्तर्गत अग्रिम भुगतान किए जाने के पश्चात फर्म द्वारा मरम्मत कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। इसके उपरान्त, नगर निगम ने बताया कि यह मामला टेलीफोन से अनुसरण किया गया किन्तु फर्म का शिथिल रवैया होने के कारण नगर निगम ने बायोमेट्रिक मशीन को हटवा दिया। यद्यपि, नगर निगम के अभिलेखों में मशीनों के हटाने की निश्चित तिथि अंकित नहीं थी।

लेखापरीक्षा में पाया कि नगर निगम द्वारा अनुबंध में निष्पादन गारण्टी उपधारा शामिल नहीं की गयी थी, जिसके कारण 24 से 48 घंटे के भीतर मशीन की खराबी ठीक न करने की स्थिति में ठेकेदार के उपर दण्ड आरोपित करके उनके बिल की धनराशि से 10 प्रतिशत धनराशि की कटौती नहीं की जा सकी। अतः नगर निगम के हितों की रक्षा करने में नगर आयुक्त, नगर निगम मुरादाबाद विफल रहे एवं उक्त मशीन की आपूर्ति एवं अनुरक्षण पर पूर्ण निवेश ₹ 14.27 लाख अलाभकारी रहा।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर नगर आयुक्त, नगर निगम मुरादाबाद ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार (जुलाई 2015) करते हुए बताया कि प्रभारी अधिकारी द्वारा क्रय करते समय निष्पादन सुरक्षा/बैंक गारण्टी नहीं ली गई। उत्तर लेखापरीक्षा के तथ्यों की पुष्टि करता है।

6-9 वृद्धि एवं रोजगारपरक तथा बड़े एवं महानगरों की ओर पलायन को रोकने के लिए चयनित क्षेत्रीय विकास केन्द्रों को आधारभूत संरचना एवं सुविधा प्रदाता

₹ 47-87 yk[k dh fuo's k | s uxj i p k ; r] ekgkuk] y[kuÅ ea fufe'r , oa ejEer dh x; h n'pkuka , oa gky dks vkofVr u fd, tkus ds QyLo: i fuo's k dk vu'ri knd jgukA

नगर को आर्थिक वृद्धि एवं रोजगारपरक तथा बड़े एवं महानगरों की ओर पलायन को रोकने के लिए चयनित क्षेत्रीय विकास केन्द्रों को आधारभूत संरचना एवं सुविधा प्रदाता

⁷ कार्यादेश जारी के 30 दिन के अन्दर अनुबन्धित कुल लागत (परियोजना का) का 10 प्रतिशत परफारमेंस सुरक्षा जो 84 माह तक प्रभावी हो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक गारण्टी के रूप में देना होगा असफल होने की दशा में जमानत राशि जब्त हो जाएगी।

⁸ आपूर्ति की तिथि से एक वर्ष जो 21.10.2009 से 20.10.2010 तक।

अधिशालसी अधलकलरी नगर पंचायत, महोना ने लेखापरीक्षा के निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए उत्तर में बताया (अक्टूबर 2015) कि नीलामी द्वारा बिक्री प्रक्रिया में है। वास्तविकता यह है कि दुकानों एवं हाल को पिछले सात वर्षों से आवंटित न किए जाने के फलस्वरूप निर्मित दुकानों एवं हाल का क्षरण हो रहा था तथा नगर पंचायत, महोना द्वारा ₹ 47.87 लाख का निवेश अनुत्पादक था।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जून 2015); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

इलाहाबाद
दिनांक

(पी0 के0 कटारिया)
प्रधान महालेखाकार (जी0 एण्ड एस0एस0ए0)
उत्तर प्रदेश


प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

1.1

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 1.2; पृष्ठ 2)



(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश)

यकबु फोहकखका दक <kpk

i kf/kdkjh dk Lrj	xkE; fodkl	i p;k; rh jkt	l ekt dY; k. k	fi NMk oxZ dY; k. k	vYi l a[; d dY; k. k	efgyk , oa cky dY; k. k	fu; kst u
मुख्य नियंत्रक अधिकारी	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास	प्रमुख सचिव, पंचायती राज	प्रमुख सचिव, समाज कल्याण	प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण	प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण	प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल कल्याण	प्रमुख सचिव, नियोजन
नियंत्रक अधिकारी स्तर	आयुक्त, ग्राम्य विकास	निदेशक, पंचायती राज	निदेशक, समाज कल्याण	निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण	निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण	निदेशक, बाल विकास एवं पुष्ठाहार	निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी
जिले में स्वीकृतकर्ता अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी
आहरण वितरण अधिकारी स्तर	जिला विकास अधिकारी	जिला पंचायत राज अधिकारी	जिला समाज कल्याण अधिकारी	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी	जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी	जिला कार्यक्रम अधिकारी	जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी

l ekulrj fudk; ka %eq[; ; kst uk; % dk <kpk

	egkRek xka/kh jk"Vh; xkeh. k jkst xkj xkj &h ; kst uk	jk"Vh; xkeh. k LokLF; fe'ku	l oZ f' k{kk vfhk; ku
शासन स्तर	कृषि उत्पादन आयुक्त के नेतृत्व में गठित राज्य रोजगार गारंटी परिषद प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग	राज्य स्वास्थ्य मिशन राज्य स्वास्थ्य समिति	राज्य कार्यान्वयन समिति
विभागीय स्तर	आयुक्त ग्राम्य विकास (जो कि ग्रामीण रोजगार आयुक्त के रूप में जाने जाते हैं)	प्रमुख सचिव-स्वास्थ्य एवं पदेन प्रमुख-राज्य स्वास्थ्य मिशन की कार्यकारी समिति मिशन निदेशक	राज्य परियोजना निदेशक
जनपद स्तर	जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	जिला स्वास्थ्य समिति जिला स्वास्थ्य नियोजन एवं अनुश्रवण समिति जिला परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	जिला शिक्षा नियोजन समिति जिला परियोजना अधिकारी-सर्वशिक्षा अभियान
खण्ड स्तर	कार्यक्रम अधिकारी	खण्ड स्वास्थ्य नियोजन एवं अनुश्रवण समिति	खण्ड विकास समिति
ग्राम स्तर	सतक्रता एवं अनुश्रवण समिति	ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति	ग्राम शिक्षा समिति

(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश)

i f j f' k"V 1.2

X; kgj oha vud i ph% 29 fo" k; ka dh l i ph
(संदर्भ: प्रस्तर सं.1.3.1; पृष्ठ 2)

- 1 कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार भी है।
- 2 भूमि विकास, भूमि सुधार का क्रियान्वयन, चकबन्दी एवं भूमि संरक्षण।
- 3 लघु सिंचाई, जल प्रबन्धन एवं जलागम विकास।
- 4 पशुपालन, दुग्ध एवं कुक्कुट पालन।
- 5 मात्स्यिकी।
- 6 सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी।
- 7 लघु वन उत्पाद।
- 8 लघु श्रेणी उद्योग, जिसके अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण भी सम्मिलित है।
- 9 खादी एवं ग्रामोद्योग।
- 10 ग्रामीण आवास।
- 11 पेयजल।
- 12 ईंधन एवं चारा।
- 13 सड़कें, पुलिया, पुल, नौकाघाट, जलमार्ग तथा संचार के अन्य साधन।
- 14 ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अन्तर्गत विद्युत वितरण भी सम्मिलित है।
- 15 गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत।
- 16 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
- 17 शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय सम्मिलित है।
- 18 तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा।
- 19 व्यस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा।
- 20 पुस्तकालय।
- 21 सांस्कृतिक गतिविधियाँ।
- 22 हाट बाजार एवं मेले।
- 23 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता इसके अन्तर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चिकित्सालय सम्मिलित है।
- 24 परिवार कल्याण।
- 25 महिला कल्याण एवं बाल विकास।
- 26 समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांग एवं मंदबुद्धि कल्याण भी सम्मिलित है।
- 27 कमजोर वर्गों का कल्याण जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का कल्याण भी सम्मिलित है।
- 28 सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
- 29 सामुदायिक सम्पत्तियों का अनुरक्षण।

(स्रोत: भारत का संविधान)

1.3

ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव।
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 1.3.1; पृष्ठ 2)

क्र.सं.	विवरण
1.	ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव।
2.	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
3.	प्राथमिक शिक्षा जिसके अन्तर्गत मिड-डे-मिल भी है।
4.	ग्रामीण हाट बाजार एवं मेलों का संचालन एवं अनुरक्षण।
5.	ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम।
6.	'घ' श्रेणी पशु चिकित्सालयों का पर्यवेक्षण एवं अनुरक्षण।
7.	अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्गों का कल्याण कार्यक्रम-पेंशनरों का चयन एवं छात्रवृत्ति का वितरण।
8.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति-सम्पूर्ण राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पर्यवेक्षण, जिसके अन्तर्गत जन केरोसीन कार्यक्रम सम्मिलित है।
9.	पंचायत क्षेत्र में सृजित सम्पत्तियों का अनुरक्षण।
10.	ग्रामीण पुस्तकालय।
11.	ग्राम स्तर पर युवा कल्याण कार्यक्रम।
12.	ग्रामीण आवास योजनाएं-लाभार्थियों का चयन।
13.	क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं ग्राम प्रधान द्वारा क्रमशः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उप मुख्य चिकित्साधिकारी के निरीक्षण नोट का सत्यापन।
14.	लघु सिंचाई-लाभार्थियों का चयन।
15.	सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सृजित सम्पत्तियों का अनुरक्षण।
16.	क्षेत्र पंचायत में बीज भंडारों का अनुरक्षण इत्यादि।

(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश)

i f j f' k"V 1.4

LFkk; h l fefr; ka ds dR;
(संदर्भ: प्रस्तर सं.1.4.1; पृष्ठ 3)

- ¼v½ xke i pk; rka ea LFkk; h l fefr; k;
- ¼i½ fu; kstu , oa fodkl l fefr% नियोजन एवं विकास समिति, ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार करने एवं कृषि, पशुधन एवं गरीबी उन्मूलन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है।
- ¼ii½ f' k{kk l fefr% प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रम से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति उत्तरदायी है।
- ¼iii½ fuekLk dk; l l fefr% सभी प्रकार के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों को कराने और उनके अनुरक्षण कार्य एवं गुणवत्ता के लिए निर्माण समिति उत्तरदायी है।
- ¼iv½ LokLF; , oa dY; k.k l fefr% स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति को चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं समाज कल्याण योजनाओं के कार्यों को करना है। विशेष रूप से महिलाओं एवं बाल कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन है।
- ¼v½ i l kkl fud l fefr% प्रशासनिक समिति कर्मचारियों के अधिष्ठान एवं ग्राम पंचायत में राशन की दुकानों से सम्बन्धित मामलों से सम्बन्धित है।
- ¼vi½ ty&i xU/ku l fefr% जलप्रबन्धन समिति पेयजल योजना एवं नलकूपों के संचालन एवं रख-रखाव से सम्बन्धित है।
- ¼C½ {ks= i pk; rka@f tyk i pk; rka ea LFkk; h l fefr; k;
- ¼i½ fu; kstu , oa fodkl l fefr% ग्राम पंचायत के लिए योजना को तैयार करने एवं कृषि, पशुपालन एवं गरीबी उन्मूलन योजनाओं को क्रियान्वित करने का कार्य नियोजन एवं विकास समिति को सौंपा गया है।
- ¼ii½ f' k{kk l fefr% प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्य शिक्षा समिति को सौंपा गया है।
- ¼iii½ fuekLk dk; l l fefr% सभी प्रकार के अस्थायी एवं स्थायी निर्माण कार्यों और अनुरक्षण कार्यों में प्रभावी नियंत्रण एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने का कार्य निर्माण समिति को सौंपा गया है।
- ¼iv½ LokLF; , oa dY; k.k l fefr% चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति उत्तरदायी है।
- ¼v½ i l kkl fud l fefr% प्रशासनिक समिति, ग्राम पंचायत के नियन्त्रण में कार्यरत कर्मचारियों से सम्बन्धित विषयों एवं राशन की दुकानों से सम्बन्धित कार्यों के लिए उत्तरदायी है।
- ¼vi½ ty i xU/ku l fefr% जल प्रबन्धन समिति नलकूपों के संचालन एवं अनुरक्षण तथा पेय जल से सम्बन्धित योजनाओं के संचालन हेतु उत्तरदायी है।

(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश)

1.5

Lo; a ds l ksrka l s ol myk x; k jktLo
(संदर्भ: प्रस्तर सं.1.9.3; पृष्ठ 9)

<p>(अ) एवं (ब) भू-राजस्व पर कर (स) स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क (द) राज्य आबकारी (च) बिक्री कर (छ) विद्युत मूल्य एवं कर (य) माल एवं यात्री कर (र) होटल प्राप्तियों पर कर (ल) वाहन कर (व) वस्तुओं एवं सेवाओं पर शुल्क एवं अन्य कर</p>
<p>mRrj in's k {k= i pk; r , oa ftyk i pk; r vf/kfu; e 1961 ds v/; k; 7 ds vuq kj ftyk i pk; rka , oa {k= i pk; rka }kjk yxk, x, dj] 'kq'd bR; kfn%</p> <p>(i) विभव एवं सम्पत्ति कर (धारा 120)। (ii) जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत की पट्टागत सम्पत्ति के अलावा अन्य प्रयोग के लिए शुल्क (धारा 142)। (iii) लाइसेंस शुल्क (धारा 145)। (iv) प्रयोगशालाओं, सरायों एवं पड़ावों इत्यादि के उपयोग के लिए शुल्क/हाट बाजार एवं पुलों के उपयोग के लिए टोल (धारा 144)। (v) (अ) बाजारों में अपना व्यवसाय करने वाले दलालों, आढ़तियों, तौलों या मापको पर लाइसेन्स शुल्क; (धारा 145)। (ब) बिक्री के लिए ऐसे बाजार में माल लाने वाले वाहनों, लद्दू पशुओं या कुलियों पर पथकर; (स) सामानों की बिक्री पर बाजार शुल्क। (द) बाजार में बेचे जाने वाले पशुओं के पंजीकरण पर शुल्क।</p>

(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश)

1.6

l dy i kflr; kj , oa i pk; rh jkt l lFkkvka ds l ksrka ij l e; Js kh vkdM\$
(संदर्भ: प्रस्तर सं.1.9.3; पृष्ठ 9)

₹ dj kM+ e\$

fuf/k dh i dfr	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	; kx
स्वयं के राजस्व	131.36	127.08 ¹	170.21	190.70	148.53	767.88
केन्द्रीय वित्त आयोग अन्तरण (केन्द्रीय वित्त आयोग हस्तान्तरण)	911.29	1,473.51	1,498.45	3,408.67	2,048.65	9,340.57
राज्य वित्त आयोग अन्तरण (राज्य वित्त आयोग हस्तान्तरण)	1,787.57	2,172.38 ²	2,455.04	3,544.81	4,390.18	14,349.98
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए भारत सरकार का अनुदान	10,737.28	9,006.91 ³	7,816.28	6,498.78	6,675.31	40,734.56
; kx	13,567.50	12,779.88	11,939.98	13,642.96	13,262.67	65,192.99

(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज, लखनऊ, उप-निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, लखनऊ, आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, लखनऊ)

¹ केवल जिला पंचायत

² वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन 2010-11 से भिन्न क्योंकि निदेशक, पंचायती राज द्वारा भिन्न-भिन्न आकड़े उपलब्ध कराये गये।

³ ₹ 9,006.91 करोड़ में से ₹ 4,771.59 करोड़ मनरेगा से सम्बन्धित थे जिसमें से ₹ 3,889.15 करोड़ पंचायती राज संस्थाओं को अवमुक्त किये गये थे एवं ₹ 822.44 करोड़ अन्य सम्बन्धित विभागों को अवमुक्त किये गये थे।

i f j f' k"V 1.7

fuoy vkxe dh rnyuk es fuf/k; k; dk gLrkUrj .k
(संदर्भ: प्रस्तर सं.1.9.5.2; पृष्ठ 11)

(₹ dj kM+ e)

Ø0 l Ø	o"K	jkt; l jdkj ds dj jktlo dk fuoy vkxe	gLrkUrj r dh tkus okyh fuf/k; k;	okLro es gLrkUrj r fuf/k; k;	deh %&%@ of) %\$%	ifr'kr
1.	2010-11	41,110	2,261	1,788	(-)473	(-) 21
2.	2011-12	52,613	2,894	2,172	(-) 722	(-) 25
3.	2012-13	58,098	3,195	2,455	(-)740	(-)23
4.	2013-14	66,582	3,662	3,545	(-)117	(-)3
5.	2014-15	74,172	4,079	4,390	(+)311	(+)8
		2,92,575	16,091	14,350	(-)1,741	(-)11

(स्रोत: वित्त लेखे एवं निदेशक,पंचायती राज लखनऊ, उप निदेशक जिला पंचायत, अनुश्रवण प्रकोष्ठ लखनऊ, आयुक्त ग्राम्य विकास, लखनऊ)

i f j f' k"V 1.8

jkt; foRr vk; ks ds vLrxr i klr vuqkks dk mi Hkksx
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 1.9.6; पृष्ठ 12)

(₹ yk[k e)

2011-12					
bdkbz dk uke	i kj fEHkd vo' k'sk	i kflr; k;	; ksx	0; ;	vfUre vo' k'sk
जि.पं. गाजियाबाद	217.16	460.08	677.24	280.17	397.07
जि.पं. बिजनौर	327.41	799.07	1,126.48	766.77	359.71
जि.पं. चन्दौली	21.14	468.56	489.7	181.39	308.31
जि.पं. गोण्डा	1,066.31	370.44	1,436.75	733.13	703.62
जि.पं. लखनऊ	110.57	412.35	522.92	319.97	202.95
जि.पं. रायबरेली	339.19	642.38	981.57	661.31	320.26
जि.पं. भदोही	154.92	273.21	428.13	317.75	110.38
जि.पं. हरदोई	490.9	1,046.03	1,536.93	1,062.05	474.88
जि.पं. हाथरस	123.55	342.89	466.44	278.92	187.52
जि.पं. अलीगढ़	180.71	665.49	846.2	717.76	128.44
		5,480.50	8,512.36	5,319.22	3,193.14
2012-13					
जि.पं. गाजियाबाद	397.07	519.95	917.02	605.14	311.88
जि.पं. बिजनौर	359.71	895.5	1,255.21	928.52	326.69
जि.पं. चन्दौली	308.31	573.89	882.2	627.87	254.33
जि.पं. गोण्डा	703.62	482.5	1,186.12	233.54	952.58
जि.पं. लखनऊ	202.95	467.21	670.16	341.16	329
जि.पं. रायबरेली	320.26	725.96	1,046.22	520.33	525.89
जि.पं. भदोही	110.38	421.64	532.02	262.82	269.2
जि.पं. हरदोई	474.88	1,182.14	1,657.02	987.01	670.01
जि.पं. हाथरस	187.52	387.5	575.02	408.47	166.55
जि.पं. अलीगढ़	128.44	754.68	883.12	553.46	329.66
		6,410.97	9,604.11	5,468.32	4,135.79
2013-14					
जि.पं. इलाहाबाद	1,123.62	2,155.36	3,278.98	1,457.27	1,821.71
जि.पं. गाजियाबाद	311.88	818.88	1,130.76	616	514.76
जि.पं. बिजनौर	326.69	1,412.02	1,738.71	568.56	1,170.15
जि.पं. लखनऊ	329	733.91	1,062.91	647.63	415.28
जि.पं. रायबरेली	525.89	1,143.34	1,669.23	1,149.34	519.89
		6,263.51	8,880.59	4,438.8	4,441.79
vfUre vo' k'sk dk egk; ksx					11,770.72

(स्रोत: लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन इलाहाबाद)

1.9

दलित; foRr vk; ksx ds vUrxr i klr vupkuka dk mi Hkksx
(संदर्भ: प्रस्तर सं.1.9.7; पृष्ठ 13)


(₹ yk[k e])

2011-12					
bdkbl dk uke	i kj fEHkd vo' k'sk	i kflr; k	; ksx	0; ;	vfUre vo' k'sk
जि.पं. गाजियाबाद	103.5	159.92	263.42	94.71	168.71
जि.पं. बिजनौर	174.05	282.85	456.9	153.26	303.64
जि.पं. चन्दौली	268.81	130.94	399.75	30.46	369.29
जि.पं. गोण्डा	290.86	815.18	1,106.04	680.6	425.44
जि.पं. लखनऊ	150.02	106.33	256.35	125.87	130.48
जि.पं. रायबरेली	194.2	453.41	647.61	191.66	455.95
जि.पं. भदोही	79.55	129.75	209.3	98.31	110.99
जि.पं. हरदोई	314.82	269.73	584.55	472.85	111.7
जि.पं. हाथरस	102.67	121.89	224.56	161.66	62.9
जि.पं. अलीगढ़	182.54	232.99	415.53	341.26	74.27
		2,702.99	4,564.01	2,350.64	2,213.37
2012-13					
जि.पं. गाजियाबाद	168.71	304.16	472.87	236.41	236.46
जि.पं. बिजनौर	303.65	540.64	844.29	12.98	831.31
जि.पं. चन्दौली	369.29	594.61	963.9	397.63	566.27
जि.पं. गोण्डा	425.44	917.26	1342.7	937.6	405.1
जि.पं. लखनऊ	130.48	265.62	396.1	123.37	272.73
जि.पं. रायबरेली	455.95	355.28	811.23	475.15	336.08
जि.पं. भदोही	110.99	246.77	357.76	124.7	233.06
जि.पं. हरदोई	111.7	1,000.22	1,111.92	389.23	722.69
जि.पं. हाथरस	62.9	233.84	296.74	242.07	54.67
जि.पं. अलीगढ़	74.27	447.06	521.33	357.56	163.77
		4,905.46	7,118.84	3,296.70	3,822.14
2013-14					
जि.पं. इलाहाबाद	299.25	2393.2	2692.45	502.03	2190.42
जि.पं. गाजियाबाद	236.46	803.31	1039.77	644.55	395.22
जि.पं. बिजनौर	831.31	1,415.55	2246.86	1,463.31	783.55
जि.पं. लखनऊ	272.73	814.84	1087.57	465.44	622.13
जि.पं. रायबरेली	336.08	1,121.41	1457.49	252.36	1205.13
		6,548.31	8,524.14	3,327.69	9,959.72
vfUre vo' k'skka dk egk; ksx					11,231.96

(स्रोत: लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन, इलाहाबाद)

2.1.1

संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.2; पृष्ठ 18)



2.1.2

वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.6.3; पृष्ठ 22)

(₹ यक [क ए])

क्र.सं.	विवरण	विवरण	विवरण	
			विवरण	विवरण
1.	इलाहाबाद बैंक, बापू भवन, लखनऊ	01	399.45	721.07
2.	बैंक आफ बड़ौदा, नरही, लखनऊ	01	342.32	296.56
3.	केनरा बैंक, विपिनखण्ड, लखनऊ	01	86.65	114.83
4.	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, कैंट ब्रांच, लखनऊ	01	70.08	73.01
5.	पंजाब नेशनल बैंक, हलवसिया, लखनऊ	01	241.16	370.61
6.	स्टेट बैंक आफ इण्डिया, जवाहर भवन, लखनऊ	01	250.28	485.33
7.	सिंडीकेट बैंक, हजरतगंज, लखनऊ	01	37.44	77.69
8.	अ. यूनियन बैंक आफ इण्डिया, लखनऊ ⁴	15	202.49	329.87
	ब. यूनियन बैंक आफ इण्डिया, लखनऊ ⁵	02	उपलब्ध नहीं कराया गया	1,891.36
9.	बैंक आफ इण्डिया	01	उपलब्ध नहीं कराया गया	172.70
कुल			1,629.87	4,533.03

(स्रोत: पंचायती राज निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण)

2.1.3

वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.6.4; पृष्ठ 23)

(₹ यक [क ए])

क्र.सं.	विवरण	विवरण		विवरण
		विवरण	विवरण	
1	अलीगढ़	03	46	6.59
2	बहराइच	02	43	5.00
3	इटावा	03	92	6.58
4	फिरोजाबाद	01	119	5.68
5	गौतम बुद्ध नगर	03	44	1.52
6	गाजीपुर	03	114	19.78
7	गोण्डा	02	93	16.21
8	ललितपुर	01	127	2.39
9	लखनऊ	01	143	6.39
10	मऊ	03	94	8.44
11	सीतापुर	01	64	12.54
12	सुल्तानपुर	01	102	11.47
कुल			102.59	

(स्रोत: नमूना जांच किए गये जिला पंचायतों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं ब्याज की गणना 6 प्रतिशत आर.बी.आई. दर के आधार पर)

वर्ष 2010-11 कि प्रथम सामान्य बुनियादी अनुदान, वर्ष 2014-15 की सामान्य बुनियादी अनुदान की द्वितीय किश्त एवं सामान्य निष्पादन अनुदान की प्रथम किश्त के ब्याज की गणना नहीं की गई है।

⁴ यूनियन बैंक आफ इण्डिया के सभी 15 बैंक खाते शामिल।

⁵ यूनियन बैंक आफ इण्डिया के दो बैंक खाते जिनमें ब्याज नहीं प्राप्त हुआ।

i f j f' k"V 2.1.4

ueuk tkp fd; s x; s ftyk i pk; rks e vi z; Dr vupku
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.6.6; पृष्ठ 24)

(₹ dj kM+ e)

Ø0 I Ø	ftyk i pk; r dk uke	mRrj i ns'k 'kkl u }kjk voeDr /kujkf' k	0; ; /kujkf' k	vo' ks'k /kujkf' k
1.	अलीगढ़	25.99	20.80	5.19
2.	बहराइच	29.43	24.39	5.04
3.	इटावा	13.68	12.56	1.12
4.	फिरोजाबाद	16.63	15.95	0.68
5.	गौतम बुद्ध नगर	6.67	4.37	2.30
6.	गाजीपुर	36.74	30.45	6.29
7.	गोण्डा	32.63	29.65	2.98
8.	ललितपुर	11.46	7.51	3.95
9.	लखनऊ	15.90	14.23	1.67
10.	मऊ	17.25	15.77	1.48
11.	सीतापुर	46.86	31.07	15.79
12.	सुल्तानपुर	23.43	18.32	5.11
; ksx		276.67	225.07	51.60

i f j f' k"V 2.1.5

ftyk i pk; rks ds cfd [kkrs e 2010&15 dh vof/k e vftir C; kt dk foj .k
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.6.7; पृष्ठ 24 एवं 25)

(₹ yk[k e)

Ø0 I Ø	ftyk i pk; r dk uke	cpr [kkrs e vftir C; kt dh /kujkf' k	fVli . kh
1.	अलीगढ़	51.68	उसी बैंक खाते में रखा गया था।
2.	बहराइच	89.82	उसी बैंक खाते में रखा गया था।
3.	इटावा	69.18	जिला पंचायत की आय मानते हुए जिला निधि में अंतरित किया गया था।
4.	फिरोजाबाद	33.17	उसी बैंक खाते में रखा गया था।
5.	गौतम बुद्ध नगर	59.23	जिला पंचायत की आय मानते हुए जिला निधि में अंतरित किया गया था।
6.	गाजीपुर	204.56	उसी बैंक खाते में रखा गया था।
7.	गोण्डा	92.36	₹ 27.17 लाख (2011-13) जिला पंचायत की आय मानते हुए जिला निधि में अंतरित किया गया था।
8.	लखनऊ	60.34	उसी बैंक खाते में रखा गया था।
9.	मऊ	106.61	उसी बैंक खाते में रखा गया था।
10.	सीतापुर	234.07	उसी बैंक खाते में रखा गया था।
; ksx		1,001.2	
		₹ 10.01	dj kM+

(स्रोत: जिला पंचायतों से एकत्रित सूचना के आधार पर)

टिप्पणी: जिला पंचायत, इटावा ₹ 69.18 लाख + गौतम बुद्ध नगर, ₹ 59.23 लाख + गोण्डा, ₹ 27.17 लाख = ₹ 155.58 लाख।

i f j f' k"V 2.1.6

ueuuk tkp fd; s x; s {ks= i pk; rka ea viz; Ør vupku
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.6.8; पृष्ठ 25)

(₹ dj kM+ e)

ØØ l Ø	tuin dk uke	{ks= i pk; r dk uke	mRrj i ns' k ' kkl u)kj k voeØr /kuj kf' k	0; ; /kuj kf' k	vo' ks' k /kuj kf' k
1.	अलीगढ़	चंदौस और खैर	2.14	2.05	0.09
2.	बहराइच	हुजूरपुर, नवाबगंज और तेजवापुर	2.67	2.02	0.65
3.	इटावा	बढ़पुरा और महेवा	2.15	1.89	0.26
4.	फिरोजाबाद	हाथवंत और टुण्डला	1.90	1.57	0.33
5.	गौतम बुद्ध नगर	बिसरख	1.29	1.29	0.00
6.	गाजीपुर	बाराचवर, मरदह और जखनिया	3.46	2.59	0.87
7.	गोण्डा	बेलसर, कटरा बाजार और परसपुर	2.92	1.69	1.23
8.	ललितपुर	जखौरा	1.17	1.17	0.00
9.	लखनऊ	बक्शी का तालाब और मलिहाबाद	1.91	1.57	0.34
10.	मऊ	दोहरी घाट और परदहां	1.77	1.49	0.28
11.	सीतापुर	बिसवां, पहला, लहरपुर और सकरन	4.89	4.26	0.63
12.	सुल्तानपुर	धनपतगंज, प्रतापपुर कमैचा और करौदीकलां	1.57	1.50	0.07
dy 128 {ks= i pk; r½			27.84	23.09	4.75

i f j f' k"V 2.1.7

ueuuk tkp fd; s x; s xke i pk; rka ea viz; Ør vupku
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.6.9; पृष्ठ 26)

(₹ dj kM+ e)

ØØ l Ø	Tkui n dk uke	xke i pk; rka dh l a[; k	mRrj i ns' k ' kkl u)kj k voeØr /kuj kf' k	0; ; /kuj kf' k	vo' ks' k /kuj kf' k
1.	अलीगढ़	14	1.38	1.15	0.23
2.	बहराइच	19	1.72	1.68	0.04
3.	इटावा	14	1.93	1.80	0.13
4.	फिरोजाबाद	12	1.59	1.23	0.36
5.	गौतम बुद्ध नगर	05	0.34	0.19	0.15
6.	गाजीपुर	21	2.12	1.97	0.15
7.	गोण्डा	19	2.25	2.18	0.07
8.	ललितपुर	07	0.66	0.59	0.07
9.	लखनऊ	15	1.50	1.47	0.03
10.	मऊ	12	1.54	1.49	0.05
11.	सीतापुर	28	3.43	3.20	0.23
12.	सुल्तानपुर	14	1.39	1.32	0.07
; ksx		180	19.85	18.27	1.58

i f j f' k"V 2.1.8

f t y k i p k ; r k a } k j k x k e i p k ; r k a e a d j k ; s x ; s d k ; l

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.8.1, 2.1.8.4, 2.1.8.7, 2.1.8.10, 2.1.8.13, 2.1.8.16, 2.1.8.19, 2.1.8.22, 2.1.8.25, 2.1.8.28, 2.1.8.31 एवं 2.1.8.34; पृष्ठ 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45 एवं 46)

ØØ l Ø	f t y k i p k ; r d k u k e	d k ; k a d h l a [; k
1	अलीगढ़	232
2	बहराइच	181
3	इटावा	138
4	फिरोजाबाद	272
5	गौतम बुद्ध नगर	114
6	गाजीपुर	453
7	गोण्डा	320
8	ललितपुर	72
9	लखनऊ	153
10	मऊ	155
11	सीतापुर	405
12	सुल्तानपुर	139
	; k s x	2,656

i f j f' k"V 2.1.9

f t y k i p k ; r k a } k j k d j k ; s x ; s u ; s l M e d f u e k l k d k ; k a i j 0 ; ; f o o j . k

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.8.1, 2.1.8.4, 2.1.8.7, 2.1.8.10, 2.1.8.13, 2.1.8.16, 2.1.8.19, 2.1.8.22, 2.1.8.25, 2.1.8.28, 2.1.8.31 और 2.1.8.34; पृष्ठ 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45 एवं 46)

(₹ d j k M + e)

ØØ l Ø	f t y k i p k ; r d k u k e	u ; s l M e d f u e k l k d k ; l		d y 0 ; ; / k u j k f ' k	d k y e 4 v k s j 5 d s l n h k z e a i f r ' k r
		d k ; k a d h l a [; k	0 ; ; / k u j k f ' k		
1.	अलीगढ़	232	18.57	20.80	89
2.	बहराइच	204	24.19	24.39	99
3.	इटावा	131	11.79	12.56	94
4.	फिरोजाबाद	261	15.44	15.95	97
5.	गौतम बुद्ध नगर	114	4.35	4.37	99.55
6.	गाजीपुर	464	28.71	30.45	94
7.	गोण्डा	346	29.24	29.65	98.62
8.	ललितपुर	94	7.51	7.51	100
9.	लखनऊ	156	13.87	14.23	97.47
10.	मऊ	119	11.80	15.77	74.83
11.	सीतापुर	405	31.02	31.07	99.84
12.	सुल्तानपुर	139	18.11	18.32	98.85
	; k s x	2,649	214.60	225.07	

(स्रोत: जिला पंचायतों से एकत्रित सूचना के आधार पर)

2.1.10

ftyk i pk; r dk }kjk dj k; s x; s vuj {k. k dk; l

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.8.1, 2.1.8.4, 2.1.8.7, 2.1.8.10, 2.1.8.13, 2.1.8.16, 2.1.8.19, 2.1.8.22, 2.1.8.25, 2.1.8.28, 2.1.8.31 एवं 2.1.8.34; पृष्ठ 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45 एवं 46)

(₹ dj kM+ e)

Ø0 l Ø	ftyk i pk; r dk uke	dk; k dh l a[; k	0; ; /kuj kf' k	dy 0; ;	dye 4 , oa 5 ds l nhkz ea i fr' kr
1	अलीगढ़	25	2.23	20.80	11
2	बहराइच	3	0.20	24.39	1
3	इटावा	7	0.77	12.56	6
4	फिरोजाबाद	11	0.51	15.95	3
5	गौतम बुद्ध नगर	1	0.02	4.37	0.45
6	गाजीपुर	21	1.74	30.45	6
7	गोण्डा	4	0.41	29.65	1.38
8	ललितपुर	0	0.00	7.51	0
9	लखनऊ	3	0.36	14.23	2.53
10	मऊ	41	3.97	15.77	25.17
11	सीतापुर	01	0.05	31.07	0.16
12	सुल्तानपुर	03	0.21	18.32	1.15
	; kx	120	10.47	225.07	

(स्रोत: जिला पंचायतों से एकत्रित सूचना के आधार पर)

VIli . kh% सीवेज सुविधाओं पर केवल ₹ 0.30 लाख व्यय किया गया।

2.1.11

2010&15 dh vof/k ea vFkh. M dh de dVksrh

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.8.1, 2.1.8.4, 2.1.8.13, 2.1.8.16, 2.1.8.19, 2.1.8.22, 2.1.8.25, 2.1.8.28, एवं 2.1.8.34; पृष्ठ 30, 32, 36, 37, 39, 41, 42, 43 एवं 46)

(₹ yk[k e)

Ø0 l Ø	ftyk i pk; r dk uke	dk; k dh dy l a[; k	foyeC l s dj k; s x; s dk; k dh l a[; k	foyeEcr dk; k dh vuekfur ykr	ol nyh ; kx; vFkh. M	vkjki r@ ol ny fd; k x; k vFkh. M	de ol ny fd; k x; k vFkh. M
1.	अलीगढ़	257	71	640.45	63.98	1.57	62.41
2.	बहराइच	207	08	112.67	11.27	0.00	11.27
3.	गौतम बुद्ध नगर	114	11	108.19	10.82	0.03	10.79
4.	गाजीपुर	485	08	130.49	13.05	0.09	12.96
5.	गोण्डा	348	06	338.13	33.81	0.03	33.78
6.	ललितपुर	94	24	273.76	27.34	0.72	26.62
7.	लखनऊ	159	02	14.00	1.40	0.00	1.40
8.	मऊ	160	05	147.89	14.79	0.00	14.79
9.	सुल्तानपुर	142	73	539.53	41.36	0.22	41.14
	; kx	1966	208	2207.91	217.82	2.66	215.16

(स्रोत: नमूना जांच किये गये जिला पंचायतों से एकत्रित सूचना के आधार पर)

2.1.12

Lohdfr iklr fd; s ₹ 10 yk[k l s vf/kd ds dj k; s x; s fuekZ.k dk; kã dk fooj .k
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.8.2, 2.1.8.5, 2.1.8.8, 2.1.8.14, 2.1.8.17, 2.1.8.20 एवं 2.1.8.32;
पृष्ठ 31, 32, 33, 36, 37, 39 एवं 45)

(₹ yk[k e)

क्र.सं.	विवरण	प्रकार/विवरण	अंश	कार्य	वर्ष
1	अलीगढ़/चंदौस	जनपद की सीमा से भोजपुर तक खड़जा एवं मिट्टी कार्य।	15.14	कार्य प्रभारी द्वारा निष्पादित कार्य	2013-14
2		ग्राम किन्हुआ में अगवनपुर सम्पर्क मार्ग पर जीर्णोद्धार कार्य नाली एवं खड़जा।	16.00		2014-15
3		ग्राम किन्हुआ में मरघटों की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण।	11.17		2014-15
4	अलीगढ़/खैर	ग्राम अरैना में जी.टी.रोड से बच्चू सिंह के मकान तक नाली निर्माण।	10.54	कार्य प्रभारी द्वारा निष्पादित कार्य	2012-13
5		मनपुर खुर्द में मुंशीलाल के मकान से शिव मंदिर तक नाली निर्माण।	10.83		2013-14
6		ग्राम अहरौला में मुख्य मार्ग से जल निकास नाली निर्माण।	13.66		2013-14
7		अहरौला में किरनवीर के मकान से देवालय तक नाली निर्माण।	14.76		2013-14
8		ऐदलपुर फतेहगढ़ी में चौधरी सूरज पाल के मकान से बाईपास तक नाली निर्माण।	12.65		2013-14
9		मनपुर कलां में प्रेमी के मकान से तालाब तक नाली निर्माण।	16.49		2014-15
dqy		09 dk; l	121.24		
10	बहराइच/क्षेत्र पंचायत तेजवापुर	अलीम की चक्की से नरुल हसन के घर तक सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	12.52	कार्य प्रभारी द्वारा निष्पादित कार्य	2011-12
dqy		01 dk; l	12.52		
11	इटावा/बढ़पुरा	ग्राम पंचायत संगली में अशोक बरदहां के घर तक डामर रोड।	13.14	कार्य प्रभारी द्वारा निष्पादित कार्य	2013-14
12		सुदाती ग्लोबल इण्टर कालेज से सुदिती ग्लोबल डिग्री कालेज तक इण्टरलाकिंग टाईल्स कार्य।	10.61		
13	इटावा/महेवा	ग्राम पंचायत कुशगवां अहिरान में पी.डब्ल्यू.डी. रोड से सरनम सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग टाईल्स का कार्य।	11.73		2014-15
dqy		03	35.48		
14	गौतमबुद्ध नगर/क्षेत्र पंचायत बिसरख	ग्राम खेड़ा धर्मपुरा में राम किशन के घर से राईस मिल की दीवार तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	12.46	कार्य प्रभारी द्वारा निष्पादित कार्य	2013-14
dqy		01 dk; l	12.46		
15	गाजीपुर/क्षेत्र	365 स्ट्रीट लाईटों की स्थापना ⁶ ।	18.25	कार्य प्रभारी द्वारा निष्पादित कार्य और स्ट्रीट लाईट के क्रय हेतु	2012-13
16	पंचायत बाराचवर	195 स्ट्रीट लाईटों की स्थापना ⁷ ।	10.14		2013-14

⁶ जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से ₹ 5,000 प्रति स्ट्रीट लाईट की दर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया गया।

⁷ जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से ₹ 5,000 प्रति स्ट्रीट लाईट की दर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया गया।

				मेसर्स अदया कांस्ट्रक्शंस को आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया	
17		दफलपुरा में सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	13.34	कार्य प्रभारी द्वारा निष्पादित कार्य	2011-12
18	गाजीपुर/क्षेत्र पंचायत मरदह	₹ 28,750.00 प्रति सोलर लाईट की दर से 52 सोलर लाईट की स्थापना।	14.95	दिनांक 04.06.14 को 125 सोलर लाईट के क्रय हेतु मेसर्स मां दुर्गा ट्रेडर्स को आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया	2014-15
19		₹ 28,750.00 प्रति सोलर लाईट की दर से 73 सोलर लाईट की स्थापना।	20.91		
dy		05 dk; l	77.59		
20	गोण्डा/क्षेत्र पंचायत बेलसर	क्षेत्र पंचायत बेलसर के विभिन्न ग्रामों में पांच हाई मास्ट लाईट और 175 स्ट्रीट लाईट की स्थापना।	19.18	कार्य प्रभारी द्वारा निष्पादित कार्य और दिनांक 24.03.13 को मेसर्स पराशर ट्रेडर्स को आपूर्ति आदेश दिया गया	2012-13
21		बब्लू सिंह के घर से पकड़ी बाजार तक इण्टर लाकिंग/नाली निर्माण कार्य।	18.21	कार्य प्रभारी द्वारा निष्पादित कार्य	2013-14
dy		02 dk; l	37.39		
22	सीतापुर/क्षेत्र पंचायत पहला	बाबा कुटी से कटरा तक सोलिंग कार्य।	14.05	कार्य प्रभारी द्वारा निष्पादित कार्य	2010-11
23		जबदाहर मुस्तफाबाद मार्ग के मध्य ज़ेन पर दो स्पैन आर.सी.सी. पुलिया।	13.95		2013-14
24		दिल्ली आगरा में डामर रोड से नाली तक सी.सी. निर्माण कार्य।	15.88		2014-15
25		बरेसापुर में डामर रोड से रामनगरा गांव तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण।	14.64		2014-15
26	सीतापुर/क्षेत्र पंचायत बिसवां	बिसवां सिधौली रोड से गन्ना सेक्टर के किनारे होते हुए बेनीपुर नाला तक नाला निर्माण।	14.54		2011-12
27		विभिन्न ग्रामों में 116 सोलर लाईटों की स्थापना का कार्य।	35.38		2013-14
28		ग्राम नेवराजपुर में सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण।	12.97		2013-14
29		मुरऊ टोला चौराहे से जलालपुर की तरफ नाला का कार्य।	10.82		2014-15
30		ग्राम मनपुर के पास बिसवां रजवहा के किमी. 1,377 पर वी.आर.बी. पुलिया का निर्माण।	12.58		2014-15
31	सीतापुर/क्षेत्र पंचायत सकरन	अंगरौना में देवी मां के मंदिर से राकेश के घर तक सी.सी. कार्य।	14.65		2012-13
32		सकरन के विभिन्न मजारों में सोलर लाईट।	18.94		2012-13
33		बी.डी. कालेज कोंसार से सकरन के पास नाली निर्माण।	10.20		2013-14
34	सीतापुर/क्षेत्र पंचायत लहरपुर	शेखपुर से मालापुर मार्ग पर पुलिया निर्माण।	12.39		2013-14
dy		13 dk; l	200.99		
dy ; kx			₹ 4-98 dj km+		

(स्रोत: चयनित क्षेत्र पंचायतों से एकत्रित सूचना के आधार पर)

i f j f k " V 2.1.13

ueuuk tkp fd, x, 153 xke ipk; rka ea
fcuk dkV's ku@fufonk vke=.k ds l kexh Ø;

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.8.3, 2.1.8.6, 2.1.8.9, 2.1.8.15, 2.1.8.18, 2.1.8.21, 2.1.8.24,
2.1.8.27, 2.1.8.33 एवं 2.1.8.36; पृष्ठ 31, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46 एवं 47)

(₹ yk[k e)

tuin@{ks= ipk; r dk uke	Ø0 l Ø	xke ipk; r	cktkj l s Ø; dh xbl l kexh dh ykxr
अलीगढ़ / चंदौस	1	अमृतपुर	4.00
	2	चंदौस	10.97
	3	गणेशपुर	3.89
	4	जखौता	5.93
	5	महराजपुर	3.02
	6	ओगर नगला राजी	4.47
	7	रासिदपुर गोरना	4.16
खैर	8	ऐदलपुर	1.94
	9	भनौली	3.64
	10	एचना	2.27
	11	कीरतपुर	2.11
	12	मथना	1.92
	13	पलाचंद	2.82
	14	सोफा	5.28
dy		p; fur l Hkh 14 xke ipk; r	56.42
बहराइच / हुजूरपुर	15	अलिहा	5.18
	16	भटिकुंडा	4.44
	17	गौरिया	10.26
	18	जगता जलालपुर	5.23
	19	लौकही	11.92
	20	पिपरीहा महिपाल सिंह	6.59
	21	सिंहपुर	3.86
नवाबगंज	22	बनकुटी	10.39
	23	देवरा	7.23
	24	जलालपुर	6.82
	25	माधोपुर निदौना	10.16
	26	रहीमनगर	4.61
	27	सिसैया	5.56
तेजवापुर	28	बसौनामाफी	10.05
	29	चेतरा	4.55
	30	जाब्दी	5.23
	31	लक्खाबौड़ी	3.61
	32	रामगांव	6.12
	33	टेडवा शिष्टीपुर	9.41
dy		p; fur l Hkh 19 xke ipk; r	131.22
इट्टावा / बड़पुरा	34	अवारी	4.45
	35	बाराचवर	7.34
	36	फुफई	11.21

	37	कामेठ	37.09
	38	मानिकपुर मोहन	8.09
	39	सराय भगत	6.58
महेवा	40	अहेरीपुर	20.15
	41	भरईपुर	8.05
	42	दाईपुर	9.34
	43	इंगौरी	12.18
	44	कुनेठा	8.66
	45	मुडेना कला खुर्द	7.11
	46	निवाड़ी कलां	13.99
	47	सराय इलाही	5.33
		159.57	159.57
गौतम बुद्ध नगर/बिसरख	48	ककराला खासपुर	0.52
	49	बादलपुर	1.23
	50	ममौरा	1.95
	51	रोजा जलालपुर	2.27
	52	सुल्तानपुर	3.97
		9.94	9.94
गाजीपुर/जखनिया	53	अमवावंशी	7.94
	54	दामोदरपुर	5.02
	55	गोदसइया	8.54
	56	जौहरपुर	8.85
	57	खुदाबक्शपुर	5.43
	58	मीरपुर तिरवह	11.63
	59	पानीकशा उर्फ कृतिसिंहपुर	7.16
	60	सराय धनेश	4.22
मरदह	61	बहतुरा	6.08
	62	बीरबलपुर	1.58
	63	घरिया	16.57
	64	करदह कैथवली	5.63
	65	नासिरुद्दीनपुर	10.64
	66	रुहीपुर	6.30
बाराचवर	67	अमहट	8.51
	68	बेनीपुर	8.93
	69	दहेंदू	8.82
	70	हटवर दयाल सिंह	5.11
	71	खड़हड़ा	5.19
	72	न्यू उर्फ ऊँचाडीह	8.62
	73	पिहुली	5.38
		156.15	156.15
गोण्डा/ कटरा बाजार	74	बरई गोंदहा	5.57
	75	चरेरा	2.68
	76	गौरवा कलां	7.00
	77	कोटिया मदारा	11.35
	78	नदवां	6.77
	79	रायपुर फकीर	3.56

	80	तिलका	7.52
परसपुर	81	अभईपुर	3.98
	82	भौरीगंज	7.58
	83	डोमाकल्पी	4.41
	84	कड़रु	15.31
	85	मधईपुर खण्डेराय	9.13
	86	परसपुर	34.29
	87	सरैया चौबे	4.27
बेलसर	88	अलीपरसोली	18.67
	89	चिरेबसना	5.77
	90	हरखापुर	5.16
	91	मरगूबपुर	6.18
	92	सिधौटी	9.07
	dy	p; fur l Hkh 19 xke i pk; r	168.27
ललितपुर / जखौरा	93	बूचा	1.61
	94	अडवाहा	3.81
	95	सिलगन	2.62
	96	मैनवारा	1.80
	dy	p; fur l kr xke i pk; rka ea l s pkj xke i pk; r	9.84
लखनऊ / बख्शी का तालाब	97	आधारखेड़ा	6.12
	98	बगहा	8.64
	99	भरीगहनां	7.88
	100	दुधरा	5.82
	101	जलालपुर	9.81
	102	मदारीपुर	5.66
	103	मुसपिपरी	9.33
	104	रजौली	13.53
	105	सोनवा	7.05
मलिहाबाद	106	अल्लूपुर	6.46
	107	दताली	5.27
	108	हमीरापुर	10.93
	109	खड़ीवा	10.15
	110	मीठेनगर	4.97
	111	सहिलामऊ	6.72
	dy	l Hkh p; fur 15 xke i pk; r	118.34
सीतापुर / बिसवां	112	अम्बरपुर	1.55
	113	बेलवा बहादुरपुर	3.77
	114	बिसेंडी	1.51
	115	हसनापुर	6.56
	116	कन्दुनी	3.61
	117	लोधौरा	4.56
	118	मोईजुद्दीनपुर	8.47
	119	पुरैना	7.99
	120	सरैया मिर्जापुर	2.51
	पहला	121	बजेहरा
122		भरथर	1.43

	123	फिरोजपुर	1.22
	124	कन्दौरा	0.60
	125	लोधीरा राजासाहब	1.70
	126	पलिया	0.89
	127	सरैया कादीपुर	1.90
लहरपुर	128	अकबरपुर	3.32
	129	दरियापुर	0.36
	130	करस्यौरा	5.41
	131	माकनपुर	0.71
	132	पटवारा	2.06
	133	शेरपुर	1.83
सिकरन	134	अदवारी	5.18
	135	चिल्हिया	1.47
	136	खम्हरिया महरिया	5.76
	137	मडौर	2.94
	138	पटनी	7.71
	139	सरैया कलां	1.33
dy Hkh p; fur 28 xke i pk; r			94.32
सुल्तानपुर/धनपतगंज	140	ऐनपुर	2.14
	141	बिसवां	4.49
	142	इटवा मलनापुर	2.35
	143	महमूदपुर	4.54
	144	रामनगर	4.46
	145	सेमरौना	7.56
पी.पी.कमैचा	146	घमहा	2.09
	147	रामगढ़	5.80
	148	काठराखुर्द	2.56
	149	साढ़ापुर	5.75
	150	बेंतीकला	2.35
करौंदी कला	151	बांगर कला	6.56
	152	गौरा टिकरी	3.87
	153	पहाड़पुर कला	8.80
dy p; fur 15 xke i pk; rka ea l s 14 xke i pk; r			63.32
egk; kx p; fur 182 xke i pk; rka ea l s 153 xke i pk; r			967.39

(स्रोत: चयनित ग्राम पंचायतों से एकत्रित सूचना के आधार पर)

i f j f' k"V 2.1.14

2010&15 dh vof/k eā gš Mi Ei ds vug {k. k ij 0; ;

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.8.3, 2.1.8.6, 2.1.8.9, 2.1.8.15, 2.1.8.18, 2.1.8.21, 2.1.8.24, 2.1.8.27, 2.1.8.30, 2.1.8.33 एवं 2.1.8.36; पृष्ठ 31, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46 एवं 47)

(₹ yk[k e)

Ø0 l 0	tuin dk uke	{ks= i pk; r dk uke	xke i pk; r %xke i pk; r k dh l a[; k%	0; ; /kuj kf' k
1.	अलीगढ़	चंदौस	अमृतपुर, चंदौस, गणेशपुर, जखौता, महाराजपुर, ओगर नगला राजी, राशिदपुर गोरना (07)	11.69
2.		खैर	भनौली, एचना, सोफा (03)	0.96
		dy	10 xke i pk; r	12.56
3.	बहराइच	हुजूरपुर	पिपरीहा महिपाल सिंह, सिंहपुर, भटीकुण्डा, अलिहा, गौरिया और लौकही (06)	7.60
4.		तेजवापुर	टेडवा सिस्टीपुर, रामगांव, लक्खाबौड़ी, जाबदी और चेतारा (05)	1.51
5.		नवाबगंज	रहीमनगर, सिसैया और माधोपुर निदौना (03)	0.56
		dy	14 xke i pk; r	9.67
6.	इटावा	महेवा	अहेरीपुर, भरईपुर, सराय इलाही, निवाड़ी कलां, कुनेठा, दाईपुर, इंगौरी और मुड़ेना कला खुर्द (08)	22.08
7.		बढ़पुरा	फुफई, सराय भगत, मानिकपुर मोहन, आवाड़ी और कामेट (05)	14.37
		dy	13 xke i pk; r	36.45
8.	गौतम बुद्ध नगर ⁸	बिसरख	बादलपुर, ककराला खासपुर, रोजा जलालपुर और ममौरा (04)	1.66
		dy	04 xke i pk; r	1.66
9.	गाजीपुर	बाराचवर	खड़हड़ा, न्यू उर्फ ऊंचाडीह, हटवर दयाल सिंह, बेनीपुर, दहेंदू और अमहट (06)	5.70
10.		मरदह	नसिरुद्दीनपुर, रूहीपुर, बहतुरा और करदह कैथवली (04)	3.49
11.		जखनिया	सराय धनेश, खुदाबक्शपुर, अमवावंशी, मीरपुर, गोदसइया, दामोदरपुर और जौहरपुर (07)	1.70
		dy	17 xke i pk; r	10.89
12.	गोण्डा	कटरा बाजार	चरेरा, रायपुर फकीर और बरई गोंदहा (03)	1.17
13.		परसपुर	अभईपुर, डोमाकल्पी, कड़रू, मधईपुर खण्डेराय और सरैया चौबे (05)	2.64
14.		बेलसर	हरखापुर, चिरेबसना, मरगूबपुर, अलीपरसोली और सिधौटी (05)	5.39
		dy	13 xke i pk; r	9.20
15.	ललितपुर	जखौरा	बूचा, गोरा, सिलगन, पचौनी, खड़ेरा और मैनवारा (06)	16.02
		dy	06 xke i pk; r	16.02
16.	लखनऊ	बख्शी का तालाब	आधार खेड़ा, बगहा, भरिगहना, दुधरा, जलालपुर, मदारीपुर, मुसपिपरी, रजौली और सोनवा (09)	10.03
17.		मलिहाबाद	दताली, खड़ैवा और मीठेनगर (03)	3.88
		dy	12 xke i pk; r	13.91

⁸ ग्राम पंचायत चिपियाना खुर्द और गिरधरपुर सुनारसी (क्षेत्र पंचायत विसरख, गौतम बुद्ध नगर) ने लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया।

18	मऊ	दोहरीघाट	कादीपुर, गुलौरीकलां और बहरामपुर (03)	1.31
19		परदहां	सरवन, परदहा, कुशमौर, बीबीपुर और आडेडीह (05)	20.65
		dy	08 xke i pk; r	21.96
20	सीतापुर	बिसवां	अम्बरपुर, बेलवाबहादुरपुर, बिसेण्डी, हसनपुर, लोधौरा, मोईजुद्दीनपुर और सरैया मिर्जापुर (07)	4.09
21		पहला	बजेहरा, भरथर, फिरोजपुर, कण्डौरा, लोधौरा राजासाहब, पलिया और सरैयां कादीपुर (07)	12.55
22		लहरपुर	अकबरपुर, दरियापुर, पटवारा और शेरपुर (04)	1.13
23		सकरन	अदवारी, चिल्हिया, खमरहिया महरिया, मडौर, पटनी और सरैयां कला (06)	7.82
		dy	24 xke i pk; r	25.59
24	सुल्तानपुर	धनपतगंज	ऐनपुर, इटवामलनापुर, महमूदपुर, रामनगर, सेमरौना और बिसवां (06)	10.36
25		पी.पी.कमैचा	घमहा, रामगढ़, कोटराखुर्द और बेंतीकलां (04)	8.66
26		करौंधीकलां	बंगर कला, गौरा टिकरी और पहाड़पुर कला (03)	7.87
		dy	13 xke i pk; r	26.89
		dy ; kx	134 xke i pk; r	184.89

(स्रोत: चयनित ग्राम पंचायतों से एकत्रित सूचना के आधार पर)

i f j f' k"V 2.1.15

p; fur xke i pk; rka ea 2010&15 dh vof/k ea fcuk i kDdyu
 , oa eki ds fofHkUu dk; kka ij 0; ;

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.8.3, 2.1.8.6, 2.1.8.9, 2.1.8.12, 2.1.8.15, 2.1.8.18, 2.1.8.21, 2.1.8.24, 2.1.8.27,
 2.1.8.30, 2.1.8.33 एवं 2.1.8.36; पृष्ठ 31, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46 एवं 47)

(₹ करोड़ में)

Ø0 l Ø	Tkui n dk uke	Ø0 l Ø	{k= i pk; r dk uke	Ø0 l Ø	xke i pk; r dk uke	0; ; /kuj'kf' k
1	vyhx<+	1	pnkl	1	अमृतपुर	0.07
				2	चंदौस	0.31
				3	गणेशपुर	0.06
				4	जखौता	0.12
				5	महाराजपुर	0.06
				6	ओगर नगला राजी	0.06
				7	राशिदपुर गोरना	0.08
		2	[kj	8	ऐदलपुर	0.06
				9	भनौली	0.06
				10	एचना	0.03
				11	कीरतपुर	0.03
				12	मथना	0.08
				13	पलाचंद	0.08
				14	सोफा	0.05
dy 14 xke i pk; r						1.15
2	cgj kbp	3	gqtij ij	15	अलीहा	0.07
				16	भटीकुंडा	0.07
				17	गौरिया	0.14
				18	जगता जलालपुर	0.08
				19	लौकही	0.13
				20	पिपरीहा महिपाल सिंह	0.08
				21	सिंहपुर	0.06
		4	lkokxat	22	बनकुटी	0.13
				23	देवरा	0.09
				24	जलालपुर	0.10
				25	माधोपुर निदौना	0.12
				26	रहीमनगर	0.06
				27	सिसैया	0.06
		5	rstoki ij	28	बसौनामाफी	0.12
				29	चेतरा	0.07
				30	जाब्दी	0.06
				31	लक्खाबौड़ी	0.05
				32	रामगांव	0.08
				33	टेडवा शिस्टीपुर	0.11
dy 19 xke i pk; r						1.68
3	bVkok	6	c<ij k	34	अवाड़ी	0.06
				35	बिचारपुरा	0.08
				36	फुफई	0.14
				37	कामेट	0.41

				38	मनिकपुर मोहन	0.10
				39	सराय भगत	0.08
		7	Ekgok	40	अहेरीपुर	0.22
				41	भरईपुर	0.08
				42	दाईपुर	0.10
				43	इंगौरी	0.14
				44	कुनेठा	0.09
				45	मुड़ैना कला खुर्द	0.08
				46	निवाड़ी कला	0.16
				47	सराय इलाही	0.06
दिय 14 xke ipk; r						1.80
4	fQjktkckn	8	VqMyk	48	बसई	0.11
				49	एलई	0.14
				50	हजरतपुर	0.14
				51	मोहम्मदाबाद	0.33
				52	पहाड़ीपुर भोण्डेला	0.12
				53	सराय नूरमहल	0.08
		9	gkFkor	54	बलीपुर तपस्या	0.05
				55	बिल्टीगढ़	0.08
				56	इटहारी	0.06
				57	कोराई सरहद	0.05
				58	ओड़मपुर	0.02
				59	सांथी	0.05
दिय 12 xke ipk; r						1.23
5	xkfre qj uxj	10	fcl j [k ⁹	60	बादलपुर	0.06
				61	चिपियाना खुर्द	
				62	गिरधरपुर सुनारसी	
				63	ककराला खासपुर	0.01
				64	ममौरा	0.03
				65	रोजा जलालपुर	0.03
				66	सुल्तानपुर	0.06
दिय 07 xke ipk; r						0.19
6	xkthij	11	t [kfu; k	67	अमवावंशी	0.10
				68	दामोदरपुर	0.06
				69	गोदसइया	0.11
				70	जौहरपुर	0.11
				71	खुदाबक्श पुर	0.07
				72	मीरपुर तिरवह	0.14
				73	पानीकशा उर्फ कृत्तिसिंहपुर	0.08
				74	सराय धनेश	0.05
		12	ejng	75	बहतुरा	0.07
				76	बीरबलपुर	0.14
				77	घरिया	0.19
				78	करदह कैथवली	0.07
				79	नसिरुद्दीनपुर	0.13

⁹ ग्राम पंचायत चिपियाना खुर्द और गिरधरपुर सुनारसी (क्षेत्र पंचायत बिसरख, गौतम बुद्ध नगर) ने लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया।

				80	रूहीपुर	0.08
		13	ckj kpoj	81	अमहट	0.09
				81	बेनीपुर	0.10
				82	दहेंदू	0.10
				83	इटवर दयाल सिंह	0.06
				84	खड़हड़ा	0.07
				85	न्यू उर्फ ऊँचाडीह	0.10
				86	पिहुली	0.05
dny 21 xke i pk; r						1.97
7	xks Mk	14	dVjk cktkj	87	बरई गोंदहा	0.07
				88	चरेरा	0.03
				89	गौरवा कलां	0.08
				90	कोटिया मदारा	0.12
				91	नदवां	0.08
				92	रायपुर फकीर	0.04
				93	तिलका	0.09
		15	ijl ij	94	अभईपुर	0.05
				95	भौरीगंज	0.12
				96	डोमाकल्पी	0.06
				97	कड़रू	0.28
				98	मघईपुर खण्डेराय	0.11
				99	परसपुर	0.42
				100	सरैया चौबे	0.06
		16	cyl j	101	अलीपरसोली	0.23
				102	चिरेबसना	0.09
				103	हरखापुर	0.07
				104	मरगूबपुर	0.07
				105	सिधौटी	0.11
dny 19 xke i pk; r						2.18
8	yfyrij	17	t [kkj k	106	अडवहा	0.07
				107	बूचा	0.08
				108	गोरा	0.04
				109	खड़ेरा	0.06
				110	मैनवारा	0.11
				111	पाचौनी	0.05
				112	सिलगन	0.18
dny 07 xke i pk; r						0.59
9	y[kuÅ	18	cD' kh dk rkykc	113	आधार खेड़ा	0.07
				114	बगहा	0.10
				115	भरीगहना	0.10
				116	दुधरा	0.07
				117	जलालपुर	0.11
				118	मदारीपुर	0.07
				119	मुसपिपरी	0.12
				120	रजौली	0.15
				121	सोनवा	0.08
		19	efygcckn	122	अल्लूपुर	0.09

				123	दताली	0.06
				124	हमीरापुर	0.13
				125	खडौवा	0.18
				126	मीठेनगर	0.06
				127	सहिलामठ	0.08
दिय 15 xke i pk: r						1.47
10	eÅ	20	nkj h?kkV	128	बहरामपुर	0.11
				129	बुधावर	0.12
				130	गुलौरीकलां	0.06
				131	कादीपुर	0.08
				132	कुरंगा	0.14
				133	परसुरामपुर नरहरपुर	0.07
				134	सरफोरा	0.08
		21	i j ngk	135	आडेडीह	0.14
				136	बीबीपुर	0.10
				137	कुशमौर	0.10
				138	परदहा	0.11
				139	सरवन	0.38
दिय 12 xke i pk: r						1.49
11	l hrki j	22	fcl oka	140	अम्बरपुर	0.07
				141	बेलवाबहादुर पुर	0.08
				142	बिसेण्डी	0.06
				143	हसनापुर	0.09
				144	कंदुनी	0.04
				145	लढोरा	0.10
				146	मोइजुद्दीनपुर	0.16
				147	पुरैना	0.05
				148	सरैया मिर्जापुर	0.11
		23	i gyk	149	बजेहरा	0.20
				150	भरथर	0.17
				151	फिरोजपुर	0.09
				152	कन्दौरा	0.06
				153	लोधौरा राजा साहब	0.11
				154	पलिया	0.07
				155	सरैया कादीपुर	0.09
		24	ygj i j	156	अकबरपुर	0.17
				157	दरियापुर	0.08
				158	करस्यौरा	0.16
				159	मकनपुर	0.07
				160	पटवारा	0.09
				161	शेरपुर	0.16
		25	lkdj u	162	अदवारी	0.15
				163	चिल्हिया	0.09
				164	खमहरिया महरिया	0.11
				165	मडौर	0.28
				166	पटनी	0.14
				167	सरैया कलां	0.15
दिय 28 xke i pk: r						3.20
12	l qrkui j	26	/kui uxat	168	ऐनपुर	0.07

			169	विसवा	0.12
			170	इटवामलनापुर	0.03
			171	महमूदपुर	0.11
			172	रामनगर	0.07
			173	सेमरौना	0.16
	27	irki ij depk	174	बैतीकला	0.14
			175	घमहा	0.04
			176	कोठराखुर्द	0.06
			178	रामगढ़	0.11
			179	साढ़ापुर	0.12
	28	dj kñh dyka	180	बांगरकला	0.09
			181	गौराटिकरी	0.09
			182	पहाड़पुर कलां	0.11
dy 14 xke ipk; r					1.32
dy; kx% 182 xke ipk; rka ea l s tuin xkñe q) uxj ds {k= ipk; r fcl j [k ds 02 xke ipk; rka us ys[kki j h{kk ds vfhkys[k mi yC/k ugha dj k; kA					18.27

(सोत% चयनित ग्राम पंचायतों से एकत्रित सूचना के आधार पर)

i f j f' k"V 2.2.1
p; fur xke i pk; rks dh l ph
 (संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.2.6; पृष्ठ 56)

क्र.सं.	खे।पक.र	त्यक्त	तकुरीन
1	अइलकलल	गौर	बस्ती
2	बलदीपुर	हरख	बलरलबंकी
3	बहेरररल	सल्टउअगोललपुर	बस्ती
4	बनगवलं	दरररलबलद	बलरलबंकी
5	बेल्हल	लललगंज	प्रतलपगढ
6	भदूनल	मलीहलबलद	लखनऊ
7	भलंटी	कुडवलर	सुल्लतलनपुर
8	बलचपटवल	दुधलही	कुशीनगर
9	बलंसी	शंकरगढ	इललहलबलद
10	बुंदलवन	सुकुरौली	कुशीनगर
11	चरवल	चललल	कुरीशलंबी
12	देवररल	सहजनवलं	गुरखपुर
13	देवलदलरतुलल	खजनू	गुरखपुर
14	इंटगलबेरमनगर	बलललसपुर	बलरलमपुर
15	गुरदुली	सरुरजनूनगर	लखनऊ
16	गुरसलप्रललगपुर	गंजमुरलदलबलद	उन्नलवल
17	हरुरेवलबसंतपुर	देसलईदेवररल	देवररल
18	हरुरेवलपंडलत	बुरजमनगंज	महरलजगंज
19	जलललपुर	खुदलगंजकटरल	शलहजहलंपुर
20	कठेठल	हरपललपुर	हरदुई
21	खुरलकललं	गललुलल	शुरलवसुती
22	खरपरी	मैनपुरी	मैनपुरी
23	खरवलनलल	बनकटी	बस्ती
24	खलसडीह	मलरुतलनगंज	अलगमगढ
25	कलशुनपुरकपलली	देवमई	फतेहपुर
26	कुअल	बेलघलट	गुरखपुर
27	खवलजलअहमदपुर	शमसलबलद	फरुखलबलद
28	लकुमनपुर शंकरपुर	रलसलल	बहरलइच
29	लकुमनपुरमतलही	बलहल	बहरलइच
30	महरीपुर	टलणुडल	अमुुडेकरनगर
31	महुअल	सुकुरौलल	कुशीनगर
32	मटलहल	बलहल	बहरलइच
33	मटरुई	इगललस	अलीगढ
34	नहरखुर	बहुअल	फतेहपुर
35	नहरल	खदुली	अलगरल
36	नूसलनल	सललरपुर	बदलरुं
37	परसलपलईडीह	गुसडी	बलरलमपुर
38	पीपरलबसंत	पीपरलइच	गुरखपुर
39	पीपरलकलजी	नलचलुलल	महरलजगंज
40	रुकवलहल	मेहरुनी	लललतपुर
41	सतीजुर	नवलबगंज	बहरलइच
42	सुंधरवलं	मलीहलबलद	लखनऊ
43	सेवईहेमगढ	शलहगढ	अमेठी
44	शलवपुर	नरलनपुर	मलरजलपुर
45	सुुहरलवन	बलसुनपुरल	कुशीनगर
46	सुुन	खुरलगढ	अलगरल
47	तवककलपुर	पीहलनी	हरदुई
48	तुरलपुरलरपुर	पुवल	उन्नलवल
49	वसलरललउरुवलसललवलले	बलसलपुर	पीलीभीत
50	वलनललक	गुरीबलजलर	देवररल

(सुरत: ग्रलम पंचललतुु कुरी सूचुी जलसमें 2014-15 में सलमलजक लेखलपरीकुषल सडुडलदलत कुरी गयुी)

i f j f' k"V 2.2.2
 xke i p k; r k d h s l p h , o a l k e k f t d y s [k k i j h { k k d h v o f / k
 (संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.2.8.2; पृष्ठ 60)

00 l 0	xke i p k; r dk uke	Lkkeftd ys[kki j h { k k xke l Hkk dh frfFk	Cykd Lkkeftd ys[kki j h { k k l elo; d dh ifronu ds vuq kj Lkkeftd ys[kki j h { k k dh vof/k		fnuka dh l a [; k
			l s	rd	
1	अइलाकला	08.09.2014	08.09.2014	08.09.2014	01
2	बादीपुर	01.12.2014	01.12.2014	01.12.2014	01
3	बहेरिया	11.08.2014	11.08.2014	11.08.2014	01
4	बनगवां	27.11.2014	26.11.2014	27.11.2014	02
5	बेल्हा	25.08.2014	25.08.2014	25.08.2014	01
6	भदौना	02.03.2015	02.03.2015	02.03.2015	01
7	भाटी	11.07.2014	11.07.2014	11.07.2014	01
8	बिचपटवा	16.02.2015	16.02.2015	16.02.2015	01
9	बांसी	31.10.2014	वर्णित नहीं है।		01
10	बुंदावन	13.11.2014	13.11.2014	13.11.2014	01
11	चरवा	29.09.2014	29.09.2014	29.09.2014	01
12	देवरिया	19.03.2015	वर्णित नहीं है।		01
13	देवदारतुला	28.10.2014	वर्णित नहीं है।		01
14	इंटगाबेरमनगर	15.12.2014	11.12.2014	15.12.2014	05
15	गोदौली	28.07.2014	28.07.2014	28.07.2014	01
16	गोसाप्रयागपुर	07.08.2014	वर्णित नहीं है।		01
17	हरैयाबसंतपुर	01.12.2014	वर्णित नहीं है।		01
18	हरैयापंडित	24.11.2014	24.11.2014	24.11.2014	01
19	जलालपुर	02.12.2014	वर्णित नहीं है।		01
20	कटेठा	23.02.2015	18.02.2015	22.02.2015	05
21	खैराकलां	16.10.2014	वर्णित नहीं है।		01
22	खरपरी	10.11.2014	वर्णित नहीं है।		01
23	खरवनिया	22.09.2014	22.09.2014	22.09.2014	01
24	खासडीह	04.08.2014	02.08.2014	04.08.2014	03
25	किशुनपुरकपिली	31.10.2014	31.10.2014	31.10.2014	01
26	कुंआ	07.08.2014	वर्णित नहीं है।		01
27	खाजाअहमदपुर	17.11.2014	वर्णित नहीं है।		01
28	लक्ष्मनपुर शंकरपुर	02.03.2015	02.03.2015	02.03.2015	01
29	लक्ष्मनपुरमताही	22.11.2014	वर्णित नहीं है।		01
30	महरीपुर	27.11.2014	वर्णित नहीं है।		01
31	महुआ	04.09.2014	04.09.2014	04.09.2014	01
32	मटिहा	24.11.2014	वर्णित नहीं है।		01
33	मटरोई	17.03.2015	15.03.2015	17.03.2015	03
34	नहरखोर	26.09.2014	26.09.2014	26.09.2014	01
35	नहरी	16.09.2014	13.09.2014	16.09.2014	04
36	नौसाना	11.12.2014	11.12.2014	11.12.2014	01
37	परसापलईडीह	08.08.2014	08.08.2014	08.08.2014	01
38	पीपराबसंत	11.12.2014	वर्णित नहीं है।		01
39	पीपराकाजी	15.09.2014	15.09.2014	15.09.2014	01
40	रुकवाहा	26.09.2014	14.09.2014	26.09.2014	13
41	सतीजोर	12.03.2015	वर्णित नहीं है।		01
42	सेंधरवा	04.09.2014	04.09.2014	04.09.2014	01
43	सेवईहेमगढ़	26.09.2014	26.09.2014	26.09.2014	01
44	शिवपुर	10.11.2014	08.11.2014	09.11.2014	02
45	सोहरावन	09.02.2015	09.02.2015	09.02.2015	01
46	सोन	21.08.2014	15.08.2014	21.08.2014	07
47	तवकलपुर	21.07.2014	18.07.2014	21.07.2014	04
48	त्रिपुरारपुर	22.10.2014	22.10.2014	22.10.2014	01
49	वसियाउर्फवसियावाले	11.12.2014	वर्णित नहीं है।		01
50	विनायक	08.10.2014	वर्णित नहीं है।		01

(स्रोत: ब्लाक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक प्रतिवेदन)

i f j f' k"V 2.2.3

i R; x d ny }kjk | E i kfnr | kekftd ys[kki jh{kk ds vk\$ r dk fooj . k

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.2.8.5; पृष्ठ 61)

Ø0 l 0	Tkui n	Cykdk\$ dh l a[; k	Cykdk\$ dh l a[; k tgk; l kekftd ys[kki jh{kk l a' kfnr dh xbz	l kekftd ys[kki jh{kk nyk\$ dh l a[; k	ekud ds vuq i vkj f{kr l kekftd ys[kki jh{kk nyk\$ dh l a[; k	ekud ds vuq i l kekftd ys[kki jh{kk nyk\$ dh l a[; k	fu; kfr l kekftd ys[kki jh{kk dh l a[; k	ifr ny l kekftd ys[kki jh{kk dk vk\$ r
1	आगरा	15	14	101	28	73	476	6.52
2	अलीगढ़	12	12	114	24	90	516	5.73
3	इलाहाबाद	20	18	171	36	135	843	6.24
4	अम्बेडकरनगर	9	9	100	18	82	387	4.72
5	अमेठी	13	13	66	26	40	441	11.02
6	आजमगढ़	22	20	217	40	177	859	4.85
7	बहराइच	14	14	125	28	97	584	6.02
8	बलरामपुर	9	9	89	18	71	313	4.41
9	बाराबंकी	15	14	137	28	109	602	5.52
10	बस्ती	14	14	131	28	103	582	5.65
11	बदायूं	15	10	127	20	107	430	4.02
12	देवरिया	16	16	124	32	92	639	6.95
13	फर्रुखाबाद	7	5	66	10	56	215	3.84
14	फतेहपुर	13	11	109	22	87	473	5.44
15	गोरखपुर	19	18	134	36	98	766	7.82
16	हरदोई	19	19	118	38	80	812	10.15
17	कौशांबी	8	7	54	14	40	282	7.05
18	कुशीनगर	14	14	128	28	100	581	5.81
19	ललितपुर	6	6	49	12	37	258	6.97
20	लखनऊ	8	6	40	12	28	258	9.21
21	महाराजगंज	12	12	108	24	84	488	5.81
22	मैनपुरी	9	9	73	18	55	380	6.91
23	मीरजापुर	12	12	106	24	82	501	6.11
24	पीलीभीत	7	6	67	12	55	240	4.36
25	प्रतापगढ़	17	3	16	6	10	119	11.90
26	रामपुर	6	6	72	12	60	232	3.87
27	शाहजहांपुर	15	15	130	30	100	516	5.16
28	श्रावस्ती	5	3	46	6	40	129	3.22
29	सुल्तानपुर	14	12	105	24	81	516	6.37
30	उन्नाव	16	14	104	28	76	602	7.92
	; kx	381	341	3]027	682	2]345	14]040	5-99 vFkkz 6-00

(स्रोत: जिला विकास अधिकारियों से एकत्रित सूचना)

2.2.4

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.2.9.1; पृष्ठ 62)

क्र.सं.	ग्राम/पंचायत	प्रस्तावित दिनांक	पुनरीक्षण दिनांक	पुनरीक्षण दिनांक	पुनरीक्षण दिनांक
1	बादीपुर	01.12.2014	01.11.2014	15.11.2014	15
2	बनगवां	27.11.2014	27.10.2014	15.11.2014	18
3	बेल्हा	25.08.2014	25.07.2014	10.08.2014	15
4	भदौना	02.03.2015	02.02.2015	20.02.2015	18
5	भाटी	11.07.2014	11.06.2014	28.06.2014	16
6	बांसी	31.10.2014	01.10.2014	10.10.2014	09
7	बुंदावन	13.11.2014	13.10.2014	16.10.2014	03
8	देवरिया	19.03.2015	19.02.2014	09.03.2015	20
9	देवदारतुला	28.10.2014	28.09.2014	24.10.2014	26
10	इटगाबेरमनगर	15.12.2014	15.11.2014	25.11.2014	10
11	गोदौली	28.07.2014	28.06.2014	02.07.2014	04
12	गोसाप्रयागपुर	07.08.2014	07.07.2014	22.07.2014	14
13	हरैयाबसंतपुर	01.12.2014	01.11.2014	05.11.2014	03
14	जलालपुर	02.12.2014	02.11.2014	22.11.2014	20
15	कठेठा	23.02.2015	23.01.2015	16.02.2015	22
16	खैराकलां	16.10.2014	16.09.2014	26.09.2014	10
17	खरपरी	10.11.2014	10.10.2014	21.10.2014	10
18	खासडीह	04.08.2014	04.07.2014	23.07.2014	19
19	किशुनपुरकपिली	31.10.2014	01.10.2014	10.10.2014	09
20	कूआ	07.08.2014	07.07.2014	30.07.2014	23
21	लक्ष्मनपुर शंकरपुर	02.03.2015	02.02.2015	27.02.2015	26
22	लक्ष्मनपुरमताही	22.11.2014	22.10.2014	20.11.2014	28
23	महरीपुर	27.11.2014	27.10.2014	07.11.2014	10
24	मटिहा	24.11.2014	24.10.2014	22.11.2014	28
25	नहरा	16.09.2014	16.08.2014	30.08.2014	13
26	पिपराबसंत	11.12.2014	11.11.2014	26.11.2014	14
27	पीपराकाजी	15.09.2014	15.08.2014	05.09.2014	20
28	सतीजोर	12.03.2015	12.02.2015	02.03.2015	20
29	सैंधरवां	04.09.2014	04.08.2014	22.08.2014	17
30	सेवईहेमगढ़	26.09.2014	26.08.2014	05.09.2014	09
31	शिवपुर	10.11.2014	10.10.2014	14.10.2014	04
32	तवक्कलपुर	21.07.2014	21.06.2014	18.07.2014	27
33	त्रिपुरारपुर	22.10.2014	22.09.2014	15.10.2014	23
34	वर्सियाउर्फवर्सियावाले	11.12.2014	11.11.2014	25.11.2014	14

(स्रोत: ग्राम पंचायत एवं ब्लाक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक)

Annexure 2.2.5

List of Panchayats and Urban Local Bodies (ULBs) where the audit was completed during the year 2014-15.
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.2.9.2; पृष्ठ 62)

Sl. No.	Name of Panchayat/ULB	Date of Audit	Date of Audit	Date of Audit	Date of Audit
1	अइलाकला	08.09.2014	24.08.2014	08.09.2014	15
2	बादीपुर	01.12.2014	16.11.2014	17.11.2014	1
3	बहेरिया	11.08.2014	27.07.2014	11.08.2014	15
4	बनगवां	27.11.2014	12.11.2014	25.11.2014	13
5	बेल्हा	25.08.2014	10.08.2014	25.08.2014	15
6	भदौना	02.03.2015	15.02.2015	24.02.2015	9
7	भाटी	11.07.2014	26.06.2014	09.07.2014	13
8	बिचपटवा	16.02.2015	01.02.2015	16.02.2015	15
9	बांसी	31.10.2014	16.10.2014	25.10.2014	9
10	बूदावन	13.11.2014	29.10.2014	13.11.2014	15
11	चरवा	29.09.2014	14.09.2014	27.09.2014	13
12	देवरिया	19.03.2015	04.03.2015	13.03.2015	9
13	देवदारतुला	28.10.2014	13.10.2014	24.10.2014	11
14	इंटगाबेरमनगर	15.12.2014	30.11.2014	11.12.2014	11
15	गोदौली	28.07.2014	13.07.2014	23.07.2014	10
16	गोसाप्रयागपुर	07.08.2014	23.07.2014	28.07.2014	5
17	हरैयाबसंतपुर	01.12.2014	16.11.2014	26.11.2014	10
18	हरैयापंडित	24.11.2014	09.11.2014	18.11.2014	9
19	जलालपुर	02.12.2014	17.11.2014	02.12.2014	15
20	कटेठा	23.02.2015	08.02.2015	21.02.2015	13
21	खैराकलां	16.10.2014	01.10.2014	15.10.2014	14
22	खरपरी	10.11.2014	26.10.2014	01.11.2014	6
23	खरवनिया	22.09.2014	07.09.2014	19.09.2014	12
24	खासडीह	04.08.2014	20.07.2014	01.08.2014	12
25	कुंआ	07.08.2014	23.07.2014	30.07.2014	7
26	खाजाअहमदपुर	17.11.2014	02.11.2014	13.11.2014	11
27	लक्ष्मनपुर शंकरपुर	02.03.2015	15.02.2015	02.03.2015	15
28	लक्ष्मनपुरमताही	22.11.2014	07.11.2014	22.11.2014	15
29	महुआ	04.09.2014	20.08.2014	04.09.2014	15
30	मटिहा	24.11.2014	09.11.2014	24.11.2014	15
31	मटरोई	17.03.2015	02.03.2015	17.03.2015	15
32	नहरखोर	26.09.2014	11.09.2014	18.09.2014	7
33	नहरा	16.09.2014	01.09.2014	13.09.2014	12
34	परसापलईडीह	08.08.2014	24.07.2014	07.08.2014	14
35	पीपराकाजी	15.09.2014	31.08.2014	07.09.2014	7
36	सतीजोर	12.03.2015	25.02.2015	12.03.2015	15
37	सैंधरवां	04.09.2014	20.08.2014	01.09.2014	12
38	सेवईहेमगढ़	26.09.2014	11.09.2014	22.09.2014	11
39	शिवपुर	10.11.2014	26.10.2014	08.11.2014	13
40	सेहरावन	09.02.2015	25.01.2015	09.02.2015	15
41	सोन	21.08.2014	06.08.2014	15.08.2014	9
42	तवक्कलपुर	21.07.2014	06.07.2014	18.07.2014	12
43	त्रिपुरारपुर	22.10.2014	07.10.2014	18.10.2014	11
44	वर्सियाउर्फवर्सियावाले	11.12.2014	26.11.2014	06.12.2014	10
45	विनायक	08.10.2014	23.09.2014	05.10.2014	12

(1 % ग्राम पंचायतें एवं ब्लाक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक)

i f j f' k"V 2.2.6
 vys[kki j hf{kr xke i p k; rka dk fooj . k
 (संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.2.9.3; पृष्ठ 63)

Ø0 l 0	Tkuin dk uke	l kekftd ys[kki j h{kk grrq fu; kftr xke i p k; rka dh l a[; k	ys[kki j h{kk dh xbz xke i p k; rka dh l a[; k	ys[kki j h{kk dh u xbz xke i p k; rka dh l a[; k ¼1]302½	
				vfhkys[k mi yC/k u dj kus ds dkj . k	vU; dkj . k
1	आगरा	476	381	95	0
2	इलाहाबाद	843	656	15	172
3	अलीगढ़	516	509	07	0
4	अमेठी	441	402	39	0
5	आजमगढ़	859	766	93	0
6	बहराइच	584	552	0	32
7	बलरामपुर	313	215	0	98
8	बस्ती	582	538	44	0
9	बदायूं	430	400	30	0
10	देवरिया	639	635	4	0
11	फतेहपुर	473	441	32	0
12	गोरखपुर	766	632	134	0
13	हरदोई	812	714	59	39
14	कौशांबी	282	260	8	14
15	कुशीनगर	581	511	70	0
16	लखनऊ	258	256	02	0
17	महराजगंज	488	482	0	6
18	मैनपुरी	380	238	0	142
19	मीरजापुर	501	483	18	0
20	पीलीभीत	240	234	0	6
21	प्रतापगढ़	119	90	29	0
22	श्रावस्ती	129	120	09	0
23	सुल्तानपुर	516	491	1	24
24	उन्नाव	602	522	80	0
; kx		11]830	10]528	769	533

(स्रोत: जिला विकास अधिकारियों से एकत्रित सूचना)

2.2.7
कृषि एवं पशु चिकित्सा अधिकारियों की सेवाएँ
 (संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.2.9.4; पृष्ठ 63)

क्र.सं.	ग्राम/पंचायत का नाम	आवृत्ति	अधिकारी का नाम	स्थिति
1	अइलाकला	08.09.2014	जिला गन्ना अधिकारी बस्ती	नहीं
2	बादीपुर	01.12.2014	अधिकासी अभियंता-1, लोक निर्माण विभाग	नहीं
3	बहेरिया	11.08.2014	जिला प्रोबेशन अधिकारी, बस्ती	नहीं
4	बनगवां	27.11.2014	प्रान्तीय रक्षा दल अधिकारी, बाराबंकी	नहीं
5	बेल्हा	25.08.2014	अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत प्रतापगढ़	नहीं
6	भदौना	02.03.2015	बी0एस0ए0, लखनऊ	नहीं
7	भाटी	11.07.2014	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सुल्तानपुर	नहीं
8	बिचपटवा	16.02.2015	जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी, कुशीनगर	नहीं
9	बांसी	31.10.2014	डी0टी0ओ0, डी0आर0डी0आई0, इलाहाबाद	नहीं
10	बूदावन	13.11.2014	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, कुशीनगर	नहीं
11	चरवा	29.09.2014	डी0पी0ओ0, कौशाम्बी	नहीं
12	देवरिया	19.03.2015	अधिकासी अभियंता, नलकूप	नहीं
13	देवदारतुला	28.10.2014	खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी	नहीं
14	इंटंगाबेरमनगर	15.12.2014	उपनिदेशक कृषि प्रसार, रामपुर	नहीं
15	गोदौली	28.07.2014	अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी, लखनऊ	नहीं
16	हरैयाबसंतपुर	01.12.2014	जिला पंचायत राज अधिकारी, देवरिया	नहीं
17	हरैयापंडित	24.11.2014	जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, महाराजगंज	नहीं
18	जलालपुर	02.12.2014	सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी	नहीं
19	कठेठा	23.02.2015	डी0एस0डब्ल्यू0 अधिकारी	नहीं
20	खरवनिया	22.09.2014	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बस्ती	नहीं
21	खासडीह	04.08.2014	नामित नहीं है	नहीं
22	कुंआ	07.08.2014	बी0एस0ए0	नहीं
23	लक्ष्मनपुर शंकरपुर	02.03.2015	जिला उद्यान अधिकारी, बहराइच	नहीं
24	लक्ष्मनपुरमताही	22.11.2014	जिला ग्रामोद्योग अधिकारी	नहीं
25	महुआ	04.09.2014	खण्ड विकास अधिकारी, सुकरौली	नहीं
26	मटिहा	24.11.2014	जिला ग्रामोद्योग अधिकारी	नहीं
27	मटरोई	17.03.2015	खादी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी	नहीं
28	नहरखोर	26.09.2014	जिला कृषि अधिकारी, फतेहपुर	नहीं
29	नहरा	16.09.2014	अधिकासी अभियंता, एस0के0एन0	नहीं
30	पीपराबसंत	11.12.2014	सहायक अभियंता लघु सिंचाई	नहीं
31	पीपराकाजी	15.09.2014	अधिकासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, महाराजगंज	नहीं
32	रुकवाहा	26.09.2014	उपनिदेशक, कृषि ललितपुर	नहीं
33	सतीजोर	12.03.2015	सहायक निबंधक, सहकारिता	नहीं
34	सैंधरवां	04.09.2014	बी0एस0ए0, लखनऊ	नहीं
35	सेवईहेमगढ़	26.09.2014	जिला विकास अधिकारी अमेठी	नहीं
36	शिवपुर	10.11.2014	सहायक अभियंता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	नहीं
37	सोन	21.08.2014	सहायक अभियंता लघु सिंचाई, आगरा	नहीं
38	त्रिपुरारपुर	22.10.2014	अधिकासी अधिकारी, नगर पंचायत पूर्वा	नहीं
39	वर्सियाउर्फवर्सियावाले	11.12.2014	सहायक निबंधक, सहकारिता	नहीं
40	विनायक	08.10.2014	जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक देवरिया	नहीं

(स्रोत: ग्राम पंचायतें एवं ब्लॉक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक)

i f j f' k"V 2.2.8

Xkke l Hkk cBd ea xkeokfl ; ka dh mi fLFkr
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.2.9.5; पृष्ठ 64)

Ø0 l Ø	xke ipk; r	xke ipk; rka dh tul a; k	l kekftd ys[kki jh{kk dk; bkg h ea mi fLFkr xkeokfl ; ka dh l a; k	mi fLFkr dk i fr'kr
1	अइलाकला	2,043	30	1.47
2	बादीपुर	2,364	17	0.72
3	बहेरिया	2,508	19	0.76
4	बनगवां	3,840	14	0.36
5	बेल्हा	5,995	22	0.36
6	भदौना	5,140	40	0.78
7	भाटी	4,887	184	3.76
8	बिचपटवा	4,257	37	0.87
9	बांसी	2,794	65	2.33
10	बृंदावन	1,997	40	2.00
11	चरवा	26,071	17	0.07
12	देवरिया	1,400	38	2.71
13	देवदारतुला	2,500	29	1.16
14	इंटंगाबेरमनगर	3,197	30	0.94
15	गोदौली	4,000	35	0.88
16	गोसाप्रयागपुर	1,672	49	2.93
17	हरैयाबसंतपुर	2,255	33	1.46
18	हरैयापंडित	1,501	41	2.73
19	जलालपुर	3,500	13	0.37
20	कठेठा	5,932	27	0.46
21	खैराकलां	2,019	22	1.09
22	खरपरी	7,731	33	0.43
23	खरवनिया	2,000	39	1.95
24	खासडीह	2,300	38	1.65
25	किशुनपुरकपिली	1,950	27	1.38
26	कुंआ	2,650	14	0.53
27	ख्वाजाअहमदपुर	1,953	32	1.64
28	लक्ष्मनपुर शंकरपुर	3,582	36	1.00
29	लक्ष्मनपुरमताही	5,104	23	0.45
30	महरीपुर	1,800	27	1.50
31	महुआ	2,763	19	0.69
32	मटिहा	3,700	19	0.51
33	मटरोई	2,300	19	0.83
34	नहरखोर	1,408	46	3.26
35	नहर्रा	4,912	46	0.94
36	नौसाना	2,478	36	1.45
37	परसापलईडीह	2,341	31	1.32
38	पीपराबसंत	2,884	64	2.22
39	पीपराकाजी	3,545	44	1.24
40	रुकवाहा	2,416	20	0.83

41	सतीजोर	3,656	62	1.70
42	सेंधरवां	5,140	46	0.89
43	सेवईहेमगाढ़	1,500	28	1.87
44	शिवपुर	1,780	48	2.70
45	सोहरावन	2,729	35	1.28
46	सोन	4,282	52	1.21
47	तवकलपुर	4,064	50	1.23
48	त्रिपुरारपुर	4,539	63	1.39
49	वर्सियाउर्फवर्सियावाले	2,125	55	2.59
50	विनायक	1,300	35	2.69
		1]78]804	1]889	1-06

(स्रोत: ग्राम पंचायतों की कार्यवाही एवं ब्लॉक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक प्रतिवेदन)

2.2.9

लेखापरीक्षा विवरण (संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.2.9.9; पृष्ठ 65)

क्र.सं.	ग्राम/निकाय	कुल व्यय	कुल आय	कुल शेष
1	आगरा	381	328	53
2	अलीगढ़	509	489	20
3	इलाहाबाद	656	579	77
4	अम्बेडकरनगर	387	385	02
5	अमेठी	402	228	174
6	आजमगढ़	766	435	331
7	बाराबंकी	602	518	84
8	बदायूं	400	378	22
9	देवरिया	635	584	51
10	फतेहपुर	441	407	34
11	गोरखपुर	632	581	51
12	हरदोई	714	706	08
13	कौशांबी	260	254	06
14	कुशीनगर	511	460	51
15	महाराजगंज	482	472	10
16	मैनपुरी	238	174	64
17	मीरजापुर	483	402	81
18	पीलीभीत	234	202	32
19	प्रतापगढ़	90	89	01
20	शाहजहांपुर	516	469	47
21	सुल्तानपुर	491	447	44
22	उन्नाव	522	486	36
		10]352	9]073	1]279

(स्रोत: जिला विकास अधिकारियों से एकत्रित सूचना)

i f j f ' k " V 2.2.10

Cykd l kekftd ys[kki j h { k k l ello; d k a } k j k r s k j fd; s x; s i f ronu vkj eujsk
dh oc l kbv ij vi yk M M i f ronu es vl rj
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.2.9.9; पृष्ठ 65)

क्र.सं.	क्षेत्र/पंचायत	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	संशोधन/सुधार/संशोधन/सुधार	संशोधन/सुधार/संशोधन/सुधार
1.	अइलाकला	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	08/09/2014	23/08/2014
		2.2ए	रोजगार कार्ड का अद्यतन नहीं होना और नोटिस बोर्ड पर चिपका नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4ए	ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर कार्य आवंटन की सूची को नहीं चिपकाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
2.	बदीपुर	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	01/12/2014	15/11/2014
		2.2.5	जाब कार्ड पर फोटो ग्राफ नहीं चिपका होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.2ए	रोजगार कार्ड की सूची का अद्यतन नहीं होना और ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चिपका नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.3.3	श्रमिकों को उनके कार्य के आवेदन की दिनांकित पावती उपलब्ध नहीं करवाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4.2	कार्य आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत कोटा सुनिश्चित नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.5.9	मजदूरों को मजदूरी पर्ची नहीं देना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.3	कार्य स्थल पर भण्डार पंजिका का उपलब्ध नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.10	जे0ई0 द्वारा कृत कार्य की अन्तिम माप मजदूरों के समक्ष नहीं लिया जाना।	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.11	अनुश्रवण एवं सतक्रता समिति द्वारा कार्यस्थल का नियमित भ्रमण और अनुश्रवण नहीं करना।	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.7	ग्राम सभा के सामाजिक लेखापरीक्षा में सामाजिक लेखापरीक्षा दल को 15 दिन पूर्व अभिलेख/ सूचना उपलब्ध नहीं कराना।	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
3.	बहेरिया	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	11/08/2014	26/07/2014
		2.2.3	श्रमिकों द्वारा मांगे जाने वाले कार्य की दिनांकित पावती निर्गत नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4.2	कार्य आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत कोटा सुनिश्चित नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4ए	कार्य आवंटन की सूची को ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.5.8	श्रमिकों को मजदूरी पर्ची निर्गत नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.1	कार्यस्थल पर नोटिस बोर्ड में कार्य की लागत, स्वीकृति, गुणवत्ता और अन्य सूचना प्रदर्शित नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.2	जनता की पूछताछ के लिए कार्य स्थल पर मस्टर रोल उपलब्ध नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.21	कार्य स्थल पर शिशु घर, पीने का पानी आदि सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7ए	कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मस्टर रोल निर्गत नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.15ए	कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र विलम्ब से निर्गत करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.18	कार्य के प्रारम्भ, मध्य और समाप्ति की फोटो ग्राम नहीं लेना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.8	सामाजिक लेखापरीक्षा के 15 दिन पूर्व अभिलेख उपलब्ध नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.8	नामित अधिकारी का उपस्थित नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
4.	बनगवा	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	27/11/2014	12/11/2014
		2.2ए	रोजगार कार्ड का अद्यतन नहीं होना और ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4ए	ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर कार्य आवंटन की सूची प्रदर्शित नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.2	कार्य स्थल पर जनता के सत्यापन के लिए मस्टर रोल उपलब्ध नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.3	कार्यस्थल पर भण्डार पंजिका उपलब्ध नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.11	सतक्रता एवं अनुश्रवण समिति द्वारा नियमित रूप से कार्यस्थल का भ्रमण और अनुश्रवण नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं

		2.7.18	कार्य के प्रारम्भ, मध्य और अन्त की फोटोग्राफ को नहीं लेना और उसे सामाजिक लेखापरीक्षा टीम एवं जनता को उपलब्ध नहीं करना।	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.2	सामाजिक लेखापरीक्षा में अधिकतम सहभागिता के लिए व्यापक प्रचार प्रसार नहीं किया जाना।	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.7	सामाजिक लेखापरीक्षा दल को ग्राम सभा के आडिट से 15 दिन पूर्व अभिलेख/ सूचनाएँ उपलब्ध नहीं करवाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.9	ग्राम में दीवारों पर सूचनाएँ नहीं लिखवाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
5.	बांसी	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	31/10/2014	15/10/2014
		2.2ए	रोजगार कार्ड का अद्यतन नहीं किया जाना और उसे नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.5.9	मजदूर पर्ची को निर्गत नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.9	किये गये कार्य को प्रतिदिन माप पुस्तिका में दर्ज नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.1	प्रत्येक छः माह में सामाजिक लेखापरीक्षा न किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.8	नामित अधिकारी द्वारा सोशल आडिट की बैठक में उपस्थित रहना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
6.	बेल्हा	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	25/08/2014	10/08/2014
		2.2बी	जाब कार्ड सूची का उद्यतन नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.3.2	श्रमिकों के आवेदन पत्र पर दिनांकित पावती नहीं निर्गत करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4ए	ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर कार्य आवंटन की सूची प्रदर्शित नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.5.9	श्रमिकों को मजदूरी पर्ची नहीं दिया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.7	कार्य स्थल पर सामग्री पंजिका उपलब्ध नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.15	कार्य के प्रारम्भ, मध्य और अन्त की फोटो नहीं लिया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.2	सामाजिक लेखापरीक्षा टीम को 15 दिन पूर्व अभिलेख/ सूचनाएँ उपलब्ध नहीं करवाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.9	पिछले सामाजिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
7.	वघवाना	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	02/03/2015	15/02/2015
		2.4ए	ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर कार्य आवंटन की सूची प्रदर्शित नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.6डी	श्रमिकों को कार्य के अनुमानित मजदूरी और भौतिक प्रगति के बारे में नहीं बताना। न ही उन्हें क्या करना है इसको बताना।	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
8.	भाटी	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	11/07/2014	26/06/2014
		2.1.4	जाब कार्ड निर्गत करने का शुल्क लेना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.2ए	रोजगार कार्ड की सूची अद्यतन नहीं होना।	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.3.3	दिनांकित रसीद निर्गत नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4.2	कार्य आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत कोटा सुनिश्चित नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4ए	कार्य आवंटन की सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4बी	कार्य आवंटन की पंजिका को तैयार नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.5	सेल्फ आफ प्रोजेक्ट नहीं तैयार करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.1	कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड में कार्य की लागत, स्वीकृति, मात्रा और अन्य सूचनाएँ प्रदर्शित नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.3	कार्य स्थल पर सामग्री पंजिका उपलब्ध नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.11	सतक्रता एवं अनुश्रवण समिति द्वारा कार्यस्थल का नियमित भ्रमण और अनुश्रवण नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.21	कार्य स्थल पर मूलभूत सुविधाएँ जैसे- पीने का पानी, छाया, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
9.	बिचपटवा	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	16/02/2015	01/02/2015
		2.2.5	जाब कार्ड पर फोटो नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.2.7	जाब कार्ड श्रमिकों के पास नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.2ए	रोजगार कार्ड सूची का अद्यतन नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं

		2.4.2	कार्य आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत कोटा सुनिश्चित नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4ए	ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर कार्य आवंटन की सूची प्रदर्शित नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.5.10	बैंक/पोस्ट आफिस की पासबुक श्रमिकों के पास नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.6	कार्यस्थल पर कार्य की स्वीकृति, कार्य की सूचनाएँ देने वाला सार्वजनिक सूचना पट्ट उपलब्ध नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.18	कार्य के प्रारम्भ, मध्य और समाप्ति की फोटो जनता और सामाजिक लेखापरीक्षा टीम को उपलब्ध नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.21	कार्य स्थल पर पीने का पानी, छाया और प्राथमिक चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधा का उपलब्ध नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.1	प्रत्येक छः माह में सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.2	सामाजिक लेखापरीक्षा में अधिकतम सहभागिता के लिए दिनांक, समय और स्थान का प्रचार नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.3	सामाजिक लेखापरीक्षा की बैठक में जनता की सहभागिता के लिए दिनांक, समय और स्थान का समुचित निर्धारण नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.4	ग्राम सभा के सदस्यों को उत्तर देने के लिए महत्वपूर्ण अधिकारियों का बैठक में उपस्थित नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.6	पिछले सामाजिक लेखापरीक्षा पर चर्चा नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.7	सामाजिक लेखापरीक्षा टीम को 15 दिन पूर्व अभिलेख/सूचनाएँ उपलब्ध नहीं करवाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.9	ग्राम पंचायत की दीवारों पर वांछित सूचनाएँ नहीं लिखवाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
10.	वृन्दावन	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	13/11/2014	28/10/2014
		2.2ए	रोजगार कार्ड का अद्यतन नहीं किया जाना और उसे नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4ए	कार्य आवंटन की सूची को ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.5.9	श्रमिकों को मजदूरी पर्ची नहीं दिया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.6	कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड पर स्वीकृति, कार्य का विवरण प्रदर्शित नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.7	जनता के निरीक्षण के लिए कार्य स्थल पर मस्टर रोल उपलब्ध नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.8	कार्य स्थल पर भण्डार पंजिका सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.18	कार्य के प्रारम्भ, मध्य और समाप्ति का फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.2	ग्रामीणों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए दिनांक, समय और स्थान एवं सामाजिक लेखापरीक्षा का महत्व का प्रचार नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.4	ग्राम सभा के सदस्यों के उत्तर देने के लिए महत्वपूर्ण अधिकारी का उपस्थित नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
11.	चरवा	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	29/09/2014	14/09/2014
		2.2ए	रोजगार कार्ड की सूची अद्यतन नहीं किया जाना और उसे नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4ए	कार्य आवंटन की सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.5.9	श्रमिकों को मजदूरी पर्ची निर्गत नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.4	पूर्ण कार्यों की माप प्रतिदिन नहीं लिया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.10	कार्य की अन्तिम माप जे0ई0 द्वारा श्रमिकों के समक्ष नहीं लिया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.4	नामित अधिकारी का उपस्थित नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
12.	देवदार तुला	2.2ए	रोजगार कार्ड की सूची अद्यतन नहीं होना और उसे नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.3.3	श्रमिकों को दिनांकित रसीद निर्गत नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4ए	ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर कार्य आवंटन सूची को नहीं चिपकाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.6 बी	नये कार्य की स्वीकृति की प्रक्रिया और अनुमोदित कार्यों की सूची उपलब्ध नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
13.	देवरिया	2.2ए	रोजगार कार्ड की सूची अद्यतन नहीं होना और उसे नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं

		2.8.7	सामाजिक लेखापरीक्षा टीम को 15 दिन पूर्व अभिलेखों की प्रतियाँ/सूचनाएँ उपलब्ध नहीं करवाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2-8-9	, d k dkb/ i dj .k ugha gš	okfNr l ipukvka dk [kykl k ugha gkuk] nhokj ka i j l ipuk ugha fy [kuk
14.	इंटगा बेरम नगर	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	15/12/2014	01/12/2014
		2.2ए	रोजगार कार्ड की सूची अद्यतन नहीं होना और उसे नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4ए	कार्य आवंटन की सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4बी	कार्य आवंटन पंजिका को नहीं बनाया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.1	कार्य स्थल पर ऐसा नोटिस बोर्ड नहीं है जिस पर कार्य की स्वीकृति और अन्य सूचनाएँ वर्णित हैं	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.15ए	कार्यपूर्ति रिपोर्ट को विलम्ब से निर्गत करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.1	प्रत्येक छः माह में सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
15.	गोदौली	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	28/07/2014	13/07/2014
16.	गोसा प्रयागपुर	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	07/08/2014	22/07/2014
		2.2ए	रोजगार कार्ड सूची अद्यतन नहीं किया जाना और इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4ए	कार्य आवंटन की सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.6डी	श्रमिकों को कार्य की भौतिक प्रगति, करने वाले कार्य और अनुमानित मजदूरी के बारे में नहीं बताया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.2.5	जाब कार्ड पर फोटो नहीं चिपका होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
17.	हरैय्या बसन्तपुर	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	01/12/2014	01/10/2014
		2.4ए	आवंटित कार्य की सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.6डी	श्रमिकों को कार्य की भौतिक प्रगति, किये जाने वाले कार्य की अनुमानित मजदूरी के बारे में नहीं बताया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
18.	हरैय्या पण्डित	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	24/11/2014	09/11/2014
		2.2ए	रोजगार कार्ड सूची का अद्यतन नहीं होना और उसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4ए	कार्य आवंटन की सूची को ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.15ए	कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र को निर्गत करने में विलम्ब करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.4	ग्राम सभा के सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का अनुपस्थित रहना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
19.	जलालपुर	2.6डी	श्रमिकों को कार्य के भौतिक प्रगति और अनुमानित मजदूरी के बारे में नहीं बताया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.21	कार्य स्थल पर समुचित सुविधा जैसे पीने का पानी, छाया और प्राथमिक चिकित्सा आदि का उपलब्ध नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
20.	कठेठा	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	23/02/2015	08/02/2015
		2.2ए	जाब कार्ड सूची को नियमित अद्यतन नहीं किया जाना और नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4ए	कार्य आवंटन सूची को ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.13	माप पुस्तिका का समुचित रखरखाव नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.15ए	कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र को विलम्ब से निर्गत करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं

21.	खैराकला	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	16/10/2014	01/10/2014	
		2.2.5	जॉब कार्ड पर फोटो का चिपका नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं	
		2.2.6ए	उपस्थिति एवं भुगतान विवरण, रोजगार कार्ड की इन्ट्री से भिन्न होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं	
		2.2ए	रोजगार कार्ड की सूची अद्यतन नहीं होना और उसे नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं	
		2.4ए	कार्य आवंटन की सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं	
		2.5.9	मजदूरों को मजदूरी पर्ची निर्गत नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं	
		2.6बी	नये कार्य को प्रारम्भ करने की प्रक्रिया और अनुमोदित कार्यों की सूची उपलब्ध नहीं करवाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं	
		2.7.8	कार्यस्थल पर सामग्री पंजिका उपलब्ध नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं	
		2.7.11	सतक्रता और अनुश्रवण समिति द्वारा कार्य स्थल का नियमित भ्रमण और अनुश्रवण नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं	
		2.7.18	कार्य के प्रारम्भ, मध्य और समाप्ति के फोटो ग्राफ नहीं लिया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं	
		2.8.1	प्रत्येक छः माह में सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं	
		2.8.7	सामाजिक लेखापरीक्षा टीम को 15 दिन पूर्व अभिलेखों की प्रतियाँ/सूचना उपलब्ध नहीं करवाया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं	
22.	खरपरी	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	10/11/2014	27/1022014	
		2.2ए	जाब कार्ड सूची का नियमित अद्यतन नहीं किया जाना और उसे ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर नहीं चिपकाना।	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं	
		2.4ए	कार्य आवंटन सूची को ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं	
		2.5.9	मजदूरों को मजदूरी पर्ची निर्गत नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं	
23.	खखनियाँ	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	22/09/2014	06/09/2014	
		2.4ए	कार्य आवंटन की सूची को ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं	
24.	खासडीह	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	04/08/2014	20/07/2014	
		2.2ए	रोजगार कार्ड सूची का अद्यतन नहीं होना और उसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं	
		2.2.6	जाब कार्ड की सूचनाएँ अद्यतन नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं	
		2.3.3	मजदूरों को उनके प्रार्थना पत्र की दिनांकित रसीद निर्गत नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं	
		2.4ए	कार्य आवंटन की सूची को ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं	
		2.6डी	श्रमिकों को क्या करना है यह नहीं बताया जाना और कार्य की भौतिक और अनुमानित मजदूरी नहीं बताना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं	
25.	खाजा अहमदपुर	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	17/11/2014	02/11/2014	
		2.2.6ए	जाब कार्ड के विभिन्न प्रविष्टियों और उपस्थित, भुगतान में प्रविष्टियाँ में अन्तर होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं	
26.	किशनपुर कपली	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	31/10/2014	17/10/2014	
		2.1ए	मजदूरों का रजिस्ट्रेशन सतत् प्रक्रिया में नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं	
		2.4ए	कार्य आवंटन की सूची ग्राम पंचायत बोर्ड पर नहीं चिपकाया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं	
27.	कुआँ		2.2.5ए	ऐसा कोई प्रकरण नहीं है	फोटो जाब कार्ड के लिए शुल्क लेना।
			2.6सी	कराये गये कार्य प्राथमिकता कार्यों के आधार पर नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
28.	लक्ष्मणपुर भटेही	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	22/11/2014	30/07/2014	
			2.7.8	कार्य स्थल पर भण्डार पंजिका उपलब्ध नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं

29.	लक्ष्मणपुर शंकरपुर	कोई अन्तर नहीं		
30.	महरीपुर	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	27/11/2014	12/11/2014
		2.4ए	ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर कार्य आवंटन की सूची नहीं चिपकाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.6बी	नये कार्य को लेने की प्रक्रिया और अनुमोदित कार्यों की सूची उपलब्ध नहीं करवाना।	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.9	ग्राम पंचायत की दीवाल पर वाल राइटिंग नहीं करवाना/ वांछित सूचनाओं का खुलासा नहीं करना।	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
31.	महुवा	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	04/09/2014	20/08/2014
		2.2ए	रोजगार कार्ड का अद्यतन नहीं होना और नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4ए	ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर कार्य आवंटन सूची नहीं लगाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
32.	मटीहा	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	24/11/2014	09/11/2014
		2.4ए	कार्य आवंटन की सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2-5-1	, d k dkb l i d j . k u g h a g s	J f e d k a d k s e t n j i h d k H k x r k u u g h a d j u k A
33.	मटरोई	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	17/03/2015	25/02/2015
		2.4.2	कार्य आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत कोटा सुनिश्चित नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
34.	नहरखोर	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	26/09/2015	12/09/2014
		2.4.2	कार्य आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत कोटा सुनिश्चित नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2-5-2	, d k d k b l i d j . k u g h a g s	e t n j i h d k f o y e c l s H k x r k u
		2-3-2	, d k d k b l i d j . k u g h a g s	J f e d k a d k s d k ; k a d h f n u k f d r i k o r h u g h a n u k A
		2-7-3	, d k d k b l i d j . k u g h a g s	d k ; l L F k y i j l k e x h i f t d k d k s 5 J f e d k a } k j k l R ; k f i r u g h f d ; k t k u k A
		2-8-8	, d k d k b l i d j . k u g h a g s	u k f e r v f / k d k j h m i f L F k r u g h a g k u k A
35.	नहरा	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	16/09/2014	23/07/2014
		2.1ए	श्रमिकों का पंजीकरण सतत प्रक्रिया के अनुसार नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.2ए	जाब कार्ड सूची को नियमित अद्यतन नहीं किया जाना और नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.3ए	कार्य की मांग को अभिलेखित नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4ए	कार्य आवंटन सूची को नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.6डी	कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व परियोजना बैठक नहीं बुलाना। न ही श्रमिकों को कार्य की अनुमानित मजदूरी और भौतिक लक्ष्य के बारे में बताना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2-6-6	d k b l i d j . k u g h a	l k e x h d k v f / k d e h ;
36.	नौसाना	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	11/12/2014	26/11/2014
		2.2ए	रोजगार कार्ड का अद्यतन नहीं किया जाना और नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4ए	ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर कार्य आवंटन सूची नहीं चिपकाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4.2	कार्य आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत कोटा सुनिश्चित नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.5.9	मजदूरों को मजदूरी पर्ची नहीं देना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.6डी	श्रमिकों को कार्य की भौतिक और प्राक्कलित मजदूरी के बारे में नहीं सूचित करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं

		2.7.5	सेल्फ आफ प्रोजेक्ट नहीं बनाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.1	कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड नहीं है जिसमें कार्य की स्वीकृत, कार्य का विवरण प्रदर्शित हो	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.3	कार्य स्थल पर भण्डार पंजिका का उपलब्ध नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.4	कार्यों की दैनिक माप नहीं लिया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.11	सतक्रता एवं अनुश्रवण समिति द्वारा कार्य स्थल का नियमित भ्रमण नहीं करना और अनुश्रवण नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.21	कार्य स्थल पर समुचित सुविधाएँ जैसे- पीने का पानी, छाया, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध नहीं होना।	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.9	ग्राम पंचायत में सूचनाओं के खुलासे के लिए वाल पेटिंग नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
37.	परसा पलई डीह	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	08/08/2014	24/07/2014
		2.2.6	जाब कार्ड की प्रविष्टियाँ अद्यतन नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.2.6ए	जाब कार्ड में एवं उपस्थिति तथा भुगतान के विवरण में अन्तर होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.2ए	जाब कार्ड का अद्यतन नहीं किया जाना और उसे नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.3.2	श्रमिकों को गलत दिनांक, बिना दिनांक के और बाद की दिनांक वाली पावती निर्गत करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.3.3	कार्य के प्रार्थना पत्र की दिनांकित पावती निर्गत नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2-4-2	, d k dkb l i x j . k u g h a g s	dk; l vko/ u e s efgykvk dks 33 i fr' kr dkb/ l fuf' pr ugha dj uk
		2.4ए	ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर कार्य आवंटन सूची को नहीं चिपकाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.5.9	श्रमिकों को मजदूरी पर्ची निर्गत नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2-7-6	, d k dkb l i x j . k u g h a g s	l ko t fud uk fV l ckM l g s f t l i j dk; l dh Loh d fr vkfn dk fooj . k ugh fn; k tkuk
		2.7.7	जनता के निरीक्षण के लिए मस्टर रोल उपलब्ध नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2-7-11	, d k dkb l i x j . k u g h a g s	l r Ørk , o s vu p l o . k l fe r } k j k dk; l LFky dk fu; fer Hk e . k v k j vu p l o . k u g h a d j u k A
		2.7.18	कार्य के प्रारम्भ, मध्य और समाप्ति के फोटोग्राफ नहीं लिया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.21	कार्य स्थल पर मूलभूत सुविधाएँ (जैसे पीने का पानी, छाया, प्राथमिक चिकित्सा आदि) का नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.6	विगत सामाजिक लेखापरीक्षा पर चर्चा नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.7	सामाजिक लेखापरीक्षा टीम को 15 दिन पूर्व अभिलेख/सूचनाएँ उपलब्ध नहीं करवाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2-8-9	, d k dkb l i x j . k u g h a g s	xk e i p k ; r e s l i p u k dh oky j kb fV x u g h a g k u k
		2.7.8	कार्य स्थल पर भण्डार पंजिका उपलब्ध नहीं होना।	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
38.	पिपरा बसंत	2.4ए	ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर कार्य आवंटन सूची नहीं चिपकाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
39.	पिपराकाजी	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	15/09/2014	31/08/2014
		2.1ए	श्रमिकों का पंजीकरण सतत प्रक्रिया के रूप में नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.2.6	जाब कार्ड की प्रविष्टियाँ अद्यतन नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.2ए	रोजगार कार्ड अद्यतन नहीं होना और ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपका होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.3ए	माँगे गये कार्य को सही अभिलेखित नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4.2	कार्य आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत कोटा सुनिश्चित नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं

		2.4ए	कार्य आवंटन की सूची को ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर नहीं प्रदर्शित करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.15ए	कार्यपूर्ति रिपोर्ट निर्गत करने में विलम्ब होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7ए	कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मस्टर रोल निर्गत नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.4	ग्राम सभा के सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए महत्वपूर्ण अधिकारियों का अनुपस्थित रहना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.8	डी0पी0सी0 द्वारा नामित अधिकारी का सामाजिक लेखापरीक्षा में उपस्थित नहीं रहना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.9	वांछित सूचनाओं के खुलासे के लिए ग्राम पंचायत में वाल राइटिंग नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
40.	रुकवाहा	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	14/09/2014 से 26/09/2014	11/09/2014
		2.4ए	कार्य आवंटन की सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर नहीं प्रदर्शित करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.6ए	योजना एवं विकास समिति द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर कार्यों का चयन नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.4	ग्राम सभा के सदस्यों को उत्तर देने के लिए महत्वपूर्ण अधिकारियों का अनुपस्थित रहना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.8	सामाजिक लेखापरीक्षा में डी0पी0सी0 द्वारा नामित अधिकारी का अनुपस्थित रहना।	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.9	वांछित सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए ग्राम पंचायत की दीवार पर वाल पेन्टिंग नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
41.	सतीजोर	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	12/03/2015	25/02/2015
		2.2.7	जाब कार्ड मजदूरों की अभिरक्षा में नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.3.1	कार्य के प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.5.9	श्रमिकों को मजदूरी पर्ची निर्गत नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.6.1	ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्यों के अनुरूप कार्यों को नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.8	कार्यस्थल के भण्डार पंजिका को 5 मजदूरों द्वारा सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.13	माप पुस्तिका का समुचित रखरखाव नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.15	त्रुटिपूर्ण कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.15	कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र समय से निर्गत नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.21	कार्य स्थल पर समुचित मूलभूत सुविधाओं जैसे पीने का पानी, छाया, प्राथमिक चिकित्सा आदि उपलब्ध नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
42.	सेधरवाँ	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	04/09/2014	20/08/2014
43.	सेवई हेमगढ	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	26/09/2014	10/09/2014
		2.2.2	पंजीकरण के बाद जाब कार्ड को विलम्ब से निर्गत करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.2.5	जाब कार्ड पर फोटो ग्राफ नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.2.6	जाब कार्ड की प्रविष्टियाँ अद्यतन नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.2.7	जाब कार्ड मजदूरों की अभिरक्षा में नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.2ए	रोजगार कार्ड की सूची का अद्यतन नहीं होना और ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.3.1	कार्य के प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.3.2	कार्य के प्रार्थना पत्र को बिना दिनांक के/ गलत दिनांक के स्वीकार करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4ए	कार्य आवंटन सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपका होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4.2	कार्य आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत कोटा सुनिश्चित नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.5.9	मजदूरों को मजदूरी पर्ची का नहीं दिया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.6.7	ग्राम सभा की बैठक में वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.6डी	श्रमिकों को करने वाले कार्य के बारे में और उसकी अनुमानित मजदूरी के बारे में नहीं बताया	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं

		2.7.1	कार्यस्थल पर नोटिस बोर्ड में कार्य की लागत, स्वीकृत लागत और अनुमानित मजदूरी को प्रदर्शित नहीं किया जाना।	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.3	कार्य स्थल पर भण्डार पंजिका का उपलब्ध नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.11	सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति द्वारा कार्यस्थल का नियमित भ्रमण और पर्यवेक्षण नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.15ए	कार्य पूर्ति रिपोर्ट को निर्गत करने में विलम्ब करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.18	कार्य प्रारम्भ, मध्य और समाप्ति की फोटो को जनता और सामाजिक लेखापरीक्षा टीम को उपलब्ध नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.21	कार्य स्थल पर मूलभूत सुविधाएँ जैसे पीने का पानी, छाया, प्राथमिक चिकित्सा का उपलब्ध नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.4	ग्राम सभा के सदस्यों के उत्तर देने के लिए महत्वपूर्ण अधिकारियों का अनुपस्थित रहना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.7	सामाजिक लेखापरीक्षा टीम को 15 दिन पूर्व अभिलेखों की प्रतियाँ/ सूचनाएँ उपलब्ध नहीं करवाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.9	वांछित सूचनाओं के प्रदर्शन के लिए ग्राम पंचायत में वाल पेंटिंग नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.8	डी0पी0सी0 द्वारा नामित अधिकारी का सामाजिक लेखापरीक्षा में उपस्थित नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
44.	शिवपुर	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	10/11/2014	24/10/2014
		2.7.21	कार्यस्थल पर मूलभूत सुविधाओं का (पीने का पानी, छाया और प्राथमिक चिकित्सा) उपलब्ध नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.8	कार्य स्थल पर भण्डार पंजिका का उपलब्ध नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.6	कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड में कार्य की स्वीकृति और अन्य सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.2.9	पूर्व खुलासे के लिए ग्राम पंचायतों की दिवारों पर नहीं लिखवाया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.8	डी0पी0सी0 द्वारा नामित अधिकारी का सामाजिक लेखापरीक्षा की बैठक में अनुपस्थित रहना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.2ए	रोजगार कार्ड सूची का अद्यतन नहीं होना और ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4ए	कार्य आवंटन की सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.7	कार्य स्थल पर जनता के अवलोकन के लिए मस्टर रोल उपलब्ध नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.11	सतक्रता एवं अनुश्रवण समिति द्वारा कार्य स्थल का नियमित भ्रमण और अनुश्रवण नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.18	कार्य प्रारम्भ, मध्य और समाप्ति की फोटोग्राफ को जनता और सामाजिक लेखापरीक्षा टीम को उपलब्ध नहीं करवाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.7	सामाजिक लेखापरीक्षा की टीम को 15 दिन पूर्व वांछित अभिलेख/सूचनाएँ उपलब्ध नहीं करवाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.5.6	सम्पन्न नहीं करवाये गये कार्यों का भुगतान किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.6.1	ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्यों के अनुसार कार्यों का चयन नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.6.2	प्राथमिकता के आधार पर कार्यों की सूची तैयार नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.6ए	योजना और विकास समिति द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर कार्यों का चयन नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.6बी	नये कार्यों के चयन की प्रक्रिया और अनुमोदित कार्यों की सूची उपलब्ध नहीं करवाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.6डी	श्रमिकों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के बारे में और कार्य के भौतिक तथा अनुमानित मजदूरों के बारे में नहीं अवगत करवाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.15ए	कार्यपूर्ति रिपोर्ट को विलम्ब से निर्गत करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.1	प्रत्येक छः माह में सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पन्न नहीं करवाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.4	ग्राम सभा के सदस्यों के उत्तर को देने के लिए महत्वपूर्ण अधिकारियों का उपस्थित नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
45.	सोहरावन	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	09/02/2015	24/01/2015
		2.1बी	पंजीकरण सूची का नियमित अद्यतन नहीं किया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं

		2.2.2	जाब कार्ड पर फोटो नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.2.3	फोटो के लिए शुल्क लेना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.2.5	जाब कार्ड की प्रविष्टियों को अद्यतन नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.2.ए	ग्राम पंचायत के निरीक्षण के लिए जाब कार्ड पत्रावली को उपलब्ध नहीं करवाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.2बी	रोजगार कार्ड सूची का अद्यतन नहीं किया जाना और उसे नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.3.1	कार्य हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.3.2	दिनांकित पावती निर्गत नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4ए	कार्य आवंटन सूची को ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4.2	कार्य आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत कोटा सुनिश्चित नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.5.9	मजदूरों को मजदूरी पर्ची निर्गत नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.6.2	ग्राम सभा की बैठक में वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.6डी	मजदूरों द्वारा किये जाने वाले कार्य, अनुमानित मजदूरी के बारे में और भौतिक प्रगति के बारे में नहीं बताना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.5	कार्यस्थल पर सूचना बोर्ड नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.6	कार्य स्थल पर जनता के अवलोकन के लिए मस्टर रोल उपलब्ध नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.18	कार्यस्थल पर मूलभूत सुविधाओं (जैसे पीने का पानी, छाया और प्राथमिक चिकित्सा) उपलब्ध नहीं होना।	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.2	सामाजिक लेखापरीक्षा टीम को 15 दिन पूर्व अभिलेखों की प्रतियाँ/सूचनायें नहीं उपलब्ध करवाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.3	ग्रामीणों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा के महत्व, दिनांक, समय और स्थान के बारे में प्रचारित नहीं करना	
		2.8.10	सूचनाओं के खुलासे के लिए ग्राम में वाल पेन्टिंग नहीं किया जाना	
46.	सोन	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	21/08/2014	04/08/2014
		2.2.5ए	फोटोग्राफी शुल्क लिया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.2ए	जाब कार्ड सूची को नियमित अद्यतन नहीं करना और उसे नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4ए	कार्य आवंटन की सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर नहीं चिपकाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.6डी	कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व बैठक बुलाकर कार्य के बारे में नहीं बताना और अनुमानित मजदूरी के बारे में नहीं बताना।	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
47.	तवक्कलपुर	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	21/07/2014	06/07/2014
		2.2.5	जाब कार्ड में फोटो नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.6ए	योजना और विकास समिति द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर कार्यों का नहीं करना।	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.7	सामाजिक लेखापरीक्षा टीम को 15 दिन पूर्व अभिलेखों की प्रतियाँ/सूचनाएँ उपलब्ध नहीं करवाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
48.	त्रिपुरारपुर	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	22/10/2014	16/08/2014
		2.7.3	कार्य स्थल पर भण्डार पंजिका उपलब्ध नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.9	वांछित सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए ग्राम में वाल पेन्टिंग नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.2ए	रोजगार कार्ड सूची को अद्यतन नहीं करना और उसे ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4ए	कार्य आवंटन की सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
49.	विनायक	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	08/10/2014	26/06/2014
		2.2ए	रोजगार कार्ड सूची का अद्यतन नहीं होना और उसे ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4ए	कार्य अवंटन की सूची को ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं

		2.6डी	मजदूरों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के बारे में नहीं बताना और भौतिक तथा अनुमानित मजदूरी नहीं बताना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
50.	वर्सिया उर्फ वर्सिया वाले	सामाजिक लेखापरीक्षा की तिथि	11/12/2014	27/11/2014
		2.2.6	जाब कार्ड की प्रविष्टियों का अद्यतन नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4.2	कार्य आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत कोटा सुनिश्चित नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.4ए	कार्य आवंटन की सूची को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं करना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.5.9	मजदूरों को मजदूरी पर्ची नहीं दिया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.7.3	पाँच मजदूरों से सत्यापन करवाने हेतु कार्य स्थल पर भण्डार पंजिका का उपलब्ध नहीं होना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं
		2.8.9	वांछित सूचनाओं के प्रदर्शन के लिए गाँव में वाल राइटिंग नहीं करवाया जाना	प्रतिवेदन में अपलोड नहीं

(स्रोत: ब्लाक सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयकों के प्रतिवेदन एवं मनरेगा के वेबसाइट पर अपलोड प्रतिवेदन)

2.2.11

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.2.12; पृष्ठ 67)

₹ यक [क ए]

Ø0 I 1	tui n dk uke	i xdj . kx dh l a[; k	/kuj kf' k	ol ny dh x; h /kuj kf' k	vo' k's'k /kuj kf' k
1	आगरा	16	35.72	00	35.72
2	अलीगढ़	92	20.36	00	20.36
3	इलाहाबाद	10	0.15	0.07	0.08
4	अम्बेडकरनगर	22	3.01	00	3.01
5	अमेठी	01	0.91	00	0.91
6	आजमगढ़	18	6.85	00	6.85
7	देवारिया	04	5.49	00	5.49
8	फर्रुखाबाद	131	16.28	0.06	16.22
9	हरदोई	15	0.37	00	0.37
10	कुशीनगर	02	0.38	00	0.38
11	ललितपुर	01	2.30	00	2.30
12	मीरजापुर	01	0.18	00	0.18
13	रामपुर	24	8.50	00	8.50
14	शाहजहाँपुर	40	44.72	00	44.72
15	सुल्तानपुर	01	0.35	00	0.35
16	उन्नाव	66	18.65	00	18.65
	; kx	444	164.22	0-13	164.09

(स्रोत: जिला विकास अधिकारियों से एकत्रित सूचना)

i f j f' k"V 2.2.12

I kekftd ys[kki jh{kk es bfxr vki fRr; k& dk fooj . k
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 2.2.12; पृष्ठ 67)

Ø0 I Ø	tuin dk uke	vki fRr; k& dh I a[; k	fuLrkfj r vki fRr; k& dh I a[; k	yfEcr vki fRr; k& dh I a[; k
1.	आगरा	1,367	1,351	16
2.	अलीगढ़	19,120	00	19,120
3.	इलाहाबाद	1,495	1,352	143
4.	अम्बेडकरनगर	2,057	1,345	712
5.	अमेठी	1,680	1,669	11
6.	आजमगढ़	2,196	2,149	47
7.	बहराइच	880	831	49
8.	बलरामपुर	219	33	186
9.	बाराबंकी	441	441	00
10.	बस्ती	2,810	2,810	00
11.	बदायूं	2,769	1,410	1,359
12.	देवरिया	324	242	82
13.	फर्रुखाबाद	1,765	549	1,216
14.	फतेहपुर	360	210	150
15.	गोरखपुर	3,170	00	3,170
16.	हरदोई	6,637	2,917	3,720
17.	कौशाम्बी	10,768	2,141	8,627
18.	कुशीनगर	1,320	1,050	270
19.	ललितपुर	1,480	1,434	46
20.	लखनऊ	1,962	796	1,166
21.	महाराजगंज	1,845	1,752	93
22.	मैनपुरी	1,515	00	1,515
23.	मीरजापुर	7,093	5,510	1,583
24.	पीलीभीत	1,753	1,280	473
25.	प्रतापगढ़	1,133	00	1,133
26.	रामपुर	10,352	1,717	8,635
27.	शाहजहांपुर	2,985	1,729	1,256
28.	श्रावस्ती	35	00	35
29.	सुल्तानपुर	3,099	00	3,099
30.	उन्नाव	9,481	3,020	6,461
; kx		1,02,111	37,738	64,373

(स्रोत: जिला विकास अधिकारियों से एकत्रित सूचना)

ijf'k"V 3.1
C; kt dh x.kuk
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 3.1; पृष्ठ 69)

/kujkf'k ₹ eħ

U; iure ifrfnu vo'k'k ij vk/kkfjr C; kt dh x.kuk %[kkrk l a[; k 618032010013622 dk'kh xkerh l a Dr xkeh.k cšd] ukSx<+plUnkSyh½					
Ø0 l Ø	fnukad l s	fnukad rd	/kujkf'k	fnuka dh l a[; k	C; kt %4 ifr'kr ifr o"kkħ
1.	20.6.2012	24.6.2012	144,32,400	5	7,908.16
2.	25.6.12	05.8.12	554,74,200	42	2,55,333.30
3.	6.8.12	03.9.12	554,74,557	29	1,76,302.70
4.	4.9.12	4.9.12	541,19,170	1	5,930.87
5.	5.9.12	5.9.12	537,98,126	1	5,895.69
6.	6.9.12	6.9.12	535,35,684	1	5,866.92
7.	7.9.12	19.9.12	534,11,500	13	76,093.10
8.	20.9.12	5.10.12	532,53,107	16	93,375.31
9.	6.10.12	7.10.12	511,72,716	2	11,215.94
10.	8.10.12	11.10.12	501,86,442	4	21,999.54
11.	12.10.12	15.10.12	494,55,757	4	21,679.24
12.	16.10.12	25.10.12	491,08,968	10	53,818.05
13.	26.10.12	28.10.12	464,00,546	3	15,254.97
14.	29.10.12	30.10.12	458,82,218	2	10,056.38
15.	31.10.12	6.11.12	456,53,785	7	35,022.08
16.	7.11.12	7.11.12	448,79,445	1	4,918.30
17.	8.11.12	8.11.12	447,58,828	1	4,905.08
18.	9.11.12	9.11.12	444,34,222	1	4,869.50
19.	10.11.12	11.11.12	438,88,943	2	9,619.49
20.	12.11.12	22.11.12	425,99,982	11	51,353.40
21.	23.11.12	26.11.12	421,39,123	4	18,471.94
22.	27.11.12	28.11.12	409,45,906	2	8,974.45
23.	29.11.12	2.12.12	405,82,100	4	17,789.41
24.	3.12.12	3.12.12	403,15,013	1	4,418.08
25.	4.12.12	4.12.12	382,74,219	1	4,194.43
26.	5.12.12	11.12.12	379,17,733	7	29,087.58
27.	12.12.12	12.12.12	378,16,539	1	4,144.28
28.	13.12.12	13.12.12	376,65,953	1	4,127.78
29.	14.12.12	18.12.12	372,41,889	5	20,406.51
30.	19.12.12	19.12.12	368,96,157	1	4,043.41
31.	20.12.12	20.12.12	363,28,991	1	3,981.26
32.	21.12.12	31.12.12	360,71,550	11	43,483.51
33.	1.1.13	1.1.13	357,09,156	1	3,913.33
34.	2.1.13	2.1.13	353,69,476	1	3,876.11
35.	3.1.13	3.1.13	353,22,770	1	3,870.99
36.	4.1.13	8.1.13	350,03,377	5	19,179.93
37.	9.1.13	9.1.13	348,62,995	1	3,820.60
38.	10.1.13	10.1.13	326,11,752	1	3,573.89
39.	11.1.13	18.1.13	321,92,591	8	28,223.64
40.	19.1.13	23.1.13	319,95,928	5	17,532.02
41.	24.1.13	29.1.13	315,52,593	6	20,746.91

42.	30.1.13	6.2.13	314,09,311	8	27,536.93
43.	7.2.13	7.2.13	313,93,311	1	3,440.36
44.	8.2.13	13.2.13	311,74,475	6	20,498.28
45.	14.2.13	18.2.13	311,57,964	5	17,072.86
46.	19.2.13	21.2.13	295,32,593	3	9,709.35
47.	22.2.13	22.2.13	290,38,091	1	3,182.26
48.	23.2.13	24.2.13	289,94,653	2	6,354.99
49.	25.2.13	25.2.13	286,06,801	1	3,134.99
50.	26.2.13	26.2.13	285,78,660	1	3,131.91
51.	27.2.13	27.2.13	285,46,599	1	3,128.39
52.	28.2.13	28.2.13	285,43,139	1	3,128.02
53.	1.3.13	6.3.13	279,90,152	5	15,337.07
54.	7.3.13	7.3.13	268,13,025	1	2,938.41
55.	8.3.13	10.3.13	260,71,219	3	8,571.36
56.	11.3.13	11.3.13	259,25,879	1	2,841.19
57.	12.3.13	12.3.13	257,73,115	1	2,824.45
58.	13.3.13	13.3.13	250,21,891	1	2,742.13
59.	14.3.13	14.3.13	249,22,625	1	2,731.25
60.	15.3.13	15.3.13	247,40,509	1	2,,711.29
61.	16.3.13	18.3.13	247,04,018	3	8,121.87
62.	19.3.13	21.3.13	246,78,787	3	8,113.57
63.	22.3.13	22.3.13	233,14,106	1	2,554.97
64.	23.3.13	24.3.13	227,95,055	2	4,996.18
65.	25.3.13	27.3.13	317,37,303	3	10,434.18
66.	28.3.13	2.4.13	315,58,503	6	20,750.80
67.	3.4.13	3.4.13	311,86,272	1	3,417.67
68.	4.4.13	4.4.13	309,11,629	1	3,387.58
69.	5.4.13	10.4.13	308,99,874	6	20,317.73
70.	11.4.13	12.4.13	308,97,174	2	6,771.98
71.	13.4.13	16.4.13	307,26,612	4	13,469.20
72.	17.4.13	17.4.13	306,46,745	1	3,358.55
73.	18.4.13	23.4.13	289,67,964	6	19,047.43
74.	24.4.13	26.4.13	280,76,853	3	9,230.75
75.	27.4.13	28.4.13	276,48,529	2	6,059.95
76.	29.4.13	1.5.13	274,26,892	3	9,017.06
77.	2.5.13	7.5.13	273,01,069	6	17,951.39
78.	8.5.13	8.5.13	269,21,514	1	2,950.30
79.	9.5.13	9.5.13	263,33,484	1	2,885.86
80.	10.5.13	14.5.13	259,76,192	5	14,233.53
81.	15.5.13	15.5.13	258,84,978	1	2,836.71
82.	16.5.13	20.5.13	256,87,858	5	14,075.54
83.	21.5.13	21.5.13	255,13,378	1	2,795.99
84.	22.5.13	22.5.13	252,96,527	1	2,772.22
85.	23.5.13	27.5.13	240,07,420	5	13,154.75
86.	28.5.13	29.5.13	240,02,820	2	5,260.89
87.	30.5.13	30.5.13	239,18,503	1	2,621.21
88.	31.5.13	31.5.13	237,03,973	1	2,597.70
89.	1.6.13	2.6.13	233,12,377	2	5,109.56
90.	3.6.13	3.6.13	231,59,168	1	2,537.99
91.	4.6.13	5.6.13	230,95,639	2	5,062.06

92.	6.6.13	6.6.13	230,20,526	1	2,522.80
93.	7.6.13	9.6.13	227,54,411	3	7,480.90
94.	10.6.13	11.6.13	224,04,714	2	4,910.62
95.	12.6.13	12.6.13	224,04,714	1	2,455.31
96.	13.6.13	18.6.13	223,47,756	6	14,694.41
97.	19.6.13	19.6.13	217,42,672	1	2,382.76
98.	20.6.13	20.6.13	214,63,020	1	2,352.11
99.	21.6.13	21.6.13	213,30,010	1	2,337.54
100.	22.6.13	24.6.13	211,05,440	3	6,938.77
101.	25.6.13	27.6.13	208,62,200	3	6,858.81
102.	28.6.13	1.7.13	205,35,619	4	9,001.92
103.	2.7.13	2.7.13	203,42,934	1	2,229.36
104.	3.7.13	9.7.13	202,15,111	7	15,507.48
105.	10.7.13	11.7.13	200,16,241	2	4,387.12
106.	12.7.13	15.7.13	199,57,933	4	8,748.68
107.	16.7.13	16.7.13	195,69,192	1	2,144.57
108.	17.7.13	17.7.13	194,46,324	1	2,131.10
109.	18.7.13	18.7.13	190,51,885	1	2,087.88
110.	19.7.13	19.7.13	189,00,957	1	2,071.34
111.	20.7.13	22.7.13	188,89,557	3	6,210.27
112.	23.7.13	26.7.13	187,53,803	4	8,220.85
113.	27.7.13	29.7.13	185,77,137	3	6,107.55
114.	30.7.13	30.7.13	185,65,397	1	2,034.56
115.	31.7.13	31.7.13	176,18,053	1	1,930.75
116.	1.8.13	12.8.13	174,34,166	12	22,927.12
117.	13.8.13	15.8.13	171,28,141	3	5,631.17
118.	16.8.13	16.8.13	169,17,397	1	1,853.96
119.	17.8.13	19.8.13	168,05,640	3	5,525.14
120.	20.8.13	22.8.13	165,88,308	3	5,453.69
121.	23.8.13	25.8.13	161,38,051	3	5,305.66
122.	26.8.13	30.8.13	160,92,409	5	8,817.76
123.	31.8.13	1.9.13	157,76,625	2	3,457.89
124.	2.9.13	4.9.13	157,19,150	3	5,167.94
125.	5.9.13	11.9.13	155,26,835	7	11,911.00
126.	12.9.13	19.9.13	155,07,324	8	13,595.46
127.	20.9.13	2.10.13	151,48,453	13	21,581.36
128.	3.10.13	3.10.13	149,31,500	1	1,636.33
129.	4.10.13	6.10.13	148,21,980	3	4,872.98
130.	7.10.13	8.10.13	147,64,815	2	3,236.12
131.	9.10.13	9.10.13	145,46,392	1	1,594.13
132.	10.10.13	10.10.13	139,28,841	1	1,526.45
133.	11.10.13	23.10.13	137,89,770	13	19,645.70
134.	24.10.13	24.10.13	135,71,214	1	1,487.26
135.	25.10.13	25.10.13	134,22,654	1	1,470.98
136.	26.10.13	28.10.13	133,85,971	3	4,400.87
137.	29.10.13	29.10.13	130,03,372	1	1,425.03
138.	30.10.13	31.10.13	129,95,012	2	2,848.22
139.	1.11.13	1.11.13	129,12,913	1	1,415.11
140.	2.11.13	5.11.13	128,48,869	4	5,632.38
141.	6.11.13	8.11.13	128,19,657	3	4,214.68

142.	9.11.13	13.11.13	127,25,033	5	6,972.62
143.	14.11.13	27.11.13	126,82,559	14	19,458.17
144.	28.11.13	29.11.13	125,82,440	2	2,757.80
145.	30.11.13	6.12.13	125,10,495	8	10,968.11
146.	7.12.13	8.12.13	122,96,783	2	2,695.19
147.	9.12.13	19.12.13	119,22,585	11	14,372.43
148.	20.12.13	26.12.13	118,06,234	7	9,056.84
149.	27.12.13	31.12.13	115,53,899	5	6,330.90
150.	1.1.14	1.1.14	114,22,852	1	1,251.82
151.	2.1.14	2.1.14	112,63,609	1	1,234.37
152.	3.1.14	5.1.14	111,27,716	3	3,,658.43
153.	6.1.14	22.1.14	108,60,611	17	20,233.47
154.	23.1.14	28.1.14	107,89,121	5	5,911.85
155.	29.1.14	30.1.14	106,63,481	2	2,337.20
156.	31.1.14	31.1.14	106,20,270	1	1,163.87
157.	1.2.14	11.2.14	105,48,955	11	12,716.55
158.	12.2.14	24.2.14	101,49,932	13	14,460.18
159.	25.2.14	25.2.14	100,98,775	1	1,106.72
160.	26.2.14	3.3.14	100,27,337	7	7,692.20
161.	4.3.14	4.3.14	100,07,518	1	1,096.71
162.	5.3.14	5.3.14	99,78,230	1	1,,093.50
163.	6.3.14	6.3.14	97,23,518	1	1,065.59
164.	7.3.14	11.3.14	94,35,111	5	5,169.92
165.	12.3.14	12.3.14	88,95,696	1	,974.87
166.	13.3.14	20.3.14	88,64,381	8	7,771.51
167.	21.3.14	30.3.14	88,60,281	10	9,709.90
168.	31.3.14	02.04.14	86,46,978	3	2,842.84
169.	03.04.14	03.04.14	85,47,798	1	936.74
170.	04.04.14	04.04.14	85,11,539	1	932.77
171.	05.04.14	10.04.14	84,70,875	6	5,569.89
172.	11.04.14	25.04.14	83,04,883	1	910.12
173.	26.04.14	28.04.14	80,04,191	15	13,157.57
174.	29.04.14	20.05.14	78,36,689	23	19,752.75
175.	21.05.14	21.05.14	78,10,518	1	855.95
176.	22.05.14	22.05.14	78,01,538	1	854.96
177.	23.05.14	25.05.14	76,28,753	3	2,508.08
178.	26.05.14	2.6.14	75,11,539	8	6,585.46
179.	3.6.14	6.6.14	75,05,967	4	3,290.29
180.	7.6.14	25.6.14	75,00,457	19	15,617.39
181.	26.6.14	10.7.14	74,44,635	15	12,237.76
182.	11.7.14	16.7.14	74,40,635	6	4,892.47
183.	17.7.14	22.7.14	73,25,233	6	4,816.59
184.	23.7.14	23.7.14	72,75,896	1	797.36
185.	24.7.14	30.7.14	68,82,794	7	5,279.95
186.	31.7.14	31.7.14	68,33,457	1	748.87
187.	1.8.14	6.8.14	67,10,942	6	4,412.67
188.	7.8.14	7.8.14	66,55,218	1	729.34
189.	8.8.14	13.8.14	65,74,699	6	4323.09
190.	14.8.14	21.8.14	65,38,271	8	5,732.18
191.	22.8.14	28.8.14	64,58,184	7	4,954.22

192.	29.8.14	2.9.14	59,76,414	5	3,274.75
193.	3.9.14	3.9.14	59,67,974	1	654.02
194.	4.9.14	11.9.14	59,53,993	8	5,219.94
195.	12.9.14	14.9.14	58,72,680	3	1,930.74
196.	15.9.14	16.9.14	54,63,207	2	1,197.42
197.	17.9.14	17.9.14	54,24,981	1	594.52
198.	18.9.14	21.09.14	49,46,326	4	2,168.25
199.	22.9.14	24.9.14	46,98,581	3	1,544.74
200.	25.9.14	29.9.14	45,05,513	5	2,468.77
201.	30.9.14	30.9.14	46,85,813	1	513.51
202.	1.10.14	14.10.14	43,55,397	14	6,682.25
203.	15.10.14	20.10.14	40,24,432	6	2,646.20
204.	21.10.14	7.11.14	39,20,025	18	7,732.65
205.	8.11.14	9.11.14	38,18,927	2	837.03
206.	10.11.14	13.11.14	37,64,374	3	1,237.60
207.	14.11.14	15.01.15	37,09,958	62	25,207.39
208.	16.01.15	20.1.15	37,02,268	5	2,028.64
209.	21.1.15	22.1.15	36,81,823	2	806.97
210.	23.1.15	26.1.15	36,30,054	4	1,591.26
211.	27.1.15	2.2.15	33,12,201	7	2,540.87
212.	3.2.15	5.2.15	32,19,953	3	1,058.61
213.	6.2.15	13.2.15	32,13,267	8	2,817.11
214.	14.2.15	10.3.15	26,09,840	25	7,150.25
215.	11.3.15	16.3.15	25,41,482	6	1,671.11
216.	17.3.15	17.3.15	25,22,019	1	276.39
217.	18.3.15	20.3.15	24,63,533	3	809.93
218.	21.3.15	22.3.15	23,39,259	2	512.71
219.	23.3.15	31.3.15	22,95,809	9	2,264.36
			: kx		22,00,008.61

3.2
fdjk, dh x.kuk
 (संदर्भ: प्रस्तर सं. 3.2; पृष्ठ 70)

₹

ftyk i p k; r] hrki g ea fdjk, dh de ol nyh ds dkj .k jktLo dh gkfu										
Ø0 Ø	rgl hy dk uke	L Fkku	fdjk, nkj dk uke	vuprk dk o"l	{k=Oy }oxL O"V e#	{k=Oy }oxL e"Vj e#	ftyk i p k; r }jk ifr ekg fu/æj r fdjk: k o"l 2008 I s 2015 ds n gku	fdjk, nkj g }jk ifr ekg ns fdjk: k o"l 2008 I s 2015 ds n gku	ftyk eftLVW] hrki g }jk fu/æj r fdjk: k I v i y 2008 , oa tu 2009 ea Øe'k o"l 2008 , oa 2009#	vuprk ds l e; i frekg de fdjk, dh i kfr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	केशव राम	2008	120	10.80	225	225	508	283
2	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	खैरूलनिशा	2008	120	10.80	315	315	508	193
3	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	मो.0 फारुक	2008	120	10.80	225	225	486	261
4	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	मो.0 फारुक	2008	120	10.80	225	225	486	261
5	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	मो0 अहद	2008	120	10.80	225	225	486	261
6	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	मो0 अहद	2008	120	10.80	225	225	486	261
7	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	मो0 अयूब	2008	120	10.80	225	225	486	261
8	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	मो0 अयूब	2008	120	10.80	225	225	486	261
9	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	प्रेम प्रकाश	2008	120	10.80	225	225	486	261
10	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	राम प्रकाश	2008	120	10.80	225	225	486	261
11	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	कमलेश	2008	120	10.80	225	225	486	261
12	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	अखिलेश	2008	120	10.80	225	225	486	261
13	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	राम कुमार	2008	120	10.80	220	220	486	266
14	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	राम कुमार	2008	120	10.80	220	220	486	266
15	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	अरविन्द कुमार	2008	120	10.80	220	220	486	266
16	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	शरद मिश्र	2008	120	10.80	220	220	486	266
17	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	केशव राम	2008	80	7.20	155	155	324	169
18	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	चन्द्र मोहन	2008	120	10.80	220	220	486	266
19	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	चन्द्र मोहन	2008	120	10.80	215	215	486	271
20	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	रीना देवी	2008	120	10.80	225	225	486	261
21	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	विजय लक्ष्मी	2008	120	10.80	225	225	486	261
22	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	संजय कुमार	2008	120	10.80	225	225	486	261
23	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	अब्दुल हाफिज	2008	120	10.80	225	225	486	261
24	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	विनयकुमार	2008	120	10.80	225	225	486	261
25	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	पंकज कुमार	2008	120	10.80	225	225	486	261
26	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	राजेश कुमार	2008	120	10.80	225	225	486	261
27	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	पंकज कुमार	2008	120	10.80	225	225	486	261
28	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	राजेश कुमार	2008	120	10.80	215	215	486	271
29	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	जगदीश कुमार	2008	120	10.80	225	225	486	261
30	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	राज कुमार जैन	2008	120	10.80	215	215	486	271
31	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	विजय कुमार	2008	120	10.80	215	215	486	271
32	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	शाहनवाज	2009	120	10.80	225	225	594	369
33	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	खलूल अहमद	2009	120	10.80	290	290	594	304

34	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	प्रेम शंकर	2008	120	10.80	225	225	486	261
35	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	अशोक कुमार	2008	120	10.80	215	215	486	271
36	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	धर्मन्द्र कुमार	2008	120	10.80	215	215	486	271
37	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	चन्द्र मोहन	2008	120	10.80	220	220	486	266
38	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	विपिन कुमार वर्मा	2008	120	10.80	215	215	486	271
39	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	विपिन कुमार वर्मा	2008	120	10.80	215	215	486	271
40	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	अनीता वर्मा	2008	120	10.80	215	215	486	271
41	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	अनीता वर्मा	2008	120	10.80	215	215	486	271
42	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	राजेन्द्र कुमार	2009	120	10.80	220	220	594	374
43	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	रजिया खतून	2009	120	10.80	290	290	594	304
44	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	फ़ैयाज	2008	120	10.80	290	290	486	196
45	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	अहमद अली	2008	120	10.80	225	225	486	261
46	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	शौकत अली	2008	120	10.80	225	225	486	261
47	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	हसमत अली	2008	120	10.80	225	225	486	261
48	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	मिराज अहमद	2008	120	10.80	225	225	486	261
49	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	रिजवान	2008	120	10.80	225	225	486	261
50	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	कयूम	2008	120	10.80	225	225	486	261
51	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	पूनम वर्मा	2008	120	10.80	225	225	486	261
52	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	पूनम वर्मा	2008	120	10.80	225	225	486	261
53	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	सईद अहमद	2008	120	10.80	220	220	486	266
54	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	रशीद अहमद	2008	120	10.80	220	220	486	266
55	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	गणेश वर्मा	2008	120	10.80	225	225	486	261
56	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	रवि भूषण	2008	120	10.80	225	225	486	261
57	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	जमाल	2008	120	10.80	225	225	486	261
58	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	मुशीर अहमद	2008	120	10.80	225	225	486	261
59	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	कुलदीप वर्मा	2008	120	10.80	225	225	486	261
60	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	नीलम वर्मा	2008	120	10.80	225	225	486	261
61	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	राजेश कुमार	2008	120	10.80	225	225	486	261
62	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	जवाहर लाल	2008	120	10.80	225	225	486	261
63	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	अजमा खतून	2008	120	10.80	225	225	486	261
64	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	विजय कुमार	2008	120	10.80	225	225	486	261
65	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	मौ0 साजिद	2008	120	10.80	225	225	486	261
66	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	अब्दुल वाहिद	2008	120	10.80	225	225	486	261
67	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	अब्दुल अहद	2008	120	10.80	225	225	486	261
68	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	श्रीमती शहनवाज	2008	120	10.80	225	225	486	261
69	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	श्रीमती शहनवाज	2008	120	10.80	225	225	486	261
70	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	नसीम अहमद	2008	120	10.80	225	225	486	261
71	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	राम स्वरूप	2008	120	10.80	215	215	486	271
72	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	राहुल जायसवाल	2008	120	10.80	100	100	486	386
73	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	रजनीश	2008	120	10.80	100	100	486	386
74	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	संतोष कुमार	2008	120	10.80	100	100	486	386
75	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	राकेश कुमार	2008	120	10.80	100	100	486	386
76	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	चन्द्रमोहन	2008	120	10.80	100	100	486	386
77	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	हरिनाथ	2008	120	10.80	100	100	486	386
78	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	सत्यवान	2008	120	10.80	100	100	486	386
79	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	राजेश कुमार	2008	120	10.80	100	100	486	386
80	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	देवेन्द्र कुमार	2008	120	10.80	100	100	486	386
81	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	असलम	2008	120	10.80	100	100	486	386

82	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	श्याम बाबू	2008	120	10.80	100	100	486	386
83	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	दामोदर	2008	120	10.80	100	100	486	386
84	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	प्रेमचन्द्र	2008	120	10.80	100	100	486	386
85	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	शिव कुमार	2008	120	10.80	100	100	486	386
86	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	सलीम	2008	120	10.80	100	100	486	386
87	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	शिवेन्द्र प्रताप	2008	120	10.80	100	100	486	386
88	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	स्वामी दयाल	2008	120	10.80	100	100	486	386
89	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	तूलिका जैन	2008	120	10.80	100	100	486	386
90	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	सन्तोष कुमार	2008	120	10.80	100	100	486	386
91	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	आनन्द कुमार	2009	120	10.80	290	290	594	304
92	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	अनूप कुमार	2009	120	10.80	290	290	594	304
93	महमूदाबाद	तालाब भवन, नई बाजार	प्रवीन कुमार	2008	120	10.80	200	200	486	286
94	महमूदाबाद	तालाब भवन, नई बाजार	श्रवण कुमार	2008	120	10.80	200	200	486	286
95	महमूदाबाद	तालाब भवन, नई बाजार	श्रवण कुमार	2008	120	10.80	200	200	486	286
96	महमूदाबाद	तालाब भवन, नई बाजार	विमल राजन	2008	120	10.80	200	200	486	286
97	महमूदाबाद	तालाब भवन, नई बाजार	सतीश	2008	120	10.80	200	200	486	286
98	महमूदाबाद	तालाब भवन, नई बाजार	नैयर अब्बास	2008	120	10.80	200	200	486	286
							; kx	19,723	48,162	28,447

lkj f' k"V 3.3

ftyk i pk; r] l hrki g ea fdjk, dh de ol nyh ds dkj .k jktLo dh gkfu

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 3.2; पृष्ठ 70)

¼/kuj kf' k ₹ ea

Ø0 l Ø	rgl hy dk uke	LFkku	fdjk, nkj dk uke	vup/k dk o"z	{k=Qy %oxl QhV ea	{k=Qy %oxl ehVj ea	o"z 2008 l s 2015 ds nkj ku	o"z 2008 l s 2015 ds nkj ku	ftyk eftLVW] l hrki g }kjk fu/kkjr fdjk; k , oa tu 2009 ea Øe'k% o"z 2008 , oa 2009%	vup/k ds le; ifrek de fdjk, dh ikfr	01-04-2008 l s 31-03-2015 ds nkj ku iklr fdjk; k %o"z 2008 , oa 2009 ea Øe'k% vkofVr nplkuka ds fy, 84 ekg , oa 70 ekg%	nplkuka ds 36 ekg ds vko/vu l s ikl; fdjk; k	vkxkeh 3 o"z ea ikl; fdjk; k %LrEHK 9\$25 ifr'kr% ifr ekg] o"z 2008 ea vkofVr nplkuka ds fy, 36 ekg , oa 2009 ds fy, 34 ekg	LrEHK 13 dh vof/k ds ckn 31-03-2015 rd ikl; fdjk; k %LrEHK 9\$50 ifr'kr% ifr ekg] 12 ekg grq	o"z 2008&15 ea de iklr fdjk; k %LrEHK 12\$13\$14 &LrEHK 11%
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	केशव राम	2008	120	10.80	225	225	508	283	18,900	18,275	22,844.28	9,137.71	31,357.43
2	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	खैरूलनिशा	2008	120	10.80	315	315	508	193	26,460	18,275	22,844.28	9,137.71	23,797.43
3	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	मो0 फारुक	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
4	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	मो0 फारुक	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
5	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	मो0 अहद	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
6	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	मो0 अहद	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
7	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	मो0 अयूब	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
8	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	मो0 अयूब	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
9	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	प्रेम प्रकाश	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
10	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	राम प्रकाश	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
11	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	कमलेश	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
12	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	अखिलेश	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
13	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	राम कुमार	2008	120	10.80	220	220	486	266	18,480	17,498	21,872.19	8,748.87	29,638.81
14	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	राम कुमार	2008	120	10.80	220	220	486	266	18,480	17,498	21,872.19	8,748.87	29,638.81
15	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	अरविन्द कुमार	2008	120	10.80	220	220	486	266	18,480	17,498	21,872.19	8,748.87	29,638.81
16	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	शरद मिश्र	2008	120	10.80	220	220	486	266	18,480	17,498	21,872.19	8,748.87	29,638.81
17	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	वेशव राम	2008	80	7.20	155	155	324	169	13,020	11,665	14,581.46	5,832.58	19,059.21
18	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	चन्द्र मोहन	2008	120	10.80	220	220	486	266	18,480	17,498	21,872.19	8,748.87	29,638.81

19	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	चन्द्र मोहन	2008	120	10.80	215	215	486	271	18,060	17,498	21,872.19	8,748.87	30,058.81
20	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	रीना देवी	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
21	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	विजय लक्ष्मी	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
22	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	संजय कुमार	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
23	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	अब्दुल हाफिज	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
24	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	विनयकुमार	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
25	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	पंकज कुमार	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
26	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	राजेश कुमार	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
27	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	पंकज कुमार	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
28	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	राजेश कुमार	2008	120	10.80	215	215	486	271	18,060	17,498	21,872.19	8,748.87	30,058.81
29	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	जगदीश कुमार	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
30	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	राज कुमार जैन	2008	120	10.80	215	215	486	271	18,060	17,498	21,872.19	8,748.87	30,058.81
31	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	विजय कुमार	2008	120	10.80	215	215	486	271	18,060	17,498	21,872.19	8,748.87	30,058.81
32	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	शाहनवाज	2009	120	10.80	225	225	594	369	15,750	21,386	25,247.52	0.00	30,883.66
33	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	खलूल अहमद	2009	120	10.80	290	290	594	304	20,300	21,386	25,247.52	0.00	26,333.66
34	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	प्रेम शंकर	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
35	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	अशोक कुमार	2008	120	10.80	215	215	486	271	18,060	17,498	21,872.19	8,748.87	30,058.81
36	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	धर्मेन्द्र कुमार	2008	120	10.80	215	215	486	271	18,060	17,498	21,872.19	8,748.87	30,058.81
37	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	चन्द्र मोहन	2008	120	10.80	220	220	486	266	18,480	17,498	21,872.19	8,748.87	29,638.81
38	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	विपिन कुमार वर्मा	2008	120	10.80	215	215	486	271	18,060	17,498	21,872.19	8,748.87	30,058.81
39	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	विपिन कुमार वर्मा	2008	120	10.80	215	215	486	271	18,060	17,498	21,872.19	8,748.87	30,058.81
40	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	अनीता वर्मा	2008	120	10.80	215	215	486	271	18,060	17,498	21,872.19	8,748.87	30,058.81
41	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	अनीता वर्मा	2008	120	10.80	215	215	486	271	18,060	17,498	21,872.19	8,748.87	30,058.81
42	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	राजेन्द्र कुमार	2009	120	10.80	220	220	594	374	15,400	21,386	25,247.52	0.00	31,233.66
43	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	रजिया खातून	2009	120	10.80	290	290	594	304	20,300	21,386	25,247.52	0.00	26,333.66
44	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	फैयाज	2008	120	10.80	290	290	486	196	24,360	17,498	21,872.19	8,748.87	23,758.81
45	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	अहमद अली	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
46	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	शौकत अली	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
47	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	हसमत अली	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
48	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	मिराज अहमद	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
49	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	रिजवान	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
50	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	कयूम	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
51	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	पूनम वर्मा	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81

52	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	पूनम वर्मा	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
53	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	सईद अहमद	2008	120	10.80	220	220	486	266	18,480	17,498	21,872.19	8,748.87	29,638.81
54	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	रशीद अहमद	2008	120	10.80	220	220	486	266	18,480	17,498	21,872.19	8,748.87	29,638.81
55	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	गणेश वर्मा	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
56	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	रवि भूषण	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
57	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	जमाल	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
58	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	मुशीर अहमद	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
59	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	कुलदीप वर्मा	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
60	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	नीलम वर्मा	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
61	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	राजेश कुमार	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
62	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	जवाहर लाल	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
63	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	अजमा खातून	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
64	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	विजय कुमार	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
65	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	मो0 साजिद	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
66	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	अब्दुल वाहिद	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
67	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	अब्दुल अहद	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
68	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	श्रीमती शहनवाज	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
69	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	श्रीमती शहनवाज	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
70	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	नसीम अहमद	2008	120	10.80	225	225	486	261	18,900	17,498	21,872.19	8,748.87	29,218.81
71	महमूदाबाद	कटरा बाजार, कटरा	राम स्वरूप	2008	120	10.80	215	215	486	271	18,060	17,498	21,872.19	8,748.87	30,058.81
72	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	राहुल जायसवाल	2008	120	10.80	100	100	486	386	8,400	17,498	21,872.19	8,748.87	39,718.81
73	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	रजनीश	2008	120	10.80	100	100	486	386	8,400	17,498	21,872.19	8,748.87	39,718.81
74	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	संतोष कुमार	2008	120	10.80	100	100	486	386	8,400	17,498	21,872.19	8,748.87	39,718.81
75	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	राकेश कुमार	2008	120	10.80	100	100	486	386	8,400	17,498	21,872.19	8,748.87	39,718.81
76	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	चन्द्रमोहन	2008	120	10.80	100	100	486	386	8,400	17,498	21,872.19	8,748.87	39,718.81
77	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	हरिनाथ	2008	120	10.80	100	100	486	386	8,400	17,498	21,872.19	8,748.87	39,718.81
78	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	सत्यवान	2008	120	10.80	100	100	486	386	8,400	17,498	21,872.19	8,748.87	39,718.81
79	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	राजेश कुमार	2008	120	10.80	100	100	486	386	8,400	17,498	21,872.19	8,748.87	39,718.81
80	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	देवेन्द्र कुमार	2008	120	10.80	100	100	486	386	8,400	17,498	21,872.19	8,748.87	39,718.81
81	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	असलम	2008	120	10.80	100	100	486	386	8,400	17,498	21,872.19	8,748.87	39,718.81
82	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	श्याम बाबू	2008	120	10.80	100	100	486	386	8,400	17,498	21,872.19	8,748.87	39,718.81
83	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	दामोदर	2008	120	10.80	100	100	486	386	8,400	17,498	21,872.19	8,748.87	39,718.81
84	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	प्रेमचन्द्र	2008	120	10.80	100	100	486	386	8,400	17,498	21,872.19	8,748.87	39,718.81

85	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	शिव कुमार	2008	120	10.80	100	100	486	386	8,400	17,498	21,872.19	8,748.87	39,718.81		
86	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	सलीम	2008	120	10.80	100	100	486	386	8,400	17,498	21,872.19	8,748.87	39,718.81		
87	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	शिवेन्द्र प्रताप	2008	120	10.80	100	100	486	386	8,400	17,498	21,872.19	8,748.87	39,718.81		
88	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	स्वामी दयाल	2008	120	10.80	100	100	486	386	8,400	17,498	21,872.19	8,748.87	39,718.81		
89	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	तूलिका जैन	2008	120	10.80	100	100	486	386	8,400	17,498	21,872.19	8,748.87	39,718.81		
90	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	सन्तोष कुमार	2008	120	10.80	100	100	486	386	8,400	17,498	21,872.19	8,748.87	39,718.81		
91	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	आनन्द कुमार	2009	120	10.80	290	290	594	304	20,300	21,386	25,247.52	0.00	26,333.66		
92	महमूदाबाद	निरीक्षण भवन, नई बाजार	अनूप कुमार	2009	120	10.80	290	290	594	304	20,300	21,386	25,247.52	0.00	26,333.66		
93	महमूदाबाद	तालाब भवन, नई बाजार	प्रवीन कुमार	2008	120	10.80	200	200	486	286	16,800	17,498	21,872.19	8,748.87	31,318.81		
94	महमूदाबाद	तालाब भवन, नई बाजार	श्रवण कुमार	2008	120	10.80	200	200	486	286	16,800	17,498	21,872.19	8,748.87	31,318.81		
95	महमूदाबाद	तालाब भवन, नई बाजार	श्रवण कुमार	2008	120	10.80	200	200	486	286	16,800	17,498	21,872.19	8,748.87	31,318.81		
96	महमूदाबाद	तालाब भवन, नई बाजार	विमल राजन	2008	120	10.80	200	200	486	286	16,800	17,498	21,872.19	8,748.87	31,318.81		
97	महमूदाबाद	तालाब भवन, नई बाजार	सतीश	2008	120	10.80	200	200	486	286	16,800	17,498	21,872.19	8,748.87	31,318.81		
98	महमूदाबाद	तालाब भवन, नई बाजार	नैयर अब्बास	2008	120	10.80	200	200	486	286	16,800	17,498	21,872.19	8,748.87	31,318.81		
									19,723	48,162	28,447	16,33,590	17,33,833	21,58,380	8,02,758	30,61,380.30	
: kx									0k"lz 01-04-2008 l s 31-03-2015 rd ds nkj ku ftyk i pk: r l hrki j ea de fdjk: k i kflr %LrEHk 15&LrEHk 10% % 3061380&28447%								30,32,933

lkfj f' k"V 3.4
 mPp nj ij fufonk Lohdfr ds dkj .k vf/kd 0; ;
 (संदर्भ: प्रस्तर सं. 3.3; पृष्ठ 71)

00 10	dk; l dk uke	vkxf. kr e%; ½	vLohdfr fufonk e% i klr vkxf. kr e%; dh vi s%kk U; ure nj e% deh %i fr' kr ½	LrEHk 2 ds l ki s%k Lohdfr fufonkv% e% Lohdfr i Lr% nj ds vud kj	Hkqrku gsr% i Lr% ns d ½	okLrfod Hkqrku ½	LrEHk 3 ds l ki s%k ns /kujkf' k % e% %LrEHk 5&LrEHk 2*3@100%	de nj ds fufonkv% dh vLohdfr ds dkj .k i fgk; l 0; ; %LrEHk 6&LrEHk 7% ½ e%
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	वलीपुर खास सम्पर्क मार्ग लेपन	24,91,005	18	7 प्रतिशत कम	24,09,983	22,41,284	19,76,186.06	2,65,097.94
2	महीउद्दीनपुर सम्पर्क मार्ग लेपन	27,29,782	19	0.5 प्रतिशत कम	26,70,715	26,55,168	21,63,279.15	4,91,888.85
3	भदोरा सम्पर्क मार्ग लेपन	22,60,205	17	0.6 प्रतिशत कम	22,76,502	22,62,848	18,89,496.66	3,73,351.34
4	केशवपुर सम्पर्क मार्ग लेपन	10,69,078	18	आगणित दर पर	9,95,758	9,93,535	8,16,521.56	1,77,013.44
5	बिरौउपुर सम्पर्क मार्ग लेपन	26,09,880	19	आगणित दर पर	25,37,849	25,29,589	20,55,657.69	4,73,931.31
6	आकुसपुर सम्पर्क मार्ग लेपन	10,85,175	13.10	आगणित दर पर	10,47,411	10,45,253	9,10,200.16	1,35,052.84
; kx								19,16,335.72

Annexure 3.5
Annexure 3.5
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 3.4; पृष्ठ 72)

Sl. No.	Date	Particulars	Amount (₹)	Description
1	09/2011	शून्य/14.9.2011	10,000	मिट्टू के घर के पास कूप जगत निर्माण हेतु बोल्टर एवं स्तम्भों का क्रय
2	10/2011	शून्य/04.10.2011	20,000	मिट्टू के घर के पास कूप जगत निर्माण हेतु ईट का क्रय
3	10/2011	शून्य/17.10.11	15,000	मिट्टू के घर के पास कूप जगत निर्माण हेतु सीमेण्ट एवं मिट्टी का क्रय
4	10/2011	शून्य/18.10.11	10,000	मिट्टू के घर के पास कूप जगत निर्माण हेतु मजदूरी का भुगतान
5	10/2011	शून्य/22.10.11	10,000	ग्राम पंचायत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मिट्टी कार्य
6	11/2011	शून्य/2.11.11	15,000	ग्राम पंचायत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मिट्टी का भुगतान
7	11/2011	शून्य/21.11.11	20,000	शिवमंगल के घर से दूधनाथ के घर तक खड़ण्जा एवं नाली मरम्मत हेतु सीमेण्ट, मिट्टी और बालू का क्रय
8	11/2011	शून्य/24.11.11	14,000	शिवमंगल के घर से दूधनाथ के घर तक खड़ण्जा एवं नाली मरम्मत हेतु ईट क्रय एवं मजदूरी का भुगतान
9	11/2011	शून्य/26.11.11	15,000	
10	11/2011	शून्य/30.11.11	14,000	
11	12/2011	शून्य/10.12.11	10,000	धुरे के घर से कसरत के घर तक खड़ण्जा एवं नाली मरम्मत हेतु मिट्टी का भुगतान
12	12/2011	शून्य/24.12.11	20,000	धुरे के घर से कसरत के घर तक खड़ण्जा एवं नाली मरम्मत हेतु ईट क्रय
13	1/2012	शून्य/4.1.12	10,000	धुरे के घर से कसरत के घर तक खड़ण्जा एवं नाली मरम्मत हेतु सीमेण्ट और बालू का क्रय
14	1/2012	शून्य/10.1.12	15,000	धुरे के घर से कसरत के घर तक खड़ण्जा एवं नाली मरम्मत हेतु मजदूरी का भुगतान। हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान।
15	4/2012	0722/7.4.12	22,000	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री, हैण्डपम्प मरम्मत के लिए मजदूरी का भुगतान, फोटोग्राफी, किशन दास के घर से मोली के घर तक नाली निर्माण हेतु ईट एवं सीमेण्ट का क्रय
16	4/2012	शून्य/10.4.12	20,000	
17	5/2012	0724/12.5.12	20,000	किशन दास के घर से मोली के घर तक नाली निर्माण हेतु चौका क्रय
18	5/2012	0726/15.5.12	15,000	किशन दास के घर से मोली के घर तक नाली निर्माण हेतु मिट्टी एवं ईट मिट्टी का क्रय
19	5/2012	0727/19.5.12	25,000	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री, हैण्डपम्प मरम्मत के लिए मजदूरी का भुगतान, फोटोग्राफी, किशन दास के घर से मोली के घर तक नाली निर्माण हेतु मजदूरी का भुगतान।
20	6/2012	0725/9.6.12	15,000	किशन दास के घर से मोली के घर तक नाली निर्माण हेतु मजदूरी का भुगतान।
21	6/2012	0729/15.6.12	15,000	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री एवं मजदूरी भुगतान
22	6/2012	शून्य/21.6.12	15,000	ग्राम पंचायत में सफाई कार्य में मजदूरी भुगतान
23	6/2012	0981/26.6.12	20,000	अल्हौआ में सरयू के घर के पास कूप सफाई कार्य में मजदूरी भुगतान, अल्हौआ में मुख्य सड़क से नहर तक खड़ण्जा मरम्मत हेतु ईटों का क्रय। अल्हौआ में मुख्य सड़क से नहर तक खड़ण्जा मरम्मत हेतु मिट्टी, मजदूरी भुगतान।
24	9/2012	0985/12.9.12	10,000	ग्राम पंचायत में सफाई कार्य में मजदूरी भुगतान
25	10/2012	0987/15.10.12	10,000	नहर से मुख्य सड़क तक सम्पर्क मार्ग हेतु मिट्टी एवं स्थानीय बालू का क्रय, स्वच्छता कार्यक्रम में पेन्टर को भुगतान।
26	11/2012	0989/3.11.12	20,000	नहर से मुख्य सड़क तक सम्पर्क मार्ग हेतु मजदूरी भुगतान
27	11/2012	0990/5.11.12	20,000	सुरेश के घर के पास मन्दिर पर कूप निर्माण हेतु बोल्टर, सीमेण्ट और बालू का क्रय।
28	11/2012	0701/14.11.12	8,000	सुरेश के घर के पास मन्दिर पर कूप निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान।

29	1/2013	0703/3.1.13	10,000	बेचन पांडे के घर के पास कूप निर्माण हेतु बोल्टर का क्रय।
30	1/2013	0704/12.1.13	25,000	बेचन पांडे के घर के पास कूप निर्माण हेतु सीमेण्ट, बालू एवं ईट का क्रय। हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मजदूरी का भुगतान।
31	2/2013	0708/19.2.13	10,000	बेचन पांडे के घर के पास कूप निर्माण हेतु मजदूरी का भुगतान।
32	2/2013	0709/26.2.13	10,000	मुख्य सड़क से शंकर जी के मन्दिर तक नाली निर्माण हेतु सीमेण्ट का क्रय।
33	3/2013	शून्य/4.3.13	10,000	मुख्य सड़क से मन्दिर तक नाली निर्माण हेतु ईट का क्रय।
34	3/2013	0711/9.3.13	15,000	
35	3/2013	0712/25.3.13	15,000	मुख्य सड़क से मन्दिर तक नाली निर्माण हेतु सीमेण्ट एवं बालू का क्रय तथा मजदूरी का भुगतान।
36	4/2013	0713/16.4.13	25,000	विजय सिंह के घर से नहर तक नाली सफाई एवं खड़ण्जा मरम्मत हेतु ईट का क्रय। तथा महेन्द्र सिंह के घर से मुख्य खड़ण्जा नाली सफाई एवं खड़ण्जा मरम्मत हेतु ईट का क्रय तथा स्थानीय बालू का क्रय।
37	4/2013	0714/24.4.13	20,000	
38	5/2013	0715/1.5.13	15,000	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान एवं हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय।
39	5/2013	शून्य/18.5.13	20,000	
40	6/2013	0718/8.6.13	20,000	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मजदूरी भुगतान।
41	6/2013	0719/22.6.13	25,000	कौरिदा हरिजन बस्ती पुलिया से माता के घर तक सम्पर्क मार्ग हेतु मिट्टी क्रय एवं मजदूरी भुगतान।
42	6/2013	0720/28.6.13	30,000	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री एवं मजदूरी भुगतान, अल्टुआ मुख्य सड़क से प्राइमरी विद्यालय तक सम्पर्क मार्ग हेतु मिट्टी क्रय।
43	7/2013	02601/8.7.13	20,000	अल्टुआ में विपत के घर से फूलपट्टी के खेत तक सम्पर्क मार्ग हेतु मिट्टी क्रय।
44	7/2013	02602/16.7.13	30,000	अल्टुआ मुख्य सड़क से प्राइमरी विद्यालय तक सम्पर्क मार्ग हेतु मजदूरी भुगतान, अमदहा में आदर्श तालाब पर किनारे की दीवाल निर्माण हेतु बोल्टर क्रय।
45	7/2013	02603/26.7.13	30,000	अमदहा में आदर्श तालाब पर किनारे की दीवाल निर्माण हेतु सीमेण्ट एवं बालू का क्रय तथा मजदूरी का भुगतान।
46	8/2013	02604/1.8.13	30,000	अल्टुआ में शंकर जी के मन्दिर से मुख्य सड़क तक खण्जा निर्माण हेतु चौका क्रय।
47	8/2013	02607/3.8.13	30,000	
48	8/2013	02608/7.8.13	30,000	अल्टुआ में शंकर जी के मन्दिर से मुख्य सड़क तक खड़ण्जा निर्माण हेतु सीमेण्ट एवं बालू का क्रय।
49	8/2013	02610/17.8.13	20,000	
50	8/2013	2611/23.8.13	15,000	अल्टुआ में शंकर जी के मन्दिर से मुख्य सड़क तक खड़ण्जा निर्माण हेतु मजदूरी का भुगतान।
51	8/2013	02614/29.8.13	20,000	
52	8/2013	02613/31.8.13	10,000	अशोक सिंह के घर से नहर तक नाली सफाई एवं खड़ण्जा मरम्मत हेतु चौका बालू का क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।
53	9/2013	02615/9.9.13	10,000	पेट्रो सिंह के घर से नारायण सिंह के घर तक नाली निर्माण एवं चौका कार्य हेतु सीमेण्ट एवं बालू का क्रय।
54	9/2013	02616/10.9.13	20,000	
55	9/2013	02617/12.9.13	15,000	उपरोक्त कार्य हेतु चौका क्रय।
56	9/2013	02618/18.9.13	35,000	
57	9/2013	02619/19.9.13	20,000	उपरोक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय।
58	10/2013	03082/4.10.13	15,000	पेट्रो सिंह के घर से नारायण सिंह के घर तक नाली निर्माण हेतु ईट का क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।
59	10/2013	03083/9.10.13	30,000	
60	11/2013	03086/22.11.13	10,000	पेट्रो सिंह के घर से नारायण सिंह के घर तक नाली निर्माण हेतु ईट का क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।
61	12/2013	03087/7.12.13	25,000	पेट्रो सिंह के घर से नारायण सिंह के घर तक चौका कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान। तथा बचाउ के घर से शीला सिंह के घर तक चौका कार्य हेतु चौका का क्रय, सामग्री क्रय एवं हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मजदूरी का भुगतान।
62	1/2014	03091/15.1.14	10,000	बनारसी के घर के पास चबूतरा निर्माण हेतु सीमेण्ट एवं बालू क्रय तथा मजदूरी का भुगतान।
63	4/2014	03094/9.4.14	10,000	बचाउ के घर से शीतला सिंह के घर तक नाली निर्माण एवं चौका कार्य हेतु सामग्री क्रय।
64	4/2014	03095/19.4.14	15,000	उपरोक्त कार्य हेतु ईट क्रय।
65	4/2014	03096/21.4.14	7,335	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय।

66	4/2014	03098/22.4.14	28,685	बचाउ के घर से शीतला सिंह के घर तक नाली निर्माण एवं चौका कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी का भुगतान, प्राइमरी स्कूल अमदहा एवं प्राइमरी स्कूल अल्हौआ में शौचालय निर्माण एवं ईट क्रय।
67	5/2014	03097/3.5.14	20,000	प्राइमरी स्कूल अमदहा एवं प्राइमरी स्कूल अल्हौआ में शौचालय निर्माण सामग्री क्रय।
68	5/2014	03099/22.5.14	20,800	प्राइमरी स्कूल अमदहा एवं प्राइमरी स्कूल अल्हौआ में शौचालय निर्माण मजदूरी का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय।
69	5/2014	03100/30.5.14	22,600	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मजदूरी का भुगतान, बचाउ के घर से शीतला सिंह के घर तक नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय।
70	7/2014	04961/1.7.14	10,500	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मजदूरी का भुगतान, बचाउ के घर से शीतला सिंह के घर तक नाली निर्माण हेतु ईट क्रय।
71	7/2014	04963/5.7.14	12,500	बचाउ के घर से शीतला सिंह के घर तक नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।
72	8/2014	04965/4.8.14	15,950	दुर्वासा पुरा में पप्पू के घर से शुकुल सिंह के घर तक चौका निर्माण हेतु सामग्री क्रय।
73	9/2014	04968/16.9.14	15,000	दुर्वासा पुरा में पप्पू के घर से शुकुल सिंह के घर तक चौका निर्माण हेतु सामग्री क्रय।
74	9/2014	04969/24.9.14	20,000	दुर्वासा पुरा में पप्पू के घर से शुकुल सिंह के घर तक चौका निर्माण हेतु मजदूरी का भुगतान एवं सामग्री क्रय, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान।
75	9/2014	04970/29.9.14	35,200	दुर्वासा पुरा में पप्पू के घर से शुकुल सिंह के घर तक चौका निर्माण हेतु सामग्री क्रय एवं हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मजदूरी भुगतान।
76	10/2014	04971/1.10.14	20,000	दुर्वासा पुरा में पप्पू के घर से शुकुल सिंह के घर तक चौका निर्माण हेतु सामग्री क्रय।
77	10/2014	04972/10.10.14	15,000	दुर्वासा पुरा में पप्पू के घर से शुकुल सिंह के घर तक चौका निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान।
78	10/2014	04973/20.10.14	37,300	दुर्वासा पुरा में पप्पू के घर से शुकुल सिंह के घर तक चौका निर्माण हेतु सामग्री क्रय।
79	10/2014	04974/29.10.14	23,100	दुर्वासा पुरा में पप्पू के घर से शुकुल सिंह के घर तक चौका निर्माण हेतु सामग्री क्रय।
80	11/2014	04975/1.11.14	25,600	दुर्वासा पुरा में पप्पू के घर से शुकुल सिंह के घर तक चौका निर्माण हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान।
81	11/2014	04976/13.11.14	10,000	ग्राम पंचायत में नाली सफाई हेतु मजदूरी का भुगतान तथा दामेश्वर नाथ मिश्रा के घर से हरिनारायण के घर तक नाली निर्माण एवं चौका कार्य हेतु ईट का क्रय।
82	11/2014	04979/18.11.14	34,500	
83	11/2014	04978/25.11.14	35,500	दामेश्वर नाथ मिश्रा के घर से हरिनारायण के घर तक नाली निर्माण एवं चौका कार्य हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान।
84	12/2014	04977/4.12.14	29,250	अल्हौआ में दामेश्वर नाथ मिश्रा के घर से राजेश के घर तक नाली निर्माण एवं चौका कार्य हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान।
85	12/2014	06301/9.12.14	40,200	
86	12/2014	04980/10.12.14	37,200	
87	12/2014	06302/10.12.14	49,600	
88	1/2015	06306/3.1.15	28,500	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान।
89	1/2015	06307/8.1.15	25,400	मुस्तफा के घर से मुन्ना के घर तक नाली निर्माण एवं चौका कार्य हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान।
90	1/2015	06308/13.1.15	32,500	
91	1/2015	06309/23.1.15	26,000	
92	1/2015	06310/30.1.15	30,000	
93	2/2015	06311/4.2.15	24,800	मुस्तफा के घर से मुख्य नाली तक नाली निर्माण हेतु ईट का क्रय।
94	2/2015	06312/11.2.15	32,500	मुस्तफा के घर से मुख्य नाली तक नाली निर्माण हेतु सामग्री का क्रय।
95	2/2015	06314/16.2.15	30,000	मुस्तफा के घर से मुख्य नाली तक नाली निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय।
: kx kxke i pk r & vengkh			₹ 19,28,520	

Uk&e&xke ipk; r@{ks= ipk; r@fkyk % ?kkVeij@ukjk; .ki j@fetkij uke&cfd , oa 'kk[kk % bykgkckn cfd] ?kkVeij 'kk[kk xke fuf/k cfd [kkrk l a; k&21733801604				
1	8/2011	शून्य/12.8.11	10,000	वर्वाकपुर गेट से बाईपास तक सम्पर्क मार्ग हेतु मिट्टी का क्रय।
2	8/2011	शून्य/24.8.11	10,000	उपरोक्त कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान।
3	9/2011	शून्य/23.9.11	20,000	ग्राम पंचायत भावकी पेन्टिंग हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।
4	9/2011	शून्य/29.9.11	21,000	भैरी तथा भग्गू के घर के पास कूप जगत मरम्मत हेतु ईट एवं बालू का क्रय।
5	10/2011	शून्य/4.10.11	20,000	कूप जगत हेतु सीमेण्ट एवं बोल्टर का क्रय।
6	10/2011	शून्य/18.10.11	15,000	उपरोक्त कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान।
7	10/2011	शून्य/22.10.11	25,000	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री एवं मजदूरी का भुगतान।
8	11/2011	शून्य/2.11.11	10,000	महेन्द्र के घर से लाल चन्द्र के घर तक खड़पजा निर्माण हेतु सीमेण्ट एवं बालू का क्रय।
9	11/2011	शून्य/15.11.11	10,000	उपरोक्त कार्य हेतु चौका का क्रय।
10	11/2011	शून्य/23.11.11	15,000	उपरोक्त कार्य हेतु मिट्टी का क्रय।
11	12/2011	शून्य/2.12.11	20,000	उपरोक्त कार्य हेतु ईट क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।
12	12/2011	शून्य/5.12.11	35,000	
13	12/2011	शून्य/7.12.11	10,000	गुलाब के घर से रिषिकेश के घर तक खड़पजा/नाली निर्माण हेतु ईट एवं बालू का क्रय।
14	12/2011	शून्य/7.12.11	20,000	
15	12/2011	शून्य/22.12.11	15,000	उपरोक्त कार्य हेतु सीमेण्ट, बालू एवं चौका का क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।
16	4/2012	शून्य/10.4.12	10,000	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री का भुगतान।
17	5/2012	शून्य/21.5.12	25,000	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मजदूरी का भुगतान।
18	5/2012	शून्य/24.5.12	20,000	देवेन्द्र के घर से दशमी के घर तक नाली एवं खड़पजा निर्माण हेतु ईट का क्रय।
19	5/2012	शून्य/25.5.12	14,000	
20	6/2012	शून्य/22.6.12	10,000	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।
21	7/2012	शून्य/9.7.12	18,550	पंचायत भवन के पुताई हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।
22	7/2012	0991/11.7.12	20,000	देवेन्द्र के घर से दशमी के घर तक नाली एवं खड़पजा निर्माण हेतु सीमेण्ट एवं बालू का क्रय।
23	7/2012	शून्य/14.7.12	15,000	उपरोक्त कार्य हेतु चौका/मिट्टी का क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।
24	7/2012	शून्य/17.7.12	10,000	
25	7/2012	0994/20.7.12	22,000	
26	7/2012	0996/31.7.12	10,000	सामग्री क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।
27	10/2012	0997/3.10.12	10,000	वर्वाकपुर में बाढ़ प्रभावित सम्पर्क मार्ग मरम्मत हेतु सामग्री क्रय, मजदूरी एवं फोटोग्राफी का भुगतान।
28	10/2012	0998/15.10.12	30,000	
29	10/2012	0999/19.10.12	20,000	
30	10/2012	1000/22.10.12	15,000	राम अधार के घर से मेवा के घर तक नाली/ खड़पजा निर्माण हेतु ईट सीमेण्ट एवं बालू का क्रय।
31	01/2013	01326/13.2.13	10,000	उपरोक्त कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान।
32	3/2013	01328/19.3.13	30,000	उपरोक्त कार्य हेतु चौका एवं स्थानीय बालू का क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।
33	3/2013	01982/25.3.13	20,000	परदेशी के घर से अमरनाथ के घर तक नाली/खड़पजा निर्माण हेतु ईट का क्रय।
34	3/2013	01983/30.3.13	20,000	उपरोक्त कार्य हेतु सीमेण्ट, चौका एवं स्थानीय बालू का क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।
35	6/2013	01329/3.6.13	25,000	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय।
36	7/2013	01986/1.7.13	30,000	उपरोक्त कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान।
37	7/2013	01985/4.7.13	25,000	हरिजन बस्ती से मगरू के घर तक चौका कार्य हेतु मिट्टी, चौका का क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।
38	7/2013	01987/15.7.13	20,000	परदेशी के घर से अम्मार के घर तक नाली/खड़पजा निर्माण हेतु ईट का क्रय।
39	7/2013	01988/30.7.13	30,000	उपरोक्त कार्य हेतु सीमेण्ट, ईट मिट्टी का क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।
40	8/2013	01989/30.8.13	10,000	परदेशी के घर से अम्मार के घर तक नाली/खड़पजा निर्माण हेतु मजदूरी का भुगतान।
41	9/2013	01991/12.9.13	25,000	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय।

42	9/2013	01992/19.9.13	15,000	दुलारे के घर से जगन्नाथ के घर तक नाली/खड़ण्जा निर्माण हेतु ईट का क्रय एवं हैण्डपम्प मरम्मत पर मजदूरी भुगतान।
43	9/2013	01993/25.9.13	30,000	दुलारे के घर से जगन्नाथ के घर तक नाली/खड़ण्जा निर्माण हेतु सीमेण्ट एवं बालू का क्रय एवं मजदूरी का भुगतान, रिषिकेश के घर से सुरेन्द्र के घर तक खड़ण्जा/नाली निर्माण हेतु सीमेण्ट एवं बालू का क्रय।
44	10/2013	01994/9.10.13	10,000	रिषिकेश के घर से सुरेन्द्र के घर तक खड़ण्जा/नाली निर्माण हेतु ईट एवं चौका का क्रय।
45	10/2013	1995/12.10.13	30,000	
46	11/2013	1996/28.11.13	20,000	रिषिकेश के घर से सुरेन्द्र के घर तक खड़ण्जा/नाली निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान, वर्वाकपुर में अलगू सिंह के घर से रामजीत मास्टर के घर तक नाली/खड़ण्जा निर्माण हेतु बालू का क्रय।
47	12/2013	01998/3.12.13	30,000	वर्वाकपुर में अलगू सिंह के घर से रामजीत मास्टर के घर तक नाली/खड़ण्जा निर्माण हेतु सीमेण्ट का क्रय।
48	1/2014	01999/11.1.14	30,000	वर्वाकपुर में अलगू सिंह के घर से रामजीत मास्टर के घर तक नाली/खड़ण्जा निर्माण हेतु ईट का क्रय।
49	2/2014	04083/18.2.14	25,000	वर्वाकपुर में अलगू सिंह के घर से रामजीत मास्टर के घर तक नाली/खड़ण्जा निर्माण हेतु ईट, चौका क्रय एवं मजदूरी भुगतान।
50	2/2014	04084/24.2.14	20,000	
51	03/2014	04085/11.3.14	32,000	वर्वाकपुर में अलगू सिंह के घर से रामजीत मास्टर के घर तक नाली/खड़ण्जा निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान।
52	03/2014	04086/14.3.14	29,000	
53	4/2014	04089/15.4.14	7,185	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय।
54	4/2014	04088/15.4.14	26,900	अशोक के घर से दीपनाथ के घर तक खड़ण्जा/नाली कार्य हेतु सामग्री क्रय, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मजदूरी भुगतान।
55	4/2014	04090/19.4.14	25,600	
56	5/2014	04091/16.5.14	17,210	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान।
57	7/2014	04092/1.7.14	22,800	अशोक के घर से दीपनाथ के घर तक खड़ण्जा/नाली कार्य हेतु सामग्री क्रय।
58	7/2014	04095/25.7.14	35,000	
59	8/2014	04096/6.8.14	30,650	अशोक के घर से दीपनाथ के घर तक खड़ण्जा/नाली कार्य हेतु ईट क्रय एवं मजदूरी भुगतान।
60	8/2014	04099/20.8.14	20,000	अशोक के घर से दीपनाथ के घर तक खड़ण्जा/नाली कार्य हेतु मजदूरी भुगतान।
61	8/2014	04100/28.8.14	10,000	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान।
62	9/2014	05422/10.9.14	30,000	राजेश के घर से रामसेवक के घर तक खड़ण्जा/नाली कार्य हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान। अनिल के घर से धारी के घर तक खड़ण्जा कार्य हेतु सामग्री क्रय।
63	9/2014	05424/16.9.14	40,800	
64	9/2014	05426/24.9.14	20,000	राजेश के घर से रामसेवक के घर तक खड़ण्जा/नाली कार्य हेतु मजदूरी भुगतान।
65	9/2014	05425/29.9.14	35,000	
66	10/2014	05427/16.10.14	30,700	वर्वाक पुर में अनिल के घर से धारी के घर तक नाली/खड़ण्जा कार्य हेतु सामग्री क्रय।
67	10/2014	05428/21.10.14	20,000	वर्वाक पुर में अनिल के घर से धारी के घर तक नाली/खड़ण्जा कार्य हेतु मजदूरी भुगतान।
68	11/2014	05429/7.11.14	15,300	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी भुगतान।
69	12/2014	05431/22.12.14	22,600	अनिल के घर से धारी के घर तक नाली/खड़ण्जा कार्य हेतु सामग्री क्रय।
70	2/2015	05430/27.2.15	30,300	प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में खड़ण्जा निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान, हैण्डपम्प के चबूतरा निर्माण कार्य में मजदूरी भुगतान, वर्वाक पुर में गुलाब के घर से प्राइमरी स्कूल तक सम्पर्क मार्ग हेतु मिट्टी क्रय।
			₹ 14,61,595	
; ks xke ipk; r&?kkVeij% Uke&xke ipk; r@{ks= ipk; r@fityk % ikuh@ukjk; .ki g@fetkj uke&c&d , oa 'kk[kk % bykgkckn c&d] ?kkVeij 'kk[kk xke fuf/k c&d [kkrk l a]; k&22150396926				
1.	10/2011	0722/19.10.11	45,000	कूप जगत निर्माण हेतु सामग्री क्रय, ग्राम पंचायत में सफाई कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान।
2.	11/2011	0723/11.11.11	20,000	कूप जगत निर्माण हेतु मजदूरी का भुगतान, ग्राम पंचायत में सफाई कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान।
3.	01/2012	0724/03.1.12	21,000	रामबृक्ष के घर के पास कूप जगत निर्माण हेतु ईट क्रय।
4.	01/2012	0725/3.1.12	15,000	कूप जगत निर्माण हेतु सामग्री क्रय।
5.	01/2012	0726/3.1.12	15,000	कूप जगत निर्माण हेतु मजदूरी का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय।

6.	01/2012	शून्य/25.1.12	12,000	ग्राम पंचायत में सफाई कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान।
7.	03/2012	35/15.3.12	13,000	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।
8.	05/2012	शून्य/10.5.12	12,000	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।
9.	06/2012	शून्य/12.06.12	15,740	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।
10.	06/2012	शून्य/19.06.12	35,000	कूप सफाई हेतु मजदूरी का भुगतान। ग्राम पंचायत में सफाई कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान।
11.	07/2012	शून्य/10.7.12	27,000	कूप सफाई हेतु मजदूरी का भुगतान। ग्राम पंचायत में सफाई कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान।
12.	08/2012	शून्य/6.8.12	20,000	चौका निर्माण हेतु मजदूरी का भुगतान।
13.	08/2012	शून्य/24.8.12	54,500	चौका निर्माण हेतु सामग्री क्रय।
14.	09/2012	शून्य/4.9.12	20,000	चौका निर्माण हेतु मजदूरी का भुगतान।
15.	10/2012	शून्य/5.10.12	25,000	ग्राम पंचायत में सफाई कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान।
16.	10/2012	शून्य/23.10.12	7,000	ग्राम पंचायत में सफाई कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान।
17.	11/2012	शून्य/17.11.12	20,000	चौका निर्माण हेतु मजदूरी का भुगतान।
18.	12/2012	शून्य/5.12.12	14,000	चौका निर्माण हेतु मजदूरी का भुगतान।
19.	01/2013	शून्य/31.1.13	50,000	चौका निर्माण हेतु सामग्री क्रय।
20.	02/2013	शून्य/4.2.13	35,000	चौका निर्माण हेतु सामग्री क्रय, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।
21.	03/2013	शून्य/4.3.13	20,000	चौका निर्माण हेतु सामग्री क्रय।
22.	03/2013	शून्य/5.3.13	29,100	
23.	04/2013	04323/3.04.13	40,000	विजय एवं रामचन्द्र के घर के पास कूप जगत निर्माण हेतु ईट क्रय।
24.	04/2013	04324/11.4.13	30,000	मसैनिया में मानिक के घर के पास मिट्टी कार्य।
25.	04/2013	00432/11.4.13	40,000	कूप जगत निर्माण हेतु सीमेण्ट एवं बालू का क्रय।
26.	04/2013	04326/18.4.13	20,000	कूप जगत निर्माण हेतु मिट्टी कार्य, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।
27.	5/2013	04328/3.5.13	10,000	कूप जगत निर्माण हेतु मजदूरी का भुगतान।
28.	5/2013	शून्य/6.5.13	15,000	
29.	5/2013	शून्य/18.5.13	10,000	
30.	5/2013	04330/28.5.13	40,000	योगेश के घर से मनोरम के घर तक चौका निर्माण हेतु सीमेण्ट, बालू बस्सी का क्रय, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।
31.	7/2013	03631/6.7.13	40,000	चौका कार्य हेतु ईट एवं मिट्टी का क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।
32.	7/2013	शून्य/30.7.13	13,000	रामनाथ के घर से मेवा के घर तक चौका निर्माण हेतु मिट्टी क्रय।
33.	8/2013	शून्य/3.8.13	60,000	योगेश के घर से मनोरम के घर तक चौका निर्माण।
34.	9/2013	03634/16.9.13	62,000	छोटी नहर से गुप्त नाथ पाण्डे के घर तक किनारे की दीवाल निर्माण हेतु बोल्टर हेतु भुगतान।
35.	10/2013	03635/9.10.13	85,000	रामनाथ के घर से मेवा के घर तक चौका निर्माण हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।
36.	11/2013	03636/1.11.13	20,000	सतूसाव के घर से रामकृपाल के घर तक नाली एवं चौका निर्माण हेतु सीमेण्ट एवं बालू का क्रय।
37.	11/2013	03638/8.11.13	15,000	
38.	11/2013	03637/9.11.13	20,000	
39.	11/2013	3639/12.11.13	40,000	नाली निर्माण हेतु ईट एवं मिट्टी का क्रय।
40.	11/2013	3640/13.11.13	15,000	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।
41.	11/2013	906461/23.11.13	20,000	चौका निर्माण हेतु चौका का क्रय।
42.	11/2013	906462/25.11.13	40,000	
43.	12/2013	906463/3.12.13	25,000	नाली एवं चौका निर्माण हेतु मजदूरी का भुगतान।
44.	12/2013	906464/11.12.13	18,000	स्वच्छता सम्बन्धी प्रचार-प्रसार हेतु दीवाल पेन्टिंग कार्य हेतु भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।

45.	04/2014	906466/19.4.14	25,000	प्राइमरी विद्यालय में चबूतरा निर्माण हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी का भुगतान, हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।
46.	04/2014	906465/19.4.14	25,000	
47.	04/2014	906468/21.4.14	50,000	पौनी नहर से गुप्त नाथ के घर एवं पूर्व दिशा में बोल्टर चिनाई हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।
48.	04/2014	906467/21.4.14	125,000	
49.	07/2014	906471/7.7.14	25,000	पौनी नहर से गुप्त नाथ के घर एवं पूर्व दिशा में बोल्टर चिनाई हेतु बालू का क्रय।
50.	07/2014	906472/10.7.14	10,000	पौनी नहर से गुप्त नाथ के घर एवं पूर्व दिशा में बोल्टर चिनाई हेतु ईट का क्रय।
51.	07/2014	906473/18.7.14	21,200	पौनी नहर से गुप्त नाथ के घर एवं पूर्व दिशा में बोल्टर चिनाई हेतु बोल्टर का क्रय।
52.	07/2014	906474/24.7.14	25,000	पौनी नहर से गुप्त नाथ के घर एवं पूर्व दिशा में बोल्टर चिनाई हेतु मजदूरी का भुगतान।
53.	07/2014	906475/31.7.14	32,500	पौनी नहर से गुप्त नाथ के घर एवं पूर्व दिशा में बोल्टर चिनाई हेतु सामग्री क्रय, नहर से गुप्त नाथ पाण्डे एवं करतरिया मार्ग निर्माण हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।
54.	07/2014	906476/31.7.14	22,500	
55.	08/2014	906477/9.8.14	18,000	हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।
56.	09/2014	906479/6.9.14	35,000	मानिक के खेत से सुधीर के घर तक पहाड़ी मिट्टी कार्य हेतु मिट्टी का क्रय।
57.	09/2014	906480/18.9.14	15,000	मानिक के खेत से सुधीर के घर तक पहाड़ी मिट्टी कार्य हेतु मिट्टी का क्रय।
58.	09/2014	911541/24.9.14	40,000	मानिक के खेत से सुधीर के घर तक पहाड़ी मिट्टी कार्य हेतु मिट्टी का क्रय।
59.	10/2014	911542/17.10.14	35,000	सुधीर के खेत से शिवपूजन के खेत तक पहाड़ी मिट्टी कार्य हेतु मिट्टी का क्रय।
60.	11/2014	911543/1.11.14	70,000	सुधीर के खेत से शिवपूजन के खेत तक पहाड़ी मिट्टी कार्य हेतु मिट्टी का क्रय।
61.	11/2014	911544/8.11.14	17,500	सुधीर के खेत से शिवपूजन के खेत तक पहाड़ी मिट्टी कार्य हेतु मिट्टी का क्रय।
62.	11/2014	911545/15.11.14	10,000	सुधीर के खेत से शिवपूजन के खेत तक पहाड़ी मिट्टी कार्य हेतु मिट्टी का क्रय।
63.	01/2015	911546/6.1.15	45,000	शिवपूजन के खेत से सोहन के खेत तक पहाड़ी मिट्टी कार्य हेतु मिट्टी का क्रय।
64.	01/2015	911547/6.1.15	45,000	
65.	01/2015	911548/13.1.15	45,000	लालचन्द्र यादव के घर से किनारे की दीवाल के निर्माण हेतु सामग्री का क्रय एवं मजदूरी का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं मजदूरी का भुगतान।
66.	01/2015	911549/15.1.15	37,000	
			₹ 19,97,040	
egk : kx ₹ (19,28,520+14,61,595+1997040) = ₹ 53,87,155				

lkj f' k"V 3.6
 vkgj .k i phz ds }kj k /kujkf' k dk vkgj .k
 (संदर्भ: प्रस्तर सं. 3.4; पृष्ठ 72)

Ø0 l 0	pd l a[; k@fnukad	vkgj r /kujkf' k (₹)
xke i pk; r] vengk		
1.	शून्य /14.9.2011	10,000
2.	शून्य /04.10.2011	20,000
3.	शून्य /17.10.11	15,000
4.	शून्य /18.10.11	10,000
5.	शून्य /22.10.11	10,000
6.	शून्य /2.11.11	15,000
7.	शून्य 21.11.11	20,000
8.	शून्य /24.11.11	14,000
9.	शून्य /26.11.11	15,000
10.	शून्य /30.11.11	14,000
11.	शून्य /10.12.11	10,000
12.	शून्य /24.12.11	20,000
13.	शून्य 4.1.12	10,000
14.	शून्य /10.1.12	15,000
15.	शून्य 14.9.2011	10,000
16.	शून्य /04.10.2011	20,000
17.	शून्य 17.10.11	15,000
18.	शून्य /18.10.11	10,000
19.	शून्य 22.10.11	10,000
20.	शून्य /2.11.11	15,000
21.	शून्य 21.11.11	20,000
22.	शून्य /24.11.11	14,000
23.	शून्य 26.11.11	15,000
24.	शून्य 30.11.11	14,000
25.	शून्य /10.12.11	10,000
26.	शून्य /24.12.11	20,000
27.	शून्य 1/4.1.12	10,000
28.	शून्य /10.1.12	15,000
29.	शून्य /14.9.2011	10,000
30.	शून्य 1/04.10.2011	20,000
31.	शून्य /17.10.11	15,000
32.	शून्य /18.10.11	10,000
33.	शून्य /22.10.11	10,000
34.	शून्य 2.11.11	15,000
35.	शून्य /21.11.11	20,000
36.	शून्य 24.11.11	14,000
37.	शून्य 26.11.11	15,000
38.	शून्य /30.11.11	14,000
39.	शून्य /10.12.11	10,000
40.	शून्य /10.4.12	20,000
41.	शून्य /21.6.12	15,000
42.	शून्य /4.3.13	10,000
43.	शून्य /18.5.13	20,000

; kx& xke i pk; r vengk		₹ 6,14,000
xke i pk; r] ?kkVeij		
1.	शून्य /12.8.11	10,000
2.	शून्य /24.8.11	10,000
3.	शून्य /23.9.11	20,000
4.	शून्य 1/29.9.11	21,000
5.	शून्य 4.10.11	20,000
6.	शून्य /18.10.11	15,000
7.	शून्य /22.10.11	25,000
8.	शून्य 2.11.11	10,000
9.	शून्य /15.11.11	10,000
10.	शून्य 1/23.11.11	15,000
11.	शून्य 1/2.12.11	20,000
12.	शून्य 5.12.11	35,000
13.	शून्य /7.12.11	10,000
14.	शून्य /7.12.11	20,000
15.	शून्य /22.12.11	15,000
16.	शून्य 10.4.12	10,000
17.	शून्य /21.5.12	25,000
18.	शून्य /24.5.12	20,000
19.	शून्य 25.5.12	14,000
20.	शून्य 22.6.12	10,000
21.	शून्य 9.7.12	18,550
22.	शून्य /14.7.12	15,000
23.	शून्य 17.7.12	10,000
; kx& xke i pk; r] ?kkVeij		₹ 3,78,550
xke i pk; r] i küh		
1.	शून्य /25.1.12	12,000
2.	शून्य /10.5.12	12,000
3.	शून्य /12.06.12	15,740
4.	शून्य /19.06.12	35,000
5.	शून्य 10.7.12	27,000
6.	शून्य 1/6.8.12	20,000
7.	शून्य 24.8.12	54,500
8.	शून्य /4.9.12	20,000
9.	शून्य /5.10.12	25,000
10.	शून्य 23.10.12	7,000
11.	शून्य 1/17.11.12	20,000
12.	शून्य /5.12.12	14,000
13.	शून्य /31.1.13	50,000
14.	शून्य/4.2.13	35,000
15.	शून्य 4.3.13	20,000
16.	शून्य 5.3.13	29,100
17.	शून्य /6.5.13	15,000
18.	शून्य 1/18.5.13	10,000
19.	शून्य /30.7.13	13,000
20.	शून्य /3.8.13	60,000
; kx& xke i pk; r] i küh		₹ 4,94,340
; kx rhu xke i pk; r]		₹ 14,86,890

lkfj f' k"V 3.7

xke i p̄k; r] Njkr l fM; ky ea n̄pkuka ds fuekZ k ij Hk̄x̄rku dk fooj .k
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 3.5; पृष्ठ 73)

N% n̄pkuka dk fuekZ k			
Ø0 l d	Økkmpj l a[; k@fnukad	ds fy, Hk̄x̄rku	/kuj kf' k ॠ%
1	88/22.2.14	मस्टर रोल	20,000
2	90/24.2.14	सामग्री	17,690
3	91/25.2.14	ढुलाई	6,170
4	92/25.2.14	सामग्री	22,500
5	94/25.2.14	सामग्री	18,150
6	95/25.2.14	सामग्री	67,850
7	96/28.2.14	मस्टर रोल	20,000
8	97/3.3.14	सामग्री	54,000
9	98/4.3.14	सामग्री	48,881
10	99/8.3.14	मस्टर रोल	10,000
11	100/14.3.14	मस्टर रोल	10,000
12	101/14.3.14	मस्टर रोल	20,000
13	102/14.3.14	सामग्री	43,000
14	103/14.3.14	सामग्री	30,200
15	104/15.3.14	सामग्री	22,500
16	105/19.3.14	सामग्री	52,419
17	106/20.3.14	ढुलाई	5,600
18	107/20.3.14	सामग्री	33,000
19	108/22.3.14	मस्टर रोल	20,000
20	109/22.3.14	सामग्री	22,500
21	110/24.3.14	मस्टर रोल	20,000
22	115/28.3.14	मस्टर रोल	20,000
23	116/28.3.14	मस्टर रोल	20,000
24	117/28.3.14	सामग्री	22,500
25	118/29.3.14	सामग्री	33,000
26	2/17.4.14	सामग्री	10,000
27	4/17.4.14	सामग्री	5,840
28	6/25.4.14	मस्टर रोल	20,000
29	7/25.4.14	सामग्री	10,000
30	8/29.4.14	सामग्री	11,000
31	10/7.5.14	मस्टर रोल	8,000
32	11/7.5.14	सामग्री	9,360
33	12/10.5.14	सामग्री	11,500
34	13/15.5.14	सामग्री	16,672
35	14/15.5.14	सामग्री	4,500
36	16/15.5.14	सामग्री	47,880
; ks			8,14,712
ukS n̄pkuka dk fuekZ k			
1	15/15.5.14	सामग्री	61,500
2	19/19.5.14	सामग्री	20,000
3	20/19.5.14	सामग्री	11,100
4	21/22.5.14	सामग्री	12,140
5	22/29.5.14	मस्टर रोल	10,000
6	23/30.5.14	सामग्री	67,668
7	26/5.6.14	मस्टर रोल	20,000
8	27/5.6.14	सामग्री	60,950

9	28/9.6.14	सामग्री	38,000
10	29/14.6.14	सामग्री	20,000
11	30/14.6.14	सामग्री	32,000
12	31/16.6.14	सामग्री	22,800
13	36/25.6.14	सामग्री	14,200
14	37/28.6.14	मस्टर रोल	20,000
15	38/1.7.14	मस्टर रोल	10,000
16	39/7.7.14	ढुलाई	3,150
17	40/7.7.14	मस्टर रोल	20,000
18	41/8.7.14	सामग्री	30,000
19	43/15.7.14	ढुलाई	20,000
20	44/22.7.14	सामग्री	18,500
21	45/22.7.14	सामग्री	50,000
22	47/28.7.14	मस्टर रोल	20,000
23	48/31.7.14	मस्टर रोल	20,000
24	49/31.7.14	सामग्री	30,000
25	50/2.8.14	मस्टर रोल	20,000
26	51/2.8.14	सामग्री	55,482
27	52/3.8.14	सामग्री	2,820
28	54/28.8.14	मस्टर रोल	20,000
29	55/28.8.14	मस्टर रोल	20,000
30	56/29.8.14	सामग्री	70,000
31	57/11.9.14	मस्टर रोल	20,000
32	58/16.9.14	सामग्री	20,057
33	59/17.9.14	मस्टर रोल	20,000
34	61/19.9.14	सामग्री	28,800
35	62/19.9.14	सामग्री	52,530
36	63/22.9.14	मस्टर रोल	20,000
37	64/1.10.14	मस्टर रोल	20,000
38	65/2.10.14	मस्टर रोल	20,000
39	66/18.10.14	मस्टर रोल	20,000
40	67/22.10.14	मस्टर रोल	20,000
41	68/22.10.14	मस्टर रोल	10,000
42	69/22.10.14	शटरिंग के लिए मजदूरी	20,000
43	70/18.11.14	सामग्री	58,630
44	72/18.11.14	मस्टर रोल	20,000
45	73/19.11.14	मस्टर रोल	6,000
46	75/1.12.14	सामग्री	30,000
47	77/2.12.14	सामग्री	48,000
48	78/4.12.14	सामग्री	20,000
49	80/6.12.14	मस्टर रोल	5,000
50	83/19.12.14	मस्टर रोल	20,000
51	84/19.12.14	सामग्री	47,198
52	86/31.12.14	मस्टर रोल	6,400
53	87/2.1.15	सामग्री	12,995
54	90/6.1.15	सामग्री	40,750
55	91/6.1.15	सामग्री	63,250
56	96/19.1.15	सामग्री	10,000
57	101/28.1.15	मस्टर रोल	3,000
58	105/28.1.15	सामग्री	17,420
59	118/19.2.15	सामग्री	6,000
			15,06,340
egk ; kx (8,14,712 + 15,06,340) =			23,21,052

3.8
वर्गफुट
 (संदर्भ: प्रस्तर सं. 3.6; पृष्ठ 74)

क्र.सं.	वर्गफुट	वर्गफुट
1.	अभय कुमार पुत्र रधुबर दयाल वाल्मिकी	1,205
2.	सरला पत्नी सुरेश वाल्मिकी	559
3.	राम बाबू पुत्र बड़े लाल वाल्मिकी	396
4.	मनमोहन पुत्र कुन्दन लाल वाल्मिकी	720
5.	ओम प्रकाश पुत्र कुन्दन लाल वाल्मिकी	1,075
6.	बृजमोहन पुत्र कुन्दन लाल वाल्मिकी	500
7.	अनीता पत्नी विजय कुमार वाल्मिकी	864
8.	कन्हैया लाल पुत्र भगोने वाल्मिकी	608
9.	संजय कुमार, विरेन्द्र कुमार, जीतेन्द्र कुमार, भूपेन्द्र कुमार पुत्र रधुनन्दन प्रसाद	2,500
10.	सुमाष कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद	1,596
11.	मुख्य चिकित्साधिकारी, ललितपुर	2,939
12.	मूल चन्द पुत्र गयासी वाल्मिकी	1,211
13.	अशोक कुमार पुत्र गब्बन वाल्मिकी	971
14.	किरन कुमार पुत्र कयासीकरोसिया	630
15.	दीपक कुमार पुत्र रधुबर दयाल वाल्मिकी	687
16.	सीता राम पुत्र राम दास वाल्मिकी	797
17.	राम बाबू पुत्र शिवचरण वाल्मिकी	797
18.	निर्मल कुमार पुत्र हरदास तथा श्रीमती गंगा पत्नी निगम वाल्मिकी	624
19.	घनश्याम दास पुत्र छोटे लाल वाल्मिकी	824
20.	राजा बेटी पुत्र मुन्नालाल वाल्मिकी	774
21.	अशोक कुमार पुत्र मुन्नालाल वाल्मिकी	602
22.	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् ललितपुर	4,340
23.	शीलचन्द्र ओमप्रकाश पुत्र गोविन्द वाल्मिकी	374
24.	सुरेश कुमार पुत्र बाबू लाल तथा श्रीमती बाबूलाल वाल्मिकी	990
25.	अजय कुमार पुत्र कोमल प्रसाद वाल्मिकी	471
26.	कौशल कुमार पुत्र भगवान दास	640
27.	सवित्री देवी पत्नी श्री राम वाल्मिकी	544
28.	आशाराम पुत्र समर वाल्मिकी	620
29.	राम प्रसाद वाल्मिकी	1,190
कुल		30,048

1 वर्गफुट = 10.764 वर्गमीटर, अतः 30,048 वर्गफुट = 30,048 / 10.764 = 2791.52 वर्ग मीटर

i f j f' k"V 4.1

'kgj h LFkkuh; fudk; k ds dk; l

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 4.3; पृष्ठ 78)

- (i) शहरी नियोजन जिसमें शहरी नियोजन सम्मिलित हैं।
- (ii) भवनों का निर्माण एवं भू-प्रयोग का विनियमन।
- (iii) सामाजिक एवं आर्थिक विकास का नियोजन।
- (iv) मार्ग एवं सेतु।
- (v) घरेलू औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु जलापूर्ति।
- (vi) जनस्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
- (vii) अग्नि सेवाएं।
- (viii) शहरी वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण एवं पारिस्थितिकी पक्ष की उन्नति।
- (ix) विकलांगों एवं मानसिक रूप से अक्षम लोगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की संरक्षा।
- (x) मलिन बस्ती का उन्नयन एवं उच्चीकरण।
- (xi) शहरी गरीबी उन्मूलन।
- (xii) शहरी आवश्यकताओं एवं सुविधाओं का प्रावधान जैसे पार्क, बगीचा एवं खेलकूद का मैदान।
- (xiii) सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं सौन्दर्य परक पक्ष की उन्नति।
- (xiv) कब्रिस्तान, शमशान घाट एवं विद्युत शवदाह गृह।
- (xv) पशुशाला, पशुओं पर क्रूरता की रोकथाम।
- (xvi) जन्म मृत्यु का पंजीकरण एवं जनानिकी।
- (xvii) स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, बस अड्डा एवं जन यातायात सहित जन सुविधाएं।
- (xviii) बूचड़खाना (वध शाला) एवं चर्म उद्योग का विनियमितीकरण।

(स्रोत: निर्देशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

i f j f' k"V 4.2

'kgj h LFkkuh; fudk; k ds }kj k fo' k" k : i l s fd; s x; s dk; l

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 4.3; पृष्ठ 79)

- i) घरेलू औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु जलापूर्ति।
- ii) जनस्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
- iii) शहरी आवश्यकताओं एवं सुविधाओं का प्रावधान जैसे पार्क, बगीचा एवं खेलकूद का मैदान।
- iv) कब्रिस्तान, शमशान घाट एवं विद्युत शवदाह गृह।
- v) पशुशाला, पशुओं पर क्रूरता की रोकथाम।
- vi) जन्म मृत्यु का पंजीकरण एवं जनानिकी।
- vii) मार्ग प्रकाश, पार्किंग, बस अड्डा एवं जन यातायात सहित जन सुविधाएं।
- viii) बूचड़खाना (वधशाला) एवं चर्म उद्योग का विनियमितीकरण।

i f'j' k"V 4.3

' kkl dh; foHkkxk@vfHkdj . kka ds }kjk fd; s tkus okys dk; l
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 4.3; पृष्ठ 79)

ØØ l Ø	l Øk, a	foHkkx
1.	अग्नि सेवा	अग्नि शमन विभाग
2.	शहरी वानिकी	वन विभाग
3.	पर्यावरण का संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय पक्ष की उन्नति	पर्यावरण विभाग
4.	मलिन बस्ती का उन्नयन एवं उच्चीकरण	राज्य शहरी विकास अभिकरण एवं जिला शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से शहरी गरीबी उन्मूलन एवं नियोजन विभाग
5.	विकलांगों एवं मांसिक रूप से अक्षम लोगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की संरक्षा	राज्य शहरी विकास अभिकरण एवं जिला शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से शहरी गरीबी उन्मूलन एवं नियोजन विभाग

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

i f'j' k"V 4.4

' kgjh LFkkuh; fudk; ka , oa ' kkl dh; vfHkdj . kka ds e/; dk; ka dk foHkktu
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 4.3; पृष्ठ 79)

ØØ l Ø	l Øk, a	foHkkx@' kkl dh; vfHkdj . k	
1.	शहरी योजना शहरी नियोजन सहित	27 शहरों में शहरी विकास प्राधिकरण एवं शेष शहरों में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा	
2.	भू उपयोग नियामक एवं भवन निर्माण	27 शहरों में विकास प्राधिकरण, 74 शहरों में नियामक क्षेत्र अभिकरण एवं शेष शहरों में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा	
3.	सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं धार्मिक विचारों की उन्नयन	(i)	सांस्कृतिक क्रियाकलाप
		(ii)	शिक्षा
		(iii)	धार्मिक विचार
4.	आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना	राज्य संस्कृति विभाग एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा	
5.	सड़कें एवं पुलें	विकास प्राधिकरण, विकास परिषद्, शहरी स्थानीय निकायों, राज्य शहरी विकास अभिकरण, उ.प्र. जल निगम, उ.प्र. जल संस्थान एवं अन्य विभागों द्वारा	
5.	सड़कें एवं पुलें	विकास प्राधिकरणों एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा	

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

i f j f' k"V 4.5
 futh l ksrka l s ol y fd; k x; k jktLo
 (संदर्भ: प्रस्तर सं. 4.10.6; पृष्ठ 86)

₹ djkm+ e%

'kgjh LFkkuh; fudk; dk uke	bdkbz dh l a[; k	2013&14			2014&15			
		y{;	i kfir	deh i fr'kr	bdkbz dh l a[; k	y{;	i kfir	deh i fr'kr
नगर निगम	13	1,334.46	806.98	40	14	1613.41	964.43	40
नगर पालिका परिषद्	194	426.63	320.84	25	194	501.80	347.68	31
नगर पंचायत	423	114.37	75.80	34	426	133.51	101.58	24

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

i f j f' k"V 4.6
 jkT; forrk vk; kx vupku dk gLrkUrj.k
 (संदर्भ: प्रस्तर सं. 4.10.7; पृष्ठ 87)

₹ djkm+ e%

ØØ l Ø	o"kl	jkT; ljdkj ds dj jktLo dk fuoy vk;	fuf/k; ka dk gLrkUrj.k fd; k tkuk	fuf/k; ka dk gLrkUrj.k	deh@vkf/kD; gLrkUrj.k %i fr'kr½	
1.	2010-11		43,464	3,261	2,560	-701 (16)
2.	2011-12		50,351	3,525	3,085	-440 (12)
3.	2012-13		57,498	4,025	3,698	-327 (8)
4.	2013-14		62,777	4,394	5,810	1,416 (32)
5.	2014-15		66,623	4,664	6,554	1,890 (141)

(स्रोत: निदेशक, स्थानीय निकाय, लखनऊ)

i f j f' k"V 5.1

ueuk tkp grq p; fur 'kgjh LFkkuh; fudk;
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 5.5, 5.11 एवं 5.12; पृष्ठ 95, 111 एवं 117)

Ø0 Ø	uxj fuxe dk uke	Ø0 Ø	uxj i kfydk i f j"kn dk uke	Ø0 Ø	uxj i pk; r dk uke
1.	अलीगढ़	1	नगर पालिका परिषद, अतरौली	1	बेसवन
2.	फिरोजाबाद	2	नगर पालिका परिषद, खैर	2	हरदुआगंज
3.	लखनऊ	3	नगर पालिका परिषद, बहराइच	3	जलाली
		4	नगर पालिका परिषद, नानपारा	4	कौड़ियागंज
		5	नगर पालिका परिषद, भरथना	5	विजयगढ़
		6	नगर पालिका परिषद, इटावा	6	जरवल
		7	नगर पालिका परिषद, शिकोहाबाद	7	रिसिया
		8	नगर पालिका परिषद, दादरी	8	बकेवर
		9	नगर पालिका परिषद, गाजीपुर	9	नगर पंचायत, लखना
		10	नगर पालिका परिषद, मोहम्मदाबाद	10	नगर पंचायत, फरीहा
		11	नगर पालिका परिषद, गोण्डा	11	नगर पंचायत, जसराना
		12	नगर पालिका परिषद, नवाबगंज	12	नगर पंचायत, बिलासपुर
		13	नगर पालिका परिषद, ललितपुर	13	नगर पंचायत, जहांगीरपुर
		14	नगर पालिका परिषद, मऊ	14	नगर पंचायत, रबुपुरा
		15	नगर पालिका परिषद, खैराबाद	15	नगर पंचायत, बहादुरगंज
		16	नगर पालिका परिषद, महमूदाबाद	16	नगर पंचायत, जंगीपुर
		17	नगर पालिका परिषद, सीतापुर	17	नगर पंचायत, सैदपुर
		18	नगर पालिका परिषद, सुल्तानपुर	18	नगर पंचायत, कटरा
				19	नगर पंचायत, मनकापुर
				20	नगर पंचायत, मेहरौनी
				21	नगर पंचायत, तालबेहट
				22	नगर पंचायत, अमेठी
				23	नगर पंचायत, गोसाईगंज
				24	नगर पंचायत, मलीहाबाद
				25	नगर पंचायत, काकोरी
				26	नगर पंचायत, अदरी
				27	नगर पंचायत, दोहरीघाट
				28	नगर पंचायत, कोपागंज
				29	नगर पंचायत, हरगौव
				30	नगर पंचायत, पैतेपुर
				31	नगर पंचायत, तम्बौर
				32	नगर पंचायत, दोस्तपुर
				33	नगर पंचायत, कोयरीपुर

5.2

राज्य सरकार को शहरी निकायों के लिए बजट का अनुपूरक के साथ राज्य अनुदान विधायिका के समक्ष रखा जाना चाहिये।
सभी शहरी निकायों को दोहरे लेखा प्रणाली लागू किया जाना चाहिये।
भारत के नियंत्रक-महा लेखा परीक्षक द्वारा शहरी निकायों को लेखा परीक्षा के दौरान तकनिकी मार्ग दर्शन एवं सहायता देना चाहिये।
भारत के नियंत्रक-महा लेखा परीक्षक को वार्षिक तकनिकी निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा निधि के वार्षिक प्रतिवेदन विधायिका के समक्ष रखे जाने चाहिये।
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 5.5, 5.11 एवं 5.12; पृष्ठ 95, 111 एवं 117)

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	अ. राज्य सरकार को शहरी निकायों के लिए बजट का अनुपूरक के साथ राज्य अनुदान विधायिका के समक्ष रखा जाना चाहिये। ब. सभी शहरी निकायों को दोहरे लेखा प्रणाली लागू किया जाना चाहिये।	6.4.2 6.4.3
2.	अ. भारत के नियंत्रक-महा लेखा परीक्षक द्वारा शहरी निकायों को लेखा परीक्षा के दौरान तकनिकी मार्ग दर्शन एवं सहायता देना चाहिये। ब. भारत के नियंत्रक-महा लेखा परीक्षक को वार्षिक तकनिकी निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा निधि के वार्षिक प्रतिवेदन विधायिका के समक्ष रखे जाने चाहिये।	6.4.4
3.	(i) राज्य सरकार एक स्वतंत्र स्थानीय निकाय लोकपाल प्रणाली की व्यवस्था अवश्य करेगी। (ii) उपर्युक्त उल्लेखित सभी या कोई पदाधिकारी यदि राज्य के लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत आता है, तो यह निर्णय सरकार का होगा कि इसे वर्तमान व्यवस्था के अनुसार लागू लखा जाय अथवा इन पदाधिकारियों को लोकपाल क क्षेत्राधिकार मे लाया जाय।	6.4.5
4.	राज्य को आयोग से प्राप्त अनुदान के लिये एक इलैक्ट्रानिक पद्धति स्थापित किया जाना चाहिये जिससे प्राप्त अनुदान पाँच दिन के अन्दर सम्बन्धित निकाय को हस्तान्तरित हो सके	6.4.6
5.	सविधान की अनुसूची 243(2) के द्वारा राज्य सरकार एक अधिनियम के द्वारा राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता निर्देशित/आदेशित करेगी।	6.4.7
6.	सभी शहरी निकायों को सम्पत्ति उगाही हेतु योग्य बनायेगी और इसके सम्बन्ध में कोई अवरोध हो तो उसे दूर किया जाना चाहिये।	6.4.8
7.	राज्य सरकार एक राज्य स्तरीय सम्पत्ति कर बोर्ड को अवश्य सुस्थापित करेगी।	6.4.9
8.	नगरीय स्थानीय स्तर से चार सेवा मानकों जैसे-जलापूर्ति, सीवेज, नाला एवं टोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए लक्ष्यों को आगे के वर्षों में प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को 31मार्च 2010 को अधिसूचित किया जाना चाहिए।	6.4.10
9.	10 लाख से अधिक आबादी वाले (जनगणना-2001) प्रत्येक नगर निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में आग के खतरे से निपटने की व्यवस्था कायम करेगी और उपशमन योजना बनायेगी।	6.4.11

5.3

नगरीय स्थानीय स्तर से चार सेवा मानकों जैसे-जलापूर्ति, सीवेज, नाला एवं टोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए लक्ष्यों को आगे के वर्षों में प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को 31मार्च 2010 को अधिसूचित किया जाना चाहिए।
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 5.6.2; पृष्ठ 96 एवं 97)

₹ करोड़

वर्ष	राज्य सरकार	राज्य अनुदान	राज्य अनुपूरक	कुल	नगरीय स्थानीय	नगरीय स्थानीय
2010-11	0.00	42.63	42.63	23.84	18.79	44
2011-12	18.79	26.47	45.26	37.70	7.56	17
2012-13	7.56	84.77	92.33	52.98	39.36	43
2013-14	39.36	165.33	204.69	117.35	87.33	43
2014-15	87.33	62.51	149.84	94.39	55.46	37
कुल	0.00	381.70	381.70	326.25	55.46	

(स्रोत: नमूना जाँच हेतु चयनित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर)

i fj'k"V 5.3 dk oxh'rd' fooj .k

ueuk tk;p grq uxj fuxe] uxj i kfydk i fj "knk , oa uxj i pk; rka dks mi yC/k
dj; h x; h fuf/k , oa 0; ; dk fooj .k

¼uxj fuxe] vyh<½

₹ yk[k e½

o"z	i k j fEHkd vo' k'sk	voeDr fuf/k	dy mi yC/k fuf/k	0; ; @mi ; ksx	vflre vo' k'sk	mi ; ksx dh i fr' krrk
2010-11	0	582.74	582.74	116.35	466.39	20
2011-12	466.39	357.84	824.23	632.33	191.9	77
2012-13	191.9	1133.99	1325.90	869.87	456.03	66
2013-14	456.03	2819.5	3275.55	2201.13	1074.42	67
2014-15	1074.42	478.56	1552.98	1511.90	41.08	97

¼uxj fuxe] fQj kst kckn½

2010-11	0	247.79	247.79	106.15	141.64	43
2011-12	141.64	152.16	293.8	261.73	32.07	89
2012-13	32.07	482.24	514.31	204.13	310.18	40
2013-14	310.18	1399.24	1709.42	848.45	860.97	50
2014-15	860.97	547.54	1408.51	1324.42	84.09	94

¼uxj fuxe] y[kuÅ½

2010-11	0	1719.56	1719.56	703.07	1016.49	41
2011-12	1016.49	1056.94	2073.43	1711.37	362.06	83
2012-13	362.06	3346.29	3708.35	1543.33	2165.02	42
2013-14	2165.02	5009.36	7174.38	3609.78	3564.6	50
2014-15	3564.6	2359.75	5924.35	4141.21	1783.14	70

uxj i kfydk i fj "knk ¼ueuk ys[kk i jhf{kr&18½

2010-11	0	13.49	13.49	8.01	5.48	59
2011-12	5.48	8.32	13.80	11.08	2.72	80
2012-13	2.72	27.34	30.06	18.8	11.26	63
2013-14	11.26	57.61	68.87	33.83	35.04	49
2014-15	35.04	21.88	56.92	26.62	30.30	47

uxj i pk; rka ¼ueuk ys[kk i jhf{kr&33½

2010-11	0	363.47	363.47	190.31	173.16	52
2011-12	173.16	247.64	420.8	330.54	90.26	79
2012-13	90.26	779.58	869.84	536.49	333.35	62
2013-14	333.35	1543.87	1877.22	1114.88	762.34	59
2014-15	762.34	676.87	1439.21	832.19	607.02	58

	नगर पंचायत काकोरी	3.41
	नगर पंचायत मलीहाबाद	3.52
मऊ	नगर पालिका परिषद मऊ	55.01
	नगर पंचायत अदरी	3.62
	नगर पंचायत दोहरी घाट	5.56
	नगर पंचायत कोपागंज	6.58
सीतापुर	नगर पालिका परिषद खैराबाद	10.48
	नगर पंचायत महमूदाबाद	9.48
	नगर पंचायत सीतापुर	48.82
	नगर पंचायत हरगाँव	4.19
	नगर पंचायत पैतेपुर	2.34
	नगर पंचायत तम्बौर	3.32
सुल्तानपुर	नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर	41.30
	नगर पंचायत दोस्तपुर	3.94
	नगर पंचायत कोयरीपुर	4.89
		1]442-20

(स्रोत: चयनित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर)

5.5
 x'g dj dh ol y'h
 (संदर्भ: प्रस्तर सं. 5.6.4; पृष्ठ 98)

₹ yk[k e#

tui n dk uke	'kgjh LFkkuh; fudk; k dk uke	y{; %2010&15 rd fn, x; sy{; rFkk 1&4&10 dks i kj fEHkd vo'k'k dk ; kx½	2010&15 ds e/; d; okLrfod dj ol y'h	31&3&2015 dks x'g dj dh yfEcr ol y'h
अलीगढ़	नगर निगम, अलीगढ़	7,083.49	6,765.08	318.41
	नगर पालिका परिषद, अतरौली	60.55	52.44	8.11
	नगर पालिका परिषद, खैर	68.77	58.34	10.43
	नगर पंचायत, बेसवन	4.02	1.7	2.32
	नगर पंचायत, हरदुआगंज	32.15	17.03	15.12
	नगर पंचायत, जलाली	11.43	1.98	9.45
	नगर पंचायत, कौड़ियागंज	16.15	7.64	8.51
	नगर पंचायत, विजयगढ़	10.44	7.19	3.25
बहराइच	नगर पालिका परिषद, बहराइच	433.62	359.59	74.03
	नगर पालिका परिषद, नानपारा	28.8	21.81	6.99
	नगर पंचायत, जरवल	4.54	2.94	1.60
	नगर पंचायत, रिसिया	14.73	7.45	7.28
इटावा	नगर पालिका परिषद, भरथना	32.88	22.26	10.62
	नगर पालिका परिषद, इटावा	219.38	219.38	0.00
	नगर पंचायत, बकेवर	8.33	6.8	1.53
	नगर पंचायत, लखना	6.74	3.46	3.28
फिरोजाबाद	नगर निगम, फिरोजाबाद	895.05	855.83	39.22
	नगर पालिका परिषद, शिकोहाबाद	216.2	139.91	76.29
	नगर पंचायत, फरीहा	22.06	6.67	15.39
	नगर पंचायत, जसराना	12.2	4.56	7.64
गौतम बुद्ध नगर	नगर पालिका परिषद, दादरी	93.78	77.93	15.85
	नगर पंचायत, बिलासपुर	7.95	4.98	2.97
	नगर पंचायत, जहांगीरपुर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
	नगर पंचायत, रबुपुरा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
गाजीपुर	नगर पालिका परिषद, गाजीपुर	68.01	27.77	40.24
	नगर पालिका परिषद, मोहम्मदाबाद	20.22	11.86	8.36
	नगर पंचायत, बहादुरगंज	13.83	6.3	7.53
	नगर पंचायत, जंगीपुर	16.99	10.31	6.68
	नगर पंचायत, सैदपुर	(अधिमोपित नहीं)	-	-
गोण्डा	नगर पालिका परिषद, गोण्डा	69.46	22.27	47.19
	नगर पालिका परिषद, नवाबगंज	31.26	24.83	6.43
	नगर पंचायत, कटरा	27.9	16.97	10.93
	नगर पंचायत, मनकापुर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

ललितपुर	नगर पालिका परिषद, ललितपुर	221.05	180.94	40.11
	नगर पंचायत, मेहरौनी	7.14	7.58	-0.44
	नगर पंचायत, तालबेहट	21.67	18.83	2.84
लखनऊ	नगर निगम, लखनऊ	63,349.00	49,433.00	13,916.00
	नगर पंचायत, अमेठी	(अधिरोपित नहीं)	-	-
	नगर पंचायत, गोसांईगंज	(अधिरोपित नहीं)	-	-
	नगर पंचायत, मलीहाबाद	47.71	20.1	27.61
	नगर पंचायत, काकोरी	28.43	8.18	20.25
मऊ	नगर पालिका परिषद, मऊ	364.12	352.28	11.84
	नगर पंचायत, अदरी	(अधिरोपित नहीं)	-	-
	नगर पंचायत, दोहरी घाट	3.59	2.81	0.78
	नगर पंचायत, कोपागंज	5.9	2.61	3.29
सीतापुर	नगर पालिका परिषद, खैराबाद	33.02	22.02	11
	नगर पंचायत, महमूदाबाद	20.38	17.45	2.93
	नगर पंचायत, सीतापुर	294.43	277.22	17.21
	नगर पंचायत, हरगॉव	21.29	14.11	7.18
	नगर पंचायत, पैतेपुर	17.52	0.02	17.50
	नगर पंचायत, तम्बौर	10.65	5.12	5.53
सुल्तानपुर	नगर पालिका परिषद, सुल्तानपुर	2,159.49	154.94	2,004.55
	नगर पंचायत, दोस्तपुर	13.26	8.48	4.78
	नगर पंचायत, कोइरीपुर	6.14	5.4	0.74
dy		76,155.72	59,296.37	16,859.35

(स्रोत: चयनित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर)

5.6

'kgjh LFKkuh; fudk; k ds [kkrk e foyEc l s tek fd; s x; s vuŋku dk fooj .k
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 5.6.5; पृष्ठ 99)

Ø0 l 0	'kgjh LFKkuh; fudk; k dk uke	5 fnu dh vuŋg vof/k ?kVkus ds ckn foyEc vof/k dh i jkl
1.	नगर निगम, अलीगढ़	0-45
2.	नगर निगम, फिरोजाबाद	0-45
3.	नगर निगम, लखनऊ	0-45
4.	नगर पालिका परिषद, अतरौली	0-45
5.	नगर पालिका परिषद, बहराइच	0-16
6.	नगर पालिका परिषद, भरथना	0-45
7.	नगर पालिका परिषद, दादरी	0-45
8.	नगर पालिका परिषद, इटावा	0-45
9.	नगर पालिका परिषद, गाजीपुर	0-45
10.	नगर पालिका परिषद, गोण्डा	0-45
11.	नगर पालिका परिषद, खैर	0-45
12.	नगर पालिका परिषद, खैराबाद	0-45
13.	नगर पालिका परिषद, ललितपुर	0-45
14.	नगर पालिका परिषद, मऊ	0-22
15.	नगर पालिका परिषद, महमूदाबाद	0-16
16.	नगर पालिका परिषद, मोहम्मदाबाद	0-45
17.	नगर पालिका परिषद, नवाबगंज	0-22
18.	नगर पालिका परिषद, नानपारा	0-16
19.	नगर पालिका परिषद, शिकोहाबाद	0-45
20.	नगर पालिका परिषद, सीतापुर	0-16
21.	नगर पालिका परिषद, सुल्तानपुर	0-17
22.	नगर पंचायत, अदरी	0-22
23.	नगर पंचायत, अमेठी	0-45
24.	नगर पंचायत, बकेवर	0-100
25.	नगर पंचायत, बहादुरगंज	0-45
26.	नगर पंचायत, बेसवन	0-45
27.	नगर पंचायत, बिलासपुर	0-100
28.	नगर पंचायत, दोहरीघाट	0-22
29.	नगर पंचायत, दोस्तपुर	0-218
30.	नगर पंचायत, फरीहा	0-100
31.	नगर पंचायत, गोसाईगंज	0-45
32.	नगर पंचायत, हरदुआगंज	0-45
33.	नगर पंचायत, हरगाँव	0-17
34.	नगर पंचायत, जहांगीरपुर	0-100
35.	नगर पंचायत, जलाली	0-45
36.	नगर पंचायत, जंगीपुर	0-45
37.	नगर पंचायत, जरवल	0-17
38.	नगर पंचायत, जसराना	0-100

39.	नगर पंचायत, काकोरी	0-45
40.	नगर पंचायत, कौड़ियागंज	—
41.	नगर पंचायत, कटरा	0-23
42.	नगर पंचायत, कोयरीपुर	0-218
43.	नगर पंचायत, कोपागंज	0-22
44.	नगर पंचायत, लखना	0-100
45.	नगर पंचायत, मलीहाबाद	—
46.	नगर पंचायत, मनकापुर	0-23
47.	नगर पंचायत, मेहरौनी	0-45
48.	नगर पंचायत, पैतेपुर	—
49.	नगर पंचायत, रबुपुरा	0-45
50.	नगर पंचायत, रिसिया	0-212
51.	नगर पंचायत, सैदपुर	0-16
52.	नगर पंचायत, तालबेहट	0-45
53.	नगर पंचायत, तम्बौर	0-45
54.	नगर पंचायत, विजयगढ़	—

(स्रोत: नमूना जॉच शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त करायी गयी सूचना के आधार पर)

i f j f' k"V 5.7

uxj i kfydk i f j "kn] ekgEenkckn] xkthi g e de vupku voeDr fd; k tkukA

(सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 5.6.6; पृष्ठ 99)

₹ yk[k e

Ø	fun' kd LFkkuh; fudk; dk vkns' k l a[; k	voeDr djus dh frfFk	uxj i kfydk i f j "kn ds fy, voeDr /kujkf' k	i atkc us' kuy cid ds cpr [kkrk l a[; k 0662000106267877 e okLro e tek /kujkf' k	vUj
1	आदेश सं0-08/1270/11-12	3.8.2011	16.56	16.15	0.41
2	आदेश सं0-08/3066(GBG)/12-13	8.8.2012	17.24	16.81	0.43
3	आदेश सं0-08/3067(GPG)/12-13	8.8.2012	11.14	10.86	0.28
4	आदेश सं0-08/3349(GPG)/12-13	13.10.2012	5.82	5.68	0.14
5	आदेश सं0-08/3348(GBG)12-13	13.10.2012	18.27	17.82	0.45
6	आदेश सं0-08/2335/(GPG)/12-13	3.4.2013	13.16	12.83	0.33
7	आदेश सं0-08/2334(GBGFFG)/12-13	3.4.2013	9.49	9.25	0.24
8	आदेश सं0-08/4558/92(1)(GBG)-13-14	17.5.2013	20.12	19.62	0.50
9	आदेश सं0-08/4569/92(1)(GPG-2)/13-14	27.5.2013	13.16	12.83	0.33
10	आदेश सं0-08/4855/92(1)(GBG-1)/13-14	22.7.2013	21.94	21.39	0.55
11	आदेश सं0-08/5458/92(1)(GBG-2)/13-14	28.2.2014	21.01	20.48	0.53
12	आदेश सं0-08/5400/92(1)(GPG-1)/13-14	1.2.2014	14.98	14.60	0.38
13	आदेश सं0-08/5542/92(1)(GPG-2)/13-14	31.3.2014	14.36	13.99	0.36
14	आदेश सं0-08/6017/92(1)(GBG-1)/13-14	20.10.2014	21.47	20.94	0.54
	dy		218.72	213.25	5.47

(स्रोत: नगर पालिका परिषद, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर)

5.8

इस अनुच्छेद में, नगरपालिकाको विकासका लागि आवश्यकता अनुसार नाली र इन्टरलाकिंगको निर्माणको बारेमा जानकारी दिएको छ।

(सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 5.6.7; पृष्ठ 100)

₹ यक [क ए]

क्र.सं.	विवरण	₹ यक [क ए]
1	एन०सी०सी० स्कूल से उपाध्याय मोहल्ला तक नाली एवं इन्टरलाकिंग निर्माण।	3.17
2	श्मशान भूमि तक पहुँचने वाली सम्पर्क मार्ग की इन्टरलाकिंग एवं अनुरक्षण।	3.00
3	भडभूजा वाली गली मोहल्ला शिकरवार में इन्टरलाकिंग कार्य।	0.34
4	भोजराज के घर से महेश के घर तक नाली एवं इन्टरलाकिंग निर्माण।	1.94
5	राजकुमार के घर से तेजप्रताप शर्मा के घर तक सीमेंट इन्टरलाकिंग का निर्माण।	4.25
6	मोहल्ला-टी०ए० मार्ग से रामलीला मैदान तक इन्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण।	4.52
7	ब्लाक कालोनी वार्ड नं० 19 में इन्टरलाकिंग खडंजा एवं नाली निर्माण।	9.81
8	पेय जल आपूर्ति के सम्बन्ध में सबमर्सिबल पम्प, मुख्य स्विच एवं स्टार्टर अनुरक्षण पर व्यय।	1.28
9	शेर सिंह, अशोक के बगल वाली गली में, नरेश मेडिकल के सामने वार्ड नं० 3 में इन्टरलाकिंग एवं नाली का निर्माण।	1.66
10	पेय जल आपूर्ति अन्तर्गत हैण्डपम्प अवस्थापन।	8.80
11	पेयजल आपूर्ति अन्तर्गत हैण्डपम्प स्थापना।	3.08
12	पेयजल आपूर्ति अन्तर्गत हैण्डपम्प स्थापना।	6.60
13	पेयजल आपूर्ति अन्तर्गत हैण्डपम्प रिबोर।	1.65
14	पेयजल आपूर्ति अन्तर्गत हैण्डपम्प रिबोर।	3.06
कुल		53-16

(स्रोत: नगरपालिका परिषद, खैर, अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर)

i fjf' k"V 5.9

dk; ĩnk; h , tđl h dks i nku fd; k x; k vfxæ

(सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 5.6.8; पृष्ठ 100)

¼1½ uxj fuxe] vyhx<+

₹ yk[k e½

Ø0 l 0	o"kl	dk; ĩnk; h , tđl h dks i nku fd; k x; k vfxæ	vfxæ dh /kuj kf' k
1	2013-14	जल निगम, अलीगढ़	46.26
2	2014-15	जल निगम, अलीगढ़	535.26
dy			581-52

(स्रोत: जलकल विभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रदान की गयी सूचना के आधार पर)

¼2½ uxj fuxe] y[kuÅ

₹ yk[k : i ; s e½

Ø0 l 0	o"kl	dk; ĩnk; h , tđl h dks i nku fd; k x; k vfxæ	vfxæ dh /kuj kf' k
1	2013-14	जल निगम, लखनऊ	2.00
2	2014-15	जल निगम, लखनऊ	107.59
; ksx			109.59
dy			691-11

(स्रोत: जल संस्थान लखनऊ द्वारा प्रदान की गयी सूचना के आधार पर)

5.10
 (सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 5.6.10; पृष्ठ 101)

₹ yk[k e#

tuin dk uke	'kgjh LFkkuh; fudk; dk uke	, Q0, y0I h@pkVM , dkm. Vs V l s vup;k dh frffk	fd; k x; k 0; ;	fd; k x; k dk; l
अलीगढ़	नगर निगम अलीगढ़	मई 2009, मई 2011	—	2009-10 से 2013-14 तक का तुलन पत्र तैयार किया गया था।
	नगर पालिका परिषद अतरौली	दिसम्बर 2011	0.60	वर्ष 2009-10 का तुलन पत्र तैयार किया गया था।
	नगर पालिका परिषद खेर	मई 2011	3.39	वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 की लेखाओं का अन्तिमीकरण प्रक्रिया में था दोहरी लेखा प्रणाली को क्रियान्वित नहीं किया गया था।
	नगर पंचायत बेसवन	मार्च 2011	1.25	वर्ष 2009-10 का तुलन पत्र तैयार किया गया था।
	नगर पंचायत हरदुआगंज	मई 2011	0.85	किसी भी वर्ष की लेखाओं को चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा तैयार किया गया था। दोहरी लेखा प्रणाली को क्रियान्वित नहीं किया गया था।
	नगर पंचायत जलाली	मई 2011	0.35	एजेन्सी द्वारा कोई लेखा तैयार नहीं किया गया था।
	नगर पंचायत कौड़ियागंज	उपलब्ध नहीं	1.89	एजेन्सी द्वारा कोई लेखा तैयार नहीं किया गया था।
	नगर पंचायत विजयगढ़	मई 2011	3.2	एजेन्सी द्वारा केवल प्रा0 अवशेष ही नहीं तैयार किया गया था बल्कि 2009-10 से 2012-13 तक लेखे तैयार किये गये थे।
बहराइच	नगर पालिका परिषद बहराइच	मई 2011	2.75	2009-10 तक तुलन पत्र तैयार किया गया था। दोहरी लेखा प्रणाली क्रियान्वित नहीं की गयी थी।
	नगर पालिका परिषद नानपारा	—	—	—
	नगर पंचायत जरवल	नवम्बर 2012	1.6	2009-10 तक तुलन पत्र तैयार किया गया था। दोहरी लेखा प्रणाली क्रियान्वित नहीं की गयी थी।
	नगर पंचायत रिसिया	—	0.00	—
इटवा	नगर पालिका परिषद भरथना	फरवरी 2011	5.8	एक वर्ष का तुलन पत्र तैयार किया गया था।
	नगर पालिका परिषद इटावा	मई 2012	0.5	एक वर्ष का तुलन पत्र तैयार किया गया था।
	नगर पंचायत बकेवर	जनवरी 2011	7.50	एक वर्ष का तुलन पत्र तैयार किया गया था।
	नगर पंचायत लखना	उपलब्ध नहीं	6.6	एक वर्ष का तुलन पत्र तैयार किया गया था।
फिरोजाबाद	नगर निगम फिरोजाबाद	उपलब्ध नहीं	0.00	2009-10 से 2013-14
	नगर पालिका परिषद शिकोहाबाद	अप्रैल 2011	0.50	दोहरी लेखा प्रणाली को क्रियान्वित नहीं किया गया था।
	नगर पंचायत फरीहा	सितम्बर 2011	5.21	2009-10 की लेखाओं को चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा तैयार किया गया था। दोहरी लेखा प्रणाली को क्रियान्वित नहीं किया गया था।
	नगर पंचायत जसराना	उपलब्ध नहीं	2.00	किसी वर्ष के लेखाओं को चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा तैयार नहीं किया गया था। दोहरी लेखा प्रणाली को क्रियान्वित नहीं किया गया था।
गौतम बुद्ध नगर	नगर पालिका परिषद दादरी	अगस्त 2011	5.27	वर्ष 2009-10 का तुलन पत्र तैयार किया गया था।
	नगर पंचायत बिलासपुर	जुलाई 2011	2.14	वर्ष 2009-10 का तुलन पत्र तैयार किया गया था।
	नगर पंचायत जहांगीरपुर	उपलब्ध नहीं	1.08	वर्ष 2009-10 का तुलन पत्र तैयार किया गया था।
	नगर पंचायत रबुपुरा	उपलब्ध नहीं	1.08	वर्ष 2009-10 का तुलन पत्र तैयार किया गया था।
गाजीपुर	नगर पालिका परिषद गाजीपुर	जून 2011	4.00	वर्ष 2009-10 का तुलन पत्र तैयार नहीं किया गया था।
	नगर पालिका परिषद मोहम्मदाबाद	अक्टूबर 2012	2.95	चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा वर्ष 2009-10 का लेखा तैयार किया गया था। दोहरी लेखा प्रणाली को कार्यान्वित नहीं किया गया था।

	नगर पंचायत बहादुरगंज	अप्रैल 2011	1.2	इस सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं किया गया था।
	नगर पंचायत जंगीपुर	नवम्बर 2011	2.00	वर्ष 2009-10 का तुलन पत्र तैयार किया गया था।
	नगर पंचायत सैदपुर	नवम्बर 2011	0.80	दोहरी लेखा प्रणाली को क्रियान्वित नहीं किया गया था।
गोण्डा	नगर पालिका परिषद गोण्डा	अप्रैल 2011	2.37	2009-10 तक तुलन पत्र तैयार किया गया था। दोहरी लेखा प्रणाली क्रियान्वित नहीं की गयी थी।
	नगर पालिका परिषद नवाबगंज	—	—	—
	नगर पंचायत कटरा	उपलब्ध नहीं	0.85	एक वर्ष का तुलन पत्र तैयार किया गया था।
	नगर पंचायत मनकापुर	—	—	—
ललितपुर	नगर पालिका परिषद ललितपुर	नवम्बर 2011	1.60	2009-10 का तुलन पत्र तैयार किया गया था।
	नगर पंचायत मेहरौनी	जून 2012	7.07	2009-10 का तुलन पत्र तैयार किया गया था।
	नगर पंचायत तालबेहट	जून 2011	10.30	2009-10 का तुलन पत्र तैयार किया गया था।
लखनऊ	नगर निगम लखनऊ	नवम्बर 2010	9.43	31-3-11 तक लेखाओं को तैयार किया गया था। दोहरी लेखा प्रणाली कार्यान्वित नहीं की गयी थी।
	नगर पंचायत अमेठी	उपलब्ध नहीं	0.92	2009-10 का तुलन पत्र तैयार किया गया था।
	नगर पंचायत गोसाईगंज	उपलब्ध नहीं	6.47	2009-10 का तुलन पत्र तैयार किया गया था।
	नगर पंचायत मलीहाबाद	उपलब्ध नहीं	0.93	वर्ष 2009-10 का तुलन पत्र तैयार किया गया था। दोहरी लेखा प्रणाली को क्रियान्वित नहीं किया गया था।
	नगर पंचायत काकोरी	उपलब्ध नहीं	2.16	वर्ष 2009-10 की प्रारम्भिक तुलन पत्र तैयार किया गया था। दोहरी लेखा प्रणाली कार्यान्वित नहीं की गयी थी।
मऊ	नगर पालिका परिषद मऊ	सितम्बर 2009	7.00	चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा 2009-10 से 2012-13 तक लेखाओं को तैयार किया गया था एवं जो नियमित प्रक्रिया में था।
	नगर पंचायत अदरी	उपलब्ध नहीं	2.04	2009-10 का तुलन पत्र तैयार किया गया था।
	नगर पंचायत दोहरी घाट	उपलब्ध नहीं	2.05	वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 का तुलन पत्र तैयार किया गया था।
	नगर पंचायत कोपागंज	मई 2012	1.1	2009-10 का तुलन पत्र तैयार किया गया था।
सीतापुर	नगर पालिका परिषद खैराबाद	अप्रैल 2011	2.59	2009-10 का तुलन पत्र तैयार किया गया था।
	नगर पालिका परिषद महमूदाबाद	अप्रैल 2011	3.64	दोहरी लेखा प्रणाली को क्रियान्वयन नहीं किया गया था।
	नगर पालिका परिषद सीतापुर	दिसम्बर 2012	1.12	तुलन पत्र एवं दोहरी लेखा प्रणाली आधारित लेखन नहीं तैयार किए गए थे।
	नगर पंचायत हरगँव	उपलब्ध नहीं	1.60	चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा केवल 60 प्रतिशत कार्य किया गया एवं मध्य में ही कार्य छोड़ दिया गया। प्रारम्भिक तुलन पत्र (अप्रैल 2009 का) नहीं तैयार किया गया था। दोहरी लेखा प्रणाली क्रियान्वयन नहीं की गयी थी।
	नगर पंचायत पैतेपुर, सीतापुर	मई 2012	2.02	तुलन पत्र एवं दोहरी लेखा प्रणाली आधारित लेखाओं को तैयार नहीं किया गया था। कार्य को चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा बीच में ही छोड़ दिया गया।
	नगर पंचायत तम्बौर	मार्च 2012	0.81	2009-10 का तुलन पत्र तैयार किया गया था।
सुल्तानपुर	नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर	फरवरी 2012	4.49	चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा अप्रैल 2009 का प्रारम्भिक तुलन पत्र तैयार किया गया था। दोहरी लेखा प्रणाली को क्रियान्वित नहीं किया गया था।
	नगर पंचायत दोस्तपुर	उपलब्ध नहीं	0.00	फील्ड लेवल कन्सल्टेण्ट को दोहरी लेखा प्रणाली संबंधी तुलन पत्र तैयार करने के लिए नहीं रखा गया था।
	नगर पंचायत कोइरीपुर	मार्च 2012	2.50	केवल अप्रैल 2009 का प्रारम्भिक तुलन पत्र चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा तैयार किया गया था। दोहरी लेखा प्रणाली को क्रियान्वित नहीं किया गया था।
			137-57	

(स्रोत: नमूना जॉच शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर)

5.11

0; ;

(सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 5.7.2; पृष्ठ 102)

₹ yk[k e#

2010&11				
tuin dk uke	uxj fuxe dk uke	o"kl	vLohdk; l dk; l dh ykxr	dk; l dk i dkj
अलीगढ़	नगर निगम अलीगढ़	2010-11	30.28	सोडियम प्रकाश एवं चोक आदि का क्रय।
			dy	30-28
tuin dk uke	uxj ikfydk ifj"kn dk uke	o"kl	vLohdk; l dk; l dh ykxr	dk; l dk i dkj
अलीगढ़	नगर पालिका परिषद अतरौली	2010-11	2.60	अहिरमान बहरावत मार्ग पर शवदाह गृह का निर्माण।
		2010-11	2.29	सी0एफ0एल0/तार/होल्डर आदि का क्रय।
बहराइच	नगर पालिका परिषद बहराइच	2010-11	29.43	इण्टरलाकिंग, सी0सी0 मार्ग, हैण्डपम्प, सी0एफ0एल0 आदि
	नगर पालिका परिषद नानपारा	2010-11	15.33	इण्टरलाकिंग
इटावा	नगर पालिका परिषद इटावा	2010-11	47.44	सी0सी0 रोड का निर्माण, सी0एफ0एल0 का क्रय।
फिरोजाबाद शिकोहाबाद	नगर पालिका परिषद शिकोहाबाद	2010-11	3.17	मार्ग का अनुरक्षण
		2010-11	0.55	जलकल परिसर में घरों (आवासों) का अनुरक्षण
		2010-11	0.89	चहारदीवारी का निर्माण
		2010-11	1.06	गाड़ियों की धुलाई का प्लेटफार्म
		2010-11	4.72	गैरेज का निर्माण
गौतम बुद्ध नगर	नगर पालिका परिषद दादरी	2010-11	3.87	ग्राम गढ़ी मुख्य मार्ग पर सी0सी0 रोड का निर्माण
		2010-11	0.98	सोडियम लाइट का क्रय।
ललितपुर	नगर पालिका परिषद ललितपुर	2010-11	2.47	सोडियम प्रकाश का पूर्ण सेट के साथ क्रय
		2010-11	16.28	बी0एस0ए0 कार्यालय से हास्पिटल द्वार तक सी0सी0 रोड एवं मन्दिर में घाट का निर्माण
		2010-11	11.08	नगर पालिका परिषद परिसर क्षेत्र के मानचित्र हेतु जी0आई0एस0 सर्वेक्षण
मऊ	नगर पालिका परिषद मऊ	2010-11	12.06	विद्युत उपकरणों का क्रय एवं मृदा कार्य।
सीतापुर	नगर पालिका परिषद खैराबाद	2010-11	5.92	सी0एफ0एल0 लाइट का क्रय, मार्ग की इण्टरलाकिंग एवं फड निर्माण
		2010-11	0.77	सोडियम एवं सी0एफ0एल0 लाइट का क्रय।
	नगर पालिका परिषद महमूदाबाद	2010-11	1.62	इंडिया मार्का-II हैण्ड पम्प की रिवोरिंग का कार्य।
		2010-11	1.67	इंडिया मार्का-II हैण्ड पम्प की रिवोरिंग का कार्य।
			dy	164-20
tuin dk uke	uxj ipk; r dk uke	o"kl	dk; l dh ykxr	dk; l dk i dkj
अलीगढ़	नगर पंचायत बेसवां	2010-11	0.82	हैण्ड पम्प पार्ट्स एवं बैटरी इन्वर्टर
		2010-11	0.68	श्मशान घाट में शवदाह गृह का निर्माण
	नगर पंचायत विजयगढ़	2010-11	2.90	हैण्ड पम्प अवस्थापन, शवदाह गृह एवं सड़क बिजली पर व्यय।
	नगर पंचायत जलाली	2010-11	4.03	हैण्ड पम्प अधिष्ठापन, सी0एफ0एल0 आदि का क्रय पर व्यय।

बहराइच	नगर पंचायत जरवल	2010-11	0.67	सी0एफ0एल0 क्रय पर व्यय।
फिरोजाबाद	नगर पंचायत फरीहा	2010-11	0.99	सीमेण्ट कांक्रीट रोड का निर्माण।
			0.47	जेनरेटर कक्ष का निर्माण
	नगर पंचायत जसराना	2010-11	0.65	फेन्सिंग कार्य
गौतम बुद्ध नगर	नगर पंचायत बिलासपुर	2010-11	2.56	शीलू चौधरी फुटपाथ के सामने टाइल्स इंटरलाकिंग निर्माण
		2010-11	0.36	सोडियम लैम्प क्रय
	नगर पंचायत जहांगीरपुर	2010-11	2.68	जेवर खुर्जा रोड से सरल स्कूल के कोने तक टाइल्स इंटरलाकिंग/नाली निर्माण
		2010-11	0.29	ट्यूबलाइट और संधारित्र खरीद आदि।
गाजीपुर	नगर पंचायत बहादुरगंज	2010-11	3.03	वहीद भवर से प्रेम हरिजन के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण।
गोण्डा	नगर पंचायत कटरा	2010-11	1.59	हैण्ड पम्प अधिष्ठापन, शवदाह गृह निर्माण में विद्युत सामग्री एवं निर्माण पर व्यय।
ललितपुर	नगर पंचायत तालबेहट	2010-11	0.93	सोडियम लाइट एवं चोक का क्रय।
		2010-11	1.85	देशराज से मुकेश के मकान तक सी0सी0 रोड/नाली निर्माण।
		2010-11	1.19	सोडियम लैम्प एवं चोक का क्रय।
		2010-11	1.72	अहिरवार बस्ती में सी0सी0 रोड।
	नगर पंचायत मेहरौनी	2010-11	1.98	शम्भू भोडाले से वहीद बाबू तक सी0सी0 रोड
लखनऊ	नगर पंचायत अमेठी	2010-11	0.42	सोडियम लाइट का क्रय
	नगर पंचायत मलीहाबाद	2010-11	4.94	सी0सी0 रोड, इंटरलाकिंग, सड़क विद्युतीकरण का निर्माण।
मऊ	नगर पंचायत कोपागंज	2010-11	7.57	सी0सी0 इंटरलाकिंग एवं सोडियम लाइट
सीतापुर	नगर पंचायत हरगाँव	2010-11	2.02	फागिंग मशीन
			0.16	इन्वर्टर बैटरी
				सी0एफ0एल0 खरीद
			0.40	विद्युत सामग्री खरीद
			2.04	रोड इंटरलाकिंग निर्माण
	नगर पंचायत पैतेपुर	2010-11	2.51	सी0एफ0एल0, हैण्डपम्प का क्रय एवं सी0सी0 रोड का निर्माण
नगर पंचायत तम्बौर	2010-11	0.88	6 इंडिया मार्का-II हैण्डपम्प अधिष्ठापन एवं अनुरक्षण	
सुल्तानपुर	नगर पंचायत कोइरीपुर	2010-11	2.50	सीमेण्ट कंक्रीट रोड का निर्माण
			dy	53-18
			Lkdy ; kx	247-66
2011&15				
tui n dk uke	uxj fuxe dk uke	o"kl	dk; l dh ykxr	dk; l dk i dkj
अलीगढ़	नगर निगम अलीगढ़	2012-15	537.69	हैण्डपम्प की अवस्थापन एवं रिबोरिंग।
लखनऊ	नगर निगम लखनऊ	2011-12	38.10	सी0एफ0एल0 लाइट/आटोमैटिक मार्ग प्रकाश का क्रय
tui n dk uke	uxj i kfydk i fj "kn dk uke	o"kl	dk; l dh ykxr	dk; l dk i dkj
अलीगढ़	नगर पालिका परिषद अतरौली	2013-14	20.96	इंटरलाकिंग रोड का निर्माण एवं पुखागढ़ी ट्रांसफार्मर से पाली रोड हाजी शकूर हड्डी गोदाम तक मरम्मत एवं निर्माण।

		2013-14	20.11	फारुक के खेत से बाबू खरीदी के दुकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण
	नगर पालिका परिषद खैर	2013-14	0.83	कर्मचारियों के वेतन से लाइफ इश्योरेन्स हेतु जी0आई0एस0 की कटौती
			5.80	स्पीड ब्रेकर का निर्माण
			21.53	हैण्डपम्प अवस्थापन
			0.27	विधिक शुल्क का भुगतान
बहराइच	नगर पालिका परिषद बहराइच	2011-12	1.72	इण्टरलाकिंग एवं हैण्डपम्प।
	नगर पालिका परिषद नानपारा	2012-13	18.95	तालाब सौन्दर्यीकरण।
गौतम बुद्ध नगर	नगर पालिका परिषद दादरी	2012-13	12.02	मृदा कार्य एवं पम्प हाऊस निर्माण।
गाजीपुर	नगर पालिका परिषद गाजीपुर	2012-13	0.88	इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापन
सीतापुर	नगर पालिका परिषद खैराबाद	2011-12	1.53	हैण्डपम्प के मरम्मत का सामान का क्रय
		2013-14	2.18	8 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन
	नगर पालिका परिषद महमूदाबाद	2012-13	8.10	इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन
	नगर पालिका परिषद सीतापुर	2013-14	59.48	हैण्डपम्प अधिष्ठापन
		2013-14	3.16	इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प हेतु उपकरण
		2011-12	3.90	इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण
			0.59	यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण
		2012-13	2.25	वाटर टैंकर्स
2013-14	4.67	वाटर टैंकर्स		
सुल्तानपुर	नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर	2011-12	5.00	इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापन
dy			193-92	
tuin dk uke	uxj ipk; r dk uke	o"kl	dk; l dh ykxr	dk; l dk i dkj
अलीगढ़	नगर पंचायत बेसवां	2012-13	3.58	डम्पिंग स्थल हेतु सम्पर्क मार्ग
	नगर पंचायत जलाली	2012-14	31.08	विद्युत सामग्री आदि।
	नगर पंचायत कौड़ियागंज	2011-12	1.00	हैण्ड पम्प अधिष्ठापन।
	नगर पंचायत विजयगढ़	2013-14	2.33	हैण्ड पम्प अधिष्ठापन।
बहराइच	नगर पंचायत जरवल	2012-14	2.81	फांगिक मशीन आदि।
इटावा	नगर पंचायत बकेवर	2011-13	9.57	इण्टरलाकिंग कार्य/सी0एफ0एल एवं फांगिक मशीन पर क्रय।
गौतम बुद्ध नगर	नगर पंचायत बिलासपुर	2014-15	20.86	इण्टरलाकिंग टाइल्स/नाली का निर्माण
	नगर पंचायत जहांगीरपुर	2013-14	5.66	होली चौक में टाइल्स इण्टरलाकिंग एवं पुलिया निर्माण
		2014-15	11.40	बंटी के घर से रमेश दूधिया के घर तक एवं नरेन्द्र के घर से देवेन्द्र शर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग टाइल्स/नाली निर्माण
	नगर पंचायत रबुपुरा	2012-13	8.16	सिनेमा घर से सरस्वती स्कूल तक टाइल्स इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण।
गाजीपुर	नगर पंचायत बहादुरगंज	2011-12	2.49	हैण्ड पम्प सामग्री
	नगर पंचायत जंगीपुर	2011-12	3.33	पूर्ण फीटिंग के साथ सोडियम लाइट का क्रय
		2011-12	8.87	अमेरिकन यादव के मकान से जनता स्कूल तक सी0सी0 रोड निर्माण
		2012-13	3.31	इण्डिया मार्क हैण्डपम्प

		2013-14	9.18	28 हैण्डपम्प अवस्थापन
	नगर पंचायत सैदपुर	2011-12	12.08	सीमेण्ट क्रांकीट रोड एवं सटी हुयी दीवार का निर्माण
गोण्डा	नगर पंचायत कटरा	2012-15	0.89	हैण्डपम्प अवस्थापन
ललितपुर	नगर पंचायत तालबेहट	2013-14	1.62	फोटो कापी मशीन, स्टेबिलाइजर, ट्राली आदि का क्रय
	नगर पंचायत मेहरौनी	2012-13	0.75	फोटो कापी मशीन का क्रय
लखनऊ	नगर पंचायत अमेठी	2012-13	1.03	हैण्डपम्प अनुरक्षण
		2014-15	13.00	हैण्डपम्प अवस्थापन
	नगर पंचायत गोसांईगंज	2011-12	6.18	पम्प हाउस एवं स्टाफ क्वार्टर अनुरक्षण
	नगर पंचायत मलीहाबाद	2011-15	14.38	इंटरलाकिंग निर्माण
मऊ	नगर पंचायत कोपागंज	2011-15	10.77	हैण्डपम्प अवस्थापन एवं आर0ओ0 फ्रीजर
सीतापुर	नगर पंचायत पैतेपुर	2012-15	8.73	फांगिंग मशीन, हैण्डपम्प आदि
	नगर पंचायत तम्बौर	2011-12	1.87	इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प सामग्री का क्रय
		2011-12	0.41	प्रकाश सामग्री का क्रय
सुल्तानपुर	नगर पंचायत दोस्तपुर	2011-12	0.84	हार्ड मास्ट
		2013-14	1.04	सी0सी0 रोड एवं ग्रिल
		2014-15	7.70	पुलिया रोड का निर्माण
		2011-12	2.05	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प
		2011-12	0.19	सी0एफ0एल0 क्रय
dy			207-16	
Lkdy ; kx			976-88	

(स्रोत: नमूना जांच की गयी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर)

5.12
 (सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 5.7.3 पृष्ठ 103)

₹ yk[k e

tuin dk uke	uxj i pk; r dk uke	vkoWu	fd; k x; k 0; ;	vo' k'k
अलीगढ़	नगर पंचायत बेसवां	52.35	42.88	9.47
	नगर पंचायत हरदुआगंज	99.81	85.92	13.89
	नगर पंचायत जलाली	150.73	150.85	-0.12
	नगर पंचायत कौड़ियागंज	85.81	77.86	7.95
	नगर पंचायत विजयगढ़	57.45	49.77	7.68
बहराइच	नगर पंचायत जरवल	122.85	125.16	-2.31
	नगर पंचायत रिसिया	93.33	93.33	0
इटावा	नगर पंचायत बकेवर	115.43	93.75	21.68
	नगर पंचायत लखना	115.27	98.89	16.38
फिरोजाबाद	नगर पंचायत फरीहा	76.12	73.87	2.25
	नगर पंचायत जसराना	103.58	86.65	16.93
गौतम बुद्ध नगर	नगर पंचायत बिलासपुर	62.42	39.55	22.87
	नगर पंचायत जहांगीरपुर	66.24	48.93	17.31
	नगर पंचायत रबुपुरा	91.3	42.86	48.44
गाजीपुर	नगर पंचायत बहादुरगंज	158.55	103.16	55.39
	नगर पंचायत जंगीपुर	111.29	84.1	27.19
	नगर पंचायत सैदपुर	226.68	217.11	9.57
गोण्डा	नगर पंचायत कटरा	48.05	50.32	-2.27
	नगर पंचायत मनकापुर	73.45	73.45	0
ललितपुर	नगर पंचायत मेहरौनी	105.06	84.53	20.53
	नगर पंचायत तालबेहट	145.89	116.45	29.44
लखनऊ	नगर पंचायत अमेठी	116.58	53.31	63.27
	नगर पंचायत गोसाईंगंज	84.46	63.18	21.28
	नगर पंचायत मलीहाबाद	113.63	113.63	0
	नगर पंचायत काकोरी	124.91	116.52	8.39
मऊ	नगर पंचायत अदरी	101.91	67.76	33.4
	नगर पंचायत दोहरी घाट	97.43	41.76	55.67
	नगर पंचायत कोपागंज	262.96	253.42	9.54
सीतापुर	नगर पंचायत हरगाँव	156.55	122.99	33.56
	नगर पंचायत पैतेपुर	75.41	72.92	2.49
	नगर पंचायत तम्बौर	150.8	147.42	3.38
सुल्तानपुर	नगर पंचायत दोस्तपुर	103.16	75.44	27.72
	नगर पंचायत कोइरीपुर	62.69	42.04	20.65
		dy	3]009-78	

(स्रोत: नमूना जांच की गयी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रदत्त सूचना)

i f j f' k"V 5.13

viz; Pr@vfodfl r dMk MfEi & LFky dk foofj.k
(सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 5.11.3.1 एवं 5.12.3.1 पृष्ठ 115 एवं 120)

uxj i kfydk i f j "kn

₹ yk[k ek

क्र.सं.	tuin dk uke	uxj i kfydk i f j "kn dk uke	dMk MfEi & LFky dk Ø; @ fuekZ k gsrq fd; k x; k 0; ;	dMk MfEi & LFky dks mi ; kx ea u fy, tkus dk dkj .k
1.	अलीगढ़	नगर पालिका परिषद, अतरौली	14.60	अप्रयुक्त
		नगर पालिका परिषद, खैर	–	विवाद के कारण अप्रयुक्त
2.	गोण्डा	नगर पालिका परिषद, गोण्डा	7.92	अविकसित एवं अप्रयुक्त
		नगर पालिका परिषद, नवाबगंज	–	शहर से दूर होने एवं विवाद होने के कारण अप्रयुक्त
3.	ललितपुर	नगर पालिका परिषद, ललितपुर	–	अप्रयुक्त
4.	मऊ	नगर पालिका परिषद, मऊ	32.09	स्थल पर पर्याप्त जगह उपलब्ध न होने के कारण अप्रयुक्त
dy			54-61	

uxj i pk; r

क्र.सं.	tuin dk uke	uxj i pk; r dk uke	dMk MfEi & LFky fuekZ k@ [kjhn ij 0; ; /kujkf'k	dMk MfEi & LFky ds viz; Pr j gus dk dkj .k
1	अलीगढ़	नगर पंचायत, बेसवन	3.59	विवाद के कारण अप्रयुक्त
		नगर पंचायत, हरदुआगंज	7.49	खराब पहुँच मार्ग के कारण प्रयुक्त नहीं।
		नगर पंचायत, जलाली	7.60	पहुँच मार्ग विवाद
		नगर पंचायत, कौड़ियागंज	–	विवाद के कारण अप्रयुक्त
		नगर पंचायत, विजयगढ़	4.12	अविकसित एवं अप्रयुक्त
2	गोण्डा	नगर पंचायत, कटरा	2.61	कूड़ा डम्पिंग स्थल का विकास न होने के कारण
3	गाजीपुर	नगर पंचायत, बहादुरगंज	7.11	अपूर्ण कार्य के कारण अप्रयुक्त
		नगर पंचायत, सैदपुर	39.00	अप्रयुक्त
4	ललितपुर	नगर पंचायत, मेहरौनी	3.87	आंशिक प्रयोग
5	सीतापुर	नगर पंचायत, हरगँव	&	चहारदीवारी निर्माण न होने से अप्रयुक्त
		नगर पंचायत, तम्बौर	4.10	अप्रयुक्त
6	सुल्तानपुर	नगर पंचायत, दोस्तपुर	&	पहुँच मार्ग विवाद के कारण अप्रयुक्त
dy			75-62	

(स्रोत: नमूना जांच की गयी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रदत्त सूचना)

5.14

नगर पालिका परिषद; अतरौली
(सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 5.11.3.1 एवं 5.12.3.1 पृष्ठ 115 एवं 120)

नगर पालिका परिषद

नगर पालिका परिषद	नगर पालिका परिषद, अतरौली	नगर पालिका परिषद, अतरौली
अलीगढ़	नगर पालिका परिषद, अतरौली	240
	नगर पालिका परिषद, खैर	432
बहराइच	नगर पालिका परिषद, बहराइच	1940
	नगर पालिका परिषद, नानपारा	72
इटवा	नगर पालिका परिषद, भरथना	378
फिरोजाबाद	नगर पालिका परिषद, शिकोहाबाद	1672
गौतम बुद्ध नगर	नगर पालिका परिषद, दादरी	80
गाजीपुर	नगर पालिका परिषद, गाजीपुर	114
	नगर पालिका परिषद, मोहम्मदाबाद	39
गोण्डा	नगर पालिका परिषद, गोण्डा	1374
	नगर पालिका परिषद, नवाबगंज	130
ललितपुर	नगर पालिका परिषद, ललितपुर	78
मऊ	नगर पालिका परिषद, मऊ	2560
सीतापुर	नगर पालिका परिषद, खैराबाद	43.2
	नगर पालिका परिषद, मेहमूदाबाद	36
	नगर पालिका परिषद, सीतापुर	1800
सुल्तानपुर	नगर पालिका परिषद, सुल्तानपुर	1554
कुल		12]542-2

नगर पंचायत

नगर पंचायत	नगर पंचायत, बेसवां	नगर पंचायत, बेसवां
अलीगढ़	नगर पंचायत, बेसवां	10
	नगर पंचायत, हरदुआगंज	30
	नगर पंचायत, जलाली	18
	नगर पंचायत, कौड़ियागंज	15
	नगर पंचायत, विजयगढ़	9
बहराइच	नगर पंचायत, जरवल	40
	नगर पंचायत, रिसिया	15
इटवा	नगर पंचायत, बकेवर	15
	नगर पंचायत, लखना	30
फिरोजाबाद	नगर पंचायत, फरीहा	75
	नगर पंचायत, जसराना	90
गौतम बुद्ध नगर	नगर पंचायत, बिलासपुर	30
	नगर पंचायत, जहांगीरपुर	9
	नगर पंचायत, रबुपुरा	9.9

गाजीपुर	नगर पंचायत, बहादुरगंज	450
	नगर पंचायत, जंगीपुर	30
	नगर पंचायत, सैदपुर	30
गोण्डा	नगर पंचायत, कटरा	12
	नगर पंचायत, मनकापुर	18
ललितपुर	नगर पंचायत, तालबेहट	30
	नगर पंचायत, मेहरौनी	90
लखनऊ	नगर पंचायत, अमेठी	99.9
	नगर पंचायत, गोसाईगंज	8.7
	नगर पंचायत, काकोरी	14.58
	नगर पंचायत, मलीहाबाद	15
मऊ	नगर पंचायत, अदरी	15
	नगर पंचायत, दोहरी घाट	30
	नगर पंचायत, कोपागंज	30
सीतापुर	नगर पंचायत, हरगौव	7.5
	नगर पंचायत, पैतेपुर,	18
	नगर पंचायत, तम्बौर	195
सुल्तानपुर	नगर पंचायत, दोस्तपुर	30
	नगर पंचायत, कोइरीपुर	90
clj		1 609-58

(स्रोत: नमूना जाँच की गयी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रदत्त सूचना)

5.15
खरीद

(सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 5.11.3.3 एवं 5.12.3.3 पृष्ठ 115 एवं 120)

₹ यक [क ए]

क्र.सं.	स्थान	विवरण	विवरण	दिनांक	मूल्य
1.	गौतम बुद्ध नगर	नगर पालिका परिषद दादरी	कूड़ादान अदद-05	फरवरी 2014 से	0.6
2.	गाजीपुर	नगर पालिका परिषद गाजीपुर	एक जेटिंग मशीन (जेटिंग ट्राली सहित) 2011-12 में क्रय की हुयी	मार्च 2012 से	13.05
3.	ललितपुर	नगर पालिका परिषद ललितपुर	कूड़ादान-50 अदद	मार्च 2014 से	6.45
4.	सीतापुर	नगर पालिका परिषद खैराबाद	खनन एवं लादने वाली 2 डी0सी0एम0 एक्सवेटर लोडर जे0सी0बी0 मशीन 18-3-2013	जुलाई 2014 से झाइवर की अनुपलब्धता के कारण	16.97
योग					37.07

5.16
खरीद

क्र.सं.	स्थान	विवरण	विवरण	दिनांक	मूल्य
1	अलीगढ़	नगर पंचायत जलाली	कूड़ादान एवं कूड़ा गाड़ी की खरीद	अप्रयुक्त	4.14
			जेनसेट की खरीद	वांछित उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त न किया जाना	8.21
2	बहराइच	नगर पंचायत जरवल	फागिंग मशीन मार्च 3/2013 में क्रय की गयी	निष्क्रिय पड़ी हुयी	3.20
3	गौतम बुद्ध नगर	नगर पंचायत बिलासपुर	कूड़ादान अदद-4	फरवरी 2013 से	0.28
4	गाजीपुर	नगर पंचायत बहादुरगंज	हाथ ठेला गाड़ी अदद-12	फरवरी 2014 से	0.78
5	लखनऊ	नगर पंचायत अमेठी	कूड़ादान एवं कूड़ा गाड़ी की मात्रा क्रमशः 15 और 4	मार्च 2013 से	1.59
6	मऊ	नगर पंचायत कोपागंज	फाइबर कूड़ादान की खरीद (2/14 से)	45 कूड़ादान कार्यालय भवन की छत पर अभी भी निष्क्रिय पड़े हुए है	10.12
7	सीतापुर	नगर पंचायत हरगाँव	ट्यूबवेल चलाने के लिए 40 किलोवाट स्टेब्लाइजर का क्रय जो आउट ऑफ आर्डर है	अक्टूबर 2013	2.23
		नगर पंचायत पैतेपुर	वर्ष 2012-13 में 16 लटकने वाली डस्टबिन का क्रय किया गया	बिना बोर्ड में प्रस्ताव लाये की गयी खरीद जो अब दो वर्षों से कैम्पस में पड़ी है।	1.43
योग					31.98

(स्रोत: नमूना जांच की गयी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रदत्त सूचना)

5.16

वि० क०

(सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 5.11.4.1 एवं 5.12.4.1; पृष्ठ 117 एवं 121)

₹ यक [क ए]

तुिन दक के	उखि किफ्यद किफ्यन दक के	दक; ल दक के	दक; ल वि० क० गकुस दक दक .क	0; ;
अलीगढ़	नगर पालिका परिषद अतरौली	बसपाड़ा मुहल्ले में नाली एवं मार्ग निर्माण का मृदा कार्य	स्थानीय लोगों से विवाद के कारण 40 प्रतिशत ही कार्य पूर्ण किया गया। कार्य सम्पन्न की तिथि 26-5-11	11.58
बहराइच	नगर पालिका परिषद बहराइच	बाइपास मार्ग से कलीम के घर तक नाली का निर्माण (2013-14)	नाली का शीर्ष भाग का अवरुद्ध होना	24.59
	नगर पालिका परिषद नानपारा	राजा नानपारा कोल्ड स्टोरेज से तालाब तक नाली का निर्माण	नाली का शीर्ष भाग का अवरुद्ध होना	18.17
गाजीपुर	नगर पालिका परिषद गाजीपुर	तीन नाली संबंधी कार्य जैसे— 1—जमालपुर में रेलवे परिसर से किरन वर्मा के घर तक 2—किरन वर्मा के घर से माँ शक्ति स्थान तक 3—माँ शक्ति स्थान से खर्चू के घर तक (अनुमानित लागत 60.46 लाख)	एक वर्ष तक कार्य करने के बाद ठेकेदार द्वारा बिलों का भुगतान न किए जाने से कार्य का रोका जाना	20.16
		रेलवे माल गोदाम से टैक्सी स्टैण्ड तक नाली का कार्य (अनुमानित लागत 22.52 लाख)	स्थल विवाद के कारण कार्य अपूर्ण	6.82
	नगर पालिका परिषद मोहम्मदाबाद	पी0एच0सी0 से हाटा पोखरा तक कोरिया चट्टी के मोड़ होकर गहरे नाले का निर्माण (पश्चिम)	स्थानीय जनता के विरोध के कारण कार्य अपूर्ण	13.23
गोण्डा	नगर पालिका परिषद गोण्डा	रतन तालाब कर्बला रोड से शहजादे के घर तक पूर्वनिर्मित नाला पर निम्नण कार्य	विभाग द्वारा सक्रिय भागीदारी न होने के कारण	17.00
		लोहिया पार्क से टमसन इण्टर कालेज तक नाली निर्माण	विभाग द्वारा सक्रिय भागीदारी न होने के कारण	2.71
ललितपुर	नगर पालिका परिषद ललितपुर	जिला अस्पताल से पेट्रोल पम्प तक नाली/कल्वर्ट निर्माण (अनुमानित लागत 14.85 लाख)	विवाद के कारण मूल कार्य का रोका जाना केवल 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया परिणाम स्वरूप व्यय निष्फल रहा	5.11
सीतापुर	नगर पालिका परिषद सीतापुर	आई0टी0 कार्यालय से सरायन नदी तक नाला निर्माण दो भाग में किया गया	प्रथम भाग में अधोमानक एवं अपूर्ण कार्य तथा दूसरे भाग में नाली के शीर्ष का कार्य अपूर्ण	26.09
सुल्तानपुर	नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर	वार्ड नं0 25 में ठठेरी बाजार से सरपथ बाजार तक नाली का निर्माण	स्थल पर स्थानीय जनता के विवाद के कारण कार्य अपूर्ण	1.6
		वार्ड नं0 1 में करोडियन मुहल्ला शंकरपुरम में नाली का निर्माण	स्थल पर स्थानीय लोगों के विवाद के कारण कार्य अपूर्ण	6.27
		वार्ड नं0 2 में श्री राम सिंह के घर के पास नरायनपुर में नाली का निर्माण	स्थानीय लोगों से स्थल विवाद के कारण कार्य अपूर्ण	1.41

		वार्ड नं0 2 में लखनऊ वाराणसी मार्ग पर वन्दना होटल से गड़ही (छोटा तालाब) तक नरायनपुर में नाली निर्माण	स्थानीय लोगों द्वारा स्थल विवाद के कारण कार्य अपूर्ण	2.7
		वार्ड नं0 4 डिहवा में दलित बस्ती से कब्रिस्तान तक नाली निर्माण	स्थानीय जनता के विवाद के कारण कार्य अपूर्ण	2.32
		वार्ड नं0 13 में लालका पुरूआ से फूलचन्द के मैदान से एस0पी0 गुप्ता के मकान तक नाली निर्माण	स्थानीय जनता से विवाद के कारण कार्य अपूर्ण	6.73
dy				166-49
अलीगढ़	नगर पंचायत हरदुआगंज	श्री मोहन लाल बाल्मीकि के घर से राकेश यादव की दुकान तक नाली निर्माण	नाली के रास्ते में खाली जमीन आ जाने के कारण कार्य अपूर्ण	2.99
	नगर पंचायत कौड़ियागंज	ललिता रोड पर इदरीश के मकान से मुकद्दम के घर तक एवं नजीर के घर से मुकद्दम बगिया की पुलिया तक नाली निर्माण	बिना माप पुस्तिका एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के भुगतान किया जाना	4.65
बहराइच	नगर पंचायत जरावल	वार्ड सं0 10 में सिराज के घर से कमरुद्दीन के घर तक नाली निर्माण	कार्य अपूर्ण। नाली का शीर्ष भाग का स्थानीय लोगों से विवाद के कारण बन्द रहना।	4.41
गौतम बुद्ध नगर	नगर पंचायत रबुपुरा	सिनेमा हाल से तालाब तक 200 मीटर नाली का निर्माण (अनुमानित लागत रू0 13.76 लाख)	कार्य अपूर्ण। स्थानीय जनता से विवाद के कारण केवल 81 मीटर नाली का निर्माण तथा 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण 22-4-15 तक।	8.64
गाजीपुर	नगर पंचायत बहादुरगंज	नगर पंचायत कार्यालय से कियारागढ़ी तक 74 मीटर नाली का निर्माण	कार्य अपूर्ण। स्थानीय जनता से विवाद के कारण केवल 50 मीटर नाली पूर्ण एवं नाली का शीर्ष बन्द	3.11
		90 मीटर लम्बा सी.सी. रोड एवं यू टाइप ठके हुए नाला का निर्माण	कार्य अपूर्ण। कारण स्थानीय जनता से विवाद	1.96
dy				25-76

(स्रोत: नमूना जांच की गयी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रदत्त प्राप्त सूचना)

i f j f' k"V 5.17

mfpr 'kh"kl l s ukyh dk l a kftr u gksuk^
(सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 5.11.4.2 एवं 5.12.4.2; पृष्ठ 117 एवं 121)

uxj i kfydk ifj"kn

₹ yk[k e#

tui n dk uke	'kgjh LFkkuh; fudk; dk uke	dk; l dk uke	i z Ør /kujkf' k
बहराइच	नगर पालिका परिषद, बहराइच	बाई पास सड़क से कलीम के घर तक नाली निर्माण	24.59
	नगर पालिका परिषद, नानपारा	राजा नानपारा कोल्ड स्टोरेज से तालाब तक नाली निर्माण	18.17
dly			42-76

uxj i pk; r

tui n dk uke	'kgjh LFkkuh; fudk; dk uke	dk; l dk uke	i z Ør /kujkf' k
फिरोजाबाद	नगर पंचायत, फरीहा	नरखी रोड पर अशोक जैन गोदाम से असीम के घर तक नाली निर्माण	4.33
		नरखी रोड पर राघवेन्द्र के घर से असीम के घर तक नाली निर्माण	4.04
गाजीपुर	नगर पंचायत, सैदपुर, गाजीपुर	रामायण के घर से मान्ता के घर तक बन्द नाली का निर्माण	3.97
सुल्तानपुर	नगर पंचायत, कोईरीपुर	जवाहर नगर में रामपाल के घर से मोहन लाल के घर तक बन्द नाली निर्माण	4.82
		हनुमान नगर में यासीन के घर से जबीर शाह के घर तक बन्द नाली निर्माण	3.17
		रामनगर मोहल्ला में राधेश्याम शर्मा के घर से हरीश चन्द्र के घर तक नाली निर्माण	5.48
		हजरतगंज में मकसूद के घर से सगीर के घर तक बन्द नाली निर्माण	6.88
dly			32-69

(स्रोत: नमूना जांच की गयी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रदत्त सूचना)

5.18
foRrh; I hek dk mYy&ku
 (सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 5.12.4.3; पृष्ठ 122)

uxj i p k; n

(₹ yk[k e)

tuin dk uke	'kgjh LFkkuh; fudk; dk uke	o"l	dk; l dk uke	vf/kdre foRrh; I hek	/kuj kf' k
अलीगढ़	नगर पंचायत हरदुआगंज	2012-13	रामघाट रोड पर, हरीश लाला की दुकान से अजय ट्रेक्टर की दुकान तक नाली निर्माण	5.00	6.70
		2013-14	पशु अस्पताल से लाला हरीश की दुकान तक नाली निर्माण	5.00	10.08
	नगर पंचायत कौड़ियागंज	2013-14	मस्जिद चौराहा (ललिता मंदिर होकर) से ईदगाह तक नाली निर्माण	5.00	24.02
गौतम बुद्ध नगर	नगर पंचायत रबुपुरा	2014-15	सिनेमा हाल के सामने से तालाब तक नाला निर्माण	5.00	8.64
ललितपुर	नगर पंचायत मेहरौनी	2013-14 एवं 2014-15	इंदिरा चौक की पुलिया से जगेश्वर झा एवं दूसरा संजना रोड पर लाला राम बाजपेयी से हरिजन मोहल्ला तक नाला निर्माण कार्य	5.00	11.96
	नगर पंचायत तालबेहट	2013-14 एवं 2014-15	4 नाला निर्माण के कार्य	5.00	38.67
	नगर पंचायत अमेठी	2012-13	पावर हाऊस से इनाम वारिस के मैदान तक नाला निर्माण कार्य	5.00	6.18
सुल्तानपुर	नगर पंचायत दोस्तपुर	2013-14	मोहम्मद शाई तकिया में जफर के मकान से (तालाब के पास) से पुलिया तक नाली निर्माण	5.00	6.01
			फिरोजपुर कालान में राम भरोसे के मकान से मोहम्मद कलीम अंसारी के मकान तक नाली निर्माण	5.00	5.23
				dy	117.49

(स्रोत: नमूना जांच की गयी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रदत्त सूचना)

i f j f' k"V 6.1

ty eM; dh yfEcr ol wjh dk o"kbkj fooj.k
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 6.2; पृष्ठ 126)

Ok"Kz	Ok"Kz ds nKj ku ty l a kstu dh l a[; k	Ok"kbkj nj ₹ 8-00 ifr ekg½	yfEcr vof/k %o"Kz e½	ol wjh gnrq yfEcr /kuj kf' k ₹ e½
2008-09 तक	12172	96	7	81,79,584
2009-10	447	96	6	2,57,472
2010-11	304	96	5	1,45,920
2011-12	374	96	4	1,43,616
2012-13	369	96	3	1,06,272
2013-14	549	96	2	1,05,408
2014-15	493	96	1	47,328
: ksx	14,708			89,85,600

i f j f' k"V 6.2

mRrj i ns' k i n'k. k fu; a. k ckMz ds eq[; i; kbj. k ekud
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 6.3; पृष्ठ 127)

1. वधशाला के संचालन के पूर्व उसकी सफाई के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए।
2. संयन्त्र प्रतिपादन हेतु एक अनुबन्ध का गठन संचालन के पूर्व अवश्य किया जाना चाहिए। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए उचित व्यवस्था किया जाना चाहिए।
3. जानवरों के केवल पूर्व निर्धारित संख्या का वध किया जाना चाहिए था। उत्पादों को जनपद के बाहर नहीं भेजे जाने थे।
4. वधशाला का निर्माण नगर निगम के डाइंग एवं डिजाइन के आधार पर किया जाना था।
5. उत्पन्न होने वाले कम महत्वपूर्ण उत्पाद जैसे-हड्डियाँ, आँते आदि का निपटान उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदण्डों के अनुसार किए जाने थे।
6. बायो अपशिष्ट के लिए एक बायो खाद इकाई का निर्माण किया जाना था।
7. प्रतिबन्धित श्रेणी के जानवरों का वध नहीं किया जाना था।
8. आस-पास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए, उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए थे।

i f j f' k"V 6.3

o/k' kkyk clln gkus ds dkj .k uxj fuxe dks /kujkf' k dh gkfu
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 6.3; पृष्ठ 128)

ØØ l Ø	cllnh dh vof/k	uxj fuxe dks gkus okys gkfu dh vof/k dh x.kuk	gkfu dh /kujkf' k ₹ yk[k e½
1.	27.11.2002 से 22.05.2007	दर उपलब्ध नहीं	0.00
2.	01.04.2012 से 30.11.2013	20 माह @ ₹ 15.60 प्रति माह	312.00
3.	12.03.2015 से 30.11.2015	8 माह, 20 दिन @ ₹ 26 लाख प्रति माह	224.77
			536.77

i f j f' k"V 6.4

vi w k l dk; k l dk foj .k
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 6.6; पृष्ठ 132)

ØØ l Ø	ukys dk uke	dk; l dk uke ½ukyh dk fuek l k½	vkx.ku ds vuq kj Lohdr YkEckbz ½ehVj e½	eki i f Lrdk ds vuq kj fd; s x; s dk; l dh YkEckbz ½ehVj e½	vo' k'k ek=k ½ehVj e½
1.	ए	श्री सत्यनारायण बाबा, कटरा चौराहा से मधवलिया रोड बाग तक वार्ड सं0 11 में नाली का निर्माण	400	280.00	120.00
2.	बी	नर्वदेश्वर तिवारी के हैण्डपम्प के पीछे से गोपाल के खेत तक वार्ड सं0 13 में नाली का निर्माण	94.50	66.40	28.10
3.	सी	गोपाल के खेत से चक रोड तक वार्ड सं0 13 में नाली का निर्माण	94.50	66.40	28.10
4.	डी	चक रोड से श्री गामा के घर तक वार्ड सं0 13 में नाली का निर्माण	94.50	66.40	28.10
5.	इ	श्री गामा के घर से श्री झगडू के खेत तक वार्ड सं0 3 में नाली का निर्माण	94.50	58.20	36.30
6.	एफ	श्री झगडू के खेत से श्री भन के घर तक वार्ड सं0 3 में नाली का निर्माण	94.50	58.20	36.30
			872.50	595.60	276.90

i f j f' k"V 6.5

npkuk@gky ds fuek l k dk foj .k
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 6.9; पृष्ठ 136)

ØØ l Ø	; kst uk dk uke	Lohdr npkuk@gky dh l a[; k	fufelr npkuk@gky dh l a[; k	i k Ddfyr ykxr ₹ yk[k e½	okLrfod 0; ; ₹ yk[k e½
1.	महोना बाजार में कामर्शियल काम्पलेक्स का निर्माण	4/1	4/1	8.72	8.65
2.	महोना में सामुदायिक केन्द्र के पास कामर्शियल काम्पलेक्स का निर्माण	11	9	14.07	12.52
3.	महोना बाजार में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के पास कामर्शियल काम्पलेक्स का निर्माण	21	11	29.37	16.85
		36/1	24/1	52.16	38.02